खण्ड-365, अंक-4
बुधवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1905
(7 मार्च, 1984 ई0)

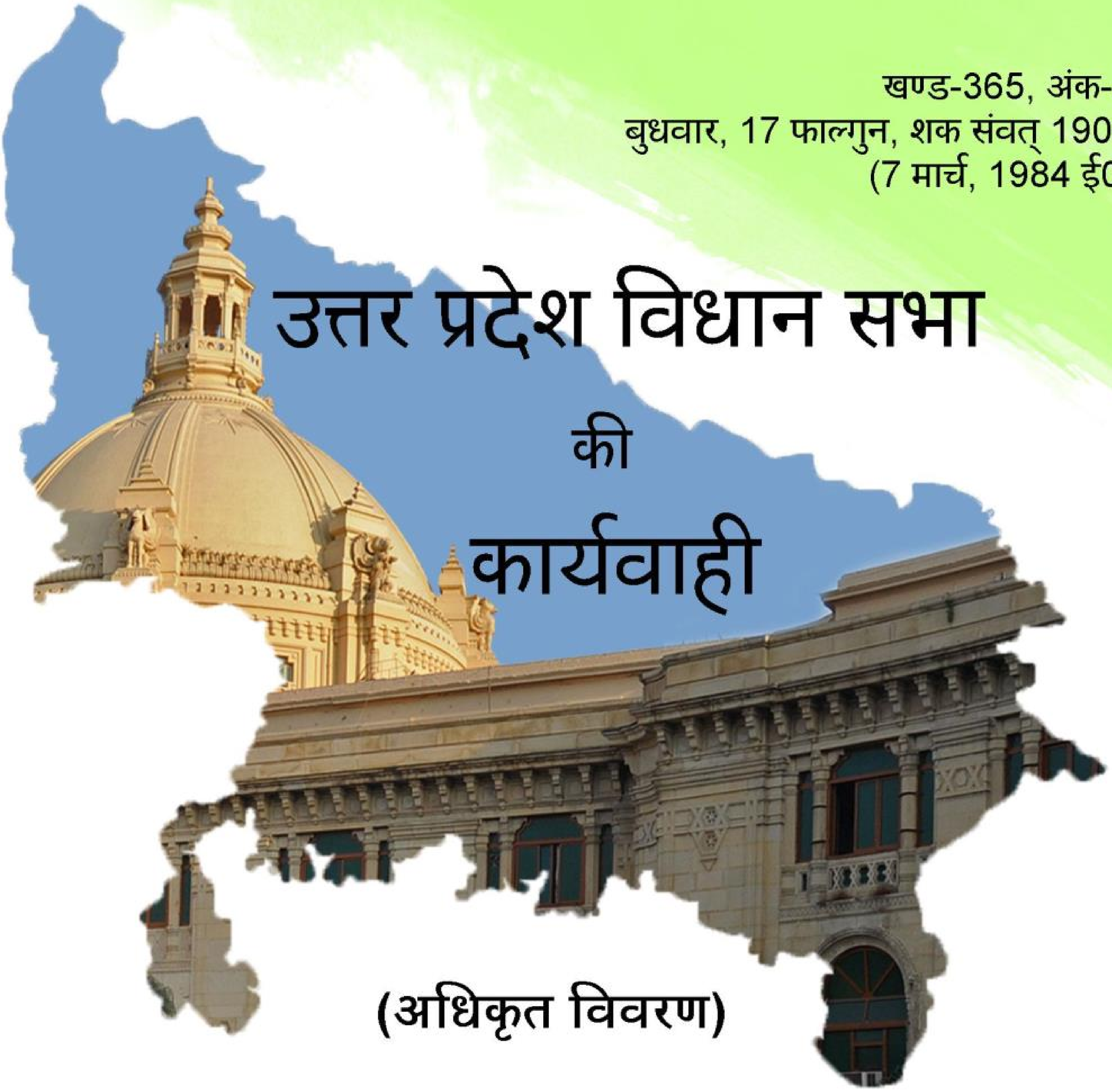

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 365 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1—4
प्रश्नोत्तर जारी	..	5—15
सदन में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्देश	..	16
प्रश्नोत्तर	..	16—88
मृतपूर्व सदस्य, श्री राजाराम शास्त्री के निधन पर शोकोद्गार	..	88—90
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	..	90—92
माधोगंज (हरदोई) में पशु चिकित्सक डा० मिश्र की हत्या एवं पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	92—93
प्रदेश में कुकिंग गैस सिलेन्डर के अभाव से नागरिकों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	93
ग्राम धूर खेत (उन्नाव) के पास नहर का पानी निकालने वाले नाले को बसहा झील में मिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	93—94
राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्व० जगमोहन लाल की सीलिंग एक्ट में निकली भूमि को अवैध रूप से श्रीमती अनीला देवी के नाम किये जाने की साजिश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	94
स्याना थाने (बुलन्दशहर) की पुलिस की साजिश से वृक्षों की अवैध कटाई से जन आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	94—95
बलिया के नाविकों के आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	95
खाद्य एवं रसद विभाग के हरिजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	95—96
गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के बोर्ड में कार्य करने हेतु नाम निर्देशन हेतु वैध पाये गये अभ्यर्थियों के नामों की सूचना	..	96—98

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री सुन्दर सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा एक मकान के कब्जे के सम्बन्ध में श्री ए0 सी0 ग्राइस के साथ किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	98--103
सहकारिता राज्य मन्त्री के भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	103--107
कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा, राज्य मंत्री के विरुद्ध लोकायुक्त की रिपोर्ट पर कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	107--111
दिनांक 6 मार्च, 1984 को श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन के प्रस्ताव पर मतदान न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	111--117
श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन की शेष कालावधि को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	117
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) ..	118
दिनांक 7 सितम्बर, 1983 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	118--119
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	119--127
कार्य-स्थगन की सूचनाओं के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्देशों का मंत्रियों द्वारा पालन न किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न ..	127--128
वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ..	128--148
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	148
प्रदेश शासन द्वारा संचालित निगमों में घाटे के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	148--153
बस्ती जनपद में वकीलों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य के स्थगन की सूचना ..	153--154
प्रदेश के शिक्षकों द्वारा हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन का बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (जारी) ..	154--159
गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा पांच अन्य निकायों में सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना ..	159
प्रदेश में शिक्षकों द्वारा हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं के संचालन का बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा ..	159--169
नस्थियां ..	171--178

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 7 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--342

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री गोंडा
अजीजुर्रमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तन भैया) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर, (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर मैठया, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्दर सिंह, श्री (मेरठ)

चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नारायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह वरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जितेन्द्र शाह, श्री (जालौन)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीप नारायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धरमपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखर आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदास कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री, (झांसी)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भीम सिंह सीना, श्री (मेरठ)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)

भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकन्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मुहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्म अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यमुना प्रसाद, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह श्री, (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) (गाजीपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप, वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)

रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी), (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वृद्धि नारायन सिंह, (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (बाराबंकी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखना मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह श्री (देवरिया)
सुनीत चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुर)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकुम सिंह, (मुजफ्फरनगर)

नोट--गन्ना विकास मन्त्री, श्री सुरेन्द्र पाल सिंह तथा नगर विकास एवं आवास राज्य मन्त्री, श्री अरुण कुमार एवं पंचायती राज मन्त्री, श्री राम सजीवन सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 7 मार्च, 1984 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री हुकुम सिंह--

श्रीमन्, आज भी इनका वही रवैया है। कोरम की हालत आपने देख ली।

(व्यवधान)

आपके आदेश के बावजूद यह हालत है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, नियम 313 का यहां भी इस्तेमाल हो जाए, वह बरखास्त कर दिये जायं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के परिचालकों की प्रतीक्षा सूची एवं परिचालकों द्वारा किया गया अनशन

**1--श्री विश्वनाथ--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रोडवेज मजदूर सभा के तत्वावधान में वर्ष 1980 से 82 तक की परिचालक प्रतीक्षा सूची को पुनर्जीवित करने हेतु परिचालकों का क्रमिक अनशन दिनांक 27 जनवरी, 1984 से लखनऊ में चल रहा है तथा तत्कालीन परिवहन मन्त्री व रोडवेज मजदूर सभा के प्रतिनिधियों के बीच 6 फरवरी, 1984 को कोई समझौता हुआ है? यदि हां, तो शर्तें क्या हैं और उन्हें कब तक लागू किया जायेगा ?

परिवहन मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

परिचालकों की प्रतीक्षा सूची को पुनर्जीवित करने हेतु रोडवेज मजदूर सभा के तत्वावधान में दिनांक 28-1-84 से निगम मुख्यालय में क्रमिक अनशन प्रारंभ किया गया था।

दिनांक 6-2-84 को तत्कालीन परिवहन मंत्री जी की रोडवेज मजदूर सभा के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया कि परिवहन निगम में भर्ती पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगे होने के कारण प्रतीक्षा सूची के परिचालकों को सेवा में विनियोजित करना सम्भव नहीं है। भविष्य में निगम के बस बेड़े में पर्याप्त वृद्धि होने पर यदि नई भर्ती की आवश्यकता पड़े तो प्रतीक्षा सूची के उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर जमानत की धनराशि जमा की है एवं अल्प कालिक रिक्ति में निगम की सेवा की है, को वरीयता दी जायेगी। उस समय यदि इस प्रकार के अभ्यर्थी निर्धारित आयु सीमा पार कर गये होंगे तो गुणावगुण के आधार पर इस सीमा में छूट देने के विषय में विचार कर लिया जायेगा।

परिवहन निगम द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप रोडवेज मजदूर सभा द्वारा क्रमिक अनशन दिनांक 22 फरवरी 1984 को समाप्त कर दिया गया।

श्री विश्वनाथ--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि इनके बस-बेड़े में कब तक पर्याप्त वृद्धि होगी और उस वृद्धि से उनका तात्पर्य क्या है ? इन्हें कब तक नियुक्त किया जाएगा या इनके भविष्य को अधर में लटकाए रखा जाएगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, इस समय 2828 परिचालक ज्यादा हैं, जब तक नया फ्लीट न आ जाए और जब तक जो पुराने लोग एक्सेस में हैं, उनका समायोजन न हो जाए, तब तक यह बात, इनका समायोजन सम्भव नहीं हो सकता है।

श्री विश्वनाथ--

मान्यवर, उत्तर अस्पष्ट है। मेरा कहना है कि कब तक बस-बेड़े में वृद्धि होगी और पर्याप्त वृद्धि कब तक करेंगे और प्रतीक्षा सूची के लोगों को कब तक काम में लेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैंने तो स्पष्ट कहा है। इस समय परिचालक 2828 ज्यादा हैं और नई बसों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। आई0 डी0 बी0 आई0 आदि से लोन लेकर नई बस लाने की बात हो रही है। उसमें हम 2000 नई बसें डालेंगे। जितने एक्सेज हैं, इस तरह से जब वह खप जायेंगे, तभी प्रतीक्षा सूची से लिए जायेंगे। उसके पहले लेना सम्भव नहीं है।

श्री पंचानन राय--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस समय 2828 परिचालक अधिक हैं, तो इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि या तो परिचालकों की आवश्यकता नहीं थी और भ्रष्टाचार या अन्य किसी तरह उनका रिक्रूटमेन्ट कर लिया गया या दूसरा कारण यह है कि जितनी बसें थीं उसमें से 2828 बसें कम हो गईं तो इन दोनों बातों में क्या कारण सही है, जिससे इतने परिचालक एक्सेस हो गए ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, इस समय 28 प्रतिशत बसें खराब हैं। इस कारण जो कन्डक्टर्स उसमें लगे थे, वे एक्सेज हो गये।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके यहां कुल बसें कितनी खराब हैं और वे किन-किन कारणों से खराब पड़ी हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

मने अभी बताया तो है कि 28 प्रतिशत खराब हैं।

श्री प्रियदर्शी जतली--

जो परिचालक अधिक बताये गये हैं इनके वेतन आदि पर निगम को प्रति वर्ष कितना रुपया देना पड़ रहा है ?

श्री गुलाब सेहरा--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, करीब 2800 परिचालक अतिरिक्त हैं। जब माननीय बीरबहादुर सिंह परिवहन मंत्री थे, तो उनके समय में यह रखे गये थे। किसी ने 6 माह काम किया, किसी ने साल भर किया, जब तक वे मंत्री रहे परिवहन के वे चलते रहे, जब वे सेवा से इस विभाग को हटा दिये गये, यह चालक भी अलग कर दिए गए। आपने अतिरिक्त परिचालकों की संख्या 2800 के करीब बतलायी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रतीक्षा सूची में ऐसे कितने लोग हैं, जिन्होंने अल्पकाल या कुछ समय तक काम किया है ? क्या ऐसे लोगों की संख्या इसके अतिरिक्त है ? अगर अतिरिक्त हैं, तब तो जब आप करीब 4000 बसें और खरीदेंगे तब यह लिए जा सकेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने बताया कि 28 प्रतिशत बसें खराब हैं, जिन्हें रिप्लेस करना होगा। कुछ आदमी तो इसमें ऐसे हैं जिन्होंने 6 मास की ट्रेनिंग ली है और जमानत का रुपया भी जमा कर दिया है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने खाली जमानत की रकम ही जमा की है। ऐसे लोगों को भी हमने उस सूची में रख लिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या अपने यहां परिचालकों और ड्राइवरों की भर्ती हेतु, मंत्री जी किसी कमेटी या बोर्ड के गठन पर विचार

करेंगे जिस तरह का बोर्ड केरल और कर्नाटक में है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जब आवश्यकता होगी अन्य भर्ती की, तब इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री रियासत हुसैन--

इन परिचालकों के सामने एक दिक्कत यह है कि 5-5 हजार रुपये की रिश्वत देकर तो इन लोगों ने नौकरी पायी, अब उनको अलग कर दिया गया, इसलिए उनमें भारी असंतोष है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कर्ज लेकर जो आप बसें खरीदने जा रहे हैं वह खरीदने की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ? कब तक कर्जा मिल जायेगा आपको ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, आई0 डी0 बी0 आई0 को हमने 25 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था जिसमें 10 करोड़ रुपये तो उन्होंने रिलीज कर दिये हैं और उसमें से हमने 462 बस खरीद ली हैं जिसमें 262 की बाडी बन रही है, दूसरी बसों की बाड़ी बनने में कुछ विलम्ब हो रहा है । बैंक से शेष 15 करोड़ रुपया भी शीघ्र मिलने की आशा है । अभी एक नया प्रोजेक्ट 25 करोड़ का हम और देंगे । इस सबसे करीब 2 हजार बसें रिप्लेस हो जायेंगी ।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि 462 नयी बसें खरीदी गयी हैं । तो इनमें से कितनी बसें पर्वतीय क्षेत्र के लिए रखी गयी हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, अभी तो बसें खरीदी हैं । जहां पर जैसी डिमांड होगी, जैसी आवश्यकता होगी, वहां लगाया जायगा ।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपने बताया कि 2800 परिचालक एक्सेस हैं और इ के अलावा एक प्रतीक्षा सूची भी है तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी संख्या क्या है । दूसरी बात यह है कि जैसा अभी कहा गया कि वीर बहादुर सिंह ज ने काफी संख्या बढ़ायी है । मेरी निश्चित जानकारी है कि खास तौर से मेरठ में परिचालकों की कमी है । बसेज आफ रोड रहती हैं परिचालकों की कमी की वजह से । गोरखपुर देवरिया के जो परिचालक हैं वहां जाना नहीं चाहते । तो क्या इनके समायोजन के बारे में विचार कर रहे हैं ?

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, ज्यादा भर्ती तो जनता पार्टी की सरकार ने किया था । मालवीय जी ने किया था यह इनको मालूम नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

लेकिन अभी तो इनके जमाने वाले लोग निकाले गये हैं क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाये गये हैं कि वह रिश्वत लेकर भर्ती हुए हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, जैसा कि माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा यह पहलू भी संज्ञान में आ गया है कि जहां परिचालक एक्सेस हैं उनका विशेष रूप से स्थानान्तरण किया जाय । गोरखपुर मंडल के करीब 50 कंडक्टरों का ट्रांसफर मेरठ को किया गया है । इस शर्त के साथ किया गया है कि अगर वह ज्वाइन नहीं करेंगे तो

उनको सर्विस में नहीं रखा जायगा। जिस रीजन में एक्सेस हैं और जहां कमी है तो वहां स्थानान्तरित किया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, 1980-82 की जो प्रतीक्षा सूची है वह जीवित है। उसके बावजूद भी आज प्रदेश के अन्दर क्षेत्रीय प्रबंधकों ने नियुक्तियां की हैं, तो उसका क्या कारण है तथा उन नियुक्तियों की संख्या क्या है? इसको देखते हुए क्या इस प्रतीक्षा सूची को जीवित करने की कृपा करेंगे?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैं इस सम्मानित सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि करीब 5 हजार स्टाफ एक्सेस हैं। जहां पर कमी होती है वहां पर इनका स्थानान्तरण कर रहे हैं। इसको हम देख रहे हैं जहां एक्सेस परिचालक हैं वहां से उनको दूसरी जगह भेजा जा रहा है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। तो फिर प्रश्न करने से फायदा क्या है।

श्री अध्यक्ष--

आप संतुष्ट नहीं हैं तो नियम 49 में लिखकर दे दीजिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं लिखकर देता हूं।

श्री ऊदल--

मान्यवर, दो चीजें हैं। एक तो बसेज जो डिपोज में बेकार खड़ी हैं उनके नीलाम की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। तो क्यों इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है? दूसरी बात यह मैं जानना चाहता हूं कि जब तक बसों का बेड़ा नहीं बढ़ जाता है तब तक अंडरटेकिंग की बहुत सी बसें लगाने के लिए लोग इच्छुक हैं, उन पर सरकारी परिचालक रहता है। तो क्या इस पर विचार करेंगे कि जब तक नयी बसें नहीं हो जाती हैं तब तक अंडरटेकिंग की बसें लगा दी जायं?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य ने पूछा है तो स्थिति इस प्रकार है कि जो हमारी वेस्टर्न जोन है, जितनी अनुबंधित बसों की आवश्यकता थी वह हो चुकी है। केवल पूर्वांचल में हमको अनुबंधित बसें पर्याप्त संख्या में नहीं मिली हैं। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीयकृत, मार्गों पर जो बसें अवैध रूप से चलती हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके सम्बन्ध में इतनी कड़ी कार्यवाही की जाय कि वह आकर अपनी बसें अनुबन्धित करायें। इस बात का प्रयत्न शासन की ओर से गंभीरतापूर्वक कराया जा रहा है।

श्री चन्दन सिंह जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, मैनपुरी के विरुद्ध छात्रों का क्रमिक अनशन

**2--श्री नन्द राम (अनुपस्थित)--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मैनपुरी में दिनांक 17-1-1984 से छात्रों द्वारा हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी तथा उसके कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर जो क्रमिक

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0-2 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की रुचि पर लिया गया।

अनशन किया गया उसमें मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं तथा उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां । मुख्य मांग यह थी कि श्री चन्दन सिंह, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, मैनपुरी का चार्ज छुड़वाया जाय तथा उन पर लगाये गये आरोपों की सी0 बी0 आई0 द्वारा अविलम्ब जांच कराई जाय ।

फर्जी छात्रों के नाम छात्रवृत्तियां स्वीकार कर शासकीय धन का दुर्विनियोग करने, छात्रावास के अनुदान को अनियमित ढंग से मुक्त करने इत्यादि के आरोपों की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, मैनपुरी को आदेश दे दिये गये । श्री चन्दन सिंह का स्थानान्तरण मैनपुरी से दिनांक 5 फरवरी, 1984 को कर दिया गया जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी ने उन्हें 8-2-1984 को कार्यमुक्त भी कर दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो मांग पत्र है, उस मांग पत्र में उन हरिजन छात्रों ने, चूंकि वे वहां अनशन कर रहे थे, उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि यह सब जो जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया गया, उसमें जिलाधिकारी का भी हाथ था, तो जिलाधिकारी को यह आदेश क्यों दिया गया कि वह जिले के किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करा लें ? अगर जिलाधिकारी को दिया भी गया, तो जिलाधिकारी ने जांचकर्ता किसको नियुक्त किया और उन्होंने जांच कब से शुरू कर दिया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, 25-2-1984 को जिलाधिकारी को जांच के लिए आदेश दे दिये गये हैं, उन्होंने किस अधिकारी को जांच करने के लिए इस काम को दिया है, इसकी सूचना अभी नहीं है, इसकी सूचना उपलब्ध कराकर मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को भेज दी जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जिलाधिकारी को आदेश करने के बाद भी 10-15 दिन हो रहे हैं और अभी तक उन्होंने जांचकर्ता नहीं नियुक्त किया । क्या माननीय मंत्री जी इस सारे मामले की जांच जिलाधिकारी के बजाय जिलाधिकारी से वरिष्ठ आयुक्त स्तर के किसी अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे, क्योंकि इसमें मान्यवर, बहुत रुपये का गबन छात्रों के नाम से किया गया है । इसलिए मान्यवर मेरी मांग है कि इस बारे में आदेश अभी तक न करने का क्या कारण है कि जिलाधिकारी से वरिष्ठ आयुक्त स्तर के अधिकारी से जांच करा ली जाय ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, छात्रों के आन्दोलन के सम्बन्ध में एक पैम्फलेट है, उसमें यह लिखा है—धरना दिनांक 6 जनवरी, 1984, समय 12 बजे जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, श्री चन्दन सिंह पर गबन तथा जिले में अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्तियां हड़पने के गम्भीर आरोपों की जिलाधिकारी श्री राजेन्द्र भौनवाल तुरन्त जांच करायें । यह मेरे पास उनके पत्र हैं । आगे माननीय अध्यक्ष महोदय जैसी आज्ञा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह जो पत्र दिया उन लड़कों ने इसी से उनका समाधान नहीं हुआ, जिलाधिकारी ने जांच नहीं करवाया, जब लड़के और गहराई में गये, इसलिए आखीर में जब यह समझौता हुआ है, जिसमें लड़कों ने अनशन छोड़ा, उस समय लड़कों की

ओर से जो आपको आवेदन-पत्र दिया गया उसमें मांग की गयी कि जिलाधिकारी से जांच न कराकर आयुक्त स्तर के किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायी जाय। तो मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस मामले की जांच जिलाधिकारी से वरिष्ठ आयुक्त स्तर के अधिकारी से तत्काल करायी जाय ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इसको मैं देखवा लूंगी और आपने जो सुझाव दिया है कि अधिकारी के द्वारा यह जांच करायी जाय, तो अगर यह उचित समझेंगी और अगर जिलाधिकारी के यहां से जांच आख्या संतोषजनक नहीं आती, तो आयुक्त स्तर से जांच करने के सम्बन्ध में अवश्य हम विचार करेंगे।

तारांकित प्रश्न

[दिनांक 7 मार्च, 1984 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री कुंवर सिंह नेगी--

[दिनांक 22-2-1984 को तारांकित प्रश्न संख्या--14 द्वारा उत्तरित।]

श्री इनामुल्ला, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, गोण्डा का निलम्बन

*2--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय अक्तूबर, 1983 में सिंचाई कार्य खण्ड, गोंडा, उप खण्ड बहराइच के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अभियन्ता (श्री इनामुल्ला) पर गम्भीर भ्रष्टाचार करने और पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप में वर्ष 1971 से मई, 1978 तक वे निलम्बित थे, जिनकी जांच गुप्तचर विभाग द्वारा जनवरी, 1980 में पूरी कर ली गई थी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये थे ? क्या यह सच है कि 1982-83 में जिलाधिकारी, बहराइच ने पुनः उसी प्रकार की शिकायत की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

श्री इनामुल्ला, सहायक अभियन्ता को वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया था। जिसके फलस्वरूप वे दिनांक 5 फरवरी, 1968 से 24 जुलाई, 1975 तक निलम्बित रहे। इस मामले में श्री इनामुल्ला के विरुद्ध अनुशासनिक जांच कराकर उन्हें दंडित किया जा चुका है। श्री इनामुल्ला के विरुद्ध उक्त जांच में पाकिस्तानी जासूस होने का कोई आरोप नहीं था। प्रश्नगत अवधि में जिलाधिकारी, बहराइच ने भी कोई शिकायत नहीं भेजी है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि श्री इनामुल्ला, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जिलाधिकारी, बहराइच ने कभी कोई शिकायत शासन को भेजी या किसी जनप्रतिनिधि द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष--

जिलाधीश का जवाब आ गया है जनप्रतिनिधि के बारे में बता दें।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिलाधिकारी, बहराइच को कोई शिकायती पत्र नहीं आया है।

श्रीमती गौरी देवी---

क्या एक बार वित्तीय अनियमितता में श्री इनामुल्ला, सहायक अभियन्ता निलम्बित थे और पुनः अगस्त, 1983 में शासकीय धन का अनावश्यक व्यय करने, मिट्टी के कार्यों में दरें अधिक देकर सरकारी धन हड़पने, व फर्जी कार्य दिखाकर

भुगतान करने की शिकायतें हैं ? माप पुस्तकाएं भी गायब की गई हैं तो क्या मंत्री जी उन्हें पुनः निलम्बित करके जांच करायेंगे ताकि जांच प्रभावित न हो ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इनको बर्खास्त कर दिया गया था लेकिन उच्च न्यायालय में उसे निरस्त कर दिया और उसके बाद यह निलम्बित रहे और उसके बाद उच्च न्यायालय के अनुसार इनको बहाल करना पड़ा। उच्च न्यायालय ने कहा था कि जो लीगल बात हो सकती है विभाग जो चाहे करे। विभाग ने जांच किया और कार्यवाही किया। जो शिकायत आपने अब किया है इनके खिलाफ क्या चार्ज है इसकी जांच करा रहा हूं। इनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। माननीय सदस्या की जो भावना है उसकी पुष्टि हो जायेगी।

श्री मोहन सिंह--

इनके बर्खास्तगी के दो बिन्दु हो गये। जो वैधानिक कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी थी, शासन द्वारा पूरी नहीं की गयी उच्च न्यायालय ने इस आधार पर इसको खत्म किया या जो आरोप पत्र दिया गया उसके विपरीत कोई राय उच्च न्यायालय ने जाहिर की है, कौन सा बिन्दु सही है ? आरोप-पत्र में जो आरोपित बिन्दु थे उन पर पुनः निलम्बित करके जांच कराकर जो वैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरा करने पर शासन विचार करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सारी प्रक्रिया पूरी की गई थी। जो आवश्यक कार्यवाही होनी थी, की गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में हुई हानि

3--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

क्या परिवहन मन्त्री उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के असाधारण घाटे और निगम पर भारी कर्ज को देखते हुए निगम को भंग करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन नई बसें कर्ज से खरीदने के बजाय अनुबन्धित बसों द्वारा निगम या राजकीय नियंत्रण में बस सेवा संचालित करने की योजना बना रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं।

परिवहन निगम को पिछले वर्षों में हो रही हानि मुख्यतः संचालन व्यय डीजल, स्पेयर पार्ट्स, ओवरहेड, अवमूल्यन एवं ब्याज आदि में वृद्धि होने के कारण है। निगम एक व्यावसायिक संस्थान है इसमें हानि/लाभ होना स्वाभाविक है। वर्तमान में निगम को भंग करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

परिवहन निगम की पूंजीगत कठिनाइयों के कारण पुराने बसों, जो अपनी निर्धारित किलोमीटरेज आयु सीमा पार कर चुकी हैं, समय से प्रतिस्थापना न हो सकने और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनता को असुविधा न हो, निगम द्वारा निजी बसों को निगम प्रबन्ध के अन्तर्गत एक निश्चित किराये के आधार पर संचालित किया जा रहा है। जहां तक निगम द्वारा राजकीय नियंत्रण में बस सेवा संचालित करने की योजना का प्रश्न है, ऐसी कोई योजना वर्तमान में शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, इस परिवहन निगम के बारे में या प्रदेश के बारे में कोई बात आपसे छिपी नहीं है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसका सत्य से कोई नाता नहीं है यह नये मंत्री हुए हैं मैं इसका डाइरेक्टर रह चुका हूं इसके बारे में मैं सब जानता हूं जिस उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बात की है वह एक लाश मात्र है। यह बात और है कि व्यापारिक

संस्थान है मैं माननीय मंत्री जी से अपनी जानकारी के हिसाब पर कहता हूं कि वह व्यापारिक संस्थान नहीं अफसरी संस्थान है ।

श्री अध्यक्ष--

आप स्पष्ट करके सवाल कीजिए।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन-इन कारणों से व्यावसायिक संस्थान है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह..

श्री अध्यक्ष--

आप सवाल करिये समय नष्ट हो रहा है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह व्यापारिक संस्थान नहीं अफसरी संस्थान है । दूसरी बात मान्यवर, निगम की कर्मशालाओं और कार्य-शालाओं में वह जनता के धन को भट्ठी के रूप में जला रहे हैं । तीसरा बात है मान्यवर, कर्मचारियों की बहुतायत और अनुशासनहीनता, इन कारणों के अलावा और कोई भी कारण है जिससे आपको हानि हो रही है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, माननीय वाजपेयी जी निराशा की हद को पार कर चुके हैं आशा के साथ जीवित रहना चाहिये । श्रीमन् जो घाटे की बात है विशेष रूप से इस विषय में मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं जो पे कमीशन की रिपोर्ट आई उसमें पे बढ़ी टी0 ए0 डी0 ए0 का पैसा बढ़ा ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, यह तो नये मुल्ले हुए हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा नये मुल्ले हुए हैं इन्होंने यह कहा मान्यवर, यह शब्दों का ख्याल करें । मैं उनसे सीनियर हूं इन शब्दों का इस्तेमाल वह बाराबंकी में किया करें ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, डाइरेक्टर के रूप में ए0 आर0 एम0 इन्चार्ज होता है और उसका वेतन 1500 रु0 होता है और पांच हजार उसकी गाड़ी के ऊपर खर्च हो जाता है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, एस0 आर0 टी0 सी0 की जो स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है, लेकिन मितव्ययिता और जिस किसी प्रकार से घाटा भरा जा सके, उसके लिये कठोर कदम उठाये गये । श्रीमन्, मैंने यह कहा कि आपरेशन कास्ट बढ़ी, पे कमीशन की रिपोर्ट के बाद वेतन बढ़े, इस कारण जो घाटा था..

श्री अध्यक्ष--

मंत्री लोग ध्यान रखें कि आपरेशन कास्ट, पे कमीशन आदि हर वाक्य और शब्द में आप अंग्रेजी इस्तेमाल करेंगे तो मैं इसकी आज्ञा नहीं दूंगा । आपरेशन आदि शब्दों को आप हिन्दी कीजिये ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जो गाड़ियां चलायी जाती हैं, उन पर जो व्यय होता है, उसकी धनराशि बढ़ी है । दूसरी बात मैंने बतायी कि पे कमीशन से पे स्केल बढ़े, टी0 ए0, डी0 ए0 बढ़े । श्रीमन्, मैं तुलनात्मक आंकड़े यदि वह चाहें, तो बता सकता हूं कि इतने वर्षों में घाटे की जो स्थिति है, वह श्रीमन्, पिछले चार वर्षों के मुकाबले सुधरी है । पिछले चार सालों में 12 करोड़ का घाटा था, जबकि इस वर्ष अप्रैल से सितम्बर तक 4·47 करोड़ का घाटा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न को मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सपुर्द करता हूं, ताकि ठीक प्रकार से जांच हो सके ।

अल्मोड़ा जिले के सिंचाई विभाग के सेवा मुक्त कथित बेलदार

*4--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में 1977-78 में कार्यरत बेलदारों को जिनकी सेवा पुस्तिका भी बनाई गयी थी, 1982 में सेवा से मुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 से कार्यरत बेलदारों में से, जिनकी सेवा पुस्तिका भी बनायी गयी थी, किसी भी बेलदार को 1982 से सेवा मुक्त नहीं किया गया शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, यह उन अभागे लोगों का प्रश्न है, जिनके बारे में मेरी निश्चित जानकारी है कि माननीय मंत्री जी ने जो यह रपट दी है, बिल्कुल झूठ है । जो आपने बताया, तो यह मेरे स्वयं के क्षेत्र के बेलदार हैं, जो काम करते हैं, जिनकी सेवा पुस्तिकाएं बनायी गयी थीं और जिनको 380 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता था, जिनको निकाला गया है ।..

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, परिवहन मंत्री मुझे धौंस दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

जो कहना है लिखकर दीजिये, मैं उसके अनुसार कार्यवाही करूंगा ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मैंने इनके सम्बन्ध में स्वयं माननीय सिंचाई मंत्री जी को लिखकर दिया और एक मीटिंग में भी निवेदन किया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जांच करूंगा । माननीय सिंचाई राज्य मंत्री जी मुझे बागेश्वर में मिले थे तो मैंने उनको बताया कि ऐसी स्थिति है कि सेवा पुस्तिकाएं बनायी गयीं, 380 रुपये से अधिक वेतन मिल रहा था, लेकिन आज उन्हें निकाल दिया गया है । आप इसकी जांच कीजिये और उनकी पुनः नियुक्ति कीजिये । लेकिन, मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मुझे यह आश्वासन दिया था अपने कक्ष में एक बैठक में कि जांच करूंगा लेकिन अभी तक उन अभागों के लिये कुछ नहीं किया गया और निकाल दिया गया और ग्राम सभाओं से कहा गया कि आप आदमियों की व्यवस्था कीजिये, आठ रुपये रोज में आदमी दिये जाने हैं । उससे हमारे क्षेत्र की कई नहरें बंजर पड़ी रहीं जिससे हमारी खेती भी सूखी रही । मैं मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं, मान्यवर, इन्होंने झूठ लिखा है । यह असत्य है और इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि और माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच करा लें । अगर मेरी बात असत्य है कि उनको निकाल दिया है, आप जो दन्ड देना चाहें, भोगने के लिये तैयार हूं, लेकिन उन अभागे लोगों को 5-6 साल काम करते हो गया, सेवा पुस्तिका बन गयी और फिर निकाल दिया । क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात को सही मानकर इसकी जांच करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय श्री बिष्ट जी को थोड़ा सा इसमें भ्रम हो गया है । उन्होंने यह सवाल किया था कि 1977-78 में जो बेलदार भर्ती किये गये थे, उनको निकाला गया है ?

मान्यवर, 1977-78 में जो बेलदार भर्ती किये गये थे, उनकी संख्या 66 थी। इन 66 बेलदारों में से 34 रेगुलर हो गये हैं और 32 वर्कचार्ज पर कार्य कर रहे हैं। कोई भी बेलदार नहीं निकाला गया है। 1980 के बाद जो बेलदार भर्ती किये गये थे, उनकी संख्या 15 थी। इन 15 लोगों को निकाल दिया गया है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरे ही परिवार का एक व्यक्ति, जिसका नाम भवान सिंह पुत्र श्री गिरधर सिंह है, 1977 से पहले भर्ती किया गया था, उसे निकाल दिया गया है। माननीय मंत्री जी उसे नोट कर लें। यही नहीं, इसके साथ कई और लोग निकाले गये हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस पर जांच करवायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

देवरिया डिपो, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, श्री अजय सिंह के विरुद्ध शिकायत-पत्रों की जांच

*5--श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप, जिसमें चालकों की नियुक्ति, फर्जी यात्रा भत्ता, सामानों के खरीदने में कमीशन लेने, 65 हजार रुपये के गबन के कागजात को जला देने आदि के शिकायती-पत्र अक्तूबर, 1982, जनवरी, 1983 तथा 22 फरवरी, 1983 को सर्वश्री हरिवंश सहाय व जनार्दन प्रसाद ओझा तथा रोडवेज मजदूर सभा का पत्र उक्त अवधि में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

अन्य आरोपों सहित इन्हीं आरोपों के सम्बन्ध में श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के दो परिवाद दिनांक 24-8-1982, उन्हीं का एक अन्य परिवाद दिनांक 10-2-1983, तथा रोडवेज मजदूर सभा के अध्यक्ष श्री हरिकेवल प्रसाद के 3 परिवाद पत्र सभी दिनांक 10-2-1983 प्राप्त हुये हैं।

श्री ओझा के शिकायती-पत्रों की जांच उप प्रधान प्रबन्धक (पू0 जो0) को तथा श्री हरिकेवल प्रसाद, अध्यक्ष, रोडवेज मजदूर सभा के शिकायती-पत्रों की जांच मुख्य सुरक्षा अधिकारी को सौंपी गयी थी।

मुख्य सुरक्षा अधिकारी की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है। कतिपय आरोप सिद्ध हुये हैं, जिसके लिये श्री अजय सिंह, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों का छात्रवृत्ति के भुगतान में विलम्ब

*6--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि लेखा परीक्षा द्वारा 12 जिलों में ली गयी नमूना जांच में यह पाया गया है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिये वर्ष 1974-75 से 1981-82 की अवधि में दिये गये 28.26 करोड़ रुपये में से 18 18 करोड़ रुपया अन्तिम तिमाही में और 2 47 करोड़ रुपया बाद के वर्षों में भुगतान किया गया ? यदि हां, तो छात्रवृत्तियों के विलम्ब से भुगतान के क्या प्रमुख कारण थे तथा उसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

अनेक वर्षों से विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के सत्र अनियमित हो गये थे, यानी इनके शिक्षा सत्र पिछड़ गये थे । ऐसी परिस्थिति में छात्रों के प्रवेश में भी विलम्ब होना स्वाभाविक था, इसी कारण छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र विलम्ब से प्राप्त हुये और विलम्ब से भुगतान करना पड़ा, क्योंकि यह अनिवार्य छात्रवृत्ति थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, हरिजन छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, उसका भुगतान तब होता है, जब छात्र विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं । मान्यवर, होता यह है कि आधे लड़के ऐसे होते हैं जो नीचे के दर्जे से ऊपर के दर्जे में जाते हैं, तो उनकी छात्रवृत्ति का केवल नवीनीकरण होता है । दूसरा, आधे से भी कम लड़के ऐसे होते हैं जिनको छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है । आपने जो 18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए वह मार्च के महीने में किये और 2 करोड़ 47 लाख रुपए आपने तब स्वीकृत किए, जब लड़के विद्यालय छोड़कर चले गये । उत्तर जो आपका आता है, उसमें आप लिखती हैं कि सत्र नियमित ढंग से नहीं चल रहा था । मैं तो समझता हूं कि इसका सत्र के नियमित व अनियमित से कोई रिश्ता नहीं है । आज पूरे प्रदेश में छात्रवृत्ति के भुगतान समय से नहीं हो रहा है, इस बात को लेखा परीक्षा द्वारा सही पाया गया है । क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, जिससे हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति समय से और नियमित रूप से भुगतान की जा सके ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो स्थिति सामने रखी है, यह बात सही है कि छात्रों को छात्रवृत्ति विलम्ब से दी गई । मान्यवर, उसका जो कारण था, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे स्पष्ट कर दूं । 1977-78 और 1978-79 में प्राकृतिक प्रकोप की घड़ी उलटी चलने लगी । सत्र जहां शुरू होता था, वहां उसका अन्त हुआ और जहां उसका अन्त होना था वहां वह शुरू हुआ । इसमें न तो माननीय श्री मोहन सिंह जी का कसूर है और न ही मेरा । मान्यवर, अब आपके आशीर्वाद से सत्र नियमित रूप से चल रहा है, नियमित रूप से फार्म भरवाये जा रहे हैं । सत्र में जब विलम्ब होता है, तो इसका असर जरूर पड़ता है ।

मान्यवर, दूसरा, जो प्रश्न माननीय विधायक जी का है हम इस बात को अवश्य सुनिश्चित करेंगे और कर भी रहे हैं कि समय से छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति मिल जाय । उसके लिए हमने कुछ कदम उठाए भी हैं जो निम्न प्रकार हैं :--

1--सत्र को नियमितीकरण किया गया,

2--फार्म समय से भरवाये जा रहे हैं,

3--बैंकों को हमने आदेश दे दिए हैं कि वह लड़कों के खाते खोल दें ताकि उनका पैसा टाइम से वहां पर डाइरेक्ट जमा हो जाय ।

दूसरे मैंने यह कहा कि यह भी फर्ज कीजिए किसी का फार्म सितम्बर में भर गया, स्वीकृत हुआ, जुलाई-सितम्बर का तो उनको मिलेगा ही और अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर-जो एडवांस, जब त्रैमास शुरू होता है, तो एडवांस अक्तूबर-नवम्बर की छात्रवृत्ति का अक्तूबर में मिल जाय । इस बात को सुनिश्चित करते हुए मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि बच्चों को समय से छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए और मिलेगी ।

सदन में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग न किए जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्देश

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी इधर विशेष ध्यान दें, मैं दिन-प्रतिदिन यह कहता हूं, कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जब मैं नहीं कहता हूं कि अंग्रेजी शब्दों को न बोला जाय, लेकिन उसके बाद भी माननीय मंत्री लोग उसकी परवाह नहीं करते। मेरा यह निर्णय है कि जो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होगा वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। मेरे जो लिखने वाले लोग हैं, वे उन शब्दों को नहीं लिखेंगे और उसकी जिम्मेदारी माननीय मंत्री लोगों की होगी, और माननीय मंत्री जी आप विशेष तौर से ध्यान दें, मैं आबकारी मंत्री जी से कह रहा हूं कि आप जरा इन लोगों को एक परिपत्र भेजिए, इन लोगों को एक इस तरह का परिपत्र भेज दें, ताकि इनको इस तरह का ज्ञान हो सके और भविष्य में यह ध्यान रखें। उसकी एक कापी आप मुझे भी भेजिए।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आये दिन इस बात की शिकायत होती है कि हरिजन छात्रों को जो छात्रवृत्ति है, जो छात्रवृत्ति का पैसा है, उसका बड़े पैमाने पर गबन होता है। मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या माननीया मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी कि हरिजन छात्रों को जो छात्रवृत्ति है, बैंकों में उनके खाते खोलकर उनमें सीधे स्थानांतरित हो जाया करें? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान की व्यवस्था बैंकों में खाते के द्वारा कराना सुनिश्चित करेंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने आपसे इसका पूर्व निवेदन किया, सविनय निवेदन किया कि बैंकों में इन छात्रों की छात्रवृत्तियां जमा कराने के आदेश दे दिए गए हैं और बहुत सारी जगह बैंकों में इस तरह के खाते खोले भी गए हैं और जहां नहीं खोले हैं, उनके लिए जिलाधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि वे बैंक वालों को बुलायें और उनको आदेश दें और उनके खाते खुलवाने का पूरा प्रयास करें। मान्यवर, इसमें हमारी प्रगति बहुत ही संतोषजनक है। दूसरी बात का उत्तर यह है कि हमने यह भी निश्चित किया है कि जैसे अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर यह जो महीने हैं-- इसकी छात्रवृत्ति अक्तूबर में दी जाय। यानि पहले से दे दी जाय।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक जानकारी लेना चाहता हूं और सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि हरिजन समाज कल्याण में जो छात्रवृत्ति मिलती है, हरिजन अधिकारी ने आदेश दिए लेकिन उसमें वर्षों से कुछ प्रगति नहीं है, मैं प्रिंसिपल हूं इसलिए अपनी वेदना बताना चाहता हूं, यह आदेश थे कि समस्त लड़कों के खाते बैंक में खोल दिए जायं। 7-8 हमारे विद्यालय के छात्र वहां गए, डी0 एम0 से भी संपर्क किया, बैंकों ने उसका रिपपूजल करते हुए स्पष्ट कह दिया कि हम किसी भी हरिजन छात्र का खाता अपने बैंक में नहीं खोलेंगे। मैं स्वयं भी गया था। बैंक ने यह कहा कि एक लड़के पर 33 रुपये का खर्चा बैठता है खाता खोलने पर। यह 33 रुपए का खर्चा आता है और जैसे ही लड़के का पैसा बैंक में जमा होता है, वे लोग तुरन्त ही पैसा निकाल लेते हैं। इसलिए हम बैंक में उनका खाता नहीं खोलेंगे। तो, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इसकी बाबत कब बैंकों को लिखा है और बैंकों द्वारा उसकी बाबत क्या उत्तर आया है?

मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि किसी भी बैंक में छात्रों का कोई खाता नहीं खुला हुआ है और न भविष्य में खुलने वाला है। इसीलिए हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति में प्रिन्सिपल और मैनेजर बहुत बड़ा घपला करते हैं। मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बैंकों को कब लिखा गया और बैंकों ने क्या उत्तर दिया ? क्या वे सुनिश्चित करेंगी कि मार्च के पहले यह खाते खुल जायं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि अक्तूबर, 1982 में यह निर्णय लिया था और बैंकों को आदेश दिए गए थे कि खाते खुलवा दें। दूसरी बात यह है कि माननीय विधायक या विधायकगणों से अथवा किसी जनसेवी से हमको इस बात की सूचना प्राप्त होती है कि किसी बैंक में खाता नहीं खुला है तो तुरन्त उस पर कार्यवाही करेंगे।

(घोर व्यवधान)

आप लोग प्रश्न पूंछते हैं, मुझे भी उत्तर देने दीजिए। मैं एक हूं आप लोग 200 हैं।

(घोर व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि हरिजन छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति सुनिश्चित हो और समय से मिले, समय से भुगतान हो, उसमें घपलेबाजी न हो, इसके लिए हम दृढ़संकल्प हैं, पूरी सरकार दृढ़ संकल्प है। कहीं पर भी अगर कोई शिकायत मिलती है, कोई अधिकारी उसका गबन करता है तो उसके विरुद्ध तुरन्त और शीघ्र कार्यवाही करने का मैं आपको आश्वासन देती हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को पूरी जांच के लिए मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रश्नों के उत्तर देते समय ऐसी बातें न कहें जिससे जोश उत्पन्न हो और केवल उतनी ही बात कहें जितनी प्रश्न के उत्तर से सम्बन्धित है। भविष्य में इसका ध्यान रखें।

डा० बृज किशोर मिश्र —

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्नों में व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप बैठें।

ब्लाक समितियों में विधायकों का प्रतिनिधित्व

*7—श्री राम असरे वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि खन्ड विकास स्तर पर उद्योग समितियों के गठन की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ? इनके गठन में क्षेत्रीय विधायकों की उपेक्षा बरते जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना व ट्राइसेम योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना व विकास की दिशा में गतिशीलता लाने व ग्रामीण युवकों को स्वतः रोजगार में लगाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक ब्लाक में ब्लाक स्तरीय उद्योग समिति का गठन शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-247/18-2-6-4 (1)/83, दि0 21 फरवरी, 1983 द्वारा किया गया है। इस समिति में अधिकतम 12 गैर सरकारी सदस्य भी रखे जाने का प्राविधान है। गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन शासन द्वारा किया जाता है।

इस समिति के गठन में क्षेत्रीय विधायकों की उपेक्षा नहीं की गई है।

श्री राम आसरे वर्मा--

ब्लाक स्तरीय उद्योग समितियों के गठन में माननीय मन्त्री जी ने बताया कि क्षेत्रीय विधायकों की उपेक्षा नहीं की गयी, लेकिन मेरा दावा है कि उपेक्षा की गयी है क्योंकि मैं भी क्षेत्रीय विधायक हूं। क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इन समितियों के गठन के सिलसिले में किसी भी प्रकार का परामर्श करने के लिये विधायकों को कोई परिपत्र जारी किया गया ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह समिति, सरकार जब चाहती है तब कोई काम पूरा करने के लिये बनाती है। माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि उपेक्षा होती है, वह बात नहीं है। समिति का गठन किया गया, जब रूप-रेखा देखेंगे तो मालूम हो जायेगा कि किस ध्येय के लिये समिति बनायी गयी। इसका उद्देश्य यह है कि खादी एवं ग्रामोद्योग का काम गांवों में होता है, उसकी शिकायतें आती हैं कि ठीक से काम नहीं होता है। यह जो आई0 आर0 डी0 इत्यादि की स्कीमें, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे लोगों के लिये चलायी जा रही हैं, उसमें बड़ी शिकायतें आती हैं कि सरकारी अधिकारी सही काम नहीं करते हैं। सोचा गया कि सरकारी अधिकारी और जो सम्बन्धित लोग हैं, जो ब्लाक स्तर के लोग हैं, उस एरिया के लोग हैं, उनकी समिति बना दी जाय तो यह काम पूरा होगा।

मान्यवर, हमारी ओर से माननीय सदस्यों की उपेक्षा करने की कोई बात नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि गैर सरकारी सदस्यों का भी नामांकन किया जाता है, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किया गया है, वह नाम किस एजेंसी द्वारा मांगे गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ब्लाक स्तर पर जहां से भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है, चाहे वह जन-प्रतिनिधियों द्वारा हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा या किसी भी राजनीतिक स्तर से जिन लोगों के नाम दे दिये गये, उनको रख दिया गया। अभी 800 ब्लाक ऐसे हैं जहां पर इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित में यह प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि माननीय सदस्यों की राय से नामांकन किये जाते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि पडरौना-विशुनपुर जो मेरा क्षेत्र है वहां पर किस आधार पर नामांकन किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जैसा कि शासन की नीति है कि क्षेत्रीय विकास समितियों में जन-प्रतिनिधियों का समावेश होना ही चाहिये, इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि इस समिति में क्षेत्रीय 2 विधायकों को प्रमुख रूप से न रखे जाने का कारण क्या है और क्षेत्रीय विकास समिति के माध्यम से जो नामांकन किये जा रहे हैं, उसमें जन-प्रतिनिधियों को संस्तुति न लेने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय गुप्ता जी ने जो बात कही, वह बात हमारी समझ में आती है, हम इसमें जितने भी नामांकन कार्य कर रहे हैं, उसमें जन-प्रतिनिधियों की राय को भी सामने रखकर कर रहे हैं और 895 विकास खंड हैं जिनमें से सिर्फ 349 विकास खंडों में यह कार्य हो सके हैं और बाकी सब ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं, उसमें अभी किसी की राय नहीं आयी है और जहां से नाम आ जाते हैं उसको शासन कर देता है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित माननीय मन्त्री जी ने जो ब्लाक स्तरीय समिति को गठित करने और उसके स्वरूप के बारे में जो एक लम्बा-चौड़ा व्याख्यान दिया, जो स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न ब्लाकों में चयन हुए हैं क्या इन चयन में ब्लाक स्तरीय उद्योग समितियों से राय-मशिवरा किसी भी आधार पर किया गया है, यदि नहीं तो क्या इस समिति की अहमियत को देखते हुए, इन चयन को रद्द करते हुए उनके सम्बन्ध में पुनः विचार करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, ऐसी शिकायतें बराबर आती हैं कि इन समितियों की राय से काम नहीं किया जा रहा है, अभी तो मार्च का शुरू है, मार्च के आखिर में हर क्षेत्र की ब्लाक स्तरीय समिति की बैठक करके और सबकी राय स्थापित करके इस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस समिति में माननीय विधायकों को उसमें सम्मिलित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय विधायकों को इसमें जानबूझ कर सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि इन्हें अन्य बड़े-बड़े कार्यों को देखना पड़ता है और उनकी जिम्मेदारी इन पर रहती है इसलिए ब्लाक स्तर कमेटी में जो छोटे-छोटे कार्यकर्ता हैं, उनको ही इसमें पूरा अवसर दिया जा रहा है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, हमारी जानकारी को सही मानते हुए कि टेहरी-गढ़वाल में जो इस प्रकार की समितियां बनायी गयीं हैं इन समितियों में पिछले तीन वर्षों से एक भी मीटिंग नहीं हुई है ।

क्योंकि समिति बना देना एक बात है, विधायकों ने इस सम्बन्ध में लगातार लिख कर दिया है कि मीटिंग्स नहीं होती हैं टेहरी-गढ़वाल में । जब इस तरह की समिति बनायी गयी तो उसकी सूचना माननीय मन्त्री जी ने कोई नहीं दी । हम लोगों को और जिला स्तरीय समिति की बैठकें नहीं हुई हैं तीन वर्षों से तो क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिला स्तरीय समिति की तीन वर्ष से बैठकें क्यों नहीं हुईं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसकी जांच करा लेंगे कि कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं बुलायी जाती है ।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गोकुल मथुरा, गंगा नहर शाखा से सिंचाई

*8--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गोकुल की वर्तमान रबी की फसल को मांट ब्रांच गंगा नहर, मथुरा द्वारा आवश्यकता से बहुत कम पानी सिंचाई हेतु दिया गया है जिसके कारण किसानों की सारी फसल में 75

प्रतिशत से अधिक का नुकसान हो गया है ? यदि हां, तो क्या शासन किसानों पर से वर्तमान रबी की फसल के सिंचाई कर (महसूल सिंचाई) को माफ करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्नगत क्षेत्र को पर्याप्त पानी दिया गया है ।

नियमानुसार कृषकों को सिंचाई कर से छूट देय नहीं है ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का कहना है कि पर्याप्त पानी दिया गया है परन्तु मैं कहता हूं कि पानी नहीं दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप फसलें सूख गयी हैं । क्या माननीय मन्त्री जी आप अतिशीघ्र इस विषय में किसी उच्चाधिकारी से जांच करायेंगे कि फसलें पानी न दिये जाने के कारण से सूखी हैं या नहीं और इसकी जांच करा करके उसकी सूचना ये आपको देंगे तथा उसकी सूचना हमको भी देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह सवाल माननीय सदस्य ने नवम्बर में किया था । उसके बाद 23-12-83 को इन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी है जिसमें इन्होंने लिखा है कि नहरों में पानी काफी दिया जा रहा है, पानी की कोई कमी नहीं है । नहरों की सफाई भी अच्छी तरह से की गयी है और अब तक की सफाई से हम सन्तुष्ट हैं और अब ये कह रहे हैं कि पानी नहीं दिया गया है ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, यह जो मैंने लिखा है यह दिसम्बर महीने की बात है और पिछले वर्ष से सम्बन्धित है । अब मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करा लें और जो तथ्य सामने आये उसकी सूचना हमको भी दे दें ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मुझे पता चला है कि वहां पर पानी की कमी नहीं है परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम इसकी जांच करा लेंगे ।

जौनपुर जिले में जंघई माइनर से फसल को हुई कथित हानि एवं मुआवजा की मांग

*9--श्री भोला लाल (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पारस नाथ त्रिपाठी, सदस्य, जिला कार्यकारिणी भा० क० पार्टी, जिला जौनपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-3-83 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-4-83 के साथ उनको प्राप्त हुआ है, जिसमें यह शिकायत है कि शारदा सहायक खण्ड 39, नरायनपुर की जंघई शाखा निर्माणाधीन और अधूरी थी तथा उसमें पानी छोड़ दिया गया जिससे कई गांवों की फसलें बर्बाद हो गयीं, लेकिन उनको मुआवजा देने के बजाय महसूल वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो किसानों को मुआवजा देने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

निर्माणाधीन जंघई माइनर आंशिक रूप से पूर्ण करके अक्तूबर, 1982 में कम गेज से चलायी गयी थी ताकि रबी में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सके । चले पानी से फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि खरीफ 1390 फसली में ग्राम गोपालपुर में 9 एकड़ एवं ग्राम नटुला में 1 एकड़ सिंचाई हुई है । जंघई माइनर से कोई फसल बरबाद नहीं हुई है । अतः किसानों को मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं है । सिंचित क्षेत्र में सिंचाई कर नियमानुसार वसूल किया गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम द्वारा देहरादून में आकाशीय रज्जू मार्ग के निर्माण हेतु दिया गया ठेका

*10—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य खनिज निर्माण निगम द्वारा मंसूरी से देहरादून तक लम्बो धार परियोजना के अन्तर्गत आकशीय रज्जू मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1979 में मेसर्स इन्टर स्टेट इक्युपमेन्ट इन्डिया प्रा0 लि0, को एक करोड़ इकयासी लाख रुपये में ठेका दिया गया था तथा इस कार्य को जुलाई, 1981 तक पूरा किया जाने का अनुबन्ध किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित फर्म पर कितना पेनाल्टी अनुबन्ध के शर्त पर लगाई गई है ? यदि पेनाल्टी नहीं लगाई गई तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित फर्म को अनुबन्ध की अवहेलना करते हुए निगम के अधिकारियों द्वारा लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाने अथवा अनुबन्ध किए जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो निगम के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम द्वारा देहरादून में लम्बो धार खनन परियोजना के अन्तर्गत आकाशीय रज्जु मार्ग के निर्माण हेतु एक टर्न का ठेका मई, 1979 में, सितम्बर, 1978 में तय की गई दर तथा शर्तों के आधार पर मेसर्स इन्टर स्टेट इक्विपमेन्ट (ई0) प्रा0 लि0 को 181 लाख रु0 में दिया गया था । यह सही नहीं है कि कार्य जुलाई 1981 तक पूरा करने का अनुबन्ध किया गया था । कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है । फर्म पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई गई है क्योंकि ठेके की शर्तों के अनुसार फर्म पर पेनाल्टी लगाये जाने का अभी तक कोई औचित्य नहीं पाया गया है । उक्त फर्म को 1 करोड़ तीस लाख रुपये अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया बल्कि अपरिहार्य कारणों वश अब तक 47:23 लाख रुपया अतिरिक्त का भुगतान किया गया है । चूंकि अतिरिक्त भुगतान निदेशक मण्डल की स्वीकृति एवं कन्ट्रैक्ट की शर्त के आधार पर किया गया है अतएव निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसमें भ्रष्टाचार के बल पर एक पूंजीपति को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए माननीय मंत्री जी ने इस सदन में प्रयास किया है । आप मान्यवर, प्रश्न को देखें । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसको 1981 तक पूरा हो जाना चाहिए था और 47.23 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी कर दिया गया लेकिन समय पर काम नहीं हुआ और उससे पेनाल्टी भी नहीं लिया । जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया, उस फर्म के साथ कोई अनुबन्ध किया गया होगा, जो परियोजना है उसको 1981 तक पूरा होना था । तो इसको 1981 तक बना लेना चाहिए था, लेकिन यह अब तक नहीं पूरा हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण इसको दण्ड नहीं दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इस काम को 1981 में नहीं बल्कि मई, 1982 में पूरा होना था और यह सही बात है कि काम पूरा नहीं हुआ । मान्यवर, आप देखें कि जब टेन्डर किया गया, उसके बाद 1978 में उस समय के उद्योग मंत्री जी ने यह कह दिया कि इसकी जांच की जाय, तो इसकी जांच की गई और उस जांच में 6 महीने का समय लग गया । जांच करने में फिर टेन्डर के फाइनलाइजेशन की बात आ गई, ठेकेदार की

10 प्रतिशत का अग्रिम दिया गया था और यह भी तय हुआ कि बैंक की गारन्टी भी ले ली जाये । तो यह सब काम करने में, वित्त विभाग और न्याय विभाग की राय लेने में 6 महीने का और समय लग गया । इसी सब में विलम्ब हुआ है । यह जानबूझ कर नहीं किया गया है । जांच में देखा गया कि इसका टेन्डर न्यूनतम दर पर है जो उचित पाया गया । इसी सब चीजों में 6 महीने का समय और लग गया । यह नहीं कहा जा सकता है कि ठेकेदार ने जानबूझ कर विलम्ब किया है । 1982 में इस काम को पूरा होना था, अब 90 प्रतिशत काम पूरा गया है और 10 प्रतिशत काम शेष रह गया है । अगर बीच में कोई एक्शन ले लिया जायेगा तो ठेकेदार भाग जायेगा और जो हमारी परियोजना है वह पीछे हो जायेगी और हमारा बहुत नुकसान हो जायेगा । इसलिए मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी बनवा लें और फिर देखें कि जो विलम्ब हुआ है वह किसकी गलती से हुआ है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है । माननीय गुप्त जी ने कहा है कि विलम्ब हुआ है, उसके कारण सरकार को कितना नुकसान हुआ है । उसका पेमेन्ट रोक लिया जायेगा । माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट समय से बन जाये और आगे कोई दिक्कत न हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब काम पूरा हो जायेगा, तो उसके बाद जांच करायी जायेगी कि किस कारण से विलम्ब हुआ । तो मैं कहना चाहता हूं कि जब काम पूरा हो जायेगा तो किस बात की जांच करायेंगे ? 1 करोड़ 30 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया और साढ़े सैंतालीस लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान अपरिहार्य कारणों से किया जा चुका है । क्या माननीय मंत्री जी का यह समाधान हो गया है कि काम ठीक हुआ है, क्या वे संतुष्ट हैं ? दो वर्ष तक ठेकेदार की गल्ती की वजह से कास्ट भी बढ़ रही है और उसके बाद भी यह साढ़े सैंतालीस लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने के क्या कारण हैं ? जिसके आधार पर अधिकारियों ने भुगतान किया है, क्या मंत्री जी ने उसकी समीक्षा की है ? यदि की है तो क्या आप संतुष्ट हैं कि यह जो भुगतान हुआ है वह ठीक हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो ठेका होता है, तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं । सीमेन्ट के दाम बढ़ गये, लोहे के दाम बढ़ गये और चीजों के दाम भी बढ़ गये । इसलिए उसमें देखना पड़ेगा कि ठेके की शर्तें क्या हैं । जहां तक विलम्ब और पेनाल्टी की बात कही गई है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम पूरा कर लिया जाय और पेमेन्ट को रोक दिया जाय ताकि हम उसके ऊपर कार्यवाही कर सकें । उसमें दिक्कत नहीं होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं फिर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और जैसा कि मैंने प्रश्न किया था उसके उत्तर में मंत्री जी कह रहे हैं कि उसका भुगतान रोक दिया जायगा । मैं जानना चाहता हूं कि जब मंत्री जी की यह भावना है कि साढ़े सैंतालीस लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है और दो वर्ष का विलम्ब ठेकेदार की गल्ती से हुआ है । सीमेन्ट के दाम बढ़ गये और चीजों के दाम बढ़ गये, यह तो ठेकेदार की जिम्मेदारी है आप पिनाल्टी भी नहीं लगा रहे हैं और 47 लाख का अतिरिक्त भुगतान हो गया तो जिन अधिकारियों ने यह फैसला किया है वे निगम के ही अधिकारी थे । जब आपके स्तर पर यह मामला आया था शासन के स्तर पर आया तो क्या आप इससे सन्तुष्ट हैं कि यह अतिरिक्त भुगतान ठीक किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसे निगम के लोग बैठकर देखें हैं कि क्या करना चाहिए। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं मैं उसे देखूंगा। मैंने कहा कि उसका पूरा पेमेन्ट न किया जाय, उसको रोक दिया जाय ताकि काम समय से हो जाय। अगर कोई व्यवधान डाल देते हैं, रोक देते हैं तो प्रोजेक्ट में डिले हो जायेगी और नुकसान हो जायेगा। इसलिये माननीय सदस्य जो चाहते हैं, उनकी भावना की कद्र भी हो जायेगी और साथ ही साथ काम भी नहीं रुकेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें। जैसा मन्त्री जी कह रहे हैं उसका मतलब तो यह हुआ कि निगम शासन से ऊपर है। निगम तो शासन ने ही बनाया है, वह शासन के नीचे है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन निगम के इस निर्णय से सहमत है? इसीलिये मन्त्री जी उत्तर नहीं देना चाहते हैं। इसलिये मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि आप इसे संदर्भ समिति को भेज दें।

श्री अध्यक्ष--

इस पर मैं सारी बातें देखकर विचार करूंगा।

बाराबंकी व फैजाबाद जिले की मंडहा नदी व तमसा नदी को गहरा एवं पक्का किये जाने की कथित मांग

*11--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील राम-सनेही घाट व जनपद फैजाबाद स्थित मंडहा (तमसा नदी) में अतिवृष्टि और जल भराव के कारण विकराल रूप धारण करने वाली मड़हा नदी को किसानों की फसलों को पानी से डूबने से बचाने के उद्देश्य से उसे गहरी कराकर पक्का कराये जाने की कोई योजना शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है जिसके द्वारा मुख्यालय, फैजाबाद पर कोई अलग से विभागीय खंड खोला गया है? यदि हां, तो उक्त खंड द्वारा अब तक कार्य प्रारम्भ न कराये जाने का कारण क्या है और क्या सम्बन्धित कार्य को बरसात के पूर्व पूरा करा दिया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शासन द्वारा मड़हा/तमसा नदी को गहरा एवं पक्का करने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

इस कार्य हेतु कोई नया खंड नहीं खुला है।

अतः कार्य कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैंने बाराबंकी की तहसील राम सनेही घाट व फैजाबाद की मंडहा नदी की स्थिति के बारे में प्रश्न किया है। मान्यवर, मंडहा में बरसात में पानी बराबर भरा रहने की वजह से वहां के लोगों की लाखों एकड़ खेती चौपट हो जाती है। यह समस्या पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। मैंने इस सदन में भी कई बार इस सिलसिले में चर्चा की। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मड़हा से बरसात के दिनों में बाराबंकी और फैजाबाद के कई गांवों की जमीन प्रभावित होती है और फिर भी उस हालत में उनसे क्या सरकार लगान आदि वसूल करती है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह सही है कि इस नदी से काफी परेशानी होती है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें और पूरी सूचना मंगा लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण मामला है मन्त्री जी भी इसका एहसास कर रहे होंगे । तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और जनहित का मामला है । इसके लिये माननीय मन्त्री जी मौजूदा बजट 1984-85 में मड़हा को चौड़ा और पक्का करके उसे घाघरा में गिराने का प्राविधान करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसके लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है 38.85 लाख रुपये की जो अभी टी0 ए0 सी0 से स्वीकृत नहीं हुआ है । माननीय सदस्य चाहते हैं यह बात सही भी है इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी इस मौजूदा बजट में इस रुपये को सेंक्शन करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कुछ पैसे की व्यवस्था की जायगी।

प्रदेश की नहरों की सफाई और विधायकों से प्रमाण-पत्र लिये जाने की मांग

*12--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश म नहरों की सफाई में प्रतिवर्ष हुत घपला होता है जिससे राजकीय धन का दुरुपयोग किया जाता है ? यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय विधायक से भी इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र लेने के प्रश्न पर मन्त्री जी विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

क्षेत्रीय विधायक से प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में हर वर्ष नहरों की सफाई में कितना पैसा व्यय होता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या है इतनी नहरें हमारी बनती चली जा रही हैं लेकिन उसकी सफाई, रखरखाव इत्यादि के लिये जितने पैसे की आवश्यकता होती है उतना मिल नहीं पाता है जो आंकलन किया गया है उसमें 32-33 करोड़ रुपये प्रति वर्ष चाहिये । लेकिन अभी तक पूरे वर्ष का प्राविजन 12-13 करोड़ रुपये नहरों की सफाई इत्यादि के लिये रखा जाता है । इतना धन कम है इसलिये जितना हम चाहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं । तो मैं कोशिश करूंगा कि जो पैसा है उसका सही सदुपयोग हो । जो शिकायतें आती हैं उसके लिये माननीय सदस्य ने कहा कि विधायकों से प्रमाण-पत्र लिया जाय । तो मैं नहीं समझता हूं कि कहां विधायक इतना समय दे पायेंगे । जो सुझाव आपने दिया है मैंने सोचा और बात भी की कि जो गांव का प्रधान है, जिस गांव में नहर से सिंचाई होती है अगर उसकी सफाई होती है, तो उस प्रधान से लिखवा लिया जाय कि नहर की सफाई हुई है क्योंकि वह मौके पर मिल भी जायेगा क्योंकि सफाई साल भर तो होती नहीं है 15 दिन में जल्दी-जल्दी काम होता है आप या

किसी विधायक के पास इतना समय नहीं होता है कि उस मौके पर मिले । तो जो सुझाव आपने दिया है प्रधानों से कह रहे हैं कि जहां तक सम्भव हो सके प्रधानों से लिखवा लिया जाय कि हमारे गांवों में नहर की सफाई हुई है ।

श्री रेवती रमण सिंह--

माननीय मंत्री जी ने स्वयं बताया कि इसमें 12, 13 करोड़ रुपये खर्च होता है पूरे प्रदेश में । मेरी निजी जानकारी है और ज्यादातर विधायक इससे सहमत होंगे कि जो सफाई कार्यक्रम चलता है उसमें नाममात्र कहीं कोई सफाई होती है बाकी बजट में प्रोवीजन कर दिया जाता है और पैसा खा जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि करछना मेज में जो कार्य किया गया है उसकी जांच करायेंगे और उससे मुझे भी अवगत करायेंगे कि वहां पर नहर की सफाई की गयी है और पूरे पैसे का सदुपयोग हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन माननीय सदस्य बतायेंगे कि किस माइनर में किस जगह गड़बड़ हुई है । वह लिखकर देंगे तो जांच करा लेंगे ।

श्री प्रियदर्शी जैतली--

क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस जानकारी के आधार पर कि...

(व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राना के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

जो इस तरह से शोर मचायेंगे उनको आज्ञा नहीं दी जायेगी । आप बैठें ।

श्री विजय सिंह राना--

क्यों बैठें, हमें भी समय मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें । प्रश्नों का समय निर्धारित है ।

(व्यवधान)

कृपया पहले बैठें । प्रश्नों का समय निर्धारित है और माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे प्रश्न नहीं आते हैं उसमें भी उतना ही खर्च होता है । मैं जहां तक संभव हो कोशिश करता हूं कि दूसरे लोगों के प्रश्न भी ले लूंगा । एक प्रश्न में 10, 15 मिनट लेंगे तो कैसे यह सम्भव होगा ? यह आप निर्णय कर लें ।

(व्यवधान)

मैं इस तरह से आज्ञा नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

आप लोग शांत रहें । बैठ जायं ।

श्री प्रियदर्शी जैतली--

मान्यवर, मेरी जानकारी के आधार पर कि फैजाबाद में अकबरपुर विधान सभाई क्षेत्र में नहरों की फर्जी खुदाई के सम्बन्ध में जांच मैजिस्ट्रेट और विभाग के अधिकारी मिलकर करें, ऐसा कोई पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है । मेरी जानकारी है कि ऐसा पत्र दिया गया है तो क्या मंत्री जी परगना अधिकारी और विभाग के अधिकारी से इसकी जांच करायेंगे ?

दूसरी बात जहां आपने प्रधानों को जोड़ा है तो वहीं ब्लाक प्रमुख से भी प्रमाण-पत्र मिलने पर पैसे का भुगतान करने के आदेश करेंगे चूंकि फर्जी खुदाई होने से किसानों को सही पानी नहीं मिल रहा है । इसलिये निवेदन है कि क्या मंत्री जी मेरी जानकारी के आधार पर, जो दिया है, जांच करायेंगे और आदेश क्या देंगे कि प्रधान और ब्लाक प्रमुख से

प्रमाण-पत्र देने पर ही भुगतान हो ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय विधायक जी कहां-कहां जांच चाहते हैं, यदि लिखकर दे दें तो उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नहरों की फर्जी सफाई के सम्बन्ध में विधायकों द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और जो प्राप्त हुईं उनमें आपकी जांच प्रक्रिया क्या है और किस-किस पर जांच बिठाई, यदि जांच बिठाई तो उसके क्या परिणाम हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं चूंकि आपका प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि नहरों से सिंचाई का जो ठीक समय होता है उसमें अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर सफाई करवाते हैं, जैसे बलिया में पूर राजबहा और रतसड़ राजबह, जिससे गेहूं और रबी की फसल सिंचाई न होने से चौपट हो गयी । तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा सिंचाई से हमारे यहां जो फसल को नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने बताया है उसको डिटेल में लिखकर दे दें तो मैं जांच करा लूंगा ।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय विधायकों द्वारा जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके पत्रों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया है ?

दूसरी बात मैंने स्वयं शिकायत किया था कि हमारे क्षेत्र में किसी नहर की सफाई नहीं हुई । मैंने नियम 301 में यहां सवाल उठाया उसमें कोई जांच नहीं हुई । फर्जी सफाई होती है और पैसा इंजीनियरों की जेब में जाता है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह बात सही नहीं है, सफाई होती है । इसकी मैं जांच करवाता हूं और जो विधायकों की शिकायतें होती हैं उसमें जांच होती है और सभी शिकायतों की जांच करवाया है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त ।

अधीक्षक उत्पादन (पापड़ी काष्ठ कला) पर्वतीय क्षेत्र के कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग

*13--डा० शिवानन्द नौटियाल--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षक उत्पादन (पापड़ी काष्ठ कला) पर्वतीय क्षेत्र के पद जो सन् 61 में सृजित किये गये थे उन पर कार्यरत कर्मचारियों को कार्मिक अनुभाग-1 के आदेश संख्या 18/8-75 (2) का०-1, दिनांक 14 मई, 1979 के अनुसार विनियमित करने के बजाय इन पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को लिखा गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से इन कर्मचारियों को इस आदेश के लाभ से वंचित किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत पद के नियमित चयन हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को अधियाचन भेजा गया है. लेकिन लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों पर तब तक कार्यवाही नहीं की जायगी, जब तक

नोट--तारांकित प्रश्न सं० 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

प्रश्नगत पद पर 1 जनवरी, 1977 के पूर्व तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियमानुसार विचार नहीं कर लिया जाता है ।

मेसर्स सेंथेटिक्स एण्ड केमिकल, बरेली पर बकाया बेंड फीस

*14--श्री मुईद अहमद--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स सेंथेटिक्स एन्ड केमिकल, बरेली पर बेंड फी का तीस करोड़ रुपया बकाया है ? यदि हां, तो इसके वसूली हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मेसर्स सेंथेटिक्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड, बरेली पर नवम्बर, 1972 से 31-5-79 तक का कुल रुपया 28,48,51,442·15 पैसे बेंड फीस का बकाया है जिनकी वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों के कारण सम्भव नहीं हो पा रही है ।

सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता के पद पर की गयी पदोन्नति से सम्बन्धित पत्र

*15--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता के पद पर की गयी पदोन्नति के मामले में अनियमितता के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित दि0 20-10-83 के प्रश्नकर्त्ता का पत्र सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जिले की चम्बल नदी परियोजना

*16--श्री महेन्द्र रिपुदमन सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में पिनहट की चम्बल नदी पर लिफ्ट इरीगेशन योजना की क्या प्रगति है तथा कब तक यह योजना पूरी हो सकेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

चम्बल नदी परियोजना की पुनरीक्षित अनुमानित लागत 1,386 लाख रु0 के विरुद्ध मार्च, 1983 तक प्रारम्भिक कार्यों आदि पर 133 लाख रु0 व्यय हो चुका है । वर्ष 1983-84 में धनाभाव के परिपेक्ष्य में कार्यों पर कोई व्यय नहीं किया गया । धन उपलब्ध होने पर कार्य 6 वर्ष में पूर्ण कर लिये जायेंगे ।

हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति के सम्बद्ध में शिकायती-पत्र

*17--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछड़ा वर्ग हरिजन एवं अल्प संख्यक युवा छात्र मोर्चा, उ0 प्र0 के अध्यक्ष श्री राम लाल पटल का दिनांक 1-7-83 का पत्र हरिजन कल्याण विभाग, लखनऊ में छात्र-वृत्ति आदि में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गाजीपुर जिले की देवकली पम्प नहर की सिंचन क्षमता

*18--श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गाजीपुर जनपद में देवकली पम्प नहर की निर्धारित सिंचन क्षमता क्या है तथा अब तक अपने कमान्ड क्षेत्र

के कितने क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत एश्योर्ड इरीगेशन (सुनिश्चित सिंचाई) प्रदान कर सकी है ? क्या यह सत्य है कि इस योजना के निर्माण कार्य में ढिलाई एवं विभागीय उदासीनता के कारण इससे निर्धारित क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है ? यदि हाँ, तो इस नहर योजना की सही प्रगति की जांच हेतु क्या मन्त्री जी अतिशीघ्र विशेष आडिट दल गठित करके जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गाजीपुर जनपद में देवकली पम्प नहर योजना में पम्प नहर की निर्धारित सिंचन क्षमता निम्न है :--

देवकली प्रथम चरण :--

30,000 हेक्टेयर ।

देवकली द्वितीय चरण :--

81,741 हेक्टेयर (प्रथम चरण की क्षमता सहित) ।

अभी तक प्रथम चरण के कार्य पूर्ण हो गये हैं । विगत तीन वर्षों में सिंचाई के आंकड़े निम्नवत् हैं :--

वर्ष	80-81	81-82	82-83
	हेक्टे0	हेक्टे0	हेक्टे0
	8,512	9,807	11,429
	(28%)	(33%)	(38%)

जी नहीं ।

योजना के कार्यों को पूरा करने में किसी विभागीय उदासीनता का संकेत नहीं है अतः जांच हेतु विशेष आडिट दल गठित किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

गोरखपुर जिले की सरैइया स्थित आसवनी के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*19--श्री माधव प्रसाद--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष सरैइया आसवनी, सरदार नगर, गोरखपुर में लगभग पौने दो करोड़ राजस्व की चोरी पकड़ी गई है जिसकी जांच टेक्निकल अफसर आबकारी, इलाहाबाद कर रहे थे ? क्या शासन को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

उक्त आसवनी के सम्बन्ध में श्री राणा प्रताप सिंह, तत्कालीन आबकारी निरीक्षक, सरैया आसवनी, गोरखपुर से एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आसवनी के विरुद्ध लगभग 1,57,74,212 रु0 के राजस्व की चोरी का आरोप है । आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 17-9-83 के अनुसार इस मामले की जांच श्री के0 एस0 बिसारिया, तत्कालीन प्राविधिक अधिकारी, इलाहाबाद एवं वर्तमान उप आबकारी आयुक्त, लखनऊ द्वारा की जा रही है । जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

आगरा जिले की वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन से जल निकासी की मांग

*20--श्री बदन सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन से जल निकास क्षमता अच्छी तरह न होने के कारण जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम हसेला, गोढोमा साधन आदि ग्रामों की हजारों एकड़ भूमि प्रतिवर्ष बिना बोई रह जाती है ? यदि हां, तो वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन को चौड़ा व गहरा न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद आगरा में वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन की जल निकास क्षमता ठीक है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र में तहसील किरावली के ग्राम हसेला, गढीमा एवं साधन की लगभग 340 एकड़ नशेबी भूमि में वर्षा ऋतु का पानी भरा रह जाता है।

इसमें ग्राम हसेला की लगभग 100 एकड़ भूमि के लिए फतेहपुर सीकरी नहर के नीचे साइफन बनाना प्रस्तावित है जिससे इस ग्राम की लगभग 100 एकड़ जलप्लावित भूमि को राहत मिलेगी। बिना नाले की तली को गहरा किये शेष क्षेत्र का पानी निकलना सम्भव नहीं है।

वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन की तली को गहरा करने के लिए इसे पुनरीक्षित करना होगा जिसकी लागत 4 करोड़ रु0 आती है जो लाभान्वित क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है। अतः यह योजना स्वीकृत नहीं हुई।

अतारांकित प्रश्न

बस्ती जिले के विकास खंड जोगिया तथा नौगढ़ में नलकूपों का निर्माण

1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले के विकास खंड जोगिया तथा नौगढ़ में वर्ष 1979-80 में किन-किन ग्राम में राजकीय नलकूपों की ट्रिपिंग की गई? उनमें से किस-किस ने पानी काश्तकारों को देना प्रारम्भ कर दिया? जिन नलकूपों ने पानी देना प्रारम्भ नहीं किया है उसके पृथक-पृथक क्या कारण हैं तथा कब तक चालू हो जायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1979-80 में बस्ती जिले के विकास खंड जोगिया के सिरवंत, साहो व जोगीवारी तथा विकास खंड नौगढ़ के कुल्लुवा ग्राम में नलकूपों की ड्रिलिंग की गई।

इनमें से जोगिया विकास खंड के साहो नलकूप तथा नौगढ़ विकास खंड के कुल्लुवा नलकूप द्वारा काश्तकारों को पानी मिलना प्रारम्भ हो गया है।

जोगिया विकास खंड के शेष सिरवंत तथा जोगीवारी नलकूप विद्युतीकरण न होने के कारण अभी पानी नहीं दे रहे हैं। जैसे ही विद्युतीकरण हो जायेगा ये नलकूप भी चालू हो जायेंगे।

आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक की केदारपुर स्केप का निर्माण

2--श्री अबुल कलाम--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड (32) द्वारा एक केदारपुर स्केप का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो क्या भूमि का मुआवजा किसानों को दिया गया है? यदि नहीं दिया गया है तो क्यों और कब तक दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है। किसानों को भूमि का मुआवजा भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूरी होने के पश्चात् किया जायेगा।

आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक की महिपालपुर ड्रेन का निर्माण

3--श्री अबुल कलाम--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड (32) द्वारा महिपालपुर ड्रेन का निर्माण अधूरा होने के कारण ग्राम बसही, वनकट व कटही व महिपालपुर व बलुवा आदि गांव की स्थिति पानी न निकलने के कारण दयनीय हो जाती है? यदि हां, तो ड्रेन का कार्य पूरा न कराने का क्या

कारण है और कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

महिपालपुर ड्रेन 4·800 किमी0 की स्वीकृत है जिसमें से 3·593 किमी0 की खुदाई की जा चुकी है । 1·207 किमी0 लम्बाई का निर्माण काश्तकारों के अवरोध के कारण अवशेष है । ग्रामवासियों का पानी न निकलने के कारण नुकसान होता है ।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूरी हो जाने पर अवशेष निर्माण कार्य पूरा करा जाना प्रस्तावित है

जौनपुर जिले के बगथरी स्थित टोई नाला (सूरतपुर ड्रेन) के सफाई की मांग

4--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत स्थित बगथरी से टोई नाला जल निकासी (ड्रेन) जो वर्ष 1962 में खोदा गया था, सफाई के अभाव में पट गया है ? क्या सरकार इस ड्रेन की सफाई कराकर वांछित जल निकासी करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, टोई नाला (जिसे सिंचाई विभाग ने सूरतपुर ड्रेन के नाम से निर्माण कराया है) जल कुम्भी तथा सेवार इत्यादि उग जाने के कारण आंशिक रूप से पट गया है ।

इस नाले की सफाई वर्षा के पहले कराया जाना प्रस्तावित है ।

बस्ती जिले की शराब व ताड़ी की दुकानों को बन्द किये जाने का आदेश

5--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 14 अक्तूबर, 1983 से 18 अक्तूबर, 1983 तक जिला अधिकारी, बस्ती ने जिले की सभी आबकारी दुकानों को बन्द रखने का आदेश दिया था परन्तु आदेश का उल्लंघन करके आबकारी ठेकेदारों ने दूकानें खुली रखी ? यदि हां, तो आदेश का पालन न करने पर आबकारी ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह--

जिलाधिकारी बस्ती के आदेशानुसार बस्ती जनपद की समस्त शराब व ताड़ी की दुकानों को दशहरा व मुहर्रम के त्योहार के अवसर पर दिनांक 15-10-83 से 18-10-83 तक बन्द रखने के आदेश दिये गये थे । इस आदेश के उल्लंघन में बधौली, बखीरा, मेहदावल, सेमरियावां, बाघनगर, खलीलाबाद देशी शराब की दुकानें आकस्मिक निरीक्षण के समय खुली पायी गयीं ।

उपरोक्त दुकानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने उनका नियमान्तर्गत चालान किया गया और अनुज्ञापी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आर्थिक दंड दिया गया ।

पर्वतीय जिलों में होटल व्यवसाय को लघु उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने की मांग

6--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में जो कि औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हैं, होटल व्यवसाय को जो कि पर्वतीय क्षेत्र में प्रमुख एवं लाभदायक व्यवसाय है, लघु उद्योगों की श्रेणी में सम्मिलित करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । होटल व्यवसाय में किसी उत्पादनशील प्रक्रिया के न होने के कारण उद्योग विभाग द्वारा इसे लघु उद्योगों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर के पी0 टी0 ओ0 श्री सैय्यद मोहम्मद सईद का स्थानान्तरण

7--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बतायेगी कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, गोरखपुर में श्री सय्यद मुहम्मद सईद पी0 टी0 ओ0 के पद पर विगत 7 सालों से एक स्थान पर कार्यरत हैं और विगत दो सालों से ए0 आर0 टी0 ओ0 (ई) का पद रिक्त है जिस पर किसी की नियुक्ति नहीं हो पा रही है ? क्या इसका भी कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं ? यदि हां, तो क्या श्री सैयद मोहम्मद सईद एक साथ तीन रिक्त पदों पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कारण क्या है और उनका तीन बार स्थानान्तरण होने के बावजूद उन्हें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, गोरखपुर से स्थानान्तरित न करने का कारण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्री सैय्यद मोहम्मद सईद, पी0 टी0 ओ0 के पद पर दिनांक 24-4-77 से गोरखपुर में तैनात हैं ।

विगत दो वर्षों से ए0 आर0 टी0 ओ0 (ई0) गोरखपुर का पद रिक्त रहा है जिसे दिनांक 11-1-84 से भरा गया है ।

श्री सईद एक साथ तीन रिक्त पदों पर कार्यरत नहीं हैं । वे पी0 टी0 ओ0/जी0 टी0 ओ0 के पदों का कार्य देख रहे हैं ।

इनका स्थानान्तरण तीन बार हुआ और तीनों बार उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण शासन द्वारा उन्हें गोरखपुर में ही रोक दिया गया ।

कुमार ब्रोंज फैक्ट्री, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा को चालू करने सम्बन्धी पत्र

8--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमार ब्रोन्ज फैक्ट्री, ताड़ीखेत, जनपद अल्मोड़ा 1982 से बन्द पड़ी है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा फैक्ट्री को पुनः चालू करने के लिए कोई आवेदन-पत्र उन्हें दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई तथा सरकार फैक्ट्री को कब तक पुनः चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, कुमार ब्रोन्ज फैक्टरी, ताड़ीखेत, जनपद अल्मोड़ा अक्तूबर, 1982 से बन्द है । माननीय सदस्य द्वारा फैक्टरी को पुनः चालू करने हेतु उनका प्रार्थना-पत्र दिनांक 5 मई, 1983 प्राप्त हुआ है । चूंकि यह फैक्टरी एक निजी क्षेत्र की कम्पनी है जिसका शासन से कभी सीधा सम्बन्ध नहीं रहा है, अतः इसे चलाने के लिए शासन बाध्य नहीं है ।

आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक शाखा की तेहबरपुर कन्धरापुर ड्रेन पर व्यय की गयी धनराशि

9--श्री दलसिंगार--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में शारदा सहायक खंड-32 में तेहबरपुर कन्धरापुर ड्रेन पर 1 मार्च से 15 अगस्त, 1983 के बीच कितना-कितना धन खर्च हुआ है ? क्या उसकी जांच कराकर एक प्रति सदन के पटल पर रखने तथा सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उक्त ड्रेन पर 1 62,302.50 रु0 व्यय हुए ।

इसकी जांच अधिशासी अभियन्ता द्वारा करायी जा रही है । यदि सरकारी धन के दुरुपयोग की बात प्रमाणित पायी गयी तो दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उठेगा ।

श्री कामता प्रसाद, निवासी ग्राम छानी, जिला हमीरपुर द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु लिया गया ऋण

10--श्री भीखालाल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कामता प्रसाद, निवासी ग्राम छानी, तह0 महोबा, जिला हमीरपुर जिन्होंने विभाग से ऋण लेकर मिट्टी के बर्तन बनाने का गृह उद्योग स्थापित किया था, जो गत वर्ष की बाढ़ में बहकर नष्ट हो गया और उनके ऋण के माफ करने का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 27-8-83 के साथ क्या उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त ऋण की माफी के आदेश दिये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी नहीं ।

उक्त ऋण को माफ करने के लिये उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड सक्षम नहीं है क्योंकि यह धन अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से प्राप्त होता है ।

उन्नाव जिले की टाउन एरिया औरास स्थित शराब की दुकान स्थानान्तरण की मांग

11--श्री भीखा लाल--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 18-6-83 जिसमें टाउन एरिया, औरास, जिला उन्नाव में शराब की दूकान, जो कन्या पाठशाला के निकट स्थित है, को कस्बे से बाहर हटाकर थाने के निकट खुलवाने की मांग की गयी है, जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां ।

देशी शराब की दुकान कस्बा औरास से हटाकर थाने के पास स्थानान्तरित नहीं हो सकी क्योंकि यहां पर कोई दुकान अनुज्ञापी को नहीं मिली । शराब की दुकान को अन्यत्र हटाने के लिए आगामी नीलामी के समय विचार किया जायेगा ।

औरास-मोहान-लखनऊ मार्ग पर प्राइवेट बस चलाने की मांग

12--श्री भीखा लाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 17-10-82 औरास-मोहान-लखनऊ मार्ग पर प्राइवेट बस चलाने के लिए परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आयुक्त, परिवहन विभाग, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय लिया गया ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी, मुगलसराय राजबाहा में झाल व माइनर के निर्माण की मांग

13--श्री रामचरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 19-10-1984 को एक पत्र मुगलसराय राजबाहा में झाल व माइनर के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

झाल का निर्माण तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। माइनर के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

हाथी नाला, जिला मिर्जापुर में श्री बद्री लाल, टैंकर चालक की दुर्घटना में मृत्यु एवं मुआवजा

14--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग म ट्रक, बस या और वाहनों से हुई दुर्घटना में मृत व्यक्तियों को मुआवजा देने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां तो टैंकर नं0 5 आर0 जेड0 2060 को चलाते वक्त हाथी नाला के पास जिला मिर्जापुर में दुर्घटना हो जाने से उक्त टैंकर दिनांक 29-9-1983 को क्षतिग्रस्त हो गया और उसके चालक बद्री लाल पुत्र खुद्दी लाल, गांव महिमापुर, थाना जलालपुर, जिला जौनपुर घायल होकर 29-9-1983 को श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी में भर्ती किये गये और 30-9-1983 को मृत्यु हो गयी ? क्या वह टैंकर पंजाब आयल कैरियर, पड़ाव, वाराणसी का था ? यदि हां, तो मृतक बद्री लाल की विधवा को मुआवजा सरकार देगी या कम्पनी से दलवायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी शासनादेश

15--श्री ऊदल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार शासनादेश संख्या 2182/26-1-81-2 जी-3-78, दिनांक 22-4-1981 के द्वारा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त शासनादेश को निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्रांक सं0 22/7-82/38, शिक्षा दिनांक 26-4-1982 के द्वारा हरिजन छात्रावासों में नियुक्ति मुख्यालय से करने का निदेश दे दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

चमोली जिले के स्थान गोपेश्वर में कारागार निर्माण की कार्यवाही

16--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में स्थान गोपेश्वर में जिला कारागार का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

जेल एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

जी हां।

भूमि नहीं प्राप्त हुई है उसके अर्जित करने की कार्यवाही की जा रही है ?

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले के ग्राम मिश्रौलिया निवासी विकलांग, श्री ज्ञान दास को स्वीकृत अनुदान

17--श्रीमती कमला साहनी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ज्ञानदास पुत्र श्री गणपति, धोबी ग्राम मिश्रौलिया, जनपद बस्ती को विकलांग होने के कारण प्रतिमाह आजीवन आर्थिक सहायता देने विषयक एक विधायक के पत्र जिसे आपके कार्यालय क्रमांक 1710, दिनांक 20-8-1983 के द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को आवश्यक कार्यार्थ भेजा गया, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और अपेक्षित सहायता दिये जाने के आदेश कब तक जारी करा दिए जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत पत्र दिनांक 20-8-1983 का न होकर 22-8-83 का है। भरण पोषण योजनान्तर्गत निराश्रित विकलांग व्यक्ति को 50 रु0 प्रतिमाह प्रति व्यक्ति अनुदान स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है जबकि श्री ज्ञानदास ने 100 रु0 प्रति माह स्वीकृत किये जाने की याचना की है जिसको स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है तदनुसार माननीय विधायक एवं आवेदनकर्ता को सूचित कर दिया गया है।

निर्माण निदेशक, कार्यालय टिहरी बांध परियोजना में श्री राम प्रसाद का लिपिक के पद हेतु चयन

18--श्री राम लाल वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम प्रसाद पुत्र श्री राम बहाल, ग्राम व पो0 पचलड़ी, जिला देवरिया का तृतीय श्रेणी (कनिष्ठ लिपिक) के पद पर निर्माण निदेशक 'टिहरी बांध परियोजना, टिहरी (कटि0 ग0) के कार्यालय में चयन हुआ था, जिसमें श्री राम प्रसाद को छोड़कर बाकी इनके नीचे चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 10-7-1983 को ज्वाइन करा लिया गया ? यदि हां, तो श्री राम प्रसाद को नियुक्ति-पत्र न देने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री राम प्रसाद पुत्र श्री राम बहाल ग्राम व पो0 पचलड़ी, जिला देवरिया का नाम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची में था किन्तु केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्ति आदेश दिये गये हैं जिनकी भूमि टिहरी बांध परियोजना के लिये ले ली गयी है या ली जा रही है। श्री राम प्रसाद न तो डूबे क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं और न ही जिला टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं अतः उन्हें नियुक्ति आदेश नहीं दिये गये।

बांदा जिले में ग्रेटर गंगऊ बांध के निर्माण हेतु प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की बैठक

19--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जनपद बांदा में सिंचाई साधनों को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से ग्रेटर गंगऊ बांध निर्माण के लिए दोनों प्रदेशों के मुख्य मन्त्रियों एवं सिंचाई मन्त्रियों की 1 जून, 1980 से लेकर अब तक कितने बार बैठक हुई तथा उसमें कौन-कौन से निर्णय लिए गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई साधनों को बढ़ाने हेतु जून 1980 से लेकर अब तक दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों एवं सिंचाई मंत्रियों के मध्य एक बैठक 4-11-1980 को हुई थी जिसमें मुख्य मंत्री राजस्थान ने भी भाग लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री स्तर की बैठक 24-1-1983 तथा 29-10-1983 को प्रस्तावित की गयी थी जो किन्हीं कारणवश सम्पन्न नहीं हो सकी है।

दिनांक 4-11-1980 को हुई बैठक में ग्रेटर गंगऊ बांध के निर्माण पर कोई वार्ता नहीं हुई ।

पर्वतीय विकास विभाग द्वारा धनराशि का आवंटन

20--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह अक्तूबर, 1983 तक पर्वतीय विकास विभाग का बजट किन-किन विभागों को कितना-कितना आवंटित किया गया है ? क्या यह सत्य है कि अभी तक आधा बजट भी आवंटित नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

माह अक्तूबर, 1983 तक पर्वतीय विकास विभाग द्वारा जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों की विभाग/सेक्टरवार तालिका संलग्न है ।

यह सही नहीं है कि माह अक्तूबर, 1983 तक बजट का आधा भाग भी आवंटित नहीं हुआ है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 177 पर ।)

आजमगढ़ जिले के सूरजपुर में कानपुर क्षेत्र की बसों को रोकने सम्बन्धी आदेश

21--श्री राजकुमार राय--

क्या परिवहन मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे बुधवार के अता० प्र० सं० 58 के सन्दर्भ में बतायेंगे कि कानपुर क्षेत्र की बसों को सूरजपुर जनपद आजमगढ़ में रोकने हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक, कानपुर को आदेश कब दिए गए थे ? मधुबन बस स्टेशन के निर्माण का कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? तथा दोहरी घाट डिपो के बसों की मरम्मत के बाद 18 मार्च, 1983 तक कितनी बसें खराब पड़ी हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूरजपुर जनपद आजमगढ़ में कानपुर क्षेत्र की बसों को रोकने के आदेश क्षेत्रीय प्रबन्धक, कानपुर को दिनांक 7 अप्रैल 1983 को दिये गये ।

मधुवन स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ।

18 मार्च, 1983 तक 13 बसें दोहरीघाट डिपो में आफरोड खड़ी थीं ।

22--श्री राजकुमार राय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ में रिक्त पद

23--श्री राजकुमार राय--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ में मार्च, 83 तक विभिन्न संवर्ग के कुल कितने स्थान रिक्त हैं तथा उनको कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

श्री गुलाब सेहरा--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय में मार्च, 1983 तक विभिन्न संवर्ग में निम्नलिखित 100 पद रिक्त थे --

पदनाम	मार्च 1983 तक रिक्तियों की संख्या	नियुक्ति का स्रोत
1	2	3
	कर्मचारी वर्ग	
1--अवर वर्ग लिपिक	52	सीधी भर्ती से
2--कनिष्ठ लेखाकार	11	तदेव
3--वैयक्तिक सहायक	8	तदेव
4--कम्पाइलर	1	तदेव
5--अवर अभियन्ता (सिविल)	6	तदेव
6--अवर अभियन्ता (प्राविधिक)	1	तदेव
7--अवर अभियन्ता (विद्युत)	1	तदेव
8--कान्सटेबिल	7	प्रतिनियुक्ति द्वारा
	अधिकारी वर्ग	
1--उप मुख्य लेखाधिकारी (वा)	1	प्रोन्नति से
2--लेखाधिकारी श्रेणी--1	1	तदेव
3--लेखाधिकारी मुख्यालय	1	तदेव
4--कास्ट एकाउन्ट्स आफिसर	1	सीधी भर्ती से
5--कास्ट एकाउन्ट्स मैटेरियल मैनेजमेन्ट	1	प्रोन्नति से
6--अधिशासी अभियन्ता	1	तदेव
7--सहायक प्रधान प्रबन्धक (का0)	1	तदेव
8--सहायक परिवहन अभियन्ता (क्रय)	1	सीधी भर्ती से
9--सहायक परिवहन अभियन्ता (सत्यापन)	1	तदेव
10--श्रम कल्याण अधिकारी	1	सीधी भर्ती से/ प्रतिनियुक्ति से
11--ज्येष्ठ श्रम कल्याण अधिकारी	1	तदेव
12--अतिरिक्त प्रधान प्रबन्धक	1	प्रोन्नति से

विधान सभा

प्रत्येक पद के सामने भर्ती का स्रोत इंगित है। क्रम संख्या—1 पर अवर वर्ग लिपिक के 52 में से अब 50 पद ही रिक्त हैं क्योंकि एक पद मृत कर्मचारी के आश्रित से तथा एक पद क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय के एक कर्मचारी को मुख्यालय में समायोजित करके भरा गया है। अधिकारी वर्ग में क्रम संख्या—5 तथा 10 पर अंकित पदों को भी भर दिया गया है। शेष अन्य पद जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं उन पर निगम बोर्ड ने प्रतिबन्ध लगा रखा है। प्रतिबन्ध हटने पर इन रिक्तियों को भरा जायगा। प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों को भरने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

24—श्री राजकुमार राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

उत्तर प्रदेश कारागार मुख्यालय लखनऊ में अनुसूचित जाति के अधीक्षक

25—श्री राजकुमार राय—

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 कारागार मुख्यालय, लखनऊ में अधीक्षक ग्रेड—II के 6 पदों पर कोई भी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की प्रोन्नति नहीं की गयी है? क्या इस संदर्भ में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि0 1/2 मार्च, 1983 प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

जी हां।

कारागार महा निरीक्षक से आख्या प्राप्त की गयी जिसके अनुसार श्री श्रीपति प्रसाद पात्रता के अभाव में प्रोन्नत नहीं किये जा सके।

मेसर्स सेंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लि0 बरेली को स्टारेन की बिक्री करने की दी गयी आज्ञा

26—श्री मुईद अहमद—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स सेंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लि0, बरेली को स्टारेन की बिक्री की आज्ञा दी गयी है? यदि नहीं, तो यह कम्पनी स्टारेन किस आधार पर बेच रही है जिससे सरकार को करोड़ों रुपये सालाना की हानि हो रही है?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कारागार, शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी एवं लोकदल के बन्दी सत्याग्रही

27—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह सितम्बर, 1983 में भारतीय जनता पार्टी व लोकदल के कितने सत्याग्रही शाहजहांपुर की जेल में गये? जेल प्रवास के दौरान इन लोगों पर कितना रुपया खर्च हुआ और किन-किन मदों में हुआ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

जिला कारागार, शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी व लोक दल के कुल 1204 सत्याग्रही बंदी दिनांक 12-9-1983 से 20-9-1983 तक रहे। उन पर कुल रु0 19,258.00

व्यय हुआ । यह व्यय निम्न मदों में हुआ—

	रु0
1—भोजन पर	11,410.00
2—चिकित्सा पर	635.00
3—चादर, दरी, शामियाने, कनात तथा बर्तन आदि के किराये पर	2,392.50
4—दोना, पत्तल, सकोरे, घड़िया आदि के क्रय पर	3,216.00
5—डिब्बे, कुल्हड़, ताश, मग, पंखा, साबुन, मंजन, बेगॉन तथा ब्रुश आदि के क्रय पर ।	1,604.50
कुल योग ..	19,258.00

श्री मुहम्मद जान, ट्यूबवेल-आपरेटर, श्री रफत खां, मिस्त्री नलकूप खंड प्रथम, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

28—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको दिनांक 27-10-1983 का कोई शिकायती-पत्र प्रधान, ग्राम सभा मझौली खास, प्रधान ग्राम सभा, मसेबी रसूलपुर, ब्लाक कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर सहित श्री मुहम्मद जान, ट्यूबवेल आपरेटर, श्री रफत खां, मिस्त्री श्री अनीमुल हसन, मिस्त्री, डांगरपुर ग्रुप इरीगेशन डिवीजन प्रथम, मुरादाबाद के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच के लिये सहायक अभियन्ता द्वितीय नलकूप खंड प्रथम, मुरादाबाद को आदेश दिया गया है ।

मुरादाबाद जिले में बुनकर समितियों को दिया गया ऋण

29—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में किस-किस बुनकर सोसायटी को कितना-कितना ऋण दिया और उनको उनमें से कितनी-कितनी छूट दी गयी तथा उन सोसायटीज के पूर्ण पते तथा पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद मुरादाबाद में वर्ष 1980-81, वर्ष 1981-82 तथा वर्ष 1982-83 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 80 बुनकर समितियों को रुपये 10,75,270.00 की सहायता ऋण के रूप में प्रदत्त करायी गयी है । जहां तक ऋण पर छूट देने का प्रश्न है, नियमानुसार ऐसा कोई प्राविधान नहीं है । केवल समितियों द्वारा निर्धारित तिथि पर ऋण की अदायगी करने पर 3 1/2 प्रतिशत छूट ब्याज दर में प्रदान की जाती है । जिन बुनकर सोसायटियों को ऋण दिया गया उनके पते तथा पदाधिकारियों के नाम अनुलग्नक† "क" में दिये गये हैं ।

†(छापा नहीं गया ।)

कोसी निर्माण खंड (द्वितीय), रामनगर, नैनीताल के अन्तर्गत सेमलखलियाव एवं बांसी टोला में बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि

30--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कोसी निर्माण खंड (द्वितीय), रामनगर, नैनीताल के अन्तर्गत सेमलखलियाव, बांसी टोला बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर एस0 आर0 एम0 डी0 मद में जो धनराशि वर्ष 1982-83 में व्यय दिखाकर भुगतान की गयी है, क्या मंत्री जी उससे सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कोसी निर्माण खंड (द्वितीय), रामनगर के अन्तर्गत सेमलखलिया व बांसीटोला बाढ़ नियन्त्रण कार्यों पर वर्ष 1982 की बाढ़ से हुई क्षति के फलस्वरूप इनकी विशेष मरम्मत पर वर्ष 1982-83 में एस0 आर0 एम0 डी0 मद में क्रमशः रुपया 47,139.60 व रुपया 24,287.55 के कार्य वास्तविक रूप में किये गये ।

इस व्यय में कोई अनियमितता नहीं है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध जांच इत्यादि का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

कार्यशाला नलकूप, भदोही, जिला वाराणसी के अनुपयुक्त वाहन

31--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यशाला नलकूप, भदोही, जिला वाराणसी के मैदान में गाड़ी नं0 यू0 पी0 एल- 8583 व यू0 पी0 एल0 8450, यू0 पी0 एल0 1259 एवं एक राजकीय वाहन जिसका नम्बर मिट गया है 10/15 वर्षों से खराब हालत में खड़ी है ? उसको नीलाम न करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नलकूप, पकड़ी खुर्द व जिलेदारी आफिस सिंचाई विभाग, वाराणसी की भूमि को पर्यटन विभाग को बिक्री

32--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं0 83 पकड़ी खुर्द व जिलेदारी आफिस एवं सिंचाई विभाग का डाक बंगला एवं स्टोर तथा एक एकड़ से अधिक जमीन सिंचाई विभाग ने पर्यटन विभाग को बेच दिया है ? यदि हां, तो कितने रुपये में ? क्या यह सही है कि ट्यूबवेल नं0 83 पकड़ी खुर्द को भी पर्यटन विभाग ने घेर दिया है ? क्या इसकी जांच की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के हरैया विकास खंड में बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति को दी गयी सहायता

33--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी सहायता वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में दी गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से जनपद आजमगढ़ के हरैया विकास खंड में वर्ष 80-81, 81-82, तथा 82-83 में जिन-जिन व्यक्तियों को सहायता दी गई उसका विवरण †संलग्न है। उक्त विकास खंड में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के अन्तर्गत बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत की गयी सिंचाई की व्यवस्था

34--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील का कितना क्षेत्रफल सिंचित है तथा कितना असिंचित है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 82-83 में कितने अतिरिक्त क्षेत्रफल की सिंचाई की व्यवस्था सरकारी साधनों से की गयी है? शेष असिंचित क्षेत्रफल में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने की क्या योजना विचाराधीन है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील का 33,845 हे0 क्षेत्रफल सिंचित है तथा 8,458 हे0 क्षेत्र असिंचित है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 82-83 में शारदा सहायक परियोजना की नयी निर्मित नहरों के द्वारा 2,200 हे0 क्षेत्रफल में तथा नलकूपों द्वारा 1,093 हे0 क्षेत्रफल में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की गयी है। शेष असिंचित क्षेत्रफल में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र में प्रस्तावित नयी नहरों का निर्माण प्रगति पर है।

†(छापा नहीं गया।)

आजमगढ़ जिले के विकास खंड अजमतगढ़ के अन्तर्गत बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति को दी गयी सहायता

35--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खंड में किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी सहायता वर्ष 80-81, 81-82 तथा 82-83 में दी गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से जनपद आजमगढ़ के अजमतगढ़ विकास खंड में वर्ष 80-81, 81-82 तथा 82-83 में जिन-जिन व्यक्तियों को सहायता दी गई उसका विवरण †संलग्न है। उक्त विकास खंड में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है।

वाराणसी जिले के मोका बांध की डूब की भूमि का कथित पट्टा और पानी का बंटवारा

36--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांध मोका तहसील चकिया, वाराणसी के डूब की जमीन कितने लोगों के नाम पट्टा किया गया और कितने लोग अनधिकार कब्जा किए हुए हैं? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पूरी लिस्ट मय नाम व पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

†(छापा नहीं गया।)

श्री वीर बहादुर सिंह--

चकिया तहसील में स्थित भोका बांध के डूब की जमीन का किसी भी व्यक्ति को पट्टा नहीं किया गया है।

कुल 178 व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया गया है जिसका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त व्यक्तियों की सूची मेरे कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी समय देखी जा सकती है।

37--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांध भोका तहसील चकिया, जिला वाराणसी के पानी के बंटवारे हेतु मुलरम व जोगिया रेगुलेटर बनाया गया है? यदि हां, तो दोनों रेगुलेटर लग जाने के बाद भी समुचित पानी का बंटवारा अब तक न करने का कारण क्या है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर बंटवारा निश्चित करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

भोका बांध से शिकारगंज नहर प्रणाली को जोगिया, उचेहरा आदि 6 माइनरों को पानी प्राप्त होता है। जब तक मुकरम बंधी में लगे कुलाबे में पानी जाता रहता है, भोका रेगुलेटर बन्द रखा जाता है। जब कुलाबों से पानी जाना समाप्त हो जाता है, भोका रेगुलेटर से उचेहरा माइनर को पानी उपलब्ध कराया जाता है। अतः जांच कराकर बंटवारा निश्चित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

वाराणसी जिले के ग्राम बोदलपुर, दाउदपुर, नेवाजगंज को उपलब्ध सिंचाई सुविधा

38--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बोदलपुर, दाउदपुर, नेवाजगंज, प्रभुनारायणपुर, हेतमपुर, तहसील चकिया, जिला वाराणसी के लिये सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार चन्द्र प्रभा बांध से पानी लिफ्ट कर गुलाल बांध में देकर उपरोक्त गांवों के लिये सिंचाई व्यवस्था करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्नगत पांच ग्रामों के पूरे क्षेत्र को गुलाल बांध की हेतिमपुर माइनर दाउदपुर बन्धी एवं ककही बन्ध एवं नवाजगंज पम्प नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है।

चूंकि सम्पूर्ण क्षेत्र को सिंचन सुविधा उपलब्ध है, अतः चन्द्र प्रभा बांध से लिफ्ट द्वारा पानी उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

आबकारी विभाग, इलाहाबाद के प्राविधिक अधिकारी द्वारा लिया गया अनियमित यात्रा भत्ता

39--श्री पंचानन राय--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी विभाग के मुख्यालय, इलाहाबाद में कार्यरत कितने प्राविधिक अधिकारियों ने माह जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 1981 का जाली यात्रा भत्ता बनाकर माह दिसम्बर, 1981 में कोषागार, इलाहाबाद से पास कराकर भुगतान प्राप्त किया है? क्या उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद ने अपनी सम्प्रेक्षण रिपोर्ट, 1982 में आपत्ति की है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह--

आबकारी विभाग के मुख्यालय इलाहाबाद में केवल एक प्राविधिक अधिकारी का पद स्वीकृत है जिस पर कार्यरत अधिकारी ने जून, जुलाई, अगस्त,

सितम्बर, 1981 के महीनों में सरकारी कार्य से जनहित में नियंत्रक अधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत यात्रायें की हैं। उनके यात्रा भत्ता बिलों में वित्तीय अनियमितताएं थी। आबकारी कार्यालय द्वारा बिलों की जांच गहराई से नहीं हुई जिसके फलस्वरूप तत्कालीन आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उन्हे गलत धनराशि का भुगतान कर दिया गया।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने अपने पत्र सं0 बी0 ई0 एस0 टी0 (ए)/आई/741, दिनांक 19 मार्च, 1982 द्वारा उनके माह मई, जून, जुलाई, 1981 के यात्रा भत्ता बिलों पर आपत्ति उठाई है।

कार्यालय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह दायित्व था कि यात्रा भत्ता बिलों का परीक्षण नियमों के अनुकूल करके देय धनराशि का ही आहरण एवं वितरण किया जाता। बिलों के आहरण एवं वितरण का कार्य प्राविधिक अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता था। विभागाध्यक्ष का कहना है कि यात्रा भत्ता बिल में गलत धनराशि का अंकन करने में, प्राविधिक अधिकारी का कोई दुराशय नहीं था। सम्बन्धित सहायक को चेतावनी दे दी गई है कि भविष्य में वे बिलों की जांच भलीभांति किया करें। जितनी अधिक धनराशि का भुगतान हो गया था उसे वापस राजकोष में जमा करा दिया है। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र सं0 पी0 ई0 एस0 टी0 ए0 (1)/जी0 आर0-6/598, दिनांक 31-3-1983 द्वारा उक्त आपत्तियों को समाधानित मान लिया है। अन्य कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

आजमगढ़ जिले के विकास खन्ड बिलरियागंज के अन्तर्गत बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति को दी गयी सहायता

40--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजातियों के विकास में गरीबी को रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से आजमगढ़ जिले की बिलरियागंज विकास खन्ड में किन किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी सहायता वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में दी गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज विकास खन्ड में वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में जिन जिन व्यक्तियों को सहायता दी गयी उसका विवरण† संलग्न है। उक्त विकास खन्ड में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती हैं।

शराब उत्पादन को घरेलू उद्योग घोषित किये जाने की मांग

41--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शराब निर्माण के कार्य को घरेलू उद्योग घोषित करके इस पर लाइसेंस देने एवं उत्पादन शुल्क लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी नहीं।

ऐसा करना सार्वजनिक हित में उचित न होगा।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों का संचालन

42--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों को चलाए जाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है ?

†(छापा नहीं गया।)

यदि हां, तो कब से और किस आधार पर ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां ।

निजी बसों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अनुबन्धित करके राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित किया जाता है ।

43—श्री नरेन्द्र सिंह—

[दिनांक 28 फरवरी, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 148 द्वारा उत्तरित]

नोएडा प्रौद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

44—श्री पंचानन राय—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में अब तक कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं तथा उक्त औद्योगिक क्षेत्र पर प्रदेशीय सरकार को कितना धन व्यय करना पड़ा है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इन स्थापित इकाइयों में कितनी बन्द हो गई हैं और कितनों में उत्पादन हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में अब तक कुल 2471 इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं । इस औद्योगिक क्षेत्र पर प्रदेशीय सरकार द्वारा रिवाल्विंग फंड व ण के रूप में 19.42 करोड़ रु0 व्यय किया गया है । उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थापित इकाइयों में से 36 इकाइयां बन्द हो गयी हैं और 2435 इकाइयों में उत्पादन हो रहा है ।

आजमगढ़ स्थित महुला गढ़वल बांध के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

45—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ स्थित महुला गढ़वल बांध पर विभिन्न प्रकार के कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं कौन-कौन से प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में लगाये जाते हैं और कौन-कौन से नियमित हैं ? सीजनल कार्य करने वाले कर्मचारियों में कौन-कौन से ऐसे हैं जो पांच वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं तथा विगत 5 वर्षों में कितने कर्मचारी नियमित किये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ स्थित महुला गढ़वल बांध पर विभिन्न प्रकार के 25 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं, इनमें 4 नियमित अधिष्ठान में हैं, एक कार्य प्रभावित अधिष्ठान व 20 दैनिक श्रमिक हैं । इनके अतिरिक्त 30 दैनिक श्रमिक कर्मचारी केवल वर्षा ऋतु में और लगाये जाते हैं । सीजनल 30 कर्मचारियों में सभी कर्मचारी ऐसे हैं जो पांच वर्ष से अधिक समय से केवल वर्षा काल में कार्य करते हैं । विगत पांच वर्षों में इन सीजनल कर्मचारियों में से कोई कर्मचारी नियमित नहीं किये गये हैं ।

सरयू नहर निर्माण खंड प्रथम, बहराइच में मिट्टी के खुदान से सम्बन्धित अनुबन्ध

46—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर निर्माण खंड प्रथम, जनपद बहराइच के अन्तर्गत निर्माणाधीन सरयू नहर के कि0 मी0 22.577 से 22.627 के 50 मीटर टुकड़े की खुदाई के लिए वर्ष 1979-80 में कितने

अनुबन्ध किये गये तथा इनके द्वारा अलग-अलग कितनी मिट्टी की खुदाई की गई तथा उसका कितना भुगतान किया गया ? पुनः इसी भाग की खुदाई के लिए 1981-82 में कितने अनुबन्ध किये गये और उसके लिए कितना भुगतान किया गया ? नहर के इस भाग पर कुल कितनी खुदाई प्रस्तावित थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नहर की प्रश्नगत लम्बाई में जहां भूमितल से नहर की तली तक 9.50 मीटर की खुदाई है, वर्ष 1979-80 में भूमितल से मात्र 5.00 मीटर की प्रथम चरण खुदाई (आधे जल प्रवाह का सेक्शन) हेतु तीन अनुबन्ध किये गये थे। इनके अधीन क्रमशः 3833.99 घन मीटर, 3843.65 घनमीटर व 7408.78 घनमीटर मिट्टी की खुदाई के निमित्त क्रमशः 19,477 रु0 19,526 रु0 एवं 38,057 रु0 का भुगतान किया गया। पुनः इसी भाग में 5.00 मीटर से 6.00 मीटर तक पूरी बढ़ी हुई चौड़ाई में (पूर्ण जल प्रवाह हेतु) खुदाई के निमित्त वर्ष 1981-82 में एक अनुबन्ध किया गया। इस अनुबन्ध के अधीन 7590.86 घन मीटर मिट्टी की खुदाई हेतु 43,268 रु0 का भुगतान किया गया।

परिकल्पित क्रास सेक्शन के अनुसार भूमितल से 6.00 मीटर तक की खुदाई में 24,360 घन मीटर मिट्टी की खुदाई अनुमानित थी।

47--श्री पंचानन राय--

[दिनांक 22 फरवरी, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 194 द्वारा उत्तरित]

सिंचाई विभाग, नलकूप निर्माण खंड, आगरा के कर्मचारियों के उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

48--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के नलकूप निर्माण खंड, आगरा में कर्मचारियों के उत्पीड़न की जांच किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का दिनांक 29 फरवरी, 1983 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। पत्र में उल्लिखित बातों की जांच कर ली गई है। शिकायत सही नहीं पायी गई।

49--श्री राम नारायण सिंह एडोकेट--

[दिनांक 15 फरवरी, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 49 द्वारा उत्तरित।]

कानपुर के ग्राम पबनई में नाले का निर्माण

50--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित ग्राम पबनई, परगना डेरापुर, जिला कानपुर देहात के लोगों का दिनांक 30 सितम्बर, 1983 का प्रार्थना पत्र बाढ़ के पानी से रक्षा हेतु नाला खुदवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र के लोगों की बाढ़ के पानी से सुरक्षा हेतु एक नाला खोदा जा चुका है जिससे बाढ़ की समस्या का समाधान हो गया है। नाले पर पक्के कार्यों का निर्माण अभी अवशेष है, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जायेगा।

झांसी जिले के ग्राम चिरगांव में हरिजन कालोनी एवं दुकान के निर्माण की मांग

51--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिरगांव

तहसील मोंठ, जिला झांसी की भूमि पर हरिजन कालोनी, दुकानों के निर्माण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 8-9-83 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

उक्त पत्र पर जांच कराई गई । जांच परिणाम से विदित हुआ है कि ग्राम चिरगांव, तहसील मोठ के राजस्व अभिलेखों में गाटा नं0 1601, गांव सभा की सम्पत्ति के रूप में दर्ज है किन्तु इस गाटे पर श्री उर्मिलाचरण गुप्त का एक पक्का कुआ एवं मकानात बने हैं । अतः हरिजन कालोनी अथवा दुकानों के निर्माण हेतु इस समय उक्त गाटे में कोई भूमि उपलब्ध नहीं है । श्री उर्मिलाचरण गुप्त के उपरोक्त अवैध कब्जा हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

गाटा नं0 1602 भी गांव सभा की सम्पत्ति है जिसमें राष्ट्रकवि, स्व0 श्री मैथिलीशरण गुप्त की समाधि स्थल से सम्बद्ध "बाल उद्यान स्थल" का निर्माण कराया जा चुका है जो लोहे की रेलिंग से चारों ओर घिरा हुआ है । अतः इस गाटे पर भी हरिजन कालोनी अथवा दुकानों का निर्माण सम्भव नहीं है ।

द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य, कानपुर के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

52—श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय मंडल सिंचाई कार्य, कानपुर एवं उसके अन्तर्गत आने वाले प्रखंडों में कितने अधिकारी/कर्मचारी ऐसे हैं, जो तीन अथवा पांच वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो शासन की नीति के अनुसार उनका स्थानान्तरण अब तक क्यों नहीं किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

द्वितीय मंडल सिंचाई कार्य, कानपुर एवं उसके अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों में कुल 1,473 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें समूह "क" एवं "ख" के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी एक ही स्थान पर तीन अथवा पांच वर्ष से कार्यरत नहीं है । समूह "ग" एवं "घ" के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

समूह	इस कार्यरत की संख्या	तीन से पांच वर्ष की अवधि से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
ग	954	75	79
घ	487	102	155

शासन की नीति के अनुसार ही कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाता है । शासकीय कार्य के हित में एक साथ अधिक कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया जाना सम्भव नहीं हो पाता । अतः कुछ कर्मचारी स्थानान्तरित किये जाने से रह जाते हैं । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके गृह जनपद में ही रखने के आदेश हैं और उनको यथासम्भव कम ही स्थानान्तरित किया जाता है ताकि इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को कठिनाई न हो ।

आगरा जिले की ग्राम सभा नगला बहरावती के नाले को सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की मांग

53--श्री बदन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान, ग्राम सभा, नगला बहरावती, ब्लाक फतेहपूर सीकरी, जिला आगरा द्वारा नगला बहरावती से बहरावती खास तक श्रमदान द्वारा खोदे गये नाले को सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में दिनांक 22-6-83 को लिखा कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

मौके पर नाला खुदने के चिन्ह हैं किन्तु वह लगभग पूर्णतः भर गया है । ग्राम सभा द्वारा निर्मित उपरोक्त नाले को सिंचाई विभाग द्वारा नियमानुसार किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति इंजीनियर

54--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन (पिकप) में 7-5-83 को कितने इंजीनियर कार्य कर रहे हैं तथा इनमें कितने इंजीनियर अनुसूचित जाति, जनजाति के तथा कितने इंजीनियर पिछड़ी जाति के हैं ? क्या 'पिकप' में नियुक्ति में आरक्षण सम्बन्धी आदेश का पालन किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (पिकप) में दिनांक 7-5-83 को 21 इंजीनियर कार्य कर रहे थे तथा उनमें से कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति का नहीं है । वस्तुतः निगम में नियुक्तियों में शासन की आरक्षण सम्बन्धी नीति का पालन किया जाता है किन्तु उच्च तकनीकी पद के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के उपयुक्त अभ्यर्थी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाये हैं ।

इटावा प्रखंड, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा आदेशों का कथित उल्लंघन

55--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इटावा प्रखंड के अधिशासी अभियन्ता ने अपने उच्चस्थ विभागीय अधिकारियों के आदेश संख्या 7926/द्वि/पी/97/(संघ), दिनांक 28-7-82 आदेश संख्या 11809/द्वि/पी/97 (संघ), दिनांक 10-11-82 एवं 779/द्वि/पी/97/(संघ), दिनांक 26-1-83 की अवहेलना की है ? यदि हां, तो उक्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शासन एवं विभागीय अधिकारियों ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इटावा प्रखंड के अधिशासी अभियन्ता ने अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मंडल, सिंचाई कार्य, कानपुर द्वारा दिये गये, प्रश्न में उल्लिखित, आदेशों की अवहेलना नहीं की है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रेम लाल स्वीपर, राजकीय चिकित्सालय, पाली की बस दुर्घटना में मृत्यु एवं उनके आश्रितों को दी गयी सहायता

56—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री प्रेम लाल स्वीपर, राजकीय चिकित्सालय, पाली की दिनांक 23 फरवरी, 1981 को परिवहन विभाग की बस दुर्घटना में स्थान सुरईखेत तहसील, रानीखेत, अल्मोड़ा में मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने मृतक की पत्नी कैलाश देवी को मुआवजा नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां, परन्तु उक्त दुर्घटना दिनांक 24-2-81 की हुई थी । दुर्घटना में मृतक श्री प्रेम लाल के पुत्र श्री रामलाल को परगना अधिकारी, रानीखेत के माध्यम से 2,000 रु0 की अन्तरिम सहायता का भुगतान दिनांक 26-2-81 को कर दिया गया है ।

गोरखपुर जिले के मलौनी बांध को यातायात हेतु पक्का करने की योजना

56—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में मलौनी बांध को चौड़ा करके उसे यातायात के लिए पेंटिंग किये जाने तथा पिचिंग व पक्का किये जाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या बांध को चौड़ा करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? क्या यह सच है कि यह योजना 1 करोड़ 60 लाख रु0 की है और वर्ष 1980-81 में स्वीकृत हुई परन्तु अभी तक इस पर बहुत कम धन आवंटित हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

परियोजना की अनुमानित लागत 1 करोड़ 85 लाख 50 हजार है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत लाख रुपये में
1	बांध को चौड़ा करना	48 50
2	बांध पर पिचिंग कार्य	88·00
3	बांध को पक्का करना	49·00
	योग ..	185·50

प्रथम चरण की परियोजना, जिसकी लागत 48·50 लाख रु0 है, दिनांक 12-3-82 में स्वीकृत हुई थी ।

वर्ष 1983-84 में इस कार्य पर 2 लाख रुपये का आवंटन हुआ है । बड़े सेक्टर में धन की कम उपलब्धता के अनुसार ही धन का आवंटन हुआ है ।

बदायूं जिले में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण

58—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत जनपद बदायूं में प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण की सुविधा दिये जाने हेतु निजी संस्थाओं को दिये गये आदेश के अन्तर्गत वर्ष 1980 से 1-12-83 तक कौन-कौन सी निजी संस्थाओं को किन-किन ट्रेडों में प्रशिक्षण दिलाये जाने की अनुज्ञा अतिरिक्त जिला अधिकारी (परियोजना) ने दी थी ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि निजी

संस्थानों मे ब्लैक लिस्टेड मेसस पाल ऐंड कं० उषा सिलाई क०, बदायूं को सिलाई प्रशिक्षण चलाये जाने के आदेश किस आधार पर दिये गये और विशेष रूप से एक ही निजी संस्थान को प्रशिक्षण जलाने की अनुमति देने में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं ? क्या सरकार इस मामले की जांच हेतु किसी उच्च अधिकारी की नियुक्ति करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जगदीशपुर पम्प नहर, जौनपुर का संचालन

59--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद जौनपुर में स्थित जगदीशपुर पम्प नहर वर्ष 1982-83 म कितने दिन पूरी क्षमता से चली ? शष अवधि में न चलने का क्या कारण था ? क्या भविष्य में इस नहर को पूरी क्षमता से चलाकर खेती के लिये भविष्य में सदैव पानी देने की कोई योजना ह ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद जौनपुर में स्थित जगदीशपुर पम्प नहर वर्ष 1982-83 में 40 दिन पूरी क्षमता से चली । शेष अवधि में विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर की खराबी के कारण पूरी क्षमता से नहीं चल सकी थी । खराब ट्रांसफारमर माह फरवरी, 1984 में बदल दिये जाने के कारण अब नहर पूरी क्षमता से चलते रहने की आशा है ।

जौनपुर जिले की भंडारी पम्पनहर के निर्माण का स्थगन

60--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम भड़ेहरी में पम्प नहर की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम में पम्प नहर हेतु भूमि भी सुरक्षित करके छोड़ दी गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम भड़ेहरी नहीं वरन् भंडारी पम्प नहर की ग्राम योजना विचाराधीन नहीं बल्कि स्वीकृत थी ।

भंडारी पम्प नहर योजना का प्रस्तावित क्षेत्र शारदा सहायक योजना के अन्तर्गत आ जाने के कारण पम्प नहर योजना का त्याग किया जाना प्रस्तावित है । अतः नहर को पूर्ण किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता उक्त ग्राम में पम्प नहर हेतु कोई भूमि सुरक्षित करके नहीं छोड़ी गयी है ।

कानपुर जिले के डेरापुर स्थित नल कूप की कथित बन्दी

61--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि डेरापुर जिला कानपुर देहात यूनिट के अन्तर्गत 18 डी० जी० द्वारा सिंचाई कार्य जनवरी, 1982 से 28 फरवरी, 1983 तक बन्द रहा ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । कूप पूर्णतः बन्द नहीं रहा परन्तु उक्त अवधि में ट्रांसफारमर इत्यादि की खराबी से कूप का पम्पिंग सेट एवं मोटर कई बार खराब हुये जिनको ठीक करके चालू किया जाता रहा ।

कूप की तत्परता से मरम्मत न करने के कारण सेक्शन मिस्त्री को निलम्बित करके नियमानुसार दंड दिया

गया । अवर अभियन्ता की चरित्र पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि की गयी ।

हरदोई जिले के ग्राम अकबरपुर में औद्योगिक केन्द्र की स्थापना की मांग

62—श्री रामलाल वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 5वें बुध के अता0 प्र0 सं0 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायगे कि दिनांक 3/4-10-80 को उक्त ग्राम में लघु औद्योगिक केन्द्र स्थापना विषयक कोई प्रस्ताव हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और दिनांक 7-9-82 के सत्र पर उद्योग निदेशक को क्या निर्देश दिये गये एवं उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त मांग को लेकर दिनांक 2-10-82 से जनपद हरदोई के संडीला में भारतीय शोषित कल्याण कमेटी उ0 प्र0 के तत्वावधान में आमरण अनशन कांग्रेसजनों द्वारा किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । दिनांक 3/4-4-80 को ग्राम अकबरपुर में लघु औद्योगिक केन्द्र स्थापना विषयक कोई प्रस्ताव उद्योग विभाग में प्राप्त नहीं हुआ । दिनांक 7-9-82 के पत्र प्रश्नगत ग्राम के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में आख्या/कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश उद्योग निदेशक को दिये गए । जांच से ज्ञात हुआ कि जब तक प्रश्नगत ग्राम में प्रारम्भिक विकास जैसे सड़क, पानी, यातायात, बिजली आदि की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक वहां औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराया जाना सम्भव नहीं है ।

जहां तक कांग्रेसजनों द्वारा आमरण अनशन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कोई जानकारी उद्योग विभाग को नहीं है ।

गोरखपुर, जिले के बाढ़ एवं ड्रेनेज विभाग के विरुद्ध फर्जी मस्टर रोल बनाने का आरोप

63—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्त्ता ने जिला कमेटी गोरखपुर की बैठक में चन्द माह पूर्व यह आरोप लगाया था कि ड्रेनेज और बाढ़ विभाग के अभियन्ताओं ने 25 लाख रुपये का फर्जी मस्टर रोल बनवाकर सरकारी धन का अपहरण किया है तथा इसी संदर्भ में प्रश्नकर्त्ता के लिखित अनुरोध पर जिलाधिकारी गोरखपुर ने अतिरिक्त जिलाधिकारी (योजना) को जांच के लिए भी लिखा है ? यदि हां, तो क्या जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मैनपुरी जिलों की काली नदी के बीहड़ में नलकूप लगाये जाने की मांग

64—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सिंचाई मंत्री को विगत दो वर्षों में प्रश्नकर्त्ता का कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें मैनपुरी जनपद की भोगांव तहसील के अन्तर्गत काली नदी के बीहड़ क्षेत्र में लगभग 300 राजकीय नलकूप लगाने की मांग की गयी है और उस पर विभाग द्वारा जांच भी करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है, और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इस प्रस्ताव पर प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया ।

प्रारम्भिक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि इस क्षेत्र में नलकूप लग सकते हैं किन्तु निश्चित मत पूर्ण सर्वे कराने के बाद ही बनाया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जिले की तहसील अकबरपुर में कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत भूमि का आवंटन

65—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में किन-किन ब्लाकों में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत भूमिहीनों में वितरण करने के कब लिए कितनी-कितनी जमीन कब क्रय की गयी और किन-किन व्यक्तियों को उक्त भूमि आवंटित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के केवल अकबरपुर चयनित विकास खंड में वर्ष 1981-82 में 5 एकड़ 27 बिसवा 16 धूर, वर्ष 1982-83 में 12 एकड़ 9 बिसवा तथा वर्ष 1983-84 में 2 एकड़ 30 बिसवा भूमि क्रय की गयी। जिसमें से 15 एकड़ 7 बिसवा भूमि 15 लाभार्थियों को वितरित की गयी है जिनके नाम इस प्रकार हैं :— रामसिधारे पुत्र बैरागी, बांकेलाल पुत्र बद्दली, मुनेश्वर पुत्र बिन्दा, जनेसर पुत्र धुरई, हरीराम पुत्र लोचई राम पुत्र बहाल, राम नरायन पुत्र बैरागी, सेतु पुत्र विश्राम, पलहू पुत्र सुखराज, पांचू पुत्र बिन्द्रा, रामजीत पुत्र नोहर, हंसराज पुत्र नोहर, अगरदी पुत्र जेटू, विदेशी पुत्र बाढ़, बहादुर पुत्र खेलावन। शेष भूमि के वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

आगरा जिले के ग्राम मण्डी गुड़ व सीकरी हिस्सा दो के निवासियों का खनन-कार्य के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

66—श्री बदन सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम मंडी गुड़ व सीकरी हिस्सा-2 में स्थित पहाड़ों पर हो रहे खनन कार्य से फतेहपुर सीकरी के ऐतिहासिक भवनों को पहुंचने वाली क्षति के सम्बन्ध में क्षेत्रीय नागरिकों का दिनांक 18 मार्च, 1983 को भेजा हुआ कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम मंडीगुड़ व सीकरी हिस्सा-दो के निवासियों का दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र 11 अप्रैल, 1983 को प्राप्त हुआ था भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 मई, 1983 द्वारा ग्राम मंडीगुड़ तथा सीकरी हिस्सा-दो को खनन संक्रिया के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध घोषित कर दिया गया है।

आगरा जिले में बरौली अहीर माइनर का निर्माण

67—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में बरौली अहीर माइनर के नाम से स्वीकृत नयी नहर पर खुदाई कार्य कब प्रारम्भ किया गया और कितना कार्य अब तक पूर्ण हो गया है ? शेष कार्य अब तक पूरा क्यों नहीं हो सका और कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आगरा जनपद में बरौली अहीर माइनर पर खुदाई का कार्य माह नवम्बर 1982 में प्रारम्भ किया गया। अब तक

मील 0-6-0 से मील 0-7-0 तक के भाग को छोड़कर शेष सभी कार्य पूर्ण हो चुका है। मील 0-6-0 से मील 0-7-0 तक का शेष कार्य एक कृषक द्वारा न्यायालय से स्थगन लेने के कारण पूर्ण नहीं हो सका है। स्थगन आदेश समाप्त होने से बाद ही कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

आटो ट्रैक्टर फैक्ट्री लि0, प्रतापगढ़ के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

68--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 11-3-83 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आटो ट्रैक्टर फैक्ट्री लि0, प्रतापगढ़ में नियुक्ति में अध्यक्ष द्वारा धांधली करने के स्पष्ट आरोप हैं ? यदि हां, तो उन आरोपों की जांच किस अधिकारी से कराई गई और जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

11-3-83 का पत्र जो मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित है और जिसके साथ श्री शिवबदन यादव पुत्र श्री रामनिहोर यादव ग्राम एवं पोस्ट जहनईपुर, जिला प्रतापगढ़ का पत्र संलग्न था, प्राप्त हुआ है।

इसकी छानबीन आटो टैक्टर्स लि0 के महाप्रबन्धक (प्रशासन) द्वारा की गयी थी और आरोप सत्य नहीं पाये गये।

देवरिया जिले के हाटा-देवरिया मार्ग पर प्राइवेट बस चलाये जाने की मांग

69--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत हाटा-देवरिया सड़क पर परिवहन निगम की बसों की कमी को देखते हुए प्राइवेट बसों को चलाने का लाइसेंस देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

देवरिया, जिलान्तर्गत हाटा-देवरिया मार्ग पर प्राइवेट बसों को चलाने हेतु परमिट दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। इस मार्ग का महुआडीह से देवरिया तक का भाग राष्ट्रीयकृत है। अतः प्राइवेट बसों को इस मार्ग पर परमिट दिया जाना वैधानिक रूप से संभव नहीं है।

देवरिया जिले में गण्डक नहर के किनारे नलकूप का निर्माण

70--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत गंडक नहरों के किनारे बने नलकूपों को चालू करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

देवरिया जिलान्तर्गत गंडक नहर के किनारे 154 संवर्धन/नियंत्रण नलकूपों का छिद्रण किया गया है। इनको धन उपलब्ध होने पर वर्ष 1984-85 तक दो चरणों में पूर्ण करके चालू कराने की योजना है।

देवरिया जिले के हाटा रजबाहा की पटरियों पर खड़ंजा लगाने की मांग

71--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत हाटा रजबाहा तथा देवरिया रजबाहों के पटरियों को कंकड़ या खंड़जा कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

गंडक नहर परियोजना के अन्तर्गत पुल एवं पुलिया का निर्माण

72--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गंडक विभाग द्वारा नहरों पर पुल, पुलिया बनाने के लिए कोई योजना वर्ष 1983-84 में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गंडक नहर परियोजना के अन्तर्गत पुल, पुलिया के निर्माण की कोई अलग योजना नहीं है । परियोजना के अन्तर्गत बनने वाली नहरों पर इनके निर्माण का प्राविधान है । वर्ष 1983-84 में धन की उपलब्धता के अनुसार पुल, पुलिया बनाई जा रही है ।

देवरिया जिले में गन्डक नहर की पटरियों पर ईंट सोलिंग का प्राविधान

73--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में गंडक नहर की पटरियों को खड़जा या कंकड़ की सड़क बनवाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस संगठन के अधीन देवरिया जिलान्तर्गत मुख्य पश्चिमी गंडक नहर प्रोजेक्ट के द्वितीय पुनरीक्षण में ईंट सोलिंग का प्राविधान आठ छोटी नहरों हेतु किया गया है । इसके अतिरिक्त मुख्य पश्चिमी गंडक नहर की सड़क को पेन्ट किया जा रहा है ।

देवरिया-हाटा वाया महुआडीह मार्ग पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के संचालन की मांग

74--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के देवरिया हाटा रोड पर परिवहन निगम की बस चलायेंगे ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

देवरिया से हाटा के लिए दो मार्ग हैं । एक देवरिया-हाटा वाया गौरी बाजार 34 कि0 मी0 तथा दूसरी देवरिया-हाटा वाया महुआडीह (अमारी) 31 कि0 मी0 ।

देवरिया-हाटा वाया गौरीगंज बाजार राष्ट्रीयकृत मार्ग है और इस पर परिवहन निगम की बस सेवायें संचालित हैं ।

देवरिया से महुआडीह होते हुए हेतिमपुर राष्ट्रीकृत मार्ग पर निगम की बस सेवा संचालित है ।

महुआडीह (अमारी) से हाटा अराष्ट्रीयकृत मार्ग है और इस पर निजी बसें संचालित है । अतः देवरिया-हाटा वाया महुआडीह (अमारी) मार्ग पर निगम बसों का संचालन संभव नहीं है ।

मलौनी बांध के बचाव एवं मरम्मत कार्य पर व्यय की गई धनराशि

75--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मलौनी बांध के बचाव एवं मरम्मत कार्य पर वर्ष 1982-83 व 1983-84 में अब तक कुल कितनी धनराशि किस-किस मद में खर्च की गई है ? क्या यह सच है कि सितम्बर, 1982 से अगस्त, 1983 तक सहायक अभियन्ता श्री शमीम अहमद बाढ़ खंड गोरखपुर

बीमार थे परन्तु उस अवधि में 13 लाख रु0 का फर्जी भुगतान हुआ है ? यदि हां, तो भुगतान किसके द्वारा कितना-कितना किया गया ? क्या इसकी जांच का गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मलौनी बांध के बचाव एवं मरम्मत कार्य पर वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में विभिन्न मदों पर निम्नलिखित धनराशि व्यय की गई है :--

		रु0 (लाख में)
1--मलौनी बांध का कटाव निरोधक कार्य--		
डेम्पनर्स का निर्माण	82-83	10·20
	83-84	3·54
मिट्टी का कार्य	82-83	0·50
	83-84	0·30
2--मलौनी बांध का वार्षिक मरम्मत का कार्य	82-83	2·65
	83-84	0·72
कुल रु0	..	17·91 लाख

जी नहीं ।

श्री शमीम अहमद, सहायक अभियंता 12-4-83 से 19-4-83 तक आकस्मिक अवकाश पर रहे तथा सितम्बर, 1982 से 83 तक शेष अवधि में ड्यूटी पर रहे हैं । अतः फर्जी भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सहायक अभियन्ता, श्री शमीम अहमद एवं अवर अभियन्ता, श्री सुशील गुप्ता, बाढ़ खंड, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

76--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि सितम्बर, 1983 में प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र सहायक अभियन्ता श्री शमीम अहमद एवं अवर अभियन्ता श्री सुशील गुप्ता बाढ़ खंड, गोरखपुर के विरुद्ध मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री शमीम अहमद, सहायक अभियंता के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्या का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ।

शिकायती-पत्र की जांच के आदेश मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई विभाग, गोरखपुर को दे दिये गये ।

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

77--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई विभाग में दिसम्बर, 1982 मे अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति पाने वाले सहायक अभियन्ताओं एवं प्रभारी सहायक अभियन्ताओं जिनकी संख्या 104 है, पदोन्नतियों में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा मुख्य मंत्री को माह अक्तूबर, 1983 में कोई पत्र लिखा गया था ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्य क्या थे और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

माननीय, सदस्य के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है जिस पर शासन में विचार कर लिया गया है ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 174 पर ।)

राजकीय फल शोध केन्द्र, चौबटिया, जिला अल्मोड़ा द्वारा अखरोट के उन्नतिशील पौधे का विकास

78—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय फल उपयोग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय फल शोध केन्द्र चौबटिया (जनपद अल्मोड़ा) के वैज्ञानिकों ने क्या अखरोट के पौधे की मूसला जड़ को झकड़ा जड़ में बदलने में तथा अखरोट के सामान्य पौधे के कलम प्रत्यारोपित करने में सफलता प्राप्त की है ? यदि हां, तो क्या इस की उन्नतिशील पौधों की किस्मों के साथ-साथ प्रसिद्ध हरा अखरोट को पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक प्रसार हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

राजकीय फल शोध केन्द्र, चौबटिया (जनपद अल्मोड़ा) के वैज्ञानिकों द्वारा अखरोट के उत्तम किस्म के पौधे विदेशों से मंगा कर सामान्य पौधों में प्रत्यारोपित करके उन्नतिशील किस्मों के अखरोट के पौधे तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली गई है तथा अखरोट के पौधों की मूसला जड़ का झकड़ा जड़ में परिवर्तित करने का कार्य पिथौरागढ़ जनपद के ऐंचोली फल शोध केन्द्र में किया गया है । तैयार किये गये उन्नतिशील किस्म के ऐसे पौधों के पर्वतीय क्षेत्र में व्यापक प्रसार हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम बना लिया गया है । लगभग 2 0 पौधे इस वर्ष 198 अप्रैल तक तयार करके आठों पर्वतीय जिलों में उद्यानपतियों को लगाने के लिये वितरित किये जावेंगे ।

गोरखपुर जिले की ग्राम सभा रम्हौली के बलिया नाले पर पुलिया निर्माण की मांग

79—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज से सम्बन्धित जल जमाव बाढ़ व पुलिया बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 29 सितम्बर, 1980 का पत्र आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 1983 में जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महराजगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा रम्हौली के पूरब सटे बलिया नाला के 8-800 कि0मी0 पर पैदल पुलिया की मांग की है ।

इसके सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

राजपुर क्षेत्र के कतिपय ग्रामों की जल निकासी हेतु नालों के निर्माण की मांग

80—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 6 अक्तूबर, 1982 का पत्र जो राजपुर क्षेत्र में बाढ़ से उत्पन्न भीषण समस्या को हल करने हेतु सात नाले खुदवाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

पत्र में दर्शायी गयी समस्याओं के समाधान हेतु निम्न कार्यवाही की जा चुकी है—

(1) पबनई, महमूदापुर, मड़पुरा डुबकी आदि ग्रामों में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु 8 कि0मी0 लम्बे नाले का निर्माण जिला ग्राम विकास प्राधिकरण से अनुमोदित कराकर तथा धन प्राप्त करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जा चुका है। नाले पर अपेक्षित पक्के कार्यों के निर्माण हेतु व्यवस्था की जा रही है तथा यह कार्य शीघ्र कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) कौरू जलालपुर, फरहदपुर, मुहम्मदपुर, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, फिरोजपुर, जगन्नाथपुर, सधुवापुर आदि ग्रामों के जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु 5 कि0मी0 लम्बे नाले के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा करके योजना बनाई जा रही है तथा इसे शीघ्र ही बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदन कराकर धन उपलब्ध होने के बाद निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) माननीय सदस्य विधान सभा के पत्र में दर्शाये गये अन्य ग्रामों की जल भराव की समस्या के समाधान हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के बाद तकनीकी दृष्टि से उचित पाये जाने वाले नालों के निर्माण के सम्बन्ध में परियोजना को स्वीकृत कराने तथा धन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य कराने की कार्यवाही प्रस्तावित है। प्रश्न नहीं उठता है।

मुरादाबाद–सहसवान मार्ग, जिला मुरादाबाद, पर बस सेवा के संचालन का परमिट

81—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि परिवहन विभाग के मुरादाबाद डिपो के आर0 एम0 द्वारा अवैधानिक रूप से मुरादाबाद चन्दौसी, बिसौली, बिल्सी, मुजरिया, सहसवान अथवा इसी मार्ग से होते हुये अन्य स्थानों तक बस बिना अस्थाई अथवा स्थाई परमिट के चलाई जा रही थीं और क्या निजी बस मालिकान ने इसी कारण इनके रोकने हेतु न्यायालय से कोई स्टे प्राप्त कर लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैधानिक रूप से संचालन कराने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा—

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन मुरादाबाद द्वारा क्षेत्रीय जनता एवं जन-प्रतिनिधि श्री केशवराम विधायक की मांग पर मुरादाबाद से सहसवान वाया चन्दौसी–बिसौली बिल्सी मुजरिया होते हुए केवल एक सीधी बस सेवा परमिट स्वीकृति की प्रत्याशा में संचालित की गयी।

परमिट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अभी विचाराधीन हैं:

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 117कि0मी0 है जिसमें बिसौली से बिल्सी तक का केवल 24 कि0 मी भाग अराष्ट्रीयकृत है और शेष 93 कि0मी0 भाग पूर्णतः राष्ट्रीयकृत है। अराष्ट्रीयकृत भाग पर कोई सवारी चढ़ाई या उतारी नहीं जाती थी।

निजी बस मालिकान द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण वर्तमान में उक्त बस सेवा स्थगित है।

चूंकि प्रश्नगत बस सेवा जन सुविधा हेतु संचालित की गयी थी। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

फैजाबाद जिले के जहांगीर राजबहा पर रास्ते के लिये डाली गयी पाइप

82—श्री शम्भूनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई

खंड, टांडा, जिला फैजाबाद ने 26 अक्तूबर, 1983 को सहायक अभियन्ता टांडा को पत्र लिखा था कि जहांगीर रजबहा के कि0मी0 48,800 पर पाइप डलवा कर रास्ता चालू कर दें और यह भी बतावें कि पुल का निर्माण क्यों रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या पाइप डालकर रास्ता चालू कर दिया गया और पक्का पुल का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

पाइप डाल दिये गये हैं । जी हां, पाइप डालकर रास्ता चालु कर दिया गया है । जी नहीं । प्रस्ताव विचाराधीन है ।

सीतापुर जिले में शारदा सहायक नहर से उत्पन्न सीपेज समस्या

83—श्री हर गोविन्द वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में शारदा सहायक परियोजना द्वारा बनी नहर से उत्पन्न सीपेज समस्या को ले कर पद यात्रा तथा अगस्त, 1983 में महमूदाबाद, बिसवां और लहरपुर बंद का आनाहव किया गया तथा 9 सितम्बर, 1983 से सीपेज की समस्या को लेकर जेल भरो आन्दोलन चलाया गया ? यदि हां, तो पद यात्रा बंद के आह्वान करने वालों तथा जेल यात्रियों की क्या मांग थी और उन मांगों के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

पद यात्रा, बन्द एवं जेल भरो आन्दोलन कराने वालों की प्रमुख मांग यह थी कि सीपेज समस्या का समाधान अविलम्ब किया जाय, पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाय तथा जांच समिति स्थापित की जाय ।

सीपेज समस्या निदान हेतु शासन द्वारा एक सीपेज प्रखंड खोला गया है । उक्त प्रखंड द्वारा अब तक सीपेज को रोकने के लिये 130 कि0 मी0 ड्रेन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, जिसमें से 55 कि0मी0 ड्रेन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य जून, 1985 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । प्रस्तावित ड्रेनों का पानी जिन नदियों में जाकर गिरेगा, उनके बहाव में तेजी लाने के उद्देश्य से जंगल सफाई का कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त ग्राम अरुवा मजरा बेनीसराय के पास 1—35 कि0मी0 लम्बे कट के द्वारा किवानी नदी के पानी का धाधरा नदी में डाला गया है और उस कट के ऊपर 15 कि0मी0 लम्बाई के जंगल सफाई का कार्य कराया गया । तहसील महमूदाबाद के ग्राम मुसैदाबाद में जल स्तर नीचा करने के उद्देश्य से तीन नलकूप भी लगाये गये हैं, जिनमे से दो ऊर्जीकृत हो कर कार्य कर रहे हैं ।

सीपेज ग्रस्त क्षेत्र के कृषकों से भू-राजस्व की वसूली स्थगित चल रही है ।

हरिजन सहायक विभाग द्वारा देवरिया जिले नें संचालित हरिजन पाठशालाओं को दिया गया अनुदान

84—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में हरिजन पाठशालाओं के लिए लगभग 45,000 रु0 फर्नीचर आदि के लिए स्वीकृत अनुदान किन-किन पाठशालाओं को दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? कब तक उपरोक्त धनराशि को जनपद के विभिन्न स्कूलों में वितरित कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद देवरिया में हरिजन सहायक विभाग के शतप्रतिशत आवर्तक अनुदान पर संचालित 30 संस्थाओं को 1500 रु

प्रति संस्था की दर से स्वीकृत 45,000 रु0 की धनराशि फर्नीचर एवं टाट पट्टी के लिये स्वीकृत की गई है जिनकी सूचना संलग्न है। यह धनराशि सामग्री के रूप में प्रदान की जा रही है। फर्नीचर एवं टाट पट्टी आदि क्रय करने हेतु आदेश पंचायत उद्योग को दे दिये गये हैं। माच, 1984, के अन्त तक सम्बन्धित समस्त संस्थाओं को समान दे दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 176 पर)

जौनपुर जिले के विकास खंड जलालपुर एवं मुफ्तीगंज में ब्लाक स्तरीय उद्योग समितियों का गठन

85—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर एवं मुफ्तीगंज में ब्लाक स्तरीय उद्योग समितियों का आज तक विधिवत गठन नहीं हुआ ? क्या सरकार इन समितियों का शीघ्र गठन कराकर ऋण वितरण म जन-प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जौनपुर के विकास खंड जलालपुर एवं मुफ्तीगंज ब्लाक स्तरीय उद्योग समितियों का गठन किया जा चुका है। अतः पुनः गठन कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों एवं दवाइयों का मांग-पत्र

86—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के सभी हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों एवं दाइयों का कोई मांग-पत्र प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ दिनांक 9-9-1983 को उन्हें भेजा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र में मुख्य मांगें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

दिनांक 9-9-1983 के पत्र में मांगें निम्न प्रकार हैं।

(1) अध्यापकों का वेतन तीन माह के बाद भुगतान किया जाता है।

(2) अध्यापकों को अभी तक पुनरीक्षित वेतनमान लागू नहीं किया गया है।

(3) इन विद्यालयों के भवन अपूर्ण हैं।

(4) कन्या पाठशालाओं में कार्यरत दाइयों को 30 रु0 मासिक वेतन दिया जा रहा है।

(5) इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की छात्र-वृत्ति गत वर्षों से बन्द कर दी गई है।

(6) विभिन्न जनपदों में इन अध्यापकों के वेतन में असमानता है।

उक्त मांगों के सम्बन्ध में जो कार्यवाही अब तक की गई है वह निम्नवत है :

(1) अध्यापकों के नियमित वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त 38'62 लाख रु0 का आवंटन किया जा चुका है।

(2) अध्यापकों के पुनरीक्षित नये वेतनमान शासनादेश दिनांक 17-1-1984 द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं।

(3) ये विद्यालय स्वच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। अतः शासन द्वारा इनके निर्माण/विस्तार पर धनराशि व्यय करना सम्भव नहीं है।

(4) दाइयों को 1-10-83 से पुनरीक्षित दर पर 45 रु0 प्रतिमाह दिये जाने को शासनादेश दिनांक 6-10-83 को जारी किया जा चुका है।

(5) इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित हरिजन जाति/जनजाति एवं विमुक्त जातियों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति बन्द किये जाने के कोई आदेश प्रसारित नहीं किये गये हैं।

(6) अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में विभाग ने जो आदेश प्रसारित किया है उसमें जिलेवार कोई असामानता नहीं है। माननीय सदस्य को सूचनानुसार भिन्नता के बारे में सम्बन्धित बिन्दुओं पर निदेशक से जानकारी की गई है।

रीजनल वर्कशाप परिवहन विभाग, गोरखपुर द्वारा मरम्मत की गयी बसें

87--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1983 से 31 अगस्त, 83 तक रीजनल वर्कशाप गोरखपुर में माहवार कितनी बस मेंटीनेन्स कर डिपो में भेजी गयी ? तथा गोरखपुर, देवरिया में वर्तमान में कितनी बसें हैं जो एक लाख से ऊपर माइलेज कर चुकी हैं और हालत जर्जर हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी की लापरवाही के कारण समय से मेन्टीनेन्स न होने के कारण उक्त बसों की हालत खराब हुई हैं उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जनवरी, 1983 में 4, फरवरी 83 में 3, मार्च 1983 में 4, अप्रैल, 83 में शून्य, मई 83 में शून्य, जून 83 में 5, जुलाई, 83 में 6 तथा अगस्त, 83 में 7 बसें क्षेत्रीय कार्यशाला से मेन्टीनेन्स कर डिपो को भेजी गयी। वर्तमान में गोरखपुर डिपो में 117 तथा देवरिया डिपो में 101 बसें हैं जो कि एक लाख किलोमीटर से ऊपर माइलेज कर चुकी हैं। इनमें 32 बसों की हालत जर्जर है। इन बसों की हालत निर्धारित जीवन काल समाप्त होने के कारण खराब हुई है। किसी अधिकारी की लापरवाही से नहीं अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले के हरिजन छात्र एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी गयी छात्रवृत्ति

88--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री गौरीशंकर भैय्या--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में वर्ष 1981-82 में हरिजन छात्रों एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की कितनी धनराशि दी गयी और किन-किन विद्यालयों में कितनी धनराशि छात्रों में वितरित की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया जिले की हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के अस्थायी अध्यापक एवं उनका वेतन-मान

89--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री गौरीशंकर भैय्या--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद

में हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के कितने अध्यापक स्थायी एवं कितने अस्थायी हैं तथा उनका वेतन क्रम क्या है ? बेसिक प्रा0 पा0 के अध्यापकों के समान वेतनक्रम में हरिजन प्रा0 पा0 के अध्यायकों को दिये जाने की योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

देवरिया जनपद में हरिजन कल्याण विभाग के आवंतक अनुदान पर संचालित हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कुल 124 अध्यापक कार्यरत हैं जो सभी अस्थायी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रबंधतंत्र के अधीन कार्यरत हैं। इनके वेतनक्रम निम्नवत् हैं :—

क्रम-संख्या	पदनाम	1 जुलाई, 1979 से पुनरीक्षित नये वेतनमान	
1	प्रधानाध्यापक (जे0 टी0 सी0)	रु0 430-10-470-द0 500-15-560-द0 620	रो0-10-रो0-15-
2	सहायक अध्यापक (एच0 टी0 सी0)	रु0 365-8-405-10-125-द0 रो0 10-485 द0 रो0-10-495-12-555	
3	सहायक अध्यापक (अप्रशिक्षित)	रु0 335 नियत	

शासनादेश संख्या-6048/26-1-83-2-जी (54)-79, दिनांक 17-1-1984 द्वारा उक्त स्वीकृत वेतनमान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों के समान हैं।

इटावा जिले के निर्वाचन क्षेत्र औरैया के अन्तर्गत कार्यरत नलकूप

90—श्री धनीराम वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा के औरैया निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1978 से आज की तिथि तक कितने नलकूप लगाये गये हैं और उनमें से कितने कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में लगे नलकूपों में से 80 प्रतिशत अभी तक कार्यरत नहीं हैं ? क्या सरकार उन्हें अतिशीघ्र कार्यरत कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद इटावा के औरैया निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1978 से माह जनवरी 1984 तक 23 नलकूपों का छिद्रण किया गया। इनमें से 13 राजकीय नलकूप कार्यरत हैं।

जो नहीं, केवल 10 राजकीय नलकूप कार्यरत नहीं हैं उनमें से 6 नलकूपों के बा0 ऐण्ड एल0 फार्म उर्जीकरण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को भेजे जा चुके हैं तथा शेष

4 नलकूपों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। सभी दस नलकूपों के माह जून, 1984 तक उर्जीकृत होने की सम्भावना है।

इलाहाबाद में शारदा सहायक नहर की मड़ियाहूं ब्रान्च में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता का स्पष्टीकरण

91--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक खंड-48 के अन्तर्गत मड़ियाहूं ब्रांच के कार्यों में की गयी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2903, दिनांक 21-7-1982 द्वारा सहायक अभियन्ता द्वितीय से स्पष्टीकरण मांगा था? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच करके कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

शिकायतों की जांच प्रगति में है।

आर0 टी0 ओ0 कार्यालय, इलाहाबाद में लिपिकों की अनियमित नियुक्ति

92--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में आर0 टी0 ओ0, इलाहाबाद के कार्यालय में जो अनियमित नियुक्ति की गई थी और शासन द्वारा जांच भी हुई थी क्या उन अनियमित नियुक्त व्यक्तियों को निकाला गया? यदि नहीं, तो क्यों? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या पुनः 1983 में आर0 टी0 ओ0, इलाहाबाद ने दो कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति की है? यदि हां, तो नियुक्त व्यक्ति कौन है? क्या पिछड़ी, अनुसूचित जाति एवं विकलांग का निर्धारित कोटा नियुक्ति के समय पूर्ण था? यदि नहीं, तो इन वर्गों के व्यक्तियों की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं?

श्री गुलाब सेहरा--

वर्ष 1979-80 में आर0 टी0 ओ0, इलाहाबाद के कार्यालय में लिपिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, वाराणसी द्वारा जांच की गई जिसके आधार पर एक अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी गयी। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की कार्यवाही हो रही है।

जी हां, वर्ष 1983 में दो कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियां सामान्य अभ्यर्थियों में से की गयी। चयन के समय दिनांक 19-1-1983 को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण था। विकलांग व्यक्तियों का कोटा दो प्रतिशत है और उक्त दो रिक्तियों में विकलांग व्यक्तियों के लिये कोई पद आरक्षित नहीं निकलता।

इलाहाबाद, शारदा सहायक नहर की फूलपुर शाखा में साइफन का निर्माण

93--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि शारदा सहायक खंड 30, इलाहाबाद के अन्तर्गत फूलपुर शाखा में बहरिया दादूपुर पक्का मार्ग के पी0 आर0 बी0 के नीचे बने साइफन में लीकेज है? यदि हां, तो साइफन कब बना? बनाने में कुल खर्च क्या है? दोषी व्यक्ति व अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो शासन साइफन के लीकेज होने की जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न में उल्लिखित साइफन, जो फूलपुर शाखा के कि0 मी0 14.900 पर स्थित है, पर आंशिक कार्य नहर बन्दी के समय मई, जून, 1982 में कराया गया था तथा क्लोजर का समय कम मिलने के कारण शेष कार्य अप्रैल-मई, 1983 को नहरबंदी में पूर्ण किया गया है ।

इस कार्य पर लगभग रु0 80,000 व्यय हुये हैं ।

किसी प्रकार की जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

स्वामी करपात्री जी इण्टर कालेज, रानीगंज, प्रतापगढ़ का हरिजन छात्रावास

94--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वामी करपात्री जी इण्टर कालेज, रानीगंज, प्रतापगढ़ में हरिजन छात्रावास है ? यदि हां, तो उसमें कौन रहता है ? क्या यह सही है कि इस छात्रावास में प्रधानाचार्य, अध्यापक तथ लिपिकगण अपना निवास स्थान बनाये हुये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

छात्रावास भवन में प्रधानाचार्य निवास करते हैं ।

छात्रावास में छात्र नहीं रहते हैं इसलिये प्रधानाचार्य और अध्यापक निवास करते हैं ।

छात्रावास में छात्र क्यों नहीं रहते हैं इसकी जांच करायी जा रही है ।

स्वामी करपात्री जी इण्टर कालेज, रानी खेड़ा, प्रतापगढ़ के लिपिक श्री अमरनाथ दुबे द्वारा छात्रों से वसूल की गयी छात्रवृत्ति

95--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वामी करपात्री जी इण्टर कालेज, रानी खेड़ा, प्रतापगढ़ के हरिजन छात्रों से विद्यालय लिपिक अमरनाथ दुबे द्वारा छात्रवृत्ति के नाम पर पैसा वसूलने की शिकायत पर हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ ने दिनांक 16-9-1981 को जाकर शिकायत की जांच की थी ? यदि हां, तो जांचोपरान्त कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ ने दिनांक 28-7-1981 तथा 10-9-1981 को निरीक्षण किया था । जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ ने विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धक से उक्त लिपिक को विद्यालय से स्थानान्तरण तथा वसूल की गयी धनराशि उन्हें वापस करने तथा पुलिस कार्यवाही करने हेतु कहा गया ।

प्रधानाचार्य ने अतिरिक्त छात्रों को भुगतान करने से जो छात्रवृत्ति की धनराशि विद्यालय के पास अवशेष थी दिनांक 30-11-1983 को चेक द्वारा जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ को वापस कर दी है जिसे उन्होंने राजकीय कोष में जमा कर दिया है । विद्यालय के दोषी लिपिक के विरुद्ध आरोप संस्था के अध्यक्ष को संदर्भित किया है जो अभी विचाराधीन है ।

इलाहाबाद शारदा सहायक परियोजना की फूलपुर शाखा हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान एवं सीपेज

96—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना खण्ड 30 के निर्माणार्थ जनपद इलाहाबाद में फूलपुर के कि0 मी0 एक से 25 कि0मी0 तक कब और कितनी जमीन किसानों को अधिग्रहीत की गयी है ? उन्हें अभी तक मुआवजा न देने के क्या कारण हैं ? मुआवजा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इलाहाबाद जनपद के फूलपुर के 1 कि0मी0 से 25 कि0मी0 तक निर्माण हेतु दिनांक 27-11-1978 से 3-6-1980 तक की अवधि में 132·78 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी। उपरोक्त भूमि में से 23 ग्रामों की 98·25 एकड़ भूमि का प्रतिकर वितरित किया जा चुका है। शेष 4 ग्रामों की 34·53 एकड़ भूमि में से 2 ग्राम में अध्याप्ति की गयी 25·73 एकड़ भूमि का प्रतिकर वितरित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पूरेरूद्र शाह की 3·39 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त हुई हैं तथा उनके निराकरण के पश्चात् ही प्रतिकर वितरित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। ग्राम सराय युधिष्ठर की 5·41 एकड़ भूमि हेतु संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है तथा भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर प्रतिकर वितरित किया जायेगा।

97—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत खंड 30 में फूलपुर ब्रान्च में सीपेज के कारण फसलें नष्ट हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या नहर की दायीं ओर सीपेज ड्रेन बनवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

फूलपुर राजबाहे का यत्र-तत्र भराई रीच में नहर से सीपेज होती है किन्तु सीपेज का जल सरकारी भूमि की खन्तियों तक ही सीमित रहता है। फसलें नष्ट नहीं हो रही हैं।

फूलपुर ब्रान्च के फिलिंग रीच में सीपेज ड्रेन व लिंक ड्रेन बनवाने का प्रस्ताव है।

धन उपलब्ध होने पर निर्माण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

इलाहाबाद जिले के विकास खंड मऊआयमा के अन्तर्गत रेशम के कीड़े पालने का उद्योग

98—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद, विकास खंड, मऊआयमा में रेशम के कीड़े पालने का उद्योग लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ हुआ। कुल अनुमानित व्यय कितना होगा ? अभी तक कितना व्यय एवं कार्य हुआ है ? इस कार्य हेतु कितनी जमीन अर्जित की गई है ? योजना कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

कार्य वर्ष 1980-81 से प्रारम्भ हुआ।

रु0 7,53,24 3

अभी तक रु0 3,03,242 व्यय हुआ है ।

6·40 एकड़ भूमि में तारबाड़ तथा भवन निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को ठेका दिया गया है । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में व्यक्तिगत वृक्षारोपण भी किया गया है जिसके लिए शहतूत वृक्षारोपकों को 3,250 रु0 अनुदान के रूप में वितरित किया गया है ।

योजना के पूर्ण होने में लगभग दो वर्ष का समय और लगेगा ।

श्री मोहम्मद शफीक, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन दल, लखनऊ का निलम्बन एवं न्यायालय द्वारा दी गयी सजा

99—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मो0 शफीक, एक्साइज कांस्टेबिल, प्रवर्तन दल, लखनऊ को मारपीट के आरोप में दिनांक 28-2-70 को निलम्बित कर दिया गया था ? यदि हां तो माननीय उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दंडित होने के बावजूद राजकीय सेवा नियमावली के विरुद्ध पुनः नियुक्त करने का औचित्य क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां, मोहम्मद शफीक, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन दल, लखनऊ को मारपीट के आरोप में दिनांक 28-2-70 को नहीं बल्कि 9-12-70 को निलम्बित किया गया था ।

अधीनस्थ न्यायालय, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जिला कानपुर के निर्णय आदेश दिनांक 29-2-78 के अन्तिम पैरा में निम्नलिखित अभिमत दिया गया था :—

"अभियुक्त श्री मोहम्मद शफीक भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दोषी हैं । एतदर्थ इनको कारावास से दंडित होना सर्वथा न्यायोचित है। पर मैं इनकी स्वयं, पत्नी, परिवार के वर्तमान परिस्थितियों पर जहां तक पत्रावली से संकेत मिलता है, अब विचार करता हूं तो इनको किंचित रियायत का पात्र समझता हूं। अतः मैं उक्त अभियुक्त श्री मोहम्मद शफीक को रु0 250 (दो सौ पचास) अर्थ दंड से दंडित करता हूं । अर्थदंड भुगतान न करने की दशा में अभियुक्त को 6 मास का साधारण कारावास भोगना होगा ।"

इसका आधार होते हुए तत्कालीन आबकारी आयुक्त ने श्री मोहम्मद शफीक को सहानुभूति का पात्र मानकर निलम्बन अवधि में 3/4 वेतन तथा एक प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए अपने आदेश, दिनांक 21-12-79 के अन्तर्गत पुनः राजकीय सेवा में रखने का आदेश पारित किया था ।

इलाहाबाद जिले में शारदा सहायक के मऊआयमा राजबहा का विस्तार

100—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे के जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक खंड 48 के अन्तर्गत मऊआयमा डी0 वाई0 का विस्तार कब से हो रहा है ? क्या टेल तक इसकी खुदाई हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शीघ्रातिशीघ्र खुदाई कराकर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1979-80 से मऊआयमा राजबहा के पुनरोद्धार एवं टेल के विस्तार का कार्य प्रारम्भ किया गया ।

जी नहीं। कृषकों की आपत्ति एवं भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण खुदाई नहीं हो सकी है।

प्रश्नगत माइनर की खुदाई का कार्य भूमि अधिग्रहीत होने तथा धनराशि उपलब्ध होने पर जून, 1984 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

सिंचाई कार्य मंडल, कानपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

101--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 10 फरवरी, 1983 का पत्र जो सिंचाई कार्य मंडल, कानपुर में व्यापक रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

शिकायती-पत्र के आरोपों की जांच करायी गई जांच में सभी शिकायतें निराधार पायी गयीं।

इलाहाबाद जिले के ग्राम चक-काशी रामपुर का असफल नलकूप

102--श्री थम्मन सिंह गहलौत--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चककाशी रामपुर, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद का नलकूप संख्या 107 जो गत 5 वर्षों से बेकार पड़ा है लेकिन किसानों से बराबर सिंचाई-कर वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार द्वारा नलकूप कब तक ठीक करा दिया जायेगा तथा जितने समय से नलकूप बेकार है, उतने समय की आबपाशी किसानों को कब तक वापस करा दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम चककाशी रामपुर, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद का नलकूप संख्या 107 पी0 पिछले 5 वर्ष से नहीं वरन् मार्च, 1980 से असफल हो जाने के कारण बन्द है।

किसानों से रबी 1979-80 के सिंचाई कर का वसूलयाबी हेतु जमाबन्दी तहसील में प्रेषित की गई थी। प्रश्नगत नलकूप के असफल हो जाने के पश्चात् से किसी भी किसान पर कोई शुल्क लागू नहीं किया गया और न ही उसका प्रश्न उठता है।

नलकूप का कमान्ड क्षेत्र निर्माण के लिए प्रस्तावित सिलोखरा/लखरावां माइनर के कमान्ड में होने के कारण इस नलकूप का पुनः निर्माण नहीं किया जाना है।

जितने समय से नलकूप बेकार है उतने समय की आबपाशी किसानों पर नहीं लगाई गई है अतः उसको वापस कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जिला जेल, उन्नाव के बन्दियों में मारपीट की घटना

103--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 11030/83, दिनांक 19-9-83 जिसमें जिला जेल, उन्नाव में दिनांक 15-9-83 को आन्दोलनकारी बन्दियों के साथ मारपीट करने की शिकायत की है और जिसके पाने की सूचना पत्र संख्या 203 पी0 आर0 पी0/बाइस-612/83 गृह कारागार अनुभाग-2, दिनांक 30 नवम्बर, 1983 द्वारा दी गई है, के बारे में अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जिला जेल, उन्नाव में दि0 15-9-83 को आन्दोलनकारी बन्दियों तथा कुछ सिद्धदोष बन्दियों (जेल नम्बरदारों) के बीच हुई मारपीट की घटना के

सम्बन्ध में की जा रही मैजिस्टीरियल जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। पूर्ण जांच आख्या प्राप्त होने पर शासन द्वारा मामले में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

हाई स्कूल के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय

104--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कक्षा 9 में पढ़ने वाले समस्त अनुसूचित वर्गीय छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1982-83 में निर्णय लिए जाने के बाद भी सभी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

वर्ष 1982-83 में कक्षा 9 व 10 में अध्ययन करने वाले समस्त अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया किन्तु आवश्यकतानुसार धन-राशि राज्य सरकार के सीमित आर्थिक साधनों के कारण अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। आवश्यक अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जा रही है।

वाराणसी जिले के मिर्जामुराद में हुई टैक्सी दुर्घटना में श्री यूसुफ खां की मृत्यु एवं मुआवजा

105--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13-4-83 को मिर्जामुराद, जिला वाराणसी में एक टैक्सी दुर्घटना जिसमें 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी खमरिया, थाना औराई, जिला वाराणसी के यूसुफ खां की भी मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मृतक व्यक्तियों के परिवार वालों को पांच-पांच हजार रुपए की सहायता देने का आदेश दिया गया था और इसके लिए परगना मजिस्ट्रेट, उत्तरी वाराणसी को जांच कर कागजात तैयार करने को कहा गया था ? यदि हां, तो क्या सभी मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच हजार रुपये की सहायता दे दी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां। शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13-4-83 को मिर्जामुराद, जिला वाराणसी में जीप संख्या यू0 आर0 एच0 8627 और ट्रक संख्या बी0 एच0 यू0 711 की टक्कर के फलस्वरूप हुई दुर्घटना में 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। मो0 यूसुफ खां पुत्र इशहाक खां साकिन खमरिया थाना औराई वाराणसी की भी उक्त दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना की जांच जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी ने परगना मजिस्ट्रेट वाराणसी (द0) से कराई। मृतकों के आश्रितों को धारा 92-ए मोटर वेहिकिल्स एक्ट 1939 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री राधेश्याम त्रिपाठी, अधीक्षक केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद को उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी सजा

106--श्री बदन सिंह--

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि अधीक्षक (श्री राधेश्याम त्रिपाठी) केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने एक रुपये का कठोर कारावास एवं 500 रु0 जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर एक रुपये की और सजा फरवरी, 1983 में दे दी है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी को निलम्बित न करने का क्या कारण है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

माननीय उच्च न्यायालय ने 7 मार्च, 1983 को श्री राधेश्याम त्रिपाठी को एक सप्ताह का साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माना अदा न करने पर एक हफ्ते की सजा दी, परन्तु श्री त्रिपाठी की प्रार्थना पर न्यायालय ने सजा को दो मास के लिये स्थगित कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपील की सुनवाई तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया है। इस स्थिति में श्री त्रिपाठी को निलम्बित करने का प्रश्न नहीं उठता।

एडीशनल आई0 जी0 (जेल) के पद पर नियुक्ति

107--श्री बदन सिंह--

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि एडीशनल आई0 जी0 (जेल), लखनऊ का पद अगस्त, 1982 से रिक्त पड़ा है? यदि हां, तो इस पद पर किसी उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त न करने के क्या कारण हैं?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

शासनादेश दिनांक 28 जनवरी, 1984 द्वारा एडीशनल आई0 जी0 (जेल) के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है।

वाराणसी, ज्ञानपुर पम्प कैनाल की झांवा माइनर हेतु ग्राम गोपालपुर की भूमि का अधिग्रहण

108--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर पम्प कैनाल से झांवा माइनर में गांव गोपालपुर में आराजी नं0 140 जो देवमणि पुत्र शोभनाथ गांव दुरासी, परगना भदोही, तह0 ज्ञानपुर वाराणसी की है, उसके फसल एवं जमीन की मुआवजा आज तक नहीं दिया गया? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

फसल के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही चल रही है और जिसके पूर्ण होने पर मुआवजा दे दिया जायेगा। मुआवजे की धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी वाराणसी को उपलब्ध करा दी गयी है। प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जिले के ग्राम लीला खेड़ा में कटौली माइनर के कुलाबे का निर्माण

109--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लीलाखेड़ा (मजरा कटौली) पोस्ट व थाना काकोरी जनपद लखनऊ के निवासियों का कटौली माइनर के दायीं ओर लगाए गये 1 मील 2 फर्लांग तथा 109 गज की दूरी पर फसली कुलाबे के सन्दर्भ में जो मात्र 16 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई करके 5 काश्तकारों को लाभान्वित करता है, को उखाड़कर एक मील 1 फर्लांग की दूरी पर लगाए जाने के प्रार्थना-पत्र श्री धनीराम सिंह नेगी, सदस्य, विधान परिषद, उ0 प्र0 के संलग्नक सहित दि0 8 एवं 19 नवम्बर, 83 व 8-12-83 को अधीक्षण अभियन्ता, षष्ठम् मन्डल सिंचाई विभाग, लखनऊ तथा सचिव सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो सरकार ने अब तक प्रश्नगत प्रकरण में क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

इस मामले की जांच करने के उपरान्त प्रश्नगत अस्थाई कुलाबे को दो भागों में बांट कर कृषकों की सहमति के अनुसार एक कुलाबा मील 1-1-0 के समीप लगवा कर सिंचाई की व्यवस्था की जा चुकी है। प्रश्न ही नहीं उठता।

गोरखपुर जिले में मलौनी बांध की पटरी महेवा से मिर्जापुर तक पक्का करने की योजना

110—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र सं0 सी–451/ई0आई0एन0स. 0, दिनांक 24–10–83 के द्वारा बाढ़ खंड, गोरखपुर के अन्तर्गत मलौनी बांध को महेवा से मिर्जापुर तक 12 कि0 मी0 की लम्बाई तक उसे चौड़ा पिचिंग व पक्का रोड बनाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खंड, गोरखपुर तथा सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर लिखा था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उस सम्बन्ध में शासन को सभी अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त हो गयी हैं ? क्या उसे अक्तूबर, 1984 तक चौड़ा, पिचिंग एवं पक्का रोड के रूप में बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया जायगा ? तथा उस पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मलौनी बांध को महेवा से मिर्जापुर तक 12·00 कि0 मी0 की लम्बाई में चौड़ा करने पर, पिचिंग करने व पक्की रोड बनाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का पत्र संख्या 451/ड्रेन–आई0एन0सी, दिनांक 24–10–83, मुख्य अभियन्ता (गंडक) के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है परन्तु उसका समसंख्यक पत्र सी–451/ई0एन0सी0, दिनांक 24–10–81 उपलब्ध है ।

उक्त पत्र में निर्देशित कार्यों को तीन चरणों में सम्पन्न करने हेतु निम्नलिखित परियोजनायें बनाकर मुख्य अभियन्ता समिति को प्रेषित की गयी है :—

	रुपये
1—बांध को चौड़ा करने की परियोजना	48·50 लाख
2—बांध पर पिचिंग करने की परियोजना	88·00 लाख
3—बांध की सड़क को पक्का करने की परियोजना	49·00 लाख
योग ..	185·50

प्रथम चरण की परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 48·50 लाख रुपया है, दिनांक 12–3–82 में स्वीकृत हो चुकी है तथा शेष द्वितीय एवं तृतीय चरण की परियोजनायें अभी स्वीकृत नहीं हैं । धन की उपलब्धता के अनुसार, प्रथम चरण की परियोजना पर कार्य कराया जा रहा है ।

धन की कमी के कारण प्रथम चरण की परियोजना अक्तूबर, 1984 तक पूर्ण नहीं हो सकेगी । शेष दो चरण पर परियोजना की स्वीकृति के पश्चात् कार्यवाही सम्भव होगी ।

उपरोक्त कार्यों पर कुल रुपया 185·50 लाख खर्च होने का अनुमान है ।

गोरखपुर जिले के नगवा तथा लेहड़ बांध की मरम्मत

111—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कि नगवा लेहड़ बांध जमींदारी बांध है जिस पर वर्ष 1983–84 में ड्रेनेज प्रखंड, गोरखपुर के सहायक अभियन्ता ने 66 अनुबन्ध मिट्टी के कार्य के लिये किया है ? यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये कोई पूर्व योजना स्वीकृत थी और उसके लिये कितना धन आवंटित हुआ था तथा 200 ग्रा0 रो0 योजना से जनवरी, 1983 से नवम्बर, 1983 तक कितने धनराशि का भुगतान किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । नगवा लेहड़ बांध जमींदारी बांध है, जिस पर वर्ष 1983–84 में

ड्रेनेज खंड, गोरखपुर के सहायक अभियंता द्वितीय द्वारा 60 अनुबंध मरम्मत हेतु किये गये ।

नगवा तथा लेहड़ बांधों पर मरम्मत कार्य जमींदारी बांधों के विशेष मरम्मत के प्राक्कलन के अन्तर्गत किये गये हैं । ग्राम्य विकास अभिकरण से 24 लाख रुपये की योजनायें उक्त बांधों हेतु स्वीकृत हैं । जमींदारी बांधों के मरम्मत हेतु वर्ष 1983–84 में 6·50 लाख रु० आबंटित किया गया है ।

जनवरी, 1983 से नवम्बर, 1983 तक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लेहड़ बांध पर 2·08 लाख रुपया तथा नगवा बांध पर 2·54 लाख रुपया का भुगतान किया गया है ।

गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा जमींदारी बांधों के मरम्मत हेतु लिया गया कथित निर्णय

112––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

क्या यह सच है कि गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् ने 1981 में जमींदारी बांधों पर कार्य के विषय में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ? और क्या प्रदेश की सरकार ने उक्त निर्णय बदला है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् ने 1981 जमींदारी बांधों पर कार्य के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है, इसकी जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रामपुर जिले की नहरों द्वारा पानी की आपूर्ति

113––श्री बलवीर सिंह (रामपुर)––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में खरीफ की बुआई होने तक सभी नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचा है ? यदि हां, तो क्यों और क्या यह भी सच है कि रामपुर जनपद से 11 लाख रुपया जो कि नहरों की सफाई के लिए रामपुर जनपद को आवंटित किया गया था आवंटित रुपयों में से मुख्य अभियन्ता, सिंचाई के आदेशों द्वारा वापस मंगाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जनपद रामपुर में 1391 फसली खरीफ की बुआई होने तक 113 नहरों में से केवल 16 नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच सका । वहां की नहरें नदियों की जल–प्रवाह पर आश्रित हैं और इन नदियों में जल शुष्क मौसम होने के कारण कम हो गया था ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

114––श्री बलवीर सिंह (रामपुर)––

क्या सिंचाई मंत्री रामपुर जनपद की सभी नहरों की टेल पर छोटे-छोटे गरीब किसानों को सिंचाई कराने का प्रबन्ध करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सच है कि रामपुर जनपद में सूखा पड़ गया है और भड़िया डैम व हरिपुरा बांध में पानी होने के बावजूद रामपुर जनपद को सिंचाई हेतु पानी अनुबन्ध के अनुसार नहीं दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

रामपुर जनपद में सभी नहरों की टेल पर सभी किसानों को सिंचाई की व्यवस्था है । 1391 फसली खरीफ में कुछ समय के लिय सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी जिसके कारण तुमरिया व हरिपुरा जलाशय व जनपद की नदियों में जल बहुत कम हो गया था ।

सूखे की अवधि में तुमरिया व हरिपुरा जलाशय से रामपुर जनपद की मांग के अनुसार जल की आपूर्ति न हो सकी क्योंकि जलाशय में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं था ।

115--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आगरा विचपुरा मार्ग पर प्राइवेट बसों का संचालन एवं दिया गया परमिट

116--श्री विजय सिंह राना--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा-विचपुरी मार्ग पर रोडवेज की बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो कितनी बसों के प्राइवेट परमिट दिये गये हैं तथा उनके नाम क्या हैं और परमिट दिये जाने का आधार क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सूचना एकत्रित की जा रही है

शाहजहांपुर जिले के भावल खेड़ा ब्लाक के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण

117--श्री सिकन्दर अली खां नवाब--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक में वर्ष 1982-83, 1983-84 में सिंचाई हेतु नये नलकूपों के निर्माण हेतु कितना धन उपलब्ध कराया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1982-83 व 1983-84 में जनपद शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक में किसी भी नवीन नलकूप का छिद्रण नहीं हुआ किन्तु वर्ष 1982-83 से पूर्व इस ब्लाक में छिद्रित नलकूपों पर वर्ष 1982-83 में 6,40,097.00 रु0 तथा 1983-84 में 2,29,366.00 रु0 का व्यय किया गया ।

118--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

गोरखपुर जिले के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी श्री एन0 के0 धूसिया के विरुद्ध गबन का आरोप

119--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के वर्तमान हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध जब वह देवरिया में कार्यरत थे, एक लाख से अधिक गबन का आरोप सिद्ध पाया गया था ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

श्री एन0 के0 धूसिया जिन्हें जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया से स्थानान्तरित करके गोरखपुर तैनात किया गया था, बाद में लखनऊ स्थित पी0 सी0 एस0 कोचिंग सेंटर में प्रशासकीय अधिकारी पद पर तैनात हुये ।

श्री धूसिया को शासन के आदेश, दिनांक 25 फरवरी, 1984 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है क्योंकि जनपद देवरिया के कार्य अवधि से सम्बन्धित आरोपों पर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है । दायर एफ0 आई0 आर0 पर पुलिस विवेचना भी अलहदा से चल रही है ।

आजमगढ़ जिले की हरिजन प्राइमरी पाठशाला सोनहरा के अप्रशिक्षित अध्यापकों का वेतन

120--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे

कि शासनादेश संख्या 1778/26-78-7188-74, दिनांक 4 अप्रैल, 1978 द्वारा ह0 प्रा0 पाठशालाओं में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है ? यदि हां, तो हा0 प्रा0 पाठशाला, सोनहरा (आजमगढ़) में नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापक के वेतन भुगतान हेतु निदेशक द्वारा हरिजन कल्याण अधिकारियों को निर्देश किस प्रकार दिये गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम बेरमा में शारदा सहायक की धौलीपुर ड्रेन द्वारा पुलिया का निर्माण

121—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में स्थित बेरमा गांव में शारदा सहायक खंड 32 द्वारा किसी पुलिया का निर्माण किया गया है, जो दो वर्ष के अन्दर ही क्षतिग्रस्त हो गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

शारदा सहायक खंड 32, आजमगढ़ द्वारा धौलीपुर ड्रेन पर ग्राम बेरमा में एक पुलिया का निर्माण किया गया है । पुलिया आज भी पूर्णतः ठीक है । कोई क्षति नहीं हुयी है । अतः किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं है ।

गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज स्थित नाला बलिया, रेहाव व नदाव पर पुलों का निर्माण

122—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज के अन्तर्गत होकर बहने वाले नाला बलिया, रेहाव व नदाव पर किन-किन स्थानों पर पुल व पुलिया बनना वित्तीय वर्ष 1982-83 में स्वीकृत था ? प्रत्येक के निर्माण पर अलग-अलग क्या खर्च हुआ और कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज के अन्तर्गत होकर बहने वाले नाला बलिया, रेहाव व नदाव पर वित्तीय वर्ष 1982-83 में निम्नलिखित पुल स्वीकृत हैं :

	कि0 मी0	अनुमानित लागत लाख रु0
बलिया नाला		
(1) बी0 आर0 वी0	18.5	10.00
रेहाव नाला		
(1) वी0 आर0 वी0	25.9	2.5
(2) वी0 आर0 वी0	22.7	2.5
(3) वी0 आर0 वी0	20.0	2.5
(4) वी0 आर0 वी0	16.61	3.0
नदाव नाला		
(1) वी0 आर0 वी0	11.20	2.5
(2) वी0 आर0 वी0	14.40	2.5

नाला बलिया रेहाव व नदाव पर वर्ष 1982-83 में स्वीकृत पुलों पर जनवरी, 1984 तक हुये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

बलिया नाला		
(1) वी0 आर0 वी0	कि0 मी0 25.9	99,842.00 रु0
रेहाव नाला		
(1) वी0 आर0 वी0	कि0 मी0 25.9	1,46,612.00 रु0
(2) वी0 आर0 वी0	कि0 मी0 22.7	4,800.00 रु0
(3) वी0 आर0 वी0	कि0 मी0 20.0	1,28,047.00 रु0
(4) वी0 आर0 वी0	कि0 मी0 16.61	55,327.50 रु0
नदाव नाला		
(1) वी0 आर0 वी0	कि0 मी0 11.20	1,92,152.00 रु0
(2) वी0 आर0 वी0	कि0 मी0 14.40	1,69,943.00 रु0

उपरोक्त समस्त पुलों के निर्माण का कार्य की प्रगति ईंटों के अभाव में रुक गई है। ईंटों के प्राप्त होने पर उक्त कार्य वर्ष 1984-85 में पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

गोरखपुर जिले में बाढ़ कार्य खंड, ड्रेनेज खंड, मधुबनी शाखा नारायनी शाखा द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण

123—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर में बाढ़ कार्य खंड ड्रेनेज मधुबनी शाखा एवं नारायनी नहर निर्माण में वर्ष 1982 से अब तक किन-किन नदियों, नहरों व नालों पर किस-किस स्थान पर एन0 आर0 ई0 पी0 में काम कराया गया है? इन कार्यों में लगे लोगों से सम्बन्धित नामों की सूची मास्टर रोल के रूप में कैसे है तथा वर्क-एजेन्सी के रूप में कौन-कौन लोग रहे हैं और इस प्रकार कुल खर्च मदवार क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गोरखपुर में बाढ़ कार्य खंड गोरखपुर, ड्रेनेज खंड गोरखपुर, मधुबनी शाखा निर्माण खंड गोरखपुर एवं नारायनी शाखा निर्माण खंड गोरखपुर के द्वारा वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में एन0 आर0 ई0 पी0 के माध्यम से कराये गये कार्यों का विवरण व मदवार व्यय, संलग्न †सूची म अंकित है। कार्य में लगे लोगों व मेट/वर्कएजेन्ट से सम्बन्धित नामों की सूची बनाने में काफी समय लगेगा। मस्टर रोल खंड कार्यालयों में उपलब्ध है जिनका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।

कानपुर-गोरखपुर मार्ग पर बस की दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को दी गयी सहायता

124—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-9-1983 के प्रातः 6 बजे कानपुर से गोरखपुर जा रही परिवहन विभाग की एक बस ट्रक से टकरा गयी जिसमें 22 व्यक्ति मर गए और शेष की स्थिति गम्भीर है? यदि

†छापी नहीं गई।

हां तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों एवं उनके परिवार वालों के प्रति तत्काल क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा--

यह सही है कि दिनांक 6-9-1983 को प्रातः 6 बजे कानपुर जा रही परिवहन निगम की एक बस ट्रक से टकरा गयी थी परन्तु इस दुर्घटना में केवल 11 व्यक्ति जिसमें ट्रक चालक भी सम्मिलित है, मरे थे न कि 22 व्यक्ति तथा 13 व्यक्ति घायल हुए थे ।

मृत 11 व्यक्तियों में से 4 के वारिसान को रु0 1,000 की दर से अन्तरिम सहायता के रूप में दी जा चुकी है । 4 मृत व्यक्तियों के वारिसान को 1,000 रु0 की दर से भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । दो मृतक लावारिस थे जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी । ट्रक ड्राइवर को अन्तरिम सहायता देय नहीं है ।

दुर्घटना में घायल 13 व्यक्तियों में से 6 व्यक्ति प्राथमिक उपचार कराने के पश्चात् चले गये । सी0 एम0 ओ0 गोरखपुर से इन्क्वायरी रिपोर्ट न प्राप्त होने के कारण घायलों को अनुग्रह भुगतान नहीं दिया जा रहा है ।

सिंचाई विभाग के ड्राइंग अनुभाग के कम्प्यूटरों, प्रारूपकारों एवं ट्रेसरों को दिया गया सेलेक्शन ग्रेड

125--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में ड्राइंग अनुभाग में कार्यरत कम्प्यूटर, प्रारूपकार एवं ट्रेसर पदों की कुल संख्या के आधार पर 15 प्रतिशत कर्मचारियों को 1-8-1978 एवं 1-7-1979 से 20 प्रतिशत के आधार पर चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) वेतन मान दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिनांक 1-7-1979 से चयन श्रेणी वेतनमान कम्प्यूटर के 38 पदों तथा प्रारूपकार के 224 पदों हेतु स्वीकृत किया गया है । इनमें से 32 कम्प्यूटरों तथा 161 प्रारूपकारों को चयन श्रेणी वेतनमान दिया जा चुका है । शेष 6 कम्प्यूटर तथा 63 प्रारूपकारों का चयन श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

ट्रेसर के पदों पर प्रतिशत के आधार पर चयन श्रेणी वेतनमान स्वीकृत नहीं है बल्कि इन्हें सेवा की समयावधि के अनुसार उच्चतर वेतनमान स्वीकृत है जो निर्धारित सेवा अवधि तथा शर्तों के पूर्ण करने पर दिया जाता है ।

सचिवालय के सिंचाई शाखा से प्रवर वर्ग सहायकों के स्थानान्तरण की मांग

126--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई सचिव शाखा में कितने प्रवर वर्ग सहायक 8-10 वर्षों से एक ही अनुभाग में कार्यरत हैं ? उनका स्थानान्तरण अन्यत्र कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई सचिव शाखा में 8 प्रवर वर्ग सहायक 8-10 वर्षों से एक ही अनुभाग में कायरत हैं । सहायकों का स्थानान्तरण शाखा के अन्तर्गत प्रशासकीय दृष्टिकोण से एवं कार्यहित में ही किया जाता है ।

श्री ए0 के0 पाठक तत्कालीन आबकारी निरीक्षक, हापुड़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

127--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री रामेश्वर सिंह, एम0 पी0 का आबकारी विभाग के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री

का सम्बोधित दिनांक 14-9-1982 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में किन-किन बातों का उल्लेख है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां ।

उक्त पत्र में श्री ए0 के0 पाठक तत्कालीन आबकारी निरीक्षक हापुड़ के विरुद्ध शिकायत की गयी है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में नियुक्त आबकारी सिपाही श्री शिवकुमार को अपने निजी कार्य से नियम विरुद्ध बुलन्दशहर भेजा था जहां आते समय एक दुर्घटना में उस सिपाही की मृत्यु हो गयी । आबकारी निरीक्षक ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही नहीं की और इस प्रकार निरीक्षक ने वांछनीय अपराध किया है । पत्र में उक्त आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की गयी है । अन्त में मृतक सिपाही श्री शिवकुमार के परिवार की अधिक से अधिक सहायता तत्काल देने के लिए अनुरोध किया गया है ।

उक्त घटना की जांच उप आबकारी आयुक्त मेरठ चार्ज, मेरठ द्वारा कराई गयी । जांच आख्या प्राप्त हो गयी है । जांच अधिकारी ने अपने रिपोर्ट दिनांक 31-1-1983 में श्री ए0 के0 पाठक आबकारी निरीक्षक को दोषी नहीं पाया अतएव श्री पाठक के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है । अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

नैनीताल जिले के शक्ति फार्म क्षेत्र में बेगुल नदी से कटाव

128—श्री बिहारी लाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बेगुल नदी, शक्ति फार्म, तहसील सितारगंज (नैनीताल) में पिछले दिनों आई बाढ़ से भूमि का कटान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कटान को नियंत्रण करने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । सितारगंज तहसील के शक्ति फार्म क्षेत्र में वर्ष 1982 व 1983 के वर्षा काल में बेगुल नदी से कोई उल्लेखनीय बाढ़ तथा कटाव की घटना नहीं हुई है । अतः कटान को नियंत्रित करने हेतु कोई वैकल्पिक कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

129—श्री बिहारी लाल—

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 110 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नैनीताल जिले की गोला नदी पर जमरानी बांध का निर्माण

130—श्री बिहारी लाल—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले की गोला नदी पर स्वीकृत जमरानी बांध पर अब तक कितना रुपया व्यय हुआ है ? तथा उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जमरानी बांध के आरम्भिक कार्यों पर जनवरी, 1984 तक 140.424 लाख रुपया व्यय हो चुका है ।

कार्यों हेतु विस्तृत पुनरीक्षित प्राक्कलन केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा गया है जहां इसका परीक्षण किया जा रहा है । बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से परियोजना के निर्माण में 7 वर्ष का समय लगने की सम्भावना है ।

इटावा-बरेली मार्ग पर ग्राम उजरामऊ का बस स्टाप

131—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा-बरेली मार्ग पर गंगा पुल घटिया घाट, फर्रुखाबाद के आगे ग्राम उजरामऊ में बस स्टाप बनाने का आदेश मंत्री जी ने प्रश्नकर्त्ता के पत्र संख्या 251/का/73, दिनांक 20-7-83 पर किया था ? यदि हां, तो इस आदेश को अब तक क्रियान्वित न करने के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ·

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां ।

इटावा-बरेली मार्ग पर ग्राम उजरामऊ में पूर्व से ही फेयर बस स्टाप घोषित है। इस स्थान से होकर आने-जाने वाली समस्त जनता बस सेवायें रुक कर यात्रियों को यात्रा सुविधा सुलभ कराती हैं ।

इटावा जिले की रतनपुर माइनर पर हरचन्दपुर पुलिया के निर्माण में हुई दुर्घटना में श्री राम भरोसे की मृत्यु एव मुआवजा

132—श्री धनीराम वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के इटावा डिवीजन की रतनपुर माइनर की पुलिया जो विधुना हरचन्दपुर मार्ग पर बन रही थी, उसकी खुदाई की मिट्टी निकालते समय मिट्टी फटने से 32 वर्षीय राम भरोसे मजदूर की मृत्यु 22-3-78 को हो गई थी ? यदि हां, तो मृतक की पत्नी को अभी तक मुआवजा न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार मृतक की पत्नी को अविलम्ब नियमानुसार मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मृतक सरकारी कर्मचारी नहीं था और न ही विभाग द्वारा उसे निर्माण कार्य पर लगाया गया था बल्कि ठेकेदार द्वारा लगाया गया था । अतः क्षति-पूर्ति का विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं है ।

ए0 डी0 डी0 ओ0, हरिजन कल्याण विभाग, फैजाबाद में लिपिक के पद पर श्री रवीन्द्र सिंह वर्मा की नियुक्ति

133—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए0 डी0 डी0 ओ0 (हरिजन कल्याण), फैजाबाद के कार्यालय में नैत्यिक लिपिक के पद पर श्री रवीन्द्र सिंह वर्मा की नियुक्ति वर्ष 1983 में हुई है ? यदि हां, तो उक्त पद के चयन के लिए कब-कब किन-किन समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सेवा-योजन कार्यालय, फैजाबाद से नाम चयन हेतु मांगे गये थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

नैत्यिक लिपिक के प्रश्नगत पद पर श्री रवीन्द्र सिंह वर्मा की कोई नियमित नियुक्ति नहीं की गई । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता । कार्य के हित में दैनिक मजदूरी के आधार पर उन्हें रखा गया था और कार्य समाप्त होते ही उन्हें हटा दिया गया ।

आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक के ठेकमा-मेहनगर राजबाहा से ग्राम खुन्दनपुर और शेखदासपुर में कटाव

134—श्री दीपनारायन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के खंड 23 के

ठेकमा–मेहनगर राजबाहा, ग्राम खुन्दनपुर से ग्राम शेखदासपुर के बीच बरसात के समय सन् 1983 में कितनी बार कटी है और उससे क्षेत्रीय जनता की कितनी फसल बर्बाद हुई है ? क्या शासन उक्त बांध को पक्का कराने की आज्ञा प्रदान करने का कष्ट करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिला आजमगढ़ के शारदा सहायक खंड 23 के ठेकमा–मेहनगर राजबाहा में ग्राम सुन्दरपुर (खुन्दनपुर) से ग्राम शेखदासपुर (शेखपुर-रामदासपुर) के बीच सन् 1983 में बरसात के समय (1 जून से 30 सितम्बर तक) आठ बार कटी जिसे अविलम्ब बन्द करा दिया गया। इस कटिंग से क्षेत्रीय जनता की फसल बर्बाद नहीं हुई। इस रीच के ऊपर अमाड़ा स्केप बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है, अतः बांध पक्का करने की आवश्यकता नहीं है।

फैजाबाद जिले की कतिपय तहसीलों में मड़हा (तमसा) नदी से कटाव

135--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत स्थित मड़हा (तमसा) नदी से तहसील बीकापुर एवं तहसील फैजाबाद सदर के कितने–कितने गांवों को आर्थिक एवं फसल की वार्षिक क्षति होती है तथा प्रतिवर्ष सहायता कार्य में कुल कितनी धनराशि व्यय की जाती है ? इसके निराकरण हेतु सरकार कोई योजना कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले में चारपानी बुजुर्ग नाला, कईली नाला आदि पर पुल निर्माण की मांग

136--श्रीमती गौरी देवी

क्या सिंचाई मन्त्री गोरखपुर जनपद में चारपानी बुजुर्ग, कईली, पोडिया ब्रह्म स्थान व जंगल बबरी में अरनातल, पचपेड़िया एवं सुमहिया तथा झुनझुनवा नाले पर ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कराने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न में उल्लिखित नाला सिंचाई विभाग का नाला नहीं है अतः उक्त नाले पर सिंचाई विभाग द्वारा पुल निर्माण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

रानीखेत तहसील के भरचूणा–मानिला मार्ग और बरकिण्डा–स्याल्दे मार्ग को पक्का करने की मांग

137--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील में निर्मित भरचूड़ा–मानिला मार्ग (2) बरकिन्डा स्याल्दे–देघाट मार्ग को पक्का करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इस कार्य हेतु क्या–क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

भरचूला–मानिला मोटर मार्ग के 12 किलोमीटर दूरी के पुनर्निर्माण एवं सुधार हेतु 39·22 लाख रुपये और बरकिन्डा–स्याल्दे मोटर मार्ग के 17 कि० मी० दूरी के पुनर्निर्माण एवं सुधार हेतु 61·20 लाख रुपये

की स्वीकृति 21-2-1983 को दी गयी है ।

उक्त मार्गों का विस्तृत आगणन गठित करने तथा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

अल्मोड़ा जिले के गणिया-धोली मार्ग का कथित निर्माण

138--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गणिया-धोली, अल्मोड़ा मोटर मार्ग तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के बनाए जाने का क्या औचित्य है ? क्या यह सत्य है कि क्षेत्रीय जनता ने उपरोक्त मार्ग को बनाए जाने का घोर विरोध किया था ? यदि हां, तो शासन इस पर पुनः विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

इस नाम से कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

139--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[दिनांक 15-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 153 द्वारा उत्तरित ।]

नैनीताल जिले के बोक्सा जनजाति के लिये लाल डांग राजकीय हाई स्कूल की कथित स्थापना

140--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला नैनीताल की बिजनौर सीमा पर स्थित बोक्सा जनजाति लाल डांग राजकीय हाई स्कूल की स्थापना 1977 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह विद्यालय खोला जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्मोड़ा जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अगासपुर के उच्चीकरण की मांग

141--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अगासपुर, पत्रालय जयन्तेश्वर (स्यालदे), विकास खंड स्यालदे, जनपद अल्मोड़ा जिसका सन् 1980 में प्रान्तीयकरण हुआ है सन् 1980 से पूर्व व उसके बाद क्षेत्रीय जनता एवं प्रश्नकर्त्ता की ओर से उक्त विद्यालय के हाई स्कूल स्तर में उच्चीकरण की मांग समय-समय पर की गयी है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय का उच्चीकरण सरकार इस सत्र से करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

राजकीय माध्यमिक विद्यालय अगासपुर की कक्षा 6 से 8 तक की छात्र संख्या निर्धारित मानकों से कम एवं विद्यालय से 10 कि0 मी0 की परिधि में एक हाई स्कूल व एक इन्टर कालेज का होना बतलाया गया है । ऐसी स्थिति में एवं सीमित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण उक्त विद्यालय का उच्चीकरण किया जाना सम्भव नहीं है ।

अल्मोड़ा जिले के राजकीय चिकित्सालय जलाली का भवन

142--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालय जलाली, जनपद अल्मोड़ा के भवन निर्माण हेतु शासन ने कोई धनराशि आवंटित की है ? क्या इस भवन का निर्माण इडा डिनूवा या तल्ली जलाली या

बयेडा बैंड पर किया जायेगा ? यदि हां, तो भवन निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी नहीं । अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

अल्मोड़ा जिले के भवनहीन कतिपय चिकित्सालय

143--श्री गोवर्द्धन तिवारी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को यह विदित है कि अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत निम्न एलोपैथिक चिकित्सालय किराए के ऐसे मकानों में स्थित हैं जो चिकित्सालय के लिए अनुपयुक्त हैं ? राजकीय टी० बी० क्लीनिक, अल्मोड़ा, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अल्मोड़ा, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, मनोली, ध्याड़ी, दन्या, पनुवानोला शहरफाटक, बारावकोट, बसौली, नैनी, रेवेती, असगोला, कफड़ा, कनारीछीना, मनेला तथा प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, भैंसियाछाना ? यदि हां, तो उनमें भवनों के बनाए जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हां, किन्तु स्थानाभाव के कारण उपयुक्त नहीं है ।

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत ऐसे चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण कार्य जिला सेक्टर योजना के अंग हैं । अतः इंगित परिव्यय के अन्तर्गत चालू योजनाओं के लिए धन का प्राविधान कर नए कार्यों के लिए अवशेष धनराशि में से जब तक जिला समिति द्वारा संस्तुति नहीं की जाती तब तक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देना व निर्माण सम्भव नहीं है ।

आजमगढ़ जिले के सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं का कार्य काल

144--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में सिंचाई विभाग में कौन-कौन से अवर अभियन्ता ऐसे हैं जो वहां 6 वर्ष से कार्यरत हैं ? इनमें कौन-कौन से ऐसे हैं जिन्हें जून, 1981 में स्थानान्तरित किया गया किन्तु इन्होंने सितम्बर, 1981 तक चार्ज नहीं छोड़ा और पुनः सितम्बर, 1981 व अक्तूबर, 1981 तक के लिए स्थानान्तरण स्थगित किया गया, किन्तु जुलाई, 1982 तक उन्होंने चार्ज नहीं दिया ? इस प्रकार के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

145--श्री धनीराम वर्मा--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरदोई जिले के ग्राम भरावन स्थित नाले की सफाई एवं पुल निर्माण की मांग

146--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई (ग्राम भरावन, तह० सन्डीला) में खेतहा तालाब से निकलने वाले नाले की सफाई विगत दस वर्षों से नहीं हुई है तथा अतरौली-भटपुर मार्ग पर दो पुलिया ग्राम भरावन के पास छोटी होने के कारण ग्राम भरावन (तह० सन्डीला, जनपद हरदोई) में जल-भराव से भारी क्षति हुई है ? यदि हां, तो उक्त नाले की सफाई तथा दोनों पुलिया कब तक बड़ी बना दी जायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

नाले को ठेठे आदि की सफाई का कार्य पिछली बार वर्ष 1983-84 में कराया गया है ।

उक्त स्थलों पर ट्यूब पाइप की पुलिया सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा डाली गई हैं । सार्वजनिक निर्माण विभाग से उक्त पुलियों की क्षमता बढ़ाने हेतु निवेदन किया जा रहा है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम चन्द्रावती में शारदा नहर के टूटने की कथित घटना

147--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चन्द्रावती, विकास खन्ड रानीपुर। जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक नहर के टूटने से किन-किन किसानों की कितनी-कितनी हानि हुई है और उन्हें उसके लिए कितना प्रतिकर दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम चन्द्रावती में शारदा सहायक नहर के टूटने से किसी किसान की कोई क्षति नहीं हुई है । अतः प्रतिकर देने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खन्ड के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु धनराशि का प्राविधान

148--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में अजमतगढ़ वि0 खन्ड में स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत कितनी धनराशि का प्राविधान वर्ष 1982-83 में किया गया था उसमें से कितनी धनराशि व्यय की गई तथा कितनी अप्रयुक्त रही ? निर्धारित लक्ष्य को पूरा न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ विकास खन्ड में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में रु0 6,20,500 का प्राविधान किया गया जिसमें से 1,95,638 की धनराशि व्यय की गई तथा 4,24,862 की धनराशि अप्रयुक्त रही । सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को शीघ्र कार्य करने हेतु निर्देशित करते हुए चेतावनी दी गई ।

आजमगढ़ जिले के विकास खन्ड अजमतगढ़ के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लिए स्वीकृत धनराशि

149--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ वि0 खन्ड में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में कितनी धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 1983-84 में किया गया है ? इसमें से कितनी धनराशि 15 दिसम्बर, 1983 तक व्यय की गई है तथा कितनी शेष है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वित्तीय वर्ष 1983-84 में आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खन्ड में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत रु0 5 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया । 15 दिसम्बर, 1983 तक उक्त धनराशि में से व्यय शून्य है । इस वर्ष का अब तक का व्यय गत वर्ष की अवशेष धनराशि से किया गया है ।

जालौन जिले के ग्राम गोहन के नाले की सफाई की मांग

150--श्री धनीराम वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जालौन जनपद में ग्राम गोहन से

कोई नाला निकाला गया है, जो यमुना नदी में जरागांव और जखा के पास गिरता है ? यदि हां, तो क्या इस नाले की कभी सफाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अतिशीघ्र इस नाले की सफाई करायेगी जिससे गोहन आदि अनेकों ग्रामों का बरसाती पानी निकल सके और काश्तकार अपने खेतों पर फसलें उगा सकें ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले के साहपुर खटकपुर बांध के कटने के सम्बन्ध में कथित शिकायती-पत्र

151--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में स्थित साहपुर खटकपुर बांध के कट जाने के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच की मांग प्रश्नकर्ता ने दि0 13-9-83 को अपने पत्र द्वारा की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र दिनांक 13-9-83 मुख्य अभियन्ता (गंडक), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । अतः मुख्य अभियन्ता (गन्डक) द्वारा उक्त पत्र पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

फिर भी, सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को निर्देश दे दिये गये हैं कि उक्त पत्र की एक प्रति प्राप्त करके उस पर अपनी आख्या शासन को शीघ्र प्रेषित करें ।

इटावा जिले की अनैहिया नदी को गहरा एवं चौड़ा करने की योजना

152--श्री धनीराम वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जनपद में बहने वाली अनैहिया नदी को गहरा और चौड़ा कराए जाने हेतु कार्य किया गया है ? यदि हां, तो किस वर्ष में और उस पर कितना रुपया व्यय किया गया है ? जिन काश्तकारों की भूमि खुदाई में ली गयी है, उन्हें मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अतिशीघ्र काश्तकारों को मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

अनैहिया नदी को गहरा व चौड़ा कराने का कार्य वर्ष 1881-82 से किया जा रहा है । परियोजना पर वर्षवार व्यय निम्न प्रकार है :--

वर्ष	व्यय	विवरण
1	2	3
1981-82	20·36 लाख रु0	इसमें 19·20 लाख रु0 भूमि के मुआवजे के लिए भूमि अध्याप्ति अधिकारी को दिए गए एवं शेष मिटटी का कार्य कराया गय ।
1982-83	3·17 लाख रु0	मिट्टी का कार्य किया गया ।

1	2	3
1983–84		इस वर्ष 10 लाख रुपया का आबंटन है । इसके विरुद्ध अब तक लगभग 4 लाख रुपये का मिट्टी का कार्य हो चुका है । कार्य प्रगति में है । भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है । औपचारिकतायें पूरी होते ही भूमि का मुआवजा बांट दिया जायेगा ।

इटावा जिले के औरैया निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण

153—श्री धनीराम वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा के औरैया निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1978 से 31 दिसम्बर, 1983 तक कितने-कितने नलकूप लगाए गए हैं और उनमें से कितने कार्यरत हो गए हैं ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में जितने नलकूप लगाए गये उनमें से 80 प्रतिशत अभी तक कार्यरत नहीं हैं ? क्या सरकार अतिशीघ्र उन्हें कार्यरत करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद इटावा के औरैया निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1978 से माह दिसम्बर, 83 तक 23 नलकूपों का छिद्रण किया गया । इनमें से 13 राजकीय नलकूप कार्यरत हैं ।

जी नहीं, केवल 10 राजकीय नलकूप अर्थात् 43·5% नलकूप कार्यरत नहीं हैं उनमें से 6 नलकूपों के वी० ऐन्ड एल० फार्म उर्जीकरण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को भेजे जा चुके हैं तथा शेष 4 नलकूपों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है । इन 10 नलकूपों के माह जून, 1984 तक उर्जीकृ होने की सम्भावना है ।

154—श्री हरगोविन्द वर्मा—

[दिनांक 6–3–84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 193 के द्वारा उत्तरित]

श्री उमेश चन्द्र सहायक अभियन्ता, ड्रेनेज प्रखन्ड, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती–पत्र

155—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 7–9–83 को एक शिकायती–पत्र श्री उमेश चन्द्र, सहायक अभियन्ता, ड्रेनेज प्रखन्ड, गोरखपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच के सन्दर्भ में दिया है ? यदि हां, तो क्या उन आरोपों की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

शिकायतों की जांच के आदेश मुख्य अभियन्ता (गन्डक) को दे दिये गये हैं ।

गोरखपुर जिले के श्री गंगा प्रसाद ग्राम प्रधान, ग्राम बहुआ चमेनिया का शिकायती-पत्र

156—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री गंगा प्रसाद मिश्रा, ग्राम प्रधान, बहुआ चमेनिया, विकास क्षेत्र गुगली, जनपद गोरखपुर के एक शिकायती-पत्र, जो प्रश्नकर्त्ता ने दि0 30-9-83 को उन्हें देकर श्री मिश्र द्वारा लगाए गये आरोपों की खुली जांच की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या उन आरोपों की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां । जांच में सभी आरोप निराधार पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़ी गुलजारी नाला, नानपुर नाला, अंगूठी नाले आदि का निर्माण

157—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा में नियम 301 के अन्तर्गत प्रश्नकर्त्ता के क्षेत्र के नालों का कार्य पूरा न कराए जाने के सम्बन्ध में सा0 नि0 मंत्री के पत्र संख्या अर्द्ध शा0 पत्र संख्या 5250-सी0/23 सा0 वि0 अनु0-1, दि0 24 सितम्बर, 1983 के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है ? अब तक कितने नाले पूरे कर लिए गये हैं और कितने शेष हैं ? शेष नाले कब तक पूरे कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विधान सभा के नियम 301 के अन्तर्गत उठाये गये प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता को उनके घर के पते पर दिनांक 21 जनवरी, 1984 को भेजा जा चुका है ।

सम्बन्धित 8 नालों में से 4 नालों—1—गढ़ी गुलजारी नाला, 2—नानपुर नाला, 3—अंगूठी नाला तथा 4—गढ़ी दौलता नाला का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है । पांचवें मिर्जापुर नाले का निर्माण कार्य आगामी वर्षा में पूर्व पूर्ण हो जायेगा ।

सहारा तथा खंड भगौड़ दो नालों का निर्माण कार्य कृषकों के विरोध के कारण भूमि उपलब्ध न होने से बीच में रुका है ।

भिडाकर नाले की योजना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गयी है । इस नाले का निर्माण अभिकरण से स्वीकृति एवं धनावंटन प्राप्त होने पर ही संभव हो सकेगा ।

मेरठ जिले के डिप्टी जेलर, स्व0 श्री खिलाड़ी सिंह वर्मा की हत्या के संदर्भ में कार्यवाही तथा उनके पुत्र की सेवा में नियुक्ति

158—श्री विजय सिंह राणा—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-4-83 को मेरठ में डिप्टी जेलर श्री खिलाड़ी सिंह वर्मा की हत्या के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उनके पुत्र को शासकीय सेवा में लिया गया है ? यदि हां, तो किस पुत्र को किस विभाग में और किस पद पर नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

डिप्टी जेलर श्री खिलाड़ी सिंह वर्मा की हत्या के संदर्भ में पुलिस विवेचना के उपरान्त अभियोग की कार्यवाही अब न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री खिलाड़ी सिंह वर्मा की मृत्यु के दिनांक 10 अप्रैल, 1983 तक का वेतन, महंगाई भत्ते एवं नकदीकरण का एरियर, सामूहिक बीमा की धनराशि, कल्याणकारी निधि के अनुदान तथा मृत्यु के दिन तक अवशेष अर्जित अवकाश के समतुल्य अवकाश वेतन का भुगतान उनकी पत्नी को कर दिया गया है ।

जी हां ।

स्व0 श्री वर्मा के पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह को कारागार विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है ।

इलाहाबाद के मेजा स्थित कताई मिल में लिपिक के पद पर मेजा निवासियों की नियुक्ति

159—श्री रेवतीरमण सिंह तथा श्री राम गोविन्द—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद इलाहाबाद मेजा की कताई मिल में जो भर्ती की जा रही है उसमें मेजा के कितने लोग क्लर्की में भर्ती किए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? कितने लोग क्लर्क एवं लेबर में अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं ? क्या उनका कोटा पूरा हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विकलांगों का कोटा पूरा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

एक अप्रेन्टिस क्लर्क मेजा निवासी है । क्लर्की में अनुसूचित जाति की संख्या एक है तथा जनजाति की संख्या शून्य है । लेबर में अनुसूचित जाति की संख्या 35 तथा जनजाति की संख्या 10 है । उक्त पदों पर आवश्यक योग्यता धारी व्यक्ति उपलब्ध न हो सकने के फलस्वरूप अभी उनका कोटा पूरा नहीं हुआ है । जी नहीं ।

160—श्री ऊदल—

[दिनांक 15-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 34 द्वारा उत्तरित ।]

सिंचाई सलाहकार समिति, वाराणसी की बैठक में दी गयी दरख्वास्त

161—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता0 2-11-83 को सिंचाई सलाहकार समिति, वाराणसी की बैठक में उक्त गांव के उप प्रधान एवं किसानों की कई दरख्वास्तें अपने पत्र के साथ अधिशासी अभियन्ता ट्यूबवेल, वाराणसी श्री डी0 एन0 सिंह को प्रश्नकर्त्ता ने दिया था ? यदि हां, तो इसकी जांच करायी गयी ? यदि नहीं, क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । इसकी जांच करायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जिले के ग्राम हमीरपुर के कतिपय किसानों की भूमि का बाबतपुर रजवाहा हेतु अधिग्रहण एवं मुआवजा

162—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव हमीरपुर, परगना कोल असला, तह0 व जिला वाराणसी में काश्तकारों को क्रमशः शिवदुलारे पुत्र भगवान दास, महेन्द्र लाल पुत्र भगौती प्रसाद, मनमोहन लाल पुत्र सुखनन्दन लाल, तुलसी पुत्र शिवचरन, दल्लू पुत्र सोमारु, मुन्नी लाल वगैरह पुत्र मटरू, मंगल पुत्र होरी लाल, बंशनारायण पुत्र रामलखन, राजनाथ पुत्र रामलखन, बंश नारायण पुत्र बद्री, श्याम शंकर पुत्र गोपी वगैरह के क्रमशः चक नं0 313, 208, 91, 99, 218, 379, 143, 227, 151 व 309 की भूमि 38 खंड शारदा सहायक, बाबतपुर रजवाहा, जौनपुर ने नहर की खुदाई हेतु सन् 78 में ही लेकर खोद दिया और उसकी फसल को भी उजाड़ दिया

था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त किसानों की जितनी भूमि नहर के लिए ले ली गयी उसकी आधी जमीन का ही मुआवजा दिया गया और आधी जमीन एवं फसल का मुआवजा पांच वर्ष से ज्यादा व्यतीत हो जाने पर भी न देने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

163--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चक नं0 313 से 93 डि0 व 208 से 48 डि0, 379 से 52 डि0 रकबा नहर में गया है और इसी तरह से उपरोक्त सभी किसानों का लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि क्रमशः 93 डी0 की जगह 55 डि0, 48 डि0 की जगह 24 डि0 52 डि0 की जगह 26 डि0 का ही मुआवजा दिया गया है ? क्या सरकार ने जमीन की माप कराकर लिया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी पैमाइश करके मुआवजा तुरन्त देगी ? क्या यह भी सही है किसानों की मालगुजारी भी नहीं काटी गई है क्या इसकी भी जांच की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टिहरी बांध के निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गयी बैठक की रिपोर्ट

164--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मन्त्री की पहल पर तथा वैज्ञानिकों की समिति की रिपोर्ट मिलने के उपरान्त केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को अभी हाल ही में टिहरी बांध के निर्माण के सम्बन्ध में कोई वैकल्पिक सुझाव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कब ? क्या इन सुझावों में टिहरी बांध के द्वारा सम्भावित पर्यावरण की क्षति तथा नगरीय तथा देहाती क्षेत्रों में विस्थापितों को भारी संख्या में बसाए जाने की दुरूह समस्या को ध्यान में रखते हुए भीलांगनी नदी पर पिलखी में तथा भगीरथी नदी पर छाम में छोटे-छोटे बांध बनाए जाने का सुझाव भी सम्मिलित है ? यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं और उनके सम्बन्ध में शासन की ओर से कब तक निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भारत सरकार ने दिनांक 4 अगस्त, 1982 को एक बैठक हुई, जिसमें टिहरी बांध के अन्य विकल्पों जैसे भागीरथी एवं भिलंगना पर अलग-अलग बांधों को बनाया जाना, वर्तमान बांध की ऊंचाई कम करना अथवा रन-आफ-रिवर स्कीम द्वारा लाभ प्राप्त करना, आदि पर अध्ययन किये जाने का निर्णय लिया गया था । तत्पश्चात् वांछित अध्ययन के उपरान्त भारत सरकार में उपरोक्त सभी विकल्पों पर विचार किया गया । विशेषज्ञों की राय कास्ट बेनीफिट रेसियों आदि के ऊपर विचार-विमर्श के बाद पाया गया कि तकनीकी, आर्थिक एवं लाभ हित दृष्टिकोण से टिहरी बांध का वर्तमान स्वरुप ही श्रेष्ठतम है ।

कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ में मुख्य अभियन्ताओं से सम्बद्ध आशुलिपिकों का वेतनमान

165--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में मुख्य अभियन्ता से सम्बद्ध आशुलिपिक के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद आशुलिपिकों की वरिष्ठता के आधार पर अब तक भरे गये हैं ? कितने पद ऐसे हैं जिन पर ज्येष्ठ आशुलिपिक कार्यरत हैं जिन्हें वेतनमान 515-860 नहीं दिया जा रहा है ? उन्हें मुख्य अभियन्ता स्तर का वेतनमान न दिए जाने का क्या कारण है जबकि उक्त सभी पद 515-860 वेतनमान के हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुख्य अभियन्ताओं से सम्बद्ध 35 आशुलिपिकों के पद स्वीकृत हैं, जो सभी भरे हैं।

मुख्य अभियन्ता से सम्बद्ध कोई पद ऐसा नहीं है जिस पर ज्येष्ठ आशुलिपिक कार्यरत हो और उसे 515–860 का वेतनमान न दिया जा रहा हो। मुख्य अभियन्ताओं से सम्बद्ध कुछ आशुलिपिकों को वेतनमान 570–1100 इस कारण नहीं दिया गया है चूंकि वे ज्येष्ठता क्रम में नीचे आते हैं।

फैजाबाद जिले में शारदा सहायक की केशवपुर ड्रेन का निर्माण एवं भूमि का अधिग्रहण

166—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद, ब्लाक टाण्डा के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड–43 फै0 द्वारा केशवपुर ड्रेन निर्माण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो अब तक भूमि अर्जन से सम्बन्धित कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

धारा 4(1) व 6(1) का प्रकाशन पूर्ण हो चुका है। गोवर्धनपुर विरसिंह एवं केशवपुर ग्राम का अधिकार पत्र दिनांक 5–8–1683, 29–7–1983 एवं 4–8–1983 को प्राप्त किया जा चुका है। केवल ग्राम गुवांव बिलवारी का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है।

अल्मोड़ा जिले के कतिपय राजकीय इण्टर कालेजों में विज्ञान विषय खोले जाने की मांग

167—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के राजकीय इण्टर कालेज, मासी, राजकीय इण्टर कालेज, स्याल्दे, रा0 इं0 कालेज उत्तम झांसी, रा0 इं0 कालेज कुनिला खेत में जनता द्वारा विज्ञान विषय खोलने की मांग प्रान्तीयकरण के पश्चात् से ही रही है? उक्त विद्यालयों में अब तक विज्ञान विषय न खोलने का क्या कारण है? क्या सरकार शीघ्र उक्त कालेजों में विज्ञान विषय खोलेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

राजकीय इण्टर कालेज उत्तरकाशी में विज्ञान विषय समावेश करने हेतु शासन को प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 82–83 में प्राप्त हुआ था किन्तु हाई स्कूल परीक्षा में विज्ञान विषय अनिवार्य कर दिये जाने के कारण हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान विषय खोले जाने की प्राथमिकता दिये जाने का निर्णय वित्तीय वर्ष 1982–83 में लिये जाने के परिणामस्वरूप उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना सम्भव न हो सका था। कालेज द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में विज्ञान विषय का समावेश का कोई आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण शिक्षा निदेशक द्वारा इस सम्बन्ध में इस वर्ष कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

राजकीय इण्टर कालेज, मासी तथा स्याल्दे में इण्टर स्तर पर एवं राजकीय इण्टर कालेज कुनैलाखेत में हाई स्कूल पर विज्ञान विषय खोलने का प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष म शिक्षा निदेशक से प्राप्त हुआ है जिस पर निर्णय यथाशीघ्र ले लिया जायेगा।

अल्मोड़ा जिले के जूनियर हाई स्कूल, भौनरवाल के भवन निर्माण की मांग

168—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हाई स्कूल भौन खाल, जनपद अल्मोड़ा का प्रान्तीय–

करण किस वर्ष हुआ है और भवन निर्माण हेतु अब तक कितनी धनराशि दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जू0 हा0 भौनखाल जनपद अल्मोड़ा को वर्ष 1979–80 में प्रान्तीयकृत तथा वर्ष 1980–81 में हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकृत किया गया है। अभी तक अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण हेतु 30,000 रु0 तथा भवन मरम्मत हेतु लगभग 20,000 रु0 स्वीकृत हुआ है। सम्प्रति नये भवनों के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय कठिनाइयों के कारण न दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

आर्य इन्टर कालेज, देघाट जिला अल्मोड़ा को अंग्रेजी एवं इतिहास विषय की मान्यता दिये जाने की मांग

169—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य इन्टर कालेज, देघाट, जनपद अल्मोड़ा द्वारा अंग्रेजी विषय की इन्टर में मान्यता प्राप्त करने हेतु कितने वर्षों से आवेदन-पत्र भरा जा रहा है और अब तक मान्यता न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार क्षेत्रीय जनता की मांग को देखते हुए उपरोक्त विद्यालय में अंग्रेजी विषय की मान्यता तत्काल देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

कालेज द्वारा वर्ष 1979 की परीक्षा से इण्टर स्तर पर साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय अंग्रेजी एवं इतिहास की मान्यता हेतु आवेदन किया गया था और उक्त विषयों में कक्षा संचालन की अनुमति भी दे दी गयी थी। किन्तु दो वर्ष तक कालेज द्वारा कक्षायें संचालित न किये जाने के कारण उक्त मान्यता स्वतः समाप्त हो गयी। कालेज ने पुनः वर्ष 1985 की परीक्षा से उक्त दोनों विषयों की मान्यता हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद् को आवेदन-पत्र दिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अन्तर्गत विचार किया जायेगा।

देहरादून के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोईवाला की एक्सरे मशीन

170—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोईवाला के लिये एक्सरे मशीन क्रय की गयी है ? यदि हां, तो इस मशीन ने कार्य करना शुरू कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हां। एक्सरे मशीन क्रय कर ली गई है तथा उसके लिये विद्युत आपूर्ति की वायर भी करा ली गई है व मशीन लग भी गई है। किन्तु फर्म ने अभी इसे चालू नहीं किया है।

झांसी जिले में बेतवा एवं धसान नदियों की बाढ़

171—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1983 में झांसी जनपद में जल प्रवाह एवं जल स्तर प्रति वर्ष की भांति होने के बावजूद बाढ़ से अप्रत्याशित क्षति हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा इसके लिये कौन दोषी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, झांसी जनपद में बेतवा एवं धसान नदियों में इस शताब्दी की अधिकतम भीषण बाढ़ दिनांक 9 एवं 10 सितम्बर, 1983 में अप्रत्याशित रूप से आई तथा इनका जल प्रवाह, जल स्तर गत वर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक रहा।

बाढ़ दैवी आपदा है तथा इसके कारणों की जांच हेतु शासन द्वारा एक समिति गठित की जा चुकी है।

बुन्देलखंड म बाढ़ नियंत्रण कार्य

172—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बुन्देलखंड में बाढ़ नियन्त्रण के लिये सरकार क्या-क्या उपाय कर रही है ? बाढ़ में आने वाले अतिरिक्त जल को एकत्रित करके सिंचाई के रूप में प्रयोग करने के सम्बन्ध में क्या कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन हैं ।

श्री बीर बहादुर सिंह—

बुन्देलखंड में बाढ़ नियंत्रण के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

1—बेतवा नदी पर माताटीला बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में वायरलेस सचार व्यवस्था की स्थापना ।

2—हमीरपुर शहर को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के निमित्त योजना तैयार करने हेतु एक समिति का गठन ।

3—बांदा शहर को बाढ़ से बचाने हेतु निम्नो नाले की योजना बनाई गयी है ।

4—भीषण बाढ़ के अतिरिक्त जल को सिंचाई हेतु जलाशय में एकत्रित करना संभव नहीं है । सिंचाई हेतु जलाशयों में केवल साधारण वर्ष में मिलने वाले पानी को ही एकत्रित किया जाता है । बेतवा नदी पर राजघाट एवं माताटीला बाँधों के मध्य में घुरवारा स्थान पर एक ऐसे जलाशय का सर्वेक्षण प्रस्तावित है ।

सुल्तानपुर जिले के विकास खंड, दुबेपुर व कुड़वार में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना को लागू किये जाने की मांग

176—श्री मुईद अहमद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खंड दुबेपुर व कुड़वार म स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना लागू नहीं है जब कि योजना लागू लिये जाने के जो मानक हैं उसके अन्तर्गत यह दोनों विकास खंड आते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दूबेपुर व कुड़वार विकास खंडों में स्पेशल कम्पोनेन्ट की योजना लागू करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना पूरे प्रदेश में लागू है । इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सघनीकृत विकास कार्यक्रमों के लिये जो विकास खंड चुने गये हैं उनमें विकास खंड दूबेपुर और कुड़वार नहीं हैं क्योंकि सघनीकृत विकास खंडों के चयन हेतु जो मानक निर्धारित हैं उनके अन्तर्गत उपरोक्त दोनों विकास खंड नहीं आते हैं । दुबेपुर व कुड़वार विकास खंडों में स्पेशल कम्पोनेन्ट की योजना लागू करने पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जायेगा ।

राजकीय इन्टर कालेज, जैरासो, जिला अल्मोड़ा के इन्टर कालेज में कला विषय की मान्यता दिये जाने की मांग

174—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, जैरासो, जनपद अल्मोड़ा में इन्टर वर्ग में कला विषय नहीं है ? क्षेत्रीय जनता की मांग को देखते हुए क्या सरकार कला विषय खोलने को स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हां । विद्यालय में इन्टर स्तर पर साहित्यिक वर्ग न होने के कारण कला विषय खोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

चमोली जिले के विकास खंड घाट तथा देवल के लिए कर्मचारियों के स्वीकृत पद

175--श्री कुंवर सिंह नेगी--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 99 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में खोले गये नये विकास खंड घाट तथा देवल में शासन द्वारा कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत किये गये हैं और स्वीकृत शुदा पदों में से कितनों पर नियुक्तियां कर दी गयी हैं ? अभी तक कितने पद रिक्त पड़े हैं और सभी पदों पर कब नियुक्तियां हो जायेंगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

नवसृजित विकास खंड घाट तथा देवल में शासनादेश संख्या यू0 ओ0 74/20-9-80, दिनांक 2 मई, 1980, संख्या 1571/20-8-80, दिनांक 26 मई, 1980 तथा संख्या 4403/20-8-3 (2-सामु0)-80, दिनांक 12 नवम्बर, 1981 के द्वारा प्रत्येक विकास खंड के लिए अभी तक निम्न पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है--

पद नाम	पद संख्या (प्रति विकास खंड)
1	2
1--खंड विकास अधिकारी	1
2--सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	1
3--आंकिक	1
4--सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई)	1
5--सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	1
6--सहायक विकास अधिकारी (वन)	1
7--टंकक	1
8--चपरासी/संदेश वाहक	1
9--ग्राम विकास अधिकारी	8

उक्त नवसृजित विकास खंड घाट एवं देवल में शासन द्वारा सृजित उक्त सभी पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले से इटौवा बांध को काटे जाने के फलस्वरूप फसल को हुई क्षति

176--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर जनपद के इटौवा बांध को विभागीय जे0 ई0 द्वारा इस साल की आयी बाढ़ में कटवाने के कारण कई लाख एकड़ खड़ी फसल की क्षति हुई जिसके सन्दर्भ में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 9-10-82 को उन्हें लिखा था, जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपके पत्र दिनांक 29-11-82 द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना अभी एकत्रित की जा रही है ।

नौगढ़ पम्प नहर से ग्राम कोविलवां को पानी न मिलने के सम्बन्ध में पत्र

177--श्री राम चरण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 19-8-83 जो नौगढ़ पम्प नहर से कोविलवां ग्रामवासियों को पानी न मिलने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर जिले के ग्राम समसपुर की सिंचाई हेतु लिफ्ट कैनाल के निर्माण की मांग

178—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 6—8—83 जो ग्राम समसपुर, विकास खंड नरायनपुर, जनपद मिर्जापुर में सिंचाई हेतु गंगा नदी से लिफ्ट कैनाल के निर्माण के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मंतू प्रसाद, रोडवेज बस स्टेशन सिसवा बाजार, गोरखपुर प्रत्यावेदन

179—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मंतू प्रसाद, रोडवेज बस स्टेशन सिसवा बाजार, गोरखपुर के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक रहित जिसको प्राप्ति मंत्री जी ने अपने पत्र संख्या 4832 वी0 आई0 पी0/83 विधान भवन, लखनऊ दिनांक 10—83 द्वारा किया है एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम, लखनऊ के पास भेजा है, के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्री मंतू प्रसाद के प्रश्नगत प्रत्यावेदन पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर ने जांच की थी और जांच परिणाम से माननीय विधायक महोदय को पत्र दिनांक 29—9—83 को अवगत करा दिया है ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री राजाराम शास्त्री के निधन पर शोकोद्गार

(12 बजकर 19 मिनट पर)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, यह आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधान सभा, विधान परिषद् और लोकदल के भूतपूर्व सदस्य माननीय श्री राजा राम शास्त्री का 2 मार्च, 1984 को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गयी । उसका जन्म इटावा में 3 सितम्बर, 1905 को हुआ था । उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा इटावा में प्राप्त की और उसके बाद वह काशी विद्यापीठ गये । और वहां से 1926 में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की । 1937 में वह पहली बार विधान सभा सदस्य चुनकर इस सदन के सदस्य हुए । फिर 1946 से 1952 तक विधान सभा के सदस्य रहे । 1952 से 1954 और उसके बाद 1958 में वह परिषद् में रहे 1955 में वह कानपुर से उपचुनाव में लोकसभा के सदस्य के रूप में भी चुने गये । इस तरह से उनका विधान सभा से शुरू होकर विधान परिषद् और लोक सभा तक उनका राजनैतिक जीवन पहुंचा । यही नहीं उन्होंने श्रमिक क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य किया और वहां पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे । उसके बाद विधान परिषद् में विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष भी वह रहे । यहां पर अधिष्ठाता मंडल में रहे । इस तरह उन्होंने अपना सारा जीवन राजनैतिक कार्यों में और जनसेवा में लगाया । अमर शहीद भगत सिंह के साथ लाहौर नौजवान भारत सभा में भी उन्होंने भाग लिया और कार्य किया और 1930 के सत्याग्रह में उनको दो वर्ष की सजा दी गई लेकिन बाद में उन्हें गांधी-इरविन समझौते के कारण छोड़ दिया गया ।

*वक्ताने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शास्त्री जी बहुत बड़े समाज सुधारक और समाज सेवी रहे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। विभिन्न ट्रेड यूनियनों का उन्होंने गठन किया था। ट्रेडयूनियन और श्रमिकों की जो सेवा है वह उसे अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक करते रहे। श्रीमन्, यदि आप विधान सभा और विधान परिषद् का कार्यवाही देखें तो उनके सक्रिय योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे लोगों की कमी को पूरा करना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका बताया हुआ रास्ता और आदर्श जीवन तथा संग्राम में जो योगदान दिया है वह हमारे सामने है। जब हम उनको याद करते हैं तो उनकी तमामें कुरबानियां हमें याद आती हैं तथा उनके जाने के कारण हमने एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नेता, कुशल पार्लियामेन्टरियन तथा सब से बढ़ कर एक मनुष्य को हमने खो दिया है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा आप हमारे दल और हम सब लोगों की संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट कर।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

स्वर्गीय श्री राजा राम शास्त्री के निधन के संबंध में जो विचार माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को, सम्बद्ध करता हूं। वैसे जो इस संसार में हैं और हम में से प्रत्येक को एक दिन जाना है, लेकिन एक चिन्ता और दुख की बात है कि हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग हमारे बीच से धीरे-धीरे जा रहे हैं जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई में और समाज सुधार के कार्यों म सारे देश की अगुवाई की थी और हमें प्रेरणा दी थी। उनके रूप में एक बहुत बड़ा समाजसेवी, कुशल राजनीतिज्ञ और चिन्तक हमारे देश से चला गया। बचपन से वह यहां आए और वह आजदी की लड़ाई में तथा पूज्य बापू के सत्याग्रह आन्दोलन में बराबर भाग लेते रहे। बाद में उन्होंने अपने लिए मजदूर क्षेत्र को चुना और न जाने कितनी यूनियनों का उन्होंने संगठन किया और फिर मजदूर हितों की रक्षा के लिए भी वह अनेक बार जेल गये। कुल मिला कर उनका जीवन आदर्श, त्याग और समाज सेवा का जीवन रहा है। उनके रहने से देश और समाज में एक रिक्तता और अभाव पैदा हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह हमें और उनके परिवार को दुख और क्षति को सहन करने की शक्ति दे, और अपने दल की ओर से अपनी श्रद्धांजलि को अर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे दल के विचार और हमारे शोक संवेदना के शब्द उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम गोबिन्द--

श्रीमन्, स्वर्गीय राजा राम शास्त्री के प्रति जो संवेदना के शब्द उप नेता सदन और उप नेता विरोधी दल ने व्यक्त किया है, उससे मैं अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी तरफ से संवेदनायें भेजने का कष्ट करें।

*श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, स्वर्गीय राजाराम शास्त्री जी के निधन के संबंध में माननीय नेता सदन की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने, तथा उपनेता विरोधी दल ने, तथा दूसरे माननीय नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। शास्त्री जी विधान परिषद् में मेरे साथ सदस्य रहे थे। वे एक अच्छे उच्च कोटि के पार्लियामेन्टेरियन थे। गरीबों असहाय और शोषित जनता के वे सच्चे प्रतिनिधि थे। उनका सही प्रतिनिधित्व वे यहां सदन में करते थे। उनके जीवन और उनकी कार्य प्रणाली से हमें शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार गरीबों की सेवा करनी चाहिये। जिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकार से उन्होंने ट्रेड यूनियनों तथा शिक्षा संस्थानों में काम किया है वह एक सराहनीय है और हमारे लिये मार्ग दर्शक है। आपसे प्रार्थना है कि आप उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, विरोधी दल के माननीय उप नेता तथा अन्य नेताओं ने जो शोकोद्गार स्वर्गीय श्री राजराम शास्त्री जी के संबंध में व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री शास्त्री जी के कर्मठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विद्वान शिक्षाविद्, गरीबों और श्रमिकों के शुभ चिन्तक थे। उन्होंने अपने लम्बे प्रशंसनीय राजनैतिक जीवन में हमेशा निर्बल वर्ग की हिमायत की और सेवा करते रहे। मेरा अनुरोध है कि आप हमारी तथा हमारे दल की संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार को भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा अन्य माननीय नेताओं ने स्वर्गीय श्री राजराम शास्त्री जी के विषय में जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। जहां तक शास्त्री जी का संबंध है, पुरानी पीढ़ी के लोग जानते हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है कि वे कितने प्रेम के साथ गरीबों और श्रमिकों तथा हरिजनों का काम करते थे। उनके आन्दोलनों में भाग लेते थे और उनकी समस्याओं को यहां सदन में उठाते थे। इसके अलावा शिक्षा जगत में भी उनके कार्य बड़े ही सराहनीय रहे हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो सदा हमको प्रेरणा देता रहेगा।

वर्ष 1921 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और सर्वेंटस आफ दी पीपुल सोसाइटी में सम्मिलित होकर उसके आजीवन सदस्य रहे। उसके बाद 1926 से लेकर जितने भी कांग्रेस के आन्दोलन हुए उसमें उन्होंने भाग लिया। बहुत से लोग उनके शिष्य रहे हैं मैं भी उनका शिष्य रहा हूं, वे सभी जानते हैं कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हरिजनों की समस्यायें हों, चाहे श्रमिकों का मामला हो, हर क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय कार्य किये हैं और जो लोग उनके नजदीक रहे हैं उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। जो भावनायें यहां सदन में व्यक्त की गयी हैं मैं उनके संतप्त परिवार तक भिजवा दूंगा। अब हम उनकी आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन धारण करेंगे,

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थानों पर मौन खड़े हुए।)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

क्या है ?

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो अतारांकित प्रश्न हैं हमको उन पर उन अनुपूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है और न पूछ पाते हैं। इसलिये जो प्रश्न अतारांकित कर दिये जाते हैं उस पर शासन के जो मंत्री हैं जैसा चाहते हैं उल्टा सीधा उत्तर देते हैं। उसमें वह यह देखने का प्रयास नहीं करते हैं कि वह उत्तर सही है या गलत है और क्या संगत है या विसंगत है। मैं उदाहरण के रूप में अपने कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, चौथे मंगलवार के लिये मेरा एक प्रश्न संख्या 177 है। इसमें कहा गया है कि एक बस को टक्कर एक व्यक्ति को लगी जिससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह मर गया । थाना रकाबगंज, आगरा की यह घटना है। पुलिस वालों ने ड्राइवर को अरेस्ट नहीं किया और 10 हजार रुपया रिश्वत लेकर छोड़ दिया । बस मौके पर पकड़ी गयी थी तो पहले ड्राइवर को अरेस्ट किया जाना चाहिये था उसके बाद बस छोड़नी चाहिये थी । थाने वालों ने पैसा लेकर ड्राइवर को छोड़ दिया ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो प्रश्न नहीं लिखा है ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, इसमें है । बस के मालिक ने बाद में एक मरे हुये ड्राइवर का नाम लिख दिया और केस खत्म करवा दिया और फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है । मान्यवर, दूसरा प्रश्न मेरा आज का अतारांकित प्रश्न संख्या 116 है । यह माननीय परिवहन मंत्री जी से संबंधित है । मेरा प्रश्न यह है कि परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करें कि आगरा बिचपुरी मार्ग पर रोडवेज की बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं तो कितनी बसों के प्राइवेट परमिट दिये गये हैं तो इसमें कहा गया है, प्रश्न के पहले 2 खंडों का उत्तर दिया गया है कि 'जी नहीं' 'प्रश्न नहीं उठता' । तीसरे खंड के बारे में कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है । तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । अनुपूरक प्रश्न में इस पर पूछ नहीं सकता हूं । उत्तर आ रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो यह क्या उत्तर हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय किरन पाल, जरा इनको बता दीजिये कि अतारांकित प्रश्नों को दोबारा पूछने के लिये क्या नियम और परिपाटी है ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, यह जो उत्तर आया है यह तो कोई उत्तर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

नियम 38 (2) को देखें । दोबारा आता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह मान्यवर, 38 (2) के अन्दर ही आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं तो उनका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर पूरा आना चाहिये और सही आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी बात सुनी । जहां तक प्रश्नों का सम्बन्ध है उसके लिये नियमावली बनी है । अगर किसी अतारांकित प्रश्न का उत्तर आपकी निगाह में गलत है तो आप उसके संदर्भ में और प्रश्न पूछ सकते हैं । दिन प्रति दिन ही इस तरह के प्रश्न आते हैं जिनके संदर्भ में यह होता है कि अमुक अतारांकित प्रश्न संख्या के संदर्भ में सरकार क्या बताने की कृपा करेगी । तो यह आपको अधिकार है । माननीय सदस्य दोबारा पूछ सकते हैं । अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो चर्चा कराने की मांग कर सकते हैं । वैसे जो आपने कहा है मैं उसकी कार्यवाही को देखूंगा और मैं उनको निर्देशित कर दूंगा वह इसको देख लेंगे ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, मेरा यह पृष्ठ 26 पर अतारांकित प्रश्न संख्या 164, यह मान्यवर, मेरे हिसाब से तारांकित होना चाहिए था, लेकिन श्रीमान ने इसे अतारांकित किया और इसका जवाब

बहुत ही बेढंगा आया । मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री की पहल पर तथा वैज्ञानिकों की समिति की रिपोर्ट मिलने के उपरान्त केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को अभी हाल ही में टिहरी बांध के निर्माण के सम्बन्ध में कोई वैकल्पिक सुझाव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कब ? क्या इन सुझावों में टिहरी बांध के द्वारा सम्भावित पर्यावरण की क्षति तथा नागरीय तथा देहाती क्षेत्रों में विस्थापितों को भारी संख्या में बसाए जाने की दुरुह समस्या को ध्यान में रखते हुए मीलांगनी नदी पर पिलखी में तथा भगीरथी नदी पर छाप में छोटे-छोटे बांध बनाए जाने का सुझाव भी सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं और उनके सम्बन्ध में शासन की ओर से कब तक निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है ?"

अब श्रीमन्, दिसम्बर, 1983 की 31 तारीख में मैंने सवाल किया था, तीन महीने के बाद यह मेरा प्रश्न श्रीमन् के सम्मुख आ पाया और उसमें जो उत्तर आया है, वह यह है कि "भारत सरकार में दिनांक 4 अगस्त, 1982 की एक बैठक हुई, जिसमें टिहरी बांध के अन्य विकल्पों जैसे भागीरथी एवं मिलंगना पर अलग-अलग बांधों को बनाया जाना, वर्तमान बांध की ऊंचाई कम करना अथवा रन-आफ-रीवर स्कीम द्वारा लाभ प्राप्त करना, आदि पर अध्ययन किये जाने का निर्णय लिया गया था । तत्पश्चात् वांछित अध्ययन के उपरान्त भारत सरकार ने उपरोक्त सभी विकल्पों पर विचार किया गया । विशेषज्ञों की राय, कास्ट बेनीफिट रेशियो आदि के ऊपर विचार-विमर्श के बाद पाया गया कि तकनीकी, आर्थिक एवं लाभ हित दृष्टिकोण से टिहरी बांध का वर्तमान स्वरूप ही श्रेष्ठतम है ।

मान्यवर, मैंने पूछा था कि आज के प्रश्न की तिथि तक आपके पास केन्द्रीय सरकार के नियोजन विभाग का कोई वैकल्पिक सुझाव टिहरी बांध बनाने का है । तो उन्होंने उत्तर में मान्यवर, कहा कि "टिहरी बांध का वर्तमान स्वरूप ही श्रेष्ठतम है ! मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा था, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । उनके पास कोई सुझाव हो, तो बतायें और नहीं है, तो वह बतावें, क्योंकि अपनी अकल कोठरी में बन्द करके यह सरकार जो चाहे वह निर्णय ले लें । भारत सरकार क्या कह रही है ' मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं । श्रीमन्, इस तरह के प्रश्नों के सम्बन्ध में निदेश दें कि हमको सही-सही उत्तर दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

जो कुछ माननीय विद्या सागर नौटियाल जी ने कहा है, उसको मैं जो माननीय मंत्री जी इससे सम्बन्धित हैं, उनके पास भेज दूंगा । लेकिन वही नियम लागू होता है जो अभी माननीय विजय सिंह राना के बारे में मैंने कहा है, अतारांकित प्रश्नों के बारे में वही अधिकार आपको भी प्राप्त है कि आप उससे सन्दर्भ से पुनः पूछ सकते हैं । मैं चाहता हूं कि अतारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ किया जाय, लेकिन उसका निर्णय अभी नहीं हो सका है । अतारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध म क्या किया जाय, उतना ही खर्च होता है, पैसा उतना ही खर्च होता है, सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है । यह मेरे विचाराधीन है । मैं इसके बारे में माननीय नेताओं से बातचीत करने के बाद निर्णय लूंगा ।

माधोगंज (हरदोई) में पशुचिकित्सक डाक्टर मिश्रा की हत्या एवं पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं आज प्राप्त हुई, जिनमें से मैंने 7

सूचनाएं माननीय राम आसरे वर्मा, माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री, माननीय राम स्वरूप निम, माननीय सूबेदार सिंह, माननीय किरन पाल सिंह, माननीय गौरी शंकर भैय्या तथा माननीय शंकर सिंह की स्वीकार की हैं, बाकी को अस्वीकार किया है ।

*श्री राम आसरे वर्मा--

जनपद हरदोई के माधोगंज कस्बे में 29 फरवरी को रात में एक पशु चिकित्साधिकारी, डाक्टर मिश्रा की हत्या हो गयी, उनकी पत्नी को मरणासन्न स्थिति में पहुंचाकर बेहोशी की हालत में छोड़ा गया जिसे एक सप्ताह के बाद तक होश नहीं आया । इस जघन्य कांड से जनपद के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में आतंक एवं असुरक्षा व्याप्त हो गयी तथा जनता में भी भय का वातावरण पैदा हो गया । अपराधियों का पता न लगने से स्थिति और भी भयावह बन गयी थी । किन्तु कल 5 मार्च को पुलिस सब-इन्पेक्टर बी0 एन0 चतुर्वेदी, यू0 पी0 सिंह सेंगर एवं उनके अन्य सहयोगी पुलिस कर्मियों ने उक्त जघन्य कांड पर से पर्दा हटा दिया और अपराधियों को गिरफ्त में ले लिया । जिससे पूरे जनपद, विशेषकर हमारे क्षेत्र में हर्षोल्लाल की लहर दौड़ गयी ।

लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत कराते हुए उक्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को पुरस्कृत किये जाने की शासन से मांग करता हूं ।

प्रदेश में कुकिंग गैस सिलेन्डर के अभाव से नागरिकों में असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं प्रदेश की अति लोक महत्व की सूचना आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । प्रदेश में कुकिंग गैस सिलेण्डर जनता को प्राप्त न होने से संकट उत्पन्न हो गया है । प्रदेश के कुछ जनपदों में कुकिंग गैस सिलेण्डर अपनी दुगुनी कीमत पर एजेन्सी की दुकानों द्वारा प्राप्त होते हैं । कई नगरों में विशेषकर झांसी के 2-3 महीने पश्चात् भी वितरण द्वारा सिलेण्डर नहीं दिये जाते हैं । प्रदेश में जलाऊ लकड़ी दिन प्रति दिन मंहगी होती जा रही है । आज शहरी क्षेत्रों में कुकिंग गैस सिलेंण्डर से जनजीवन प्रभावित है । शासन का नियंत्रण लाइसेन्स धारकों पर नहीं है । जिलाधीश झांसी ने पिछले सप्ताह वितरक की जांच करनी चाही तो वितरक ने जांच करने से मना कर दिया और मनमाने ढंग से बेचने पर उतारू हैं ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि कुकिंग गैस सिलेण्डर की वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके इस प्रकार की आवश्यक व्यवस्था तुरन्त की जाय ।

कुकिंग गैस सिलेण्डर का अभाव होली के त्योहार से पूर्व दूर किया जाय ताकि जनता को कुकिंग गैस आसानी से प्राप्त हो सके ।

ग्राम धूर खेत (उन्नाव) के पास नहर का पानी निकालने वाले नाले को बसहा झील में मिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप निम--

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खंड, बिछिया के ग्राम धरखेत से बसहा झील है जो कि जनपद की सबसे बड़ी झील है । इस झील का पानी निकलवाने के लिए सिंचाई विभाग ग्राम तौरा होते हुए ग्राम जगेथा तथा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण

भटखेरवा के बीच लोन नदी में एक नाला बनाने हेतु सर्वे करा लिया है। इस नाले के निकलने से सैकड़ों एकड़ जमीन नाले में तो चली ही जायेगी लेकिन उसके आसपास की भूमि सीपेज से हमेशा जलमग्न रहेगी और कुछ भी पैदा नहीं होगा। इसमें हरिजनों तथा जिनके पास कम जमीन है ज्यादातर यही लोग प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम घूरखेत के पास नहर का पानी समय-समय पर निकालने के लिए एक नाला बना हुआ है जो उपरोक्त नदी से मिला है। इससे नाले को गहराकर बसहा झील से यदि मिला दिया जाय तो निश्चित ही इस बसहा झील का पानी निकल जायेगा और सरकार का व्यय भार बहुत अधिक कम पड़ जायेगा और उपरोक्त गांवों के लोग तबाही से बच जायेंगे। यदि ऐसा न किया गया तो निश्चित ही बरसात के दिनों में ग्राम तौरा, नौगवां तथा जगेथा के सैकड़ों लोग बेघरबार हो जायेंगे। इससे किसानों, हरिजनों मजदूरों तथा गरीबों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब इस नाले को रोककर सिंचाई विभाग द्वारा बने नाले में बसहा झील को मिला दिया जाय ताकि गरीबों की जमीनें बच जायें तथा सरकारी कार्य में बाधा न आये।

राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्व0 जगमोहन लाल की सीलिंग ऐक्ट में निकली भूमि को अवैध रूप से श्रीमती अनीला देवी के नाम किये जाने की साजिश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सूबेदार सिंह—

मैं आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि एटा जनपद की सदर तहसील, परगना मारहरा के ग्राम मिरंची के स्व0 जगमोहन लाल जमींदार की सैकड़ों एकड़ भूमि ग्राम मिरंची तथा अन्य ग्रामों में सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत सरप्लस घोषित की गई है और नियमानुसार 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त भूमि सम्बन्धित ग्रामों के भूमिहीन हरिजनों में वितरित होनी चाहिये थी किन्तु खेद का विषय है कि एटा के राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अपने निजी प्रलोभन से प्रेरित होकर स्व0 जगमोहन लाल उपरोक्त की सीलिंग के अन्तर्गत निकलने वाली समस्त भूमि का एक फर्जी वसीयत नामा मृतक के तथा कथित भतीजे श्री सोमेन्द्र बाबू निवासी ग्राम मिरंची के माध्यम से मैनपुरी जनपद की श्रीमती अनीला देवी के नाम किये जाने की साजिश की गयी है और उक्त साजिश में राजस्व विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ है जिससे सीलिंग के अन्तर्गत आने वाली सैकड़ों एकड़ भूमि का लाभ भूमिहीनों हरिजनों को नहीं मिल पा रहा है तथा प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम का खुला उल्लंघन हो रहा है।

अतः आपके माध्यम से निवेदन है कि आप कृपया उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार कर प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

स्याना थाने (बुलन्दशहर) की पुलिस की साजिश से वृक्षों की अवैध कटाई से जन-आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर के अन्दर अनियमित रूप से उपयोगी वृक्षों की कटाई जोरों से हो रही है। उपयोगी वृक्षों को जिनको वन विभाग से बिना अनुमति लिए नहीं काटा जा सकता।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको अनियमित ढंग से काटा जा रहा है। सम्बन्धित व्यक्ति थाने को पैसे देकर उक्त कार्य करने में सफल हो रहे हैं। स्याना थानान्तर्गत ग्राम बढढागाजीपुर में इसी प्रकार से बड़े पैमाने पर स्याना पुलिस को रुपये देकर उपयोगी वृक्षों की कटाई की गयी। वहां के ग्राम प्रधान की लिखित शिकायत पर भी पुलिस व प्रशासन ने कोई गौर नहीं किया। यदि इसी प्रकार से पुलिस की शह पर वृक्षों की कटाई होती रही तो जनपद में गम्भीर समस्या पैदा हो जायेगी।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं तथा यह अपेक्षा करता हूं कि सरकार पुलिस के द्वारा करवाये जा रहे वृक्षों की कटाई को रुकवाने के लिए शीघ्र कदम उठाये।

बलिया के नाविकों के आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनपद बलिया में गंगा एवं घाघरा के भीषण बाढ़ में जनता के सहायतार्थ काम करने वाले लगभग दो हजार नाविकों के पारिश्रमिक का भुगतान आज तक न किये जाने से उनके समक्ष आर्थिक कठिनाई की स्थिति पैदा हो गई है। भुगतान में विलम्ब का कारण इनके द्वारा चलाया जा रहा समान मजदूरी का आन्दोलन है। जनपद वाराणसी और मिर्जापुर में इसी काम के लिए नाविकों को छोटी नाव के लिए 45 रु0 और मझोली के लिए 65 रु0 और बड़ी के लिए 85 रु0 मिलता है जबकि बाढ़ में काम करने वाले बलिया के नाविकों को क्रमशः छोटी नाव के लिए 28 रु0 मझोली नाव के लिए 42 रु0 और बड़ी के लिए 55 रु0 दैनिक मजदूरी दी जाती है। समान कार्य के लिए समान मजदूरी प्राप्त करने हेतु नाविकों द्वारा जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने आन्दोलन धरना प्रदर्शन धरना एवं [illegible] चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी की प्रत्यक्ष संस्तुति के बावजूद भी जनपद के नाविकों को समान मजदूरी न दिये जाने के कारण नाविकों एवं बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच सरकार के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है।

वाराणसी और मिर्जापुर के नाविकों के समान ही बलिया जनपद के नाविकों को भी मजदूरी का भुगतान करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

खाद्य एवं रसद विभाग के हरिजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शंकर सिंह--

प्रदेश के खाद्य विभाग एवं रसद विभाग में हरिजन अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध उच्च अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं। जिन हरिजन अधिकारी व कर्मचारी को प्रोन्नत पाना है उनकी चरित्रपंजिका में गलत प्रविष्टियां करके उनकी प्रोन्नतियां रोकी जा रही हैं और उन्हें गलत ढंग से चार्ज लगाकर निलम्बित किया जा रहा है उदाहरणार्थ राम प्रसिद्ध वरिष्ठ निरीक्षक को बिना औचित्य के शासन देश संख्या 7/2/78 कार्मिक के प्रविधानों के विपरीत अनुसूचित जाति होने के कारण निलम्बित किया गया और श्री राम करन राम क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी लखनऊ भी वर्षों से निलम्बित हैं और 12 सामान्य वरिष्ठ निरीक्षकों एवं 5 क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों की प्रोन्नतियां की जा चुकी हैं उनमें एक भी हरिजन अधिकारी एवं कर्मचारी नहीं है। बल्कि ठाकुर को फर्जी हरिजन बनाकर प्रोन्नति हुई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इससे हरिजन कर्मचारियों और अधिकारियों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें तथा हरिजनों को हक दिलवाने का कष्ट करें ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के बोर्ड में कार्य करने हेतु नाम निदेशन हेतु वैध पाये गये अभ्यर्थियों के नामों की सूचना

श्री अध्यक्ष—

औचित्य के प्रश्नों के पहले मद संख्या-6 को लेता हूं उसके बाद औचित्य के प्रश्नों को ले लेंगे ।

(क) गढ़वाल विश्वविद्यालय,

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तथा

(ग) अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, की सभा में कार्य करने के लिए प्रत्येक के वास्ते पांच-पांच सदस्यों,

(घ) उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड के लिए तीन सदस्यों जिनमें एक महिला सदस्या भी होंगी,

(ङ) चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड के लिए दो सदस्यों, तथा

(च) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों,

के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम निदेशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक 5 मार्च 1984 के अपराह्न 4 बजे तक प्राप्त नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा नियत समय पर की गयी और सब नाम निर्देशन-पत्र वैध पाये गये हैं । इस प्रकार उक्त निकायों में नियमित रूप से नाम निदेशित अभ्यर्थियों के नाम निम्नवत हैं :—

क-गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा

(1) श्री विद्यासागर नौटियाल (टिहरी-गढ़वाल)।

(2) श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी (पौड़ी-गढ़वाल)।

(3) श्री हरदेव (बलिया)।

(4) श्री खुशहाल सिंह रागड़ (गढ़वाल)।

(5) श्री द्वारिका नाथ धवन (देहरादून)

(6) श्री विनोद कुमार तिवारी (पीलीभीत) ।

ख-इलाहाबाद विश्वविद्याय की सभा

(1) श्रीमती धनेश्वरी देवी (वाराणसी)

(2) श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी (इलाहाबाद)

(4) श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा (बांदा)

(5) श्री गोरे लाल शाक्य (इटावा)

(6) श्री विश्रामदास (इलाहाबाद)।

(7) श्री अशोक कुमार बाजपेयी (इलाहाबाद) ।

(8) श्री विमल प्रसाद तिवारी (फर्रुखाबाद)।

ग--अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा

(1) श्री मान बहादुर सिंह (गोण्डा)।

(2) श्री मुरलीधर मुनीम (गोण्डा)।

(3) श्री उमेश्वर प्रताप सिंह (गोण्डा)।

(4) श्री छेदी लाल (गोण्डा)।

(5) श्री मुईद अहमद (सुल्तानपुर)।

(6) श्री हरदेव (बलिया)।

(7) श्री धरमपाल (बहराइच)।

(8) श्री परमात्मा प्रसाद सिंह (बस्ती)।

(9) श्री शेर बहादुर (फैजाबाद)।

(10) श्री रिजवानुर्रहमान किदवई (बाराबंकी)।

(11) श्री देवेन्द्र पाण्डेय (सुल्तानपुर)।

घ--उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था का प्रशासकीय बोर्ड

(1) श्री छत्तर सिंह (बुलन्दशहर)।

(2) डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा)।

(3) श्री हरदेव (बलिया)।

(4) श्रीमती सुमनलता (कानपुर)।

(5) श्री गोरे लाल शाक्य (इटावा)।

(6) श्री प्रेम चन्द्र निमेष (मेरठ)।

(7) श्रीमती कमला दरियाबादी (कानपुर)।

(8) श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी (इलाहाबाद)

ङ--चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर का प्रबन्धक बोर्ड

(1) श्री हरदेव (बलिया)।

(2) श्री छत्तर सिंह (बुलन्दशहर)।

(3) श्री गोरे लाल शाक्य (इटावा)।

(4) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल (कानपुर)।

(5) श्री अजीत कुमार सिंह (कानपुर)।

(6) श्री विलायती राम कत्याल (कानपुर)।

च--संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान

(1) डा0 मुहम्मद उमर (गोण्डा)।

(2) श्री हरदेव (बलिया)।

(3) श्री छत्तर सिंह (बुलन्दशहर)।

(4) डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा)।

(5) श्री गोरे लाल शाक्य (इटावा)।

(6) श्री जयदीप सिंह बरार (बरेली)।

(7) श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी (लखनऊ)।

2--इस प्रकार उक्त निकायों में पूरणीय रिक्तियों की संख्या में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, नामों की वापसी के लिये दिनांक 13 मार्च, 1984 के अपरान्ह 4 बजे तक का समय नियत है। अतः उक्त निकायों में जो अतिरिक्त नाम हैं वे यदि उक्त समय तक वापस न लिये गये तो मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 20 मार्च,

1984 को पूर्वाह्न 10·30 बजे से अपराह्न 4·30 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

श्री सुन्दर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा एक मकान के कब्जे के सम्बन्ध में श्री ए0 सी0 ग्राइस के साथ किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

औचित्य के प्रश्न मुझे तीन प्राप्त हुए हैं । मैं एक-एक कर नाम गिनता चलूंगा । सबसे पहले श्री शंकर सिंह बोलें ।

*श्री शंकर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आज जो औचित्य का प्रश्न दिया है, मान्यवर, वह इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य माननीय ग्राइस साहब से सम्बन्धित हैं । मान्यवर, आप भी इस सदन के सन् 1952 से सदस्य हैं । ग्राइस साहब भी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं । अन्तर मात्र इतना है कि आप जनता से चुन कर आए हैं और ग्राइस साहब की विधायक की हैसियत राज्यपाल द्वारा नामांकित की जाती है । मान्यवर, यह बड़े खेद का विषय है कि हमारे इतने वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्य के साथ अपमानजनक रवैया होता है । उससे हम सबको खेद है । जो घटना घटी वह इं0 कां0 विधायक श्री सुन्दर सिंह और माननीय ग्राइस साहब के बीच की है । यह इनके बीच में घटित घटना है । घटना इस प्रकार है कि लखनऊ में एक क्रिश्चियन महिला थी, वह महिला लारेंस टैरेस कालोनी में रहती थी । उसने वसीयत लिखी थी कि उसकी सम्पत्ति माननीय ग्राइस साहब के माध्यम से दूसरे एसोसियेशन्स में बांट दी जायेगी । 2 मार्च को इस महिला की मृत्यु हो गयी और श्री सुन्दर सिंह ने लखनऊ प्राधिकरण से उस महिला के फ्लैट का आवंटन करा लिया । यह आश्चर्य की बात है कि जो आवंटन हुआ है, वह इस तरह किया गया है कि उस महिला के मरने के बाद वह फ्लैट श्री सुन्दर सिंह के नाम आवंटित हो जायगा और वह कब्जा ले लेंगे । आवंटन का इस तरह का नियम कि फलां के मरने के बाद फलां को आवंटन हो जायगा, क्या इस तरह का कोई नियम है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय धरमपाल जी आप फिर से वहां जाइये और पीछे हटिये । भविष्य में इस बात का ध्यान रखें ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, लखनऊ प्राधिकरण के सम्बन्ध में इस सदन में कई बार मामला उठाया गया कि घपला होता है । यह जीता जागता उदाहरण है कि वहां के वरिष्ठ अधिकारी किस तरह से घपला करते हैं । दो तारीख को महिला की मृत्यु हुई । तीन तारीख को ग्राइस साहब लिस्ट बनाने पहुंचे कि वसीयतनामे के अनुसार सम्पत्ति सुरक्षित करके तमाम सामान दिया जा सके । उसी वक्त मान्यवर, यह सदस्य वहां पर पहुंचे । सारे एंग्लो इण्डियन एशोसिएशन के व्यक्ति वहां पर थे, वे लोग स्वयं शोकाकुल थे । इन माननीय सदस्य ने जबरन उनका सामान बाहर फेंक दिया और श्री ए0 सी0 ग्राइस तथा अन्य एशोसिएशन के जो व्यक्ति वहां पर खड़े थे, उनको पीटा जाता है । माननीय श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जी भी मौके पर वहां पहुंची, उन्होंने भी उनको बहुत समझाने की कोशिश की । ग्राइस जी की पत्नी भी वहां उपस्थित थी, उन्हें भी अपमानित किया गया । इस प्रकार का मान्यवर, यह घटना है । जब इस कांग्रेस पार्टी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण हीं न किया ।

के लोग स्वयं अपने एक वरिष्ठ सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं तो दूसरे दलों के नेताओं के साथ ये कैसे व्यवहार करें, इसे आप स्वयं समझ सकते हैं। माननीय मंत्री जी तथा अन्य माननीय सदस्य सत्ता पार्टी के बड़े जोरों से कह रहे थे कि हम कितने शरीफ हैं। इस घटना से यह साबित होता है कि इनकी शराफत इस हद तक पहुंच गई है। ये लोग दूसरों के साथ क्या सहयोग कर सकते हैं। मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इस पर आप उचित कार्यवाही करायें। माननीय श्री ग्राइस साहब के साथ और उनके समक्ष जो अभद्र व्यवहार माननीय विधायक द्वारा किया गया है, उन्हें उनसे मांफी मांगने के लिए कहें।

श्री ए0 सी0 ग्राइस—

मान्यवर, मैं आज बहुत खुश हूं, कि आज ऐसे मौके पर मैं यहां पर उपस्थित हूं। मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा। मान्यवर, श्रीमती ई0 मांक एक विडो औरत है उसका हिन्दुस्तान में कोई नहीं है। उसके रिलेशन वाले विलायत में तथा आस्ट्रेलिया में रहते हैं। मैं तो उसको 'विल का एक्जीक्यूटर हूं। वह 2 तारीख को मरी। 2 तारीख को मैंने आस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड को टेलीफोन किया कि यह मर गयी है और इसकी मिट्टी कल 3·00 बजे उठेगी। 2 तारीख की रात को 11·00 बजे के करीब सुन्दर सिंह अपने दूसरे साथियों के साथ वहां पहुंचे, अभी उसकी मिट्टी नहीं उठी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस प्रश्न को हाऊस में लाऊं, क्योंकि हम दोनों एक ही पार्टी के सदस्य हैं। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बता दिया है और उनसे कहा है कि आप इसमें सुलह करा दें। परन्तु जब यह हाऊस में उठ गया है, तो आप पूरी बात सुनें। यदि आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो मैं बैठ जाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि आप पहले इसकी मिट्टी उठवाने दें और इनवेन्टरी होने दें। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है कि एलाटमेंट आपको हुआ है या किसी दूसरे को। यदि आप कहते हैं कि हमें एलाटमेंट हुआ है तो हम आपकी तरफ से किसी को इसमें नहीं घुसने देंगे। इतना तक हमने उनसे कहा। 4 तारीख को जब हम गिरजे से सबेरे वापस आये तो टेलीफोन आया था, सुन्दर सिंह और उनके साथी अपने सामान अन्दर ले जा रहे थे, उन्होंने दरवाजा खोल रखा था। मैंने इस सम्बन्ध में एस0 एस0 पी0 महोदय से कहा कि अभी उनके सामान की इनवेन्टरी नहीं हुई है, किन्तु वे लोग जबरदस्ती अन्दर घुसे जा रहे हैं। यदि सामान की चोरी हो गयी तो बदनाम हम होंगे। इसलिए मेहरबानी करके आप पुलिस भिजवा दें। ताकि वहां पर कोई चीज डिस्टर्ब न हो पाये। हम पहले इनवेन्टरी कर लें। उन्होंने कहा कि अभी पुलिस भेज रहे हैं।

मान्यवर, यह 3 तारीख की बात है। 4 तारीख को श्री सुन्दर सिंह फिर घुस गये। आगे सुधीर वर्मा जी रहते हैं, उन्होंने जब यह देखा, तो बख्शी जी को टेलीफोन किया। बख्शी जी आयीं और उनके सामने यह तय हुआ कि जब तक इनवेन्टरी न कर ली जाय तब तक कोई भी मकान में नहीं घुसेगा। श्री बख्शी जी अभी कुछ दूर गयी ही होंगी कि वह फिर घुस गये। मुझसे कहने लगे कि आप कौन होते हैं बोलने वाले। एलाटमेंट हमें हुआ है, आप अभी खाली करें। मेरी स्पेस दरवाजे पर पड़ता है, वहां पर सामान रखवा दिया गया, अब न वहां से कोई जा सकता था और न ही कोई आ सकता था। मेरी वाइफ मेरे बगल में थी। 10 12 नवजवान लड़के माननीय सदस्य के साथ थे, तुम कौन होता है, वह कहने लगे इस साले को मारो-पीटो, तब मैंने उन

पर गुस्सा किया। मान्यवर, मेरी उम्र लगभग 72 साल की है और 32 साल मुझे एसेम्बली में हो गया। कभी मैंने न इस तरह का कोई बर्ताव किया और न ही इस माफिक बदतमीजी कभी पायी है।

मान्यवर, इसके बाद का किस्सा बताऊं। हमें किसी ने पीछे से पकड़ लिया, तब हमने कहा कि पकड़ो नहीं, नहीं तो हम तुम्हें पटक देंगे। फिर एक अच्छा आदमी वहां आया, वह हमें अलग करने लगा, मेरी वाइफ ने भी उससे मुझे अलग किया, फिर हम दोनों को अलग-अलग किया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब उस डी0 सी0 होम्स का एक जो बुड्ढा रिक्शे वाला है, वह कोशिश करके आने लगा, लेने के लिए, तो उन लड़कों ने उसको मारा-पीटा, उसकी हड्डी-पसली तोड़ दी, वह बेचारा अस्पताल में है। मैंने उस बेचारे से कहा कि तुम एफ0 आई0 आर0 लिखाओ इन लोगों के अगेंस्ट, तो उसने कहा कि पुलिस तो कुछ कर नहीं पायेगी, आप चले जायेंगे, उसके बाद यह लड़के हमको मार डालेंगे, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं कि क्या हुआ। खैर यह हुआ। हमने उसके बाद टेलीफोन करने की कोशिश की माननीय मुख्य मंत्री को, तो वह नहीं मिले, न ही ब्रह्मदत्त मिले और न अम्मार रिजवी साहब थे, इतवार को रोज लखनऊ में। हम सीधे गवर्नर साहब के पास गये, गवर्नर साहब भी नहीं मिले। चार तारीख की सुबह को ही हमने डी0 एम0 को फोन किया और उनको चेतावनी दी थी कि मुझे शक है कि यह लोग ताला तोड़ेंगे और उसमें घुसेंगे और उससे हमारी बदनामी हो जायेगी। उनका घर खाली है, ताला लगा हुआ है, उसमें उनका सारा सामान पड़ा हुआ है, पैसा जो कुछ था, वह है. इसलिए आप मेहरबानी करके कोई अरेंजमेंट वहां करा दें और वह ताला न तोड़ने दें। उन्होंने कहा कि यस-यस हम अभी आदमी भेज रहे हैं। बहुत देर तक कोई नहीं आया। उसके बाद हम केप्टन भल्ला के पास गये। सुबह 10-11 बजे, मिस्टर भल्ला ने कोशिश किया सुन्दर को फोन करने की, एस0 एस0 पी0 को फोन करने की, लेकिन वह लोग नहीं मिले। डी0 एम0 को टेलीफोन किया, वह मिल गये। डी0 एम0 से उन्होंने बात किया, डी0 एम0 ने कहा कि मिस्टर ग्राइस हमसे बात कर चुके हैं, हम वह चीज जानते हैं और हम पुलिस भेज रहे हैं। फिर उसके बाद जब हम वहां से वापस आये, तब हमने वहां देखा कि मिस्टर सुन्दर ने सारे वहां के ताले तोड़ दिये और जितना उसमें सामान था, उसको बाहर फिंकवा दिया था। जो वहां पुलिस पहुंची हुई थी, हमने उससे कहा कि तुम यहां काहे के लिए आये हुए थे, केवल तमाशा देखने के लिए आये थे, जब किसी की लाश हो जायेगी, तब तुम केवल उसका पोस्ट मार्टम करने के लिए रहते हो। यह मैंने उनसे कहा। दोनों तरफ भीड़ जमा थी। तब मैंने उनसे यह भी कहा कि यहां काफी भीड़ जमा है और सामान पड़ा हुआ है, आप लोग घेरा बना कर खड़े हो जाइये ताकि कोई लोग सामान न उठा ले जायं। हमारी वाइफ भी वहां आ गयी, उन्होंने उन पुलिस वालों से कहा कि तुम लोग यहां काहे के लिए आये, मुंह दिखाने के लिए आये थे, तमाशा देखने के लिए आये थे, जो कुछ न कर सके।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो सामान वहां पड़ा हुआ था, उसमें से काफी चोरी हो गया। एक बजे फिर हमने डी0 एम0 को टेलीफोन किया कि तो सीनियर आफिसर्स हेज कम। कोई वरिष्ठ लोग नहीं आये हैं और यह जो तीन-चार पुलिस वाले और सब-इंस्पेक्टर लोग हैं यह हमारी पूरी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुन्दर सिंह की ही मदद कर रहे हैं। हम माइनरटीज के लोगों की कोई परवाह नहीं है। जब हमारी वाइफ ने भी उन पुलिस वालों से एलर्ट न रहने की बाबत कहा—तो उन्होंने कहा कि वह एम0 एल0 ए0

हैं--हमें उनका हुकुम मानना ही पड़ेगा। तब हमारी वाइफ ने उनसे कहा कि हमारा साहब भी एम0 एल0ए0 है। तो वह बोला कि वह साहब रूलिंग पार्टी का एम0 एल0 ए0 है। इस तरह से पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की। पुलिस वालों ने हम लोगों की कोई मदद नहीं की, कुछ वहां नहीं किया और सुन्दर सिंह के लोग अपना काम करते रहे। उसके बाद डेढ़ बजे जो सामान बचा था वहां पर, हमने उसको एक जगह इकठ्ठा कर उसको बांध कर, ले जाने लगे डी0 सी0 होम्स, तो पुलिस वाले जो वहां थे, बोले आप यह जो सामान ले जा रहे हैं इसकी एक लिस्ट बनाकर दीजिए। उस सामान की एक लिस्ट बनाइये और इस सामान को अपने यहां न ले जाकर थाने ले जाइये। मैंने कहा कि जो अब मुंह खोलेगा, उसे सीधे डी0 एम0 के पास ले जाया जायेगा। मैंने कहा कि हम इस सामान को थाने नहीं ले जायेंगे। यह स्थिति हुई है, मेरी बेइज्जती हुई है। वैसे यह कांग्रेस पार्टी का अन्दरूनी मामला है, लेकिन चूंकि यह सदन में दूसरे व्यक्ति द्वारा उठा दिया गया, इसलिए मैंने वस्तुस्थिति बतला दी। इसका सदन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

एक बात और कह दूं यह जो एलाटमेन्ट का मामला सदन में उठाया गया है यह मेरे डायरेक्शन पर नहीं उठाया गया है। अपनी तरफ से उठा है। यह जो एलाटमेन्ट आर्डर है यह "क्लीन" और "करेक्ट" नहीं है। उसने हमारी जान लेने के लिए भी कोशिश की।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो भी मैंने सुना वह सुन कर बहुत दुख हुआ, वेदना हुई, लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस (आई) की जो संस्कृति है, उसी का परिचय माननीय सुन्दर सिंह जी ने दिया है। एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, अपनी बात के अन्त में माननीय प्राइस साहब ने कहा कि यह हमारे कांग्रेस दल का मामला है, इसका सदन से कोई मतलब नहीं है। जब मामला सदन में आ गया तो यह सदन की सम्पत्ति बन गयी। सदन के माननीय सदस्य इस पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। आप हम सबके सम्मान के संरक्षक हैं। एक अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य के साथ ऐसी बात हो जाये, हमारे संविधान में भी एंग्लोइंडियन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि राज्यों में नामजद किये जायेंगे, उसी के अनुसार यह नामजद किये गये हैं। यह विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक हैं। प्राइस साहब ने कहा कि जिस महिला के साथ दुर्घटना हुई, उसके रिश्तेदार विदेशों में हैं। जब यह सूचना वहां तक पहुंचेगी तो श्री सुन्दर सिंह की गरिमा तो गिरेगी ही, सदन के सम्मान पर भी बट्टा लगेगा। आप इस सदन के संरक्षक हैं, इस कारण आपके नाम पर भी बट्टा लगेगा। आप सदन के सम्मान की रक्षा के लिये, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिये और सरकार द्वारा किये गये अभद्र, निर्लज्ज व्यवहार की भर्त्सना करने के लिये, क्योंकि इसमें पुलिस का भी समावेश है, ऐसी व्यवस्था करें जिससे भविष्य में सत्तारूढ़ दल के विधायकों को ऐसा करने का साहस न हो।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आप इस प्राथमिक पाठशाला के प्रधानाध्यापक भी हैं। यदि विवाद हो तो निर्णय और समाधान आपकी जिम्मेदारी है। यह घटना इस सदन से बाहर अवश्य हुई, लेकिन जैसा माननीय प्राइस साहब ने बताया उनकी जान को भी खतरा है। जब कोई माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो पूर्व में उस पर चर्चा हुई है और आपकी ओर से सरकार को, संरक्षण देने के निदेश भी हुए हैं। उनके इस आचरण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से यहां विधान सभा के सदस्यों की छवि पूरे प्रदेश में धूमिल हुई है और एक ऐसा अप्रतिष्ठा हुई है कि विधान सभा के सदस्य ऐसे निकृष्ट और गन्दे काम करने में निमग्न हैं। श्री सुन्दर सिंह द्वारा किये गये इस अमानवीय व्यवहार के खिलाफ एक कमेटी बन कर उनके विवाद के सम्बन्ध में सदन के सामने रिपोर्ट प्रेषित हो और जो भी दोषी हो, उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होनी चाहिये। प्राइस साहब की सम्पूर्ण सुरक्षा के निदेश शासन को दिये जाने चाहिये।

*श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, अभी कल हम लोगों ने माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में चर्चा की है कि विधायकों के साथ भी जो व्यवहार हो रहे हैं, आमतौर पर जो गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं, वह तो कर ही रहे हैं। लेकिन एक विधायक के साथ एक विधायक ऐसा व्यवहार करेगा, तो मान्यवर, बड़ा चिंता का विषय है और अगर इस पर कोई कार्यवाही न हुयी तो यह आपकी तरफ से इनको छूट देने का लाइसेंस होगा। अगर विधायक ही विधायक को पीटेंगे तो गुंडों का तो और हौसला बढ़ेगा। इसलिये इस सम्बन्ध में जो राय माननीय मोहन सिंह जी ने एक कमेटी के बनाये जाने के सम्बन्ध में रक्खी है उसमें मैं भी सहमत हूं और यह कमेटी मामले की जांच करे और जो भी विधायक दोषी हो, उसको दंडित किया जाय और एक साल के लिये उनको यहां की सदस्यता से निकाल दिया जाय और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी अपने दल के विधायकों को थोड़ा अनुशासित करें। क्योंकि इस प्रकार के मामलों से इस सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा जनता में गिर रही है और इसकी छवि धूमिल हो रही है कि जब एक विधायक के साथ इस प्रकार का घृणित व्यवहार हो सकता है तो सामान्य जनता का क्या होगा, इसलिये इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है और आगे प्राइस साहब की सुरक्षा की व्यवस्था पर भी विचार किया जाय ताकि भविष्य में फिर भी इस प्रकार की कोई और वारदात इनके साथ न हो।

*श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, यह बहुत ही असाधारण सा प्रश्न इस आदरणीय सदन में पहली बार आज प्रस्तुत हुआ है। मैं चार साल से सदस्य हूं इस सदन का और इससे पहले विधान परिषद् में रहा, लेकिन इस प्रकार का कोई प्रश्न हमारे सामने कभी नहीं आया कि विधायकों का विधायकों के साथ संघर्ष हुआ हो। इसलिये इस सम्बन्ध में जो सुझाव माननीय मोहन सिंह जी ने दिया है, मैं इस सुझाव का सत प्रतिशत स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि इसकी जांच की एक कमेटी अवश्य बने और जो तथ्य इसमें आयें उस पर कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में फिर इस प्रकार की घटना कभी न हो। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री एवं अन्य मन्त्रीगण व आगे बैठने वाले माननीय सदस्यों से मैं यह अपेक्षा करता हूं कि वह अब कम से कम अपने विधायकों को अच्छा बनाने की कोशिश करें और अगर अनुशासन नहीं होता इस हद तक ऐसे ही बढ़ेगी तो भविष्य में हम सबके लिये और अधिक खतरा बढ़ सकता है और इन मकानों के आवंटन के सम्बन्ध में जरा सचेत होकर कार्य करें, अगर इसी तरह से होगा तो भविष्य में हर मकान हमेशा-हमेशा के लिये हरेक को आवंटित हो जायेंगे। तो मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर अवश्य ही एक कमेटी बनायी जानी चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ए० सी० ग्राइस—

मान्यवर, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, वह यह कि जो बात भाई मोहन सिंह जी ने उठायी है, इसको मैं नहीं चाहता हूं क्योंकि हमारे इस मामले में हमारे और हमारी वाइफ के अलावा और कोई गवाह नहीं है, गवाह सारे उन्हीं के हैं, इसलिये हमको झूठा बनना पड़ेगा ।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो ग्राइस साहब ने अपनी पूरी घटना बतायी, उससे मैं समझता हूं कि चाहे इस दल के लोग या उस दल के, सारे सदन को इससे कष्ट पहुंचा है और जो निष्क्रियता का रवैया इस मामले में पुलिस ने दिखाया है ।

कई सदस्य—

पूरे प्रदेश में पुलिस का यही रवैया रहा है ।

श्री अम्मार रिजवी—

तो मान्यवर, पुलिस के इस रवये की जांच की जायेगी और रहा यह कि जिन माननीय सदस्य का इस मामले में नाम लिया गया है, वह इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं हैं, इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस मामले में दोनों माननीय सदस्यों को आप अपने कक्ष में बुला लें और उसमें माननीय नेता सदन व अन्य जिनको आप उचित समझें बुला लें और इसमें जो भी निर्णय हो, उस कार्यवाही को क्रियान्वित कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय शंकर सिंह, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय मोहन सिंह, माननीय लल्लू सिंह चौहान, ग्राइस साहब तथा माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को सुना । जहां तक माननीय सुन्दर सिंह की बात है उनको मैं नहीं सुन सका हूं लेकिन वे मेरे पास आये थे और मैंने उनको सलाह दी थी कि आप ग्राइस साहब से बात करके आपस में फैसला कर लें और जो कायदे की बात हो, वह करें । मैं इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूं क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं इसलिये कि यह दो सदस्यों का मामला है । उचित होगा कि आपस में आप लोग ही फैसला करें । जहां तक ग्राइस साहब ने जो बात कही है और उस पर माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने आश्वासन दिया है कि पुलिस के द्वारा उनके साथ या किन्हीं अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी वे जांच करायेंगे और उसके बाद उस पर कार्यवाही करेंगे । क्योंकि यह सदन के परिसर में नहीं हुआ है इसलिये इसको मैं औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं । मेरे कक्ष में माननीय मुख्य मन्त्री जी, शायद यह परसों का किस्सा है, माननीय ग्राइस साहब व सुन्दर सिंह तीनों बैठे हुये थे और आपस में बात कर रहे थे । फिर भी मैं सदन की भवनाओं को देखते हुये माननीय शंकर सिंह, माननीय ग्राइस साहब, माननीय अम्मार रिजवी, माननीय मुख्य मन्त्री, माननीय बख्शी दीदी और उसके बाद सुन्दर सिंह की एक कमेटी बनाता हूं जिसकी देख-रेख में कौन बात सही है, कौन सी सही नहीं है उसकी रिपोर्ट पर आप निर्णय करें और उसकी प्रतिलिपि आप मुझे भेजेंगे । उससे बाद में उसमें देखूंगा कि क्या कार्यवाही हो सकती है ।

सहकारिता राज्य मन्त्री के भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मन्त्रि परिषद् के सदस्यों के कथन और उनके आचरण का सधा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सम्बन्ध सदन की मर्यादा से जुड़ा होता है। मान्यवर, 25 फरवरी को प्राइमरी पोस्टल सहकारी बैंक, हजरतगंज के प्रशासक, श्री के0 एन0 पांडेय, माननीय राज्य मन्त्री, सहकारिता से मिलते हैं और किसी काम के प्रतिफल में बतौर रिश्वत 10 हजार रु0 उनको पेश करते हैं। उस समय मन्त्री जी ने कहा कि इसको अपने पास रखो, बाद में ले लेंगे। उसके बाद पहली तारीख को वह पैसा माननीय मन्त्री जी के फर्जी हस्ताक्षर अंग्रेजी में बनाकर फिक्सड डिपाजिट में कर दिया गया। लेकिन जब फिक्स डिपाजिट केवल 6 महीने के लिये किया जाता है। उसके बाद माननीय मन्त्री जी को याद आता है कि 10 हजार रु0 लेकर पांडेय जी उनके पास गये थे तो उन्होंने उनसे पैसे की मांग की कि वह रुपया लाईये। तब उन्होंने बताया कि वह तो फिक्सड डिपाजिट में जमा कर दिया गया है वह फिक्स्ड डिपाजिट किस तरह से की गयी, यह बताया गया तो उन्होंने फौरन दूसरी फार्म मंगाया और जब वे फार्म लेकर गये तो उस पर मन्त्री जी ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिन्दी में करके दिये। उसके बाद वह रुपया नये खाते में ट्रान्सफर कराया गया और उस फिक्सड डिपाजिट को रद्द कर दिया गया। यह जनता के पैसे की खुली लूट हो रही है, ऐसी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलेगी।

(1 बजकर 20 मिनट पर)

मान्यवर, मैं तथ्य रखना चाहूंगा, अभी एक सरकुलर माननीय सहकारिता मंत्री जी के यहां से जारी किया गया है, उन्होंने अपने विभाग में एक गिरोह बना रखा है और समितियों के पैसे को अपनी बपौती बना रखा है। यू0 एन0 पान्डे हैं, उनके हस्ताक्षर से एक सर-कुलर विभिन्न सचिवों के नाम भेजा जाता है, उनको आदेश दिया जाता है कि किस बैंक को कितना पैसा देना है। मान्यवर, हरदोई के सचिव को भी उस सरकुलर की कापी भेजी गई, ऐसी खुली लूट और डकैती और कहीं पर नहीं हो सकती है। हर बैंक को अलग अलग निर्देशित किया गया है और पैसे का एलाटमेन्ट हुआ है, उसकी कापी मेरे पास है। उसकी प्रतिलिपि सहायक निबन्धक को भी भेजी गई, सचिव लीड समिति एवं समस्त सचिवों को सम्बन्धित समितियों को इस निर्देश के साथ भेजा गया है कि स्वीकृत मद में ही इस धनराशि का दुरुपयोग करें। इतनी दबंगी के साथ कोई मंत्री या अधिकारी नहीं कह सकता है, माननीय सहकारिता मन्त्री जी ने इस बात को खुले रूप से कहा है कि पैसे का दुरुपयोग करें। आप खुद देखें। सहकारिता राज्य मन्त्री का आचरण धोखा धड़ी, जाल साजी और लूट खसोट का है और यह खुली डकैती का मामला है इन्होंने कहा कि पैसे का दुरुपयोग करें। इस प्रकार का उदाहरण कहीं पर नहीं मिलेगा मैं इस सरकुलर को आपके पास भिजवा दूंगा इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आखिर माननीय मंत्री जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वह इस तरह का भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं तो यह मान्यवर, पूरे सदन की मर्यादा का मामला है। इसीलिए मैंने इस विषय पर औचित्य के प्रश्न को उठाया है।

*सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहली बात वर्मा जी ने कही है, वह बिलकुल निराधार है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर उनके पास सबूत हो तो आप को दे दें। जहां तक एकाउन्ट खोलने का सवाल है, तो एकाउन्ट तो कोई भी खोल सकता है, उसके लिए हम सक्षम हैं, लेकिन जो दूसरी बातें वर्मा जी कह रहे हैं वह सत्य से परे हैं, बिलकुल असत्य हैं। माननीय वर्मा जी ने चरित्र की बात कह दी, तो मैं कहना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि इस तरह की बाते कहने से हरदोई का सहायक निबन्धक लौटने वाला नहीं है । वर्मा जी ने पहले भी सहायक निबन्धक को लेकर औचित्य का प्रश्न उठाया था । इस तरह के सवाल करने से कोई प्रश्न हल होने वाला नहीं है । तो इस तरह से किसी के चरित्र पर लान्छन लगाना ठीक नहीं है । दूसरी जो बात कही है, मुझे कागजात दे दें, मैं पता कर के बता दूंगा ।

*श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी सफेद झूठ सदन के सामने बोल रहे हैं । औचित्य का प्रश्न जिसका माननीय मन्त्री जी ने जिक्र किया है वह 3-4 साल पुराना है और वह मिल जो चल रही थी, उसके उदघाटन के सम्बन्ध में था, जिसको राजीव गांधी ने किया था । मेरा सहायक निबन्धक के स्थानान्तरण से कोई वास्ता नहीं है । यह तो टालने की बात है । माननीय मन्त्री जी घोषणा करें कि वह 10 हजार रुपया कहां से लाये जो कि खाता खोला गया, इसी बात को सदन के सामने रख दें । मैंने यह कहा कि सचिवों को सरकुलर भेजा गया और मंत्री जी ने सहायक निबन्धक की बात उठा दी । इसको आप देखें और निर्णय दें ।

गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए है । इस तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए । 10 हजार रुपये जो जमा किए गए हैं बैंक में, उसके बारे में कहा गया कि खाता कोई भी खोल सकता है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वह धनराशि कहां से आई । न तो इनको इतनी तनख्वाह मिलती है न भत्ता मिलता है । वह कहां से आई, इसका आप स्पष्टीकरण दिलायें ।

श्री अध्यक्ष --

मैंने माननीय राम आसरे वर्मा और माननीय सहकारिता मन्त्री को बहुत ध्यान पूर्वक सुना । इससे पहले कल ही माननीय शंकर सिंह जी ने मुझसे कुछ बातें कहीं थी, कुछ कटिंग्स दिखलाई थी । मैंने उसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है । उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी बात सही है अथवा जो आप कह रहे हैं वह सही है....

(व्यवधान)

*श्री राम आसरे वर्मा--

उनका दूसरा विषय था ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । जब मैं खड़ा हूं तो आपको कोई अधिकार खड़े होने का नहीं है । वह बात उसी से मिलती-जुलती है । दोनों बातें उन्होंने कही थी ।

(श्री राम आसरे वर्मा के पुनः खड़े होकर कुछ बोलने पर)

आप कृपया बैठ जांय । उस पर वक्तव्य आ जायेगा तब और स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । लेकिन इस आदरणीय सदन के सम्मुख मैं बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में यह पद्धति रहेगी कि कोई माननीय सदस्य किन्हीं मन्त्रियों के खिलाफ या मंत्रीगण किन्हीं विधायकों के खिलाफ या कोई विधायक एक दूसरे विधायक के खिलाफ चाहे वे इधर के बैठने वाले हों, या उधर के बैठने वाले हों, इस प्रकार का कोई मसला देंगे और किसी नियम में लायेंगे तो पहले उसे मुझको या मेरे सचिव को उसको पूरे तरीके से सबूत के साथ, डाक्युमेन्ट के साथ कि उसका क्या रिकार्ड है, यही नहीं कि केवल अखबार में कोई चीज निकल गई....

(व्यवधान)

कृपया बैठें । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप पूरे तरीके से सबूत किसी चीज के बारे में नहीं देंगे, तो मैं इस स्थिति में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं रहूंगा कि मैं आपकी बात सुन सकूं । मैं उसे मुलतवी कर दूंगा ।

(व्यवधान)

खाता खोला है या नहीं खोला है, क्या बात सही है, क्या नहीं सही है, जब वक्तव्य आ जाएगा उस वक्त में इसको देखूंगा । लेकिन भविष्य में इस तरह की चीज को जो षड्यंत्र के रूप में इस प्रकार से उठाई जाती है, मैं किसी प्रकार से आज्ञा नहीं दूंगा । मुझको संतुष्ट करें रिकार्ड दिखला करके । मैं सन्तुष्ट हो लूंगा उसके बाद मैं निर्णय दे सकूंगा कि ऐसा-प्रश्न उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष--

अपने अपनी बात कह दो । मैं खड़ा हूं । मेरी बात सुनें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

आप संरक्षण नहीं दे रहे हैं । एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बारे में आपने निर्देश दिए ।

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा इस तरह से आप न करें । आप अपनी बात कह चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

जो शंकर सिंह के बारे में आपने बात कही, उनके तथ्य दूसरे थे । वे अलग थे ।

श्री अध्यक्ष --

यह भी था और दूसरे तथ्य भी थे । इसके अलावा उन्होंने और भी बातें कहीं थीं । इस तरह से आप न करें । आप भी सदस्य हैं और लोग भी सदस्य हैं ।

माननीय श्री राम आसरे वर्मा ने औचित्य का प्रश्न इस आधार पर उठाना चाहा है कि राज्य मंत्री, सहकारिता श्री बच्चा पाठक द्वारा प्राइमरी पोस्टल सहकारी बैंक लिमिटेड, हजरतगंज में अनियमित रूप से 10 हजार रुपये की धनराशि जमा कराई और 3 मार्च को निकाल ली गई । नियम 300के अंतर्गत यह प्रश्न सदन के कार्य के विनियमन हेतु नियमों या संविधान के उपबन्धों के सम्बन्ध में नहीं है और न ही यह सदन के समक्ष इस समय किसी कार्य के सम्बन्ध में है । इसके अतिरिक्त नियम 289 क के अन्तर्गत यदि माननीय सदस्य किसी मन्त्री के विरुद्ध कोई मानहानिकारक आरोप लगाना चाहते हैं तो उनका यह दायित्व है कि वह मुझे तथा सम्बन्धित मंत्री को पूर्व सूचना दे दें । मुझे यह सूचना आज प्राप्त हुई है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी प्रति माननीय सदस्य ने सम्बन्धित माननीय मन्त्री को भी भेजी है अथवा नहीं यह माननीय मंत्री जी स्वयं जानें । मुझको तो केवल एक कागज मिला है । मैंने माननीय राम आसरे वर्मा को सुना । अतः मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूं, परन्तु यदि माननीय राज्य मंत्री, जैसा वह अपने

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

स्पष्टीकरण में कह चुके हैं। इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हैं तो उनको कहने का अधिकार होगा। इसके अलावा जिन मसलों को लेकर माननीय शंकर सिंह ने और जिन मसलों को अभी माननीय राम आसरे वर्मा ने अपनी बात में कहा है उन पर वक्तव्य आ जायेगा। उसके बाद उनको अधिकार होगा। इसलिए इसको उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं और भविष्य में इस तरह की बात कहने से पहले मुझको उसकी एक प्रति और पूरी सामग्री दे दें तथा सम्बन्धित मंत्री को भी दे दें जिनके खिलाफ आरोप लगाया जाता है। तब तो मैं उठाने की आज्ञा दूंगा वर्ना इस प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा, राज्य मंत्री के विरुद्ध लोकायुक्त की रिपोर्ट पर कार्यवाही न किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, नियम 300 को देख लें जो औचित्य के प्रश्न के सम्बन्ध में है उसमें लिखा है—औचित्य के प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य नियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

तो मान्यवर, मेरे औचित्य का प्रश्न दोनों शर्तें पूरी करता है। सदन के नियमों से सम्बन्धित है और दूसरा आपके संज्ञान में इस तरह से लोकायुक्त की रिपोर्ट अभी पिछले दिनों इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत हुई इसलिए प्रकरण आपके संज्ञान में है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम, 1975 है इसमें व्यवस्था की गई है कि जो लोग लोकसेवक हैं, मंत्री हैं या विधायक हैं उनके बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं तो लोकायुक्त जांच करेगा। हमारी जानकारी है जिसकी फोटोस्टेट कापी मैंने दी है जिसमें स्पष्ट आरोप लगाया है और वह तथ्यों पर आधारित है। इसमें सक्षम अधिकारी माननीय मुख्य मंत्री हैं जो जानबूझ कर लोकायुक्त के प्रभाव को निष्प्रभावित करने की चेष्टा कर रहे हैं जिसका परिणाम यह है कि मंत्रि मंडल स्तर पर भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जिस लोकायुक्त अधिनियम का मैंने संदर्भ दिया है यानी लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12 (3) देखने की कृपा करें। उसमें व्यवस्था है कि यदि किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात् जिसके सम्बन्ध में कोई परिवाद किया गया है जिसमें अभिकथन सन्निहित है, लोकआयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त का समाधान हो जाये कि ऐसे अभिकथन को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो वह लिखित प्रतिवेदन द्वारा सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित, अपने निष्कर्ष तथा सिफारिश को सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा। तो मान्यवर, उपधारा 3 में सक्षम अधिकारी मंत्री के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री हैं। मैंने एक पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। माननीय राज्य मंत्री कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा और उनके बारे में परिवाद, लोकायुक्त का प्रस्ताव जिसमें बड़ी गम्भीर शिकायत की है कि पैसे के भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के आरोप लगाये गये हैं। उनके पी० ए० ने पत्र लिखे हैं जिसमें दिया है कि तुम्हारी नियुक्ति मंत्री जी ने कर दी है और आप फलां गेस्ट हाऊस में मिल लें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, साफ हो गया इनका भ्रष्टाचार । लोकायुक्त ने इस पर विचार किया और उसके बाद 12 (3) के तहत उन्होंने प्राग्दर्शन में श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा पर आरोप सिद्ध पाये । इसका सबूत है, आप प्रश्न करेंगे कि क्या सबूत है ? तो फोटोस्टेट कापी प्रस्तुत किया है, जो लोकायुक्त कार्यालय, उ0 प्र0, कबीर मार्ग, लखनऊ, से सचिव, श्री अरविंद मोहन के हस्ताक्षर से भेजी गई है श्री प्रभाकर विश्नोई, एडवोकेट को । पत्र सं0 4372, दिनांक 15 नवम्बर, 1983 है । इस पत्र में परिवादकर्ता जो हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये उनके वकील श्री प्रभाकर विश्नोई को पत्र गया है । संक्षेप में पत्र है कि श्री प्रभाकर विश्नोई को सूचित किया जाता है कि कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा, राज्य मंत्री, गन्ना विकास के विरुद्ध उनके द्वारा दायर परिवाद में नियमित अन्वेषणोपरान्त उ0 प्र0, लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12(3) के अंतर्गत माननीय लोक आयुक्त उ0 प्र0, ने अपना प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी (मुख्य मंत्री जी) को यथोचित कार्यवाही के लिए भेज दिया है । अधिनियम की धारा 12 (4) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही की सूचना प्रतीक्षित है । तो यह सबूत हो गया ।

मान्यवर, प्राग्दर्शन में लोक आयुक्त ने भूतपूर्व गन्ना विकास मंत्री, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा को भ्रष्टाचार में दोषी पाया ।

मान्यवर, अब देखें धारा 12 (4) को . . . ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें दोषी तो नहीं लिखा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जब प्राग्दर्शन में सही पाया तो वह दोषी हैं । धारा 12(4) को देखें तो उसमें व्यवस्था है कि मैं संक्षेप में बता रहा हूं, तीन माह के भीतर लोक आयुक्त या यथास्थिति, उप लोक आयुक्त को, प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही प्रज्ञापित करेगा । तो 3 महीने में मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा थी कि जो कार्यवाही किया वह सूचित करते लेकिन 3 माह बीत गये यदि 15 नवम्बर की तिथि को ही आधार मान लें । इस प्रकार 3 माह बीत गये और मुख्य मंत्री ने कोई कार्यवाही नहीं किया ।

मान्यवर, धारा 12(5) में व्यवस्था है कि यदि मुख्य मंत्री की ओर से उत्तर नहीं जायेगा तो वह राज्यपाल को भेज देंगे और कार्यवाही को सदन में तथा परिवादी को सूचना देंगे । मान्यवर, लोक आयुक्त की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि सक्षम अधिकारी जानबूझ कर जवाब नहीं देते हैं जिससे लोक आयुक्त को कार्यवाही करने में कठिनाई होती है । मान्यवर, सदन में आते समय मुझे जानकारी मिली है कि मुख्य मंत्री ने लोक आयुक्त को रिपोर्ट भेज दिया कि कार्यवाही कर दिया है । चेतावनी दी जा रही है, यह कर दिया है । यदि इसको सही मानें तो तात्पर्य है कि लोक आयुक्त ने प्राग्दर्शन में कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा जी को दोषी पाया और मुख्य मंत्री जी ने कार्यवाही कर दिया । कार्यवाही में चेतावनी दे दिया है । यह कार्यवाही किया है जिसकी जानकारी सदन को नहीं मिली और न राज्यपाल को सूचित किया । इसलिए जब प्राग्दर्शन में कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा दोषी हैं और जो अब भी मंत्रि मंडल में हैं केवल विभाग बदल गया है । तो यह कोई दंड नहीं है ।

इस प्रकार मान्यवर, संक्षेप में जो बातें हमने रखी हैं कि प्राग्दर्शन में दोषी पाये गये और मुख्य मंत्री जानबूझ कर उसको छिपाते हैं जिससे लोक आयुक्त को कार्यवाही करने में बाधा होती है और भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए मेरा आरोप है कि मुख्य मंत्री जी ने अपने दल के मंत्री को भ्रष्टाचार से

बचाने के लिए, पब्लिक में बदनामी न हो, जानबूझ कर मामले को छिपाया है। इसका परिणाम है कि सदन ने जो अधिकार दिया है उन पर कुठाराघात हो रहा है और राज्यपाल की सीमा का अतिक्रमण हो रहा है, साथ ही भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति बैठा रहेगा और भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर फैल रहा है जिससे प्रशासन प्रभावित है। इसलिए मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कारण है जिसके कारण समय पर उत्तर नहीं दिया गया और जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार प्राग्दर्शन में सही पाये गये वह फिर से मंत्रिमंडल में मौजूद हैं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप यह एक बात स्पष्ट कर दें गुप्त जी कि यह जो आपने लोक आयुक्त कार्यालय का पत्र दिया है, यह 9 नवम्बर, 1983 का ही है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जी हां।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष जी, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने यह औचित्य का प्रश्न उठाया और लोक आयुक्त विधायन का इसमें हवाला दिया। उन्होंने 12 का (3) व (4) पढ़ा, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पांचवी धारा की ओर, जो उसका सब क्लाज है---

"इफ दि लोकायुक्त आर दि यू0पी0 लोकायुक्त इज सटीस्फाइड विद दी ऐक्शन टेकेन आर प्रपोज्ड टू बी टेकेन आन हिज रिकमन्डेशन्स आर फाइन्डिंग्स रिफर्ड टू इन सब सेक्शन (1) एन्ड (3) ही शेल क्लोज दी केस अन्डर इनफार-मेशन टू दी कम्पलेनेन्ट।"

अगर वह इस बात से सहमत हैं, जो भी प्रभारी अधिकारी, कन्सर्न्ड अफसर हैं, उसने जो कार्यवाही की है वह ठीक है तो यह सारा मामला बन्द समझा जाएगा, एक तरह से बन्द कर दिया जाएगा। आगे है --

"दि पब्लिक सर्वेन्ट एन्ड दि कम्पीटेन्ट अथारिटी कन्सर्न्ड बट ह्वेयर ही इज नाट सटीस्फाइड एन्ड इफ ही कन्सीडर्स दैट दी केस सो डिजर्व्स ही मे मेक एस्पेशियल रिपोर्ट अपान दि केश टू दि गवर्नर एन्ड आलसो इन्फार्म दि कम्प्लेन्ट कन्सर्न्ड"।

अगर वह इस बात से सहमत नहीं हैं कि यह कार्यवाही जो कन्सर्न्ड अफसर ने की है वह ठीक है तो वह इसको महामहिम राज्यपाल को सूचित करेंगे और साथ ही साथ शिकायतकर्त्ता को सूचित करेंगे। अब आप देखें, सूचना का जो सिलसिला बताया गया है, यह पत्र 15-11-83 का बताया गया है, जिसकी फोटोस्टेट कापी आप को भी इन्होंने दी है। यह 15-11-83 को लोक आयुक्त कार्यालय से जारी हुआ, किन्तु उसके बाद का कोई पत्र इसमें नहीं लगा है। जरूरी टाइम के अन्दर कोई कार्यवाही भेजी गई या नहीं, कोई रिमाइन्डर गया या नहीं, यह उसमें नहीं लगा हुआ है। जहां तक मुख्य मंत्री का सम्बन्ध है वह सक्षम अधिकारी हैं, उनको लोक आयुक्त ने एक पत्र भेजा, जिसकी फोटोस्टेट कापी है, तीन महीने का उसमें समय है, जिसमें उसका जवाब लोक आयुक्त के पास जाना है। यदि वह सन्तुष्ट नहीं होता, तो-जैसा (5) में लिखा है, उसको राज्यपाल और शिकायतकर्त्ता को लिखना होगा। और फिर सब क्लाज (7) के अन्तर्गत राज्यपाल उसको सदन में रखने के लिए भेजेंगे, क्योंकि ओरिजनल रिपोर्ट राज्यपाल के सामने भेजी जाती है और सदन में पेश की जाती है। तो यहां पर सारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यवाही लोकायुक्त, मुख्य मंत्री और राज्यपाल के बीच की है। राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा कि उनको यहां आते-आते पता चला है कि इसका जवाब लिखवाकर भेज दिया गया है, उसमें कोई वार्निंग या चेतावनी दे दी गई है। उसके बाद ही एक मिनट में उन्होंने दूसरी बात कही कि यह परकर जानबूझ कर अपने मंत्री के कार्यों को छुपा रही है। तो एक ही मिनट में उन्होंने दो कन्ट्राडिक्टरी या विरोधाभास वाले वक्तव्य यहां दिये हैं। यह लोकायुक्त के यहां से जो कार्यवाही हुई है, मुख्य मंत्री के पास पत्र आया, पत्र पर जो भी कार्यवाही होनी है, वह लोक आयुक्त और मुख्य मन्त्री के बीच की बात है। वह इस बात के लिए सक्षम हैं कि यदि वह मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं हैं तो राज्यपाल को लिख सकते हैं और वह कार्यवाही कर सकते हैं। इसमें बीच में क्या पत्र आया, समय से पत्र आया या नहीं, इन बातों का कोई हवाला नहीं दिया गया है। तो इस तरह से या किसी तरह से यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि एक बात हुई है और सारी कानूनी कार्यवाही उसमें की जा रही है। यहां न किसी तथ्य को छिपाना है, न किसी का प्रोटेक्ट करना है। जो लोकायुक्त ने लिखा है या किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिलेगी—चाहे मंत्री ही क्यों न हो। कहीं कोई चीज छिपायी नहीं जा रही है। लेकिन मान्यवर, किस चीज को तोड़ मरोड़ कर यहां पेश करना कहां तक उचित है, इस पर आप कृपया विचार कर लें। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो प्राविधान किया गया है उसी के अनुसार कार्यवाही की गयी है माननीय गुप्ता जी ने पहले वाले क्लाज को तो पढ़ा, लेकिन बाद वाले क्लाज को छोड़ दिया। मैं माननीय गुप्ता जी को, और इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे कोई मंत्री हो अथवा कोई अधिकारी हो, अगर कोई दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायेगी। लोक आयुक्त की जिस रिपोर्ट का अभी हवाला दिया गया, उसके ऊपर भी कार्यवाही हुई। इसलिए नियम 300 के अन्तर्गत जो यह प्रश्न औचित्य का उठाया गया है, यह कतई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इतना तो साफ है ही कि लोक आयुक्त ने दोषी पाया...

श्री अध्यक्ष—

यह कहां है कि दोषी पाया ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह पत्र, जिसका मैंने पहले हवाला दिया, तभी आया है वहां से जब लोक आयुक्त ने उनको दोषी पाया है। मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया अधिनियम की धारा 12(3) को पुनः ध्यान से देख लें। जब दोष सिद्ध हुआ तभी तो लोक आयुक्त ने कार्यवाही करने के लिये अपनी रिपोर्ट भेजी। जब रिपोर्ट वहां से आ गयी, तो मंत्री जी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? आखिर मंत्री के खिलाफ एक कलंक तो लग गया। उसके बाद तुरन्त कार्यवाही यह होनी चाहिये थी कि उनको मंत्रि पद से तुरन्त हटा देना चाहिये था। मान्यवर, जब सन् 1980 की रिपोर्ट पर अब कार्यवाही हुई 1984 में, तो आज सन् 84 के मामले पर तो तब कार्यवाही होगी जब यह सरकार ही नहीं रहेगी। इसलिये इस औचित्य के प्रश्न को आप कृपया स्वीकार करें।

श्री मोहन सिंह—

उनको दंडित करने का अधिकार हम लोगों पर छोड़ दीजिये।

(हंसी)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बड़े ध्यान से सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा लोक आयुक्त के निदेशों का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाया है । उन्होंने कहा है कि लोक आयुक्त अधिनियम की धारा 12(3) के अन्तर्गत राज्य के एक मंत्री के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन माननीय मुख्य मंत्री को भेजा गया है किन्तु और अपेक्षित कार्यवाही की सूचना प्रतीक्षित है । माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि इसी प्रकार एक अन्य राज्य मंत्री के सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है ।

जहां तक नियम 300 का सम्बन्ध है, उसके अन्तर्गत कोई ऐसा प्रश्न ही औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया जा सकता है जो सदन के कार्य के विनियमन हेतु नियमों या संविधान के अनुच्छेदों के निर्वचन के बारे में हो अथवा जो तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में हो । लोक आयुक्त अधिनियम की की धारा 12 की उप धारा (3) और (4) लोक आयुक्त तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राज्य के मुख्य मंत्री के मध्य सम्पर्क या पत्र व्यवहार से सम्बन्धित है और इस सदन के कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है । सदन के समक्ष ऐसा विषय उसी समय उपस्थित हो सकता है जब उक्त धारा की उपधारा (7) के अन्तर्गत प्रश्नगत विषय पर लोक आयुक्त का विशेष या वार्षिक प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित सदन के समक्ष रखा जाय । अतः माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है मैं उसकी आज्ञा नहीं देता हूं और उसको अस्वीकार करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने एक और दिया है उसको अगले दिन मैं प्रेस करूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

अगले दिन क्यों करेंगे ? माननीय मुहम्मद आजम खां और किरनपाल सिंह हैं उनको अधिकार दे दीजिये ।

दिनांक 6 मार्च, 1984 को श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन के प्रस्ताव पर मतदान न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है, कल दिनांक 6-3-84 को माननीय सदस्य यदुनाथ सिंह ने नियम 56 में संविधान की प्रतियां फाड़े जाने और जलाये जाने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहा था । कल भी मैंने आपसे पूछा था कि क्या हमारा प्रदेश इस देश का हिस्सा है या नहीं ? आपने यह जवाब दिया था कि हमारा प्रदेश इसी देश का हिस्सा है । लिहाजा यह बुनियादी तौर पर आपने मान लिया कि हमारा प्रदेश हमारे देश का हिस्सा है तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि हमारे देश में जो भी कुछ होता है, संविधान के प्रति उसकी प्रतियां फाड़ने के सिलसिले में या जलाने के सिलसिले में तो उसका असर सारे देश पर होता है । हम यू० पी० असेम्बली में बैठकर रूस के प्रेसीडेंट ब्रेझनेव पर शोक भाषण तो कर सकते हैं और उनके खानदान तक अपने गमों एहसास का इजहार पहुंचा सकते हैं सदन स्थगित कर सकते हैं लेकिन खुद हमारे मुल्क में, हमारे आईन और हमारे दस्तूर को फाड़कर फेंका जाय, जलाया जाय उसको उठाने का हक हमारे सदन में नहीं होगा यह अफसोसनाक बाकया है । मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं और अपने औचित्य के प्रश्न पर बल देना चाहता हूं । दिल्ली एक छोटा सा शहर है पूरा हिंदुस्तान नहीं है । क्या मुट्ठी भर दिल्ली पूरा हिंदुस्तान कहलायेगा और उसकी सरहदों के पार बसा हुआ देश जो इन हालतों से मुतास्सिर हो सकता है क्या उसे इस

बहस का हक नहीं रहेगा। दिल्ली में दस्तूर और आईन को फाड़ा गया, जलाया गया, दिल्ली में बहस हुई। लेकिन क्या दिल्ली के बाहर यह हमारी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं हो जाती है कि कहीं भी मुल्क के किसी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक अगर कोई शख्स दस्तूर और आईन की तौहीन करता है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह दस्तूर और आईन की ही तौहीन नहीं तमाम आजाद निजाम की तौहीन है। हमें हक होना चाहिए, जिस तरह से पार्लियामेंट में बहस हुई है, बुनियादी तौर पर हमारा सदन राष्ट्रपति और दस्तूर के तहत चलता है उसकी यहां पर बहस होनी चाहिये। मैं इसमें नहीं जाता कि किसी की क्या मांग थी सही थी या गलत थी। मैं यह इस सदन में कहना चाहूंगा कि हरियाणा और पंजाब का जो हालत है उससे पूरा देश प्रभावित है। वहां जिस तरह से लोगों की जिंदगी अजीरन जा रही है, हरियाणा और पंजाब में जो हो रहा है अगर यह बदस्तूर कायम रहा तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, कोई प्रदेश इससे महफूज नहीं रहेगा।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न जो है उस पर बोलें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न मेरा यह है कि नियम 56 के अन्तर्गत यह प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी गयी जिसके सिलसिले में माननीय यदुनाथ सिंह ने विरोध किया। मेरा कहना यह भी है कि विपक्ष के सदस्यों के विरोध का एक तरीका होगा, क्या उन्हें बल पूर्वक सत्तापक्ष की ताकत के तौर पर या आपको मान्यवर, कुर्सी जिसे हम सब यहां की सबसे बड़ी कुर्सी कहते हैं की मदद से, क्या किसी माननीय सदस्य को अपने दस्तूर और आईन की तौहीन के मामले को उठाने की इजाजत नहीं दी जायगी? मैंने उस वक्त भी कहा था जब माननीय अम्मार रिजवी साहब ने प्रस्ताव पेश किया था कि गिनती करा दीजिये। तो आपने गिनती नहीं करायी। यह हो सकता है कि आईन और दस्तूर की जो तौहीन हुई है, जो अपमान हुआ है उस पर माननीय सदन में चर्चा करने की इजाजत न हो लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जो व्यवहार उनके साथ किया गया वह सही नहीं है।

मैं अपने औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं और मांग करता हूं, माननीय रिजवी साहब बैठे हैं, वह अभी प्रस्ताव करें माननीय सदस्य की उनकी वापसी का प्रस्ताव करें और उस पर वोट करा लें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, श्री आजम खां ने जो बात कही, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। मान्यवर, कल एक घटना घटी, जो दृश्य हुआ मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय यदुनाथ सिंह कुछ विषय आपके सामने लाना चाहते थे। मान्यवर, जैसे ही उनका नम्बर आया, आपने व्यवस्था दे दी।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं, मैं तो एक-एक माननीय सदस्य को सुनने की कोशिश करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उन्हें नहीं सुना गया।

श्री अध्यक्ष --

सबसे पहले वह खड़े हो गये, मैंने माननीय मोहन सिंह का नाम पुकार लिया था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं इसके लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि इसके पहले भी इस आदरणीय सदन में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं। मान्यवर, केन्द्र का मामला हो, लेकिन उसका प्रभाव प्रदेश की जनता पर पड़ सकता है। मैं इस सम्बन्ध में पूर्व दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे पास अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहत संकलन है। मान्यवर, इसका पृष्ठ 168 देखें।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा मालूम होता है कि आपने बचपन में घी बहुत खाया है। माननीय आजम खां ने तो बचपन में मिर्चें बहुत खाये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, वह तो खाया जो कुछ लेकिन अब तो आपकी कृपा से खा रहा हूं।

मान्यवर, यह मामला हुआ कि एक बार 25 सितम्बर, 1963 को प्रदेश में चीनी तथा पाकिस्तानी जासूसों के सम्बन्ध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना को श्री अध्यक्ष ने स्वीकार न करते हुए भी उस पर वक्तव्य देने के आदेश दिया। नियोजन मन्त्री श्री हरगोविन्द सिंह द्वारा इस पर आपत्ति उठायी गयी। श्री अध्यक्ष ने कहा हमारे सदन की यह प्रथा रही है कि केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित विषयों पर यहां चर्चा नहीं उठाई जा सकती किन्तु कोई-कोई चीज ऐसी होती है, जिसका प्रतिक्रिया हमारे प्रान्त पर तथा विशेषकर बार्डर एरियाज पर पड़ सकती है। मेरा निवेदन यह था कि इसकी आप स्टडी कर लीजिए, गोपनीयता आदि को ध्यान में रखते हुए जो कुछ बयान दे सकें, वह दे दें, तो बड़ा अच्छा होगा।

मान्यवर, और भी व्यवस्थायें हुई हैं। एक बार काशी विश्वविद्यालय में विवाद पैदा हो गया। वह केन्द्र द्वारा शासित है, लेकिन शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसलिए कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। मान्यवर, केन्द्र द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में शांति व्यवस्था से सम्बन्धित विषयों पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है, यह भी 166 पृष्ठ पर दिया हुआ है तो संकेत इस बात का कर रहा हूं कि माननीय यदुनाथ सिंह उत्तेजना में आ गये, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको एक दिन का दन्ड मिल चुका है मान्यवर, आप इस समय से जो दन्ड मिला, उसको खत्म कर दें मान्यवर, इसी तरह का एक सूचना 301 के अन्तर्गत माननीय सदस्य ने दिया है। मान्यवर, इस समय उग्र पंथियों के कृत्यों से प्रदेश की अखंडता को खतरा पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश का यह सदन उनके इस कृत्य पर क्षोभ एवं रोष व्यक्त करना चाहता है और इन कृत्यों की निन्दा करना चाहता है तथा हमारे प्रदेश में रहने वाले शिखाधारियों ने जो शान्ति और व्यवस्था के बारे में पहल की है उनको यह सदन बधाई देना चाहता है। इन उग्र पंथियों के विरुद्ध जो देश की अखंडता को खतरा पैदा कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाना चाहते हैं कि हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर विचार करें। इस प्रकार का वातावरण बनना मान्यवर, आवश्यक है। इन दृष्टांतों को देकर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं और प्रार्थना मैंने संसदीय कार्य-मन्त्री से किया है।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मेरठ से एक मान्यवर, लोकप्रिय समाचारपत्र प्रकाशित होता है। एक जनप्रिय सम्पादक हैं श्री विनोद कुमार जी, उनको मान्यवर, एक दिल्ली से धमकी भरा पत्र मिला। इसकी बैक-ग्राउन्ड, पृष्ठभूमि यह है कि

जब 25 फरवरी का दिल्ली के अन्दर कुछ अकाली नेताओं ने भारतीय संविधान के 25वें अनुच्छेद की ..

श्री अध्यक्ष--

कार्यस्थगन आयेगा तो आज्ञा नहीं दी जायेगी।

श्री किरनपाल सिंह--

अभी स्वीकार कर लें। मान्यवर, संविधान के 25वें अनुच्छेद की प्रतियां जलायी और फाड़ी। इस संवाददाता ने सम्पादकी में लिखा और अकालियों के इस कृत्य को देशद्रोही की संज्ञा दी। मान्यवर, बवरखालसा दल की तरफ से उसको धमकी भरा पत्र मिला है कि तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिस तरह से पंजाब के अन्दर हम अपने विरोधियों की हत्या कर रहे हैं उसी तरह से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हत्या कर देंगे। तुम्हारा नाम भिंडरवाले की हिट लिस्ट में इंक्लूड करा देंगे। मान्यवर, सबसे पहले जब पंजाब में इस प्रकार की घटना की शुरुआत हुई तो लाला जगत नारायण की हत्या की गयी। आप भी इस भय से पीड़ित हैं कि इस चीज को विधान सभा में उठाने से प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

ऐसी बात नहीं है।

श्री किरन पाल सिंह--

पंजाब में अगर इस चर्चा को जन-चर्चा का विषय बनाते तो लाला जगत नारायण जैसे लोग हमारे बीच से हत्यारों के हाथों न लूट लिये जाते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खासतौर से मेरठ मण्डल में इस घटना से भय एवं आक्रोश व्याप्त है। जो समाचारपत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली के आस-पास से प्रकाशित होते हैं, निर्भीक समाचार देते हैं, निर्भीकता से समाचार संपादित करते हैं उनमें भय और असुरक्षा एवं आतंक व्याप्त है और निर्भीक एवं निष्पक्ष पत्रकारिता पर इसका असर पड़ा है। मैं इन बातों को देखते हुए, इस चीज को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि जिस तरह से पंजाब की सरकार ने और केन्द्र की सरकार नम्रता का और भय का रुख अपनाया है और अपना रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार उससे अलग हटकर उत्तर प्रदेश के अन्दर इस तरह की पद्धति का सूत्रपात करें और मजबूती और सख्ती का कदम उठाये कि हम इस तरह के आतंक पैदा करने वाले देश द्रोहियों को कुचल देना चाहते हैं। सरकार इस तरह की घटना को इस प्रदेश में शुरू होने से पहले ऐसे लोगों को कुचल दें।

मैं आप के माध्यम से मांग करता हूं कि विनोद कुमार जी के परिवार की सुरक्षा पूरी तरह से की जाय और उनके तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्याप्त असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार बयान देकर या कार्यवाही कर के यह कहे कि हम उग्रपंथियों के मनसूबों को उत्तर प्रदेश में सफल नहीं होने देंगे और उनको कुचल देंगे।

*श्री दामोदर शर्मा--

पश्चिम का यह बहुत अच्छा अखबार है। यह बहुत ही गम्भीर बात है। माननीय मन्त्री जी बिनोद कुमार के परिवार की और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। यह निष्पक्ष पत्रकारिता पर हमला है इसको रोका जाय और सुरक्षा की तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिये।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

इस समय तीन बातें उठायी गयीं एक मामला यदुनाथ सिंह का उठाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है कि उनका निलम्बन वापस लिया जाय इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि यह जो प्रश्न उठाया गया है औचित्य के रूप में देखने से कोई खास नहीं लगता है। लेकिन इस प्रकार की चीजों से सारी प्रक्रिया प्रभावित होगी।

मान्यवर, यह जो नियमों में हमारे प्राविधान हैं चाहे नियम 314 हो या इस पीठ से दिये गये निर्णय हों हमेशा यह बात रही है कि आप के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं माननीय अध्यक्ष के द्वारा निर्णय दिये जाते हैं उसके बारे में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है। मान्यवर, आज कल जो व्यवस्था का प्रश्न दिया उस पर औचित्य का प्रश्न उठाया गया है। मान्यवर, यही अगर रहा तो जो बात उस चेयर से कही जायेगी, आप के द्वारा कही जायेगी उसके बारे में औचित्य का प्रश्न उठाकर संचालन में बड़ा ही अवरोध उत्पन्न होगा मेरा अनुरोध है कि जो हमारी नियमावली है जो पीठ से दिये गये फैसले हैं जो मान्यवर, माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय हैं उस पर टीका टिप्पणी न करें, प्रश्न न करें, तो बेहतर होगा। क्योंकि अब तक यह प्रणाली चली आ रही है। मान्यवर, औचित्य में जो फैसला आपने कर दिया हां या नहीं, के बारे में, या उस वक्त ऐसी स्थितियां या परिस्थियां पैदा हो गयी कि उसमें दुःख के साथ हमें और आप को भी फैसला लेना पड़ा। उस समय मान्यवर, माननीय मोहन सिंह, मुख्य सचेतक भी कह रहे थे उनकी बात भी नहीं मानी जा रही थी। जो अपने दल के नेता हैं तो अगर वह अपने नेता की ही बात नहीं मान रहे हों तो यह अनुशासनहीनता है।

माननीय किरनपाल सिंह जी ने श्री विनोद कुमार जी के बारे में कहा, उनकी जानमाल और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जायेगी और इस प्रकार की कोई भी बात या जो भी धमकी से ला एन्ड आर्डर को खत्म करने की बात करेंगे उसको सख्ती से दबाया जायेगा। सरकार इस मामले में पूरी तरह से जागरूक है। सक्षम है इसमें किसी तरह की रियायत नहीं की जायेगी।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, उनको गार्ड दे दिया जाए।

श्री अम्मार रिजवी--

उनको अगर गार्ड की जरूरत होगी तो या सन्तरी की जरूरत होगी जो भी होगा वह किया जाएगा। मान्यवर, मुहम्मद आजम खां और राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने निष्कासन को समाप्त करने की बात कही तो मैं देख रहा था, आपने कितने दुःख के साथ यह बात कही थी, "कि आप सदन से जाएं" तो मैं माननीय सदस्यों की बात का आदर करते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय यदुनाथ सिंह जी का निष्कासन प्रस्ताव वापस लिया जाए।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, एक व्यवस्था की बात है।

श्री अध्यक्ष--

पहले मैं व्यवस्था दे दूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, व्यवस्था के पहले मेरी बात सुन लें। मान्यवर, जो औचित्य प्रश्न उठाया गया है उसका उत्तर संसदीय कार्य मंत्री जी देने से टाल गये हैं। आज जो पंजाब की हालत उग्रवादियों के द्वारा पैदा कर दी गई है इसमें पंजाब की सरकार, केन्द्रीय सरकार की ढिलाई है और इसका परिणाम जो उग्रवाद की बात है, उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ है कल यह बात आ चुकी है कि इस प्रकार के लोग उत्तर प्रदेश के अन्दर आकर कुचक्र कर रहे हैं और यह सरकार जितनी भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घटनायें आपके समक्ष सदन के संज्ञान में आयी हैं, यह सरकार पूरी तरह अचेतन अवस्था में पड़ी हुई है। मैंने और किरन पाल सिंह जी ने जो यह विषय आपके सामने लाये हैं उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कोई आश्वासन सदन को नहीं दिया है और इस प्रकार जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली है। वही उग्रवादी लोग जो आज पंजाब को आग में जला रहे हैं, वही इस प्रदेश के अन्दर इसी प्रकार की स्थिति पैदा करने का जो कुचक्र कर रहे हैं और जिसके सम्बन्ध में किरन पाल सिंह जी ने अपना विषय रखा है, इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो बात कही गयी है, उससे साफ होता है कि यह सरकार आज उन सभी भूलों को दोहराना चाहती है, जिनके कारण, जो पंजाब सरकार ने की हैं और जिनके कारण यह फल हुआ है। श्रीमान् जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। वे इस सम्बन्ध में अपना स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय मुहम्मद आजम खां, माननीय किरन पाल सिंह और माननीय अग्निहोत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, जिनके आधार पर ये औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते हैं। अकालियों की अवांछित गतिविधियों के विषय में मैंने कल दिनांक 6-3-84 को माननीय यदुनाथ सिंह की नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के लिए उनको अनुमति नहीं दी और मैंने माननीय मोहन सिंह जी को बुलाया था। वह सब सदन के समक्ष हुआ था। मैं बुलाता या नहीं, वह अन्तिम निर्णय तो नहीं लिया था। यह तो बाद में मैं निर्णय देता। मोहन सिंह जी को उन्होंने परवाह नहीं की, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का उन्होंने परवाह नहीं की, वहां से प्रतिवेदकों की कुर्सी लेकर आराम से बैठ गये। मैंने बहुत प्रार्थना की। मैंने बहुत कहा कि अपने स्थान पर वापस जाइये। तीन-तीन बार, छः-छः बार मौका दिया, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। क्या सदन को यह अच्छा लगता है? चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के, लेकिन यहां पर हम और आप सब नियमों का पालन करने के लिए और जो नियमावली बनाई गई है, उनके अनुसार कार्य करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको भी अधिकार है और मुझको भी अधिकार है।

(व्यवधान)

सभी लोगों का अधिकार है और नियमों के अनुसार काम होता है। जब नियमों के अनुसार कार्य नहीं होता है तो मुझे बहुत दुःख होता है। मैं कोशिश करता हूं ऐसी स्थिति को टालने की। मैं उनको अपने कक्ष में बुलाता, उनकी बात सुनता और उसके बाद मौका देता, लेकिन उन्होंने उस बात की परवाह न करते हुए किसी की परवाह न करते हुए, अपनी पार्टी के नेताओं की बात न मानते हुए वहां पर आ गए। एक इशारा होता है, आप जानते हैं। जब अध्यक्ष के द्वारा यह कहा जाता है कि सदन छोड़ें, नहीं छोड़ते हैं, बैठने के लिए कहा जाय तो नहीं बैठते हैं, लेकिन जब मार्शल चला जाता है, पुरानी परम्पराओं को देखें, केवल मार्शल के पास खड़े हो जाने से और यह कहने से कि प्रार्थना की जाती है कि सदन छोड़ें, जो पद्धति रही है, इस आदरणीय सदन का, माननीय सदस्य, दो-एक को छोड़ कर, चले जाते थे। उन्होंने जो व्यवहार यहां किया और जिस तरीके से उनको ले जाया गया, तो 12 करोड़ जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, ऊपर भी बैठे हैं। यह फैसला तो आप लोग मैदान में कीजिये, आप गलती कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं या इधर के लोग कर रहे हैं। लेकिन यदि इन बातों को यहां पर करें तो क्या यह शोभा की बात है। यदि यह दुखदायी मेरे लिए है तो क्या आप लोगों के लिए नहीं है।

जहां तक इन माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष पीठ से दिये गये पूर्व के कुछ निर्णयों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि यदि केन्द्र का विषय हो, परन्तु यदि उसका प्रभाव प्रदेश पर है, तो उस पर विचार हो सकता है। मैं इस बात को मानता हूं। माननीय श्री किरनपाल सिंह तथा उनके साथ दो अन्य माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आये थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम इस प्रस्ताव को लाना चाहते हैं। इस पर मैंने उनसे कहा कि आप नेता सदन और नेता विरोधी दल से पूछ लें। जो इस तरह के प्रस्ताव होते हैं, जिनका अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर असर पड़ता है या वह भारत सरकार से सम्बन्धित है, वह सर्वसम्मति से आया करते हैं। जिन पर सदन विचार करता है। मैंने उनसे यह बात कह दी थी। उन्होंने बहुत तलाश भी किया, परन्तु उन्हें कोई भी नहीं मिला। इस तरह की परिपाटी को देखते हुए अध्यक्ष अपने विवेकानुसार निर्णय देता है और यदि ऐसे किसी निर्णय के सम्बन्ध में माननीय सदस्य पुनः विचार करना चाहें तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु पुनः विचार के लिए अनुरोध उसी समय किया जाना चाहिए, जब मैं अपना निर्णय घोषित करूं। उसे औचित्य के प्रश्न के रूप में माननीय सदन में उठाने की मांग करना अनुचित है, मैं उसकी अनुमति नहीं देता हूं। माननीय श्री आजम खां जो ने अपनी सूचना में माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी के प्रस्ताव के लिए मत विभाजन को चुनौती दी है। वह इस आदरणीय सदन के सम्मुख हुआ, यहां पर प्रस्ताव पारित हुआ, आपको चाहिए था कि आप खड़े होकर विभाजन के लिए कहते। आप दो बार कहते, तीन बार कहते, सदन तो उठ नहीं गया था। 1952, 1957, 1962, 1968, 1974, 1983 (1977 को छोड़कर) तक मैंने भी यह देखा है कि जैसे ही मत विभाजन होता है, "हां" या "ना" में प्रस्ताव होता है तो माननीय सदस्य कहते हैं कि हम तो मत विभाजन चाहते हैं।

मैं यह नहीं कहता कि आपने ध्यान आकर्षित नहीं किया, आपने किया होगा, तो मेरा ध्यान नहीं गया होगा। इधर-उधर शोर हो रहा था। आखिर मैं भी तो इन्सान हूं, मेरे लिए कितनी कठिनाई होती है। आपको फौरन उसके बाद कहना चाहिए था कि हम डिवीजन चाहते हैं, जब तक डिवीजन की मांग पूरी नहीं होती तब तक आपको खड़ा हो जाना चाहिए था, आपकी कोशिश होनी चाहिए थी। माननीय किरनपाल सिंह जी ने जैसा कहा है, मैं सरकार को आदेश देता हूं कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाय, यदि उनके परिवार से से सम्बन्धित कोई इस तरह की बात होती है, तो उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाय और इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाय तथा जांच करने के बाद इस पर कार्यवाही की जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय श्री आजम खां, माननीय श्री किरनपाल सिंह जी तथा माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, मैं सबको अस्वीकार करता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन की शेष कालावधि को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी के निलम्बन की शेष कालावधि को समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी के निलम्बन की शेष कालावधि को समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

(2 बजकर 20 मिनट पर)

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत आज 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें पहली श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की, मंडी शुल्क व बिक्री-कर अध्यादेश के खिलाफ व्यापारियों द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में है। उसके आगे कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र भंडारी, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल की, जो राज्य कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश से प्रदेश में काम-काज ठप्प होने के सम्बन्ध में है। श्री सरदार सिंह की, जो प्रदेश के सभी जिलों में नजूल भूमि पर अवैध कब्जा से सम्बन्धित है। श्री मुहम्मद आजम खां की, रामपुर जनपद के गंगापुर नामी बस्ती में बसे हरिजन एवं पिछड़ी जातियों की जमीनों पर जबरन मकान बनाने से उनके समक्ष भुखमरी की समस्या से सम्बन्धित है। उसके आगे श्री राम आसरे वर्मा की, 26-27 नवम्बर, 1982 को सचिवालय कांड से प्रभावित कर्मचारियों की सेवा मुक्ति तथा निलम्बन से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में है। श्री नन्द किशोर सिंह की, बेरोजगार आई0 टी0 आई0 अप्रेन्टिस द्वारा आमरण अनशन से सम्बन्धित है। श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री रियाज अहमद, श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की भी यही सूचना है तथा श्री गोपीनाथ वर्मा की भी सूचना इसी विषय से सम्बन्धित है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री जटा शंकर सिंह की, बहराइच जिले की तहसील नानपारा, परगना धर्मापुर में घरगिरी के अनुदान के आबंटन में धांधली से सम्बन्धित है। उसके आगे श्री किरन पाल सिंह की, उग्रवादी दल बब्बर खालसा द्वारा मेरठ के एक सम्पादक एवं उनके परिवार को जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में है। श्री गौरी शंकर भैय्या की सूचना है जो बस्ती जिले के अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता रद्द किये जाने से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री कुबेर भंडारी की, भूमि विकास बैंक, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता से कराने के सम्बन्ध में है।

दिनांक 7 सितम्बर, 1983 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री को पुकारे जाने पर)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, यह जो नियम 56 की मद संख्या 8 आपने ले ली है, मेरा निवेदन है कि इसमें मद संख्या 7 भी अभी होनी है अतः पहले इसको ले लें। आइटम नं0 7 को ले लें।

*पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)---

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 7 सितम्बर, 1983 को श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, सदस्य, विधान सभा [द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न 7 के सम्बन्ध में श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं सन् 1972 में जो सर्वे हुआ था उसको हुए 11 साल हो गये हैं और आप उन ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पायें और ऐसा प्रतीत होता है कि 11 साल और लग जायेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे क्या कोई समय, सीमा निर्धारित करेंगे कि इतने समय के अन्दर सभी

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गांवों में पानी की व्यवस्था कर दी जायगी ।

2--उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए संसाधनों और धन की आवश्यकता होती है । अगर धन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो जो अभावग्रस्त ग्राम हैं उनमें एक साथ पानी की जो व्यवस्था की जा सकती है । किन्तु सरकार ने कार्यक्रम निर्धारित किया है उसके मुताबिक यह कार्य हो रहा है और हमें विश्वास है कि हम एक वर्ष में पर्वतीय क्षेत्र के उन ग्रामों में जो अभावग्रस्त हैं, पानी पहुंचाने में सफल हो जायेंगे ।

3--उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है --

"इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये संसाधनों और धन की आवश्यकता होती है अगर धन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो जो अभावग्रस्त ग्राम हैं उनमें एक साथ पानी की व्यवस्था की जा सकती है । किन्तु सरकार ने जो कार्यक्रम निर्धारित किया है उसके मुताबिक यह कार्य हो रहा है और हमें विश्वास है कि हम कुछ वर्षों में पर्वतीय क्षेत्र के उन ग्रामों में जो समस्याग्रस्त हैं, पानी पहुंचाने में सफल हो सकेंगे"]

4--मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं ।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 178 पर ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 7 खत्म हो गयी है । अब नियम 56 की बाबत माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री अपनी सूचना पर बहुत संक्षेप में कहेंगे । समय भी देखिये ढाई बज गया है ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मंडी शुल्क व बिक्री कर अध्यादेश के खिलाफ आज प्रदेश का जो व्यापारी वर्ग है, वह अपना आंदोलन चला रहा है । और इस कारण से प्रदेश की सारी व्यापारिक संस्थायें जो हैं, और विशेषकर बाजारें, प्रदेश की बन्द हैं । मान्यवर, यह आपको विदित है कि आज इस प्रदेश का 60 प्रतिशत ऐसा मजदूर वर्ग है, जो सुबह से लेकर सायंकाल 4 बजे तक काम करके रोजी-रोटी के लिये धन का उपार्जन करता है और, फिर शाम को अपने काम से लौटकर, बाजार से अपने घर के लिये, उपयोगी चीजें खरीदता है, और उसके बाद सायंकाल भोजन बनाकर के अपने पेट की पूर्ति करता है । श्रीमन्, आज बाजारें बन्द होने के कारण, प्रदेश का जो यह 60 प्रतिशत मजदूर वर्ग है, वह परेशान हो गया है । श्रीमन्, इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, वह यह है कि इन व्यापारियों ने यह भी निर्णय लिया है कि जब तक यह उत्तर प्रदेश की सरकार, बिक्री कर और मंडी शुल्क से सम्बन्धित जो अध्यादेश है, उसको वापस नहीं लेती है, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी । इसी के फलस्वरूप मान्यवर, प्रदेश के जितने भी बिक्री कर से सम्बन्धित कार्यालय हैं, उनका उन्होंने 6 मार्च से घेराव करना प्रारम्भ कर दिया है यही नहीं, 8 दिन पहले से इस विधान सभा के सामने प्रदेश के चार व्यापारी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं । श्रीमन्, उन आमरण अनशन पर बैठे लोगों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि किसी भी समय उनकी हालत अत्यन्त चिंताजनक हो सकती है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन् जी, मैंने उनकी हालत को स्वयं वहां जाकर देखा है, किसी भी समय पर उनकी जान जोखिम में आ सकती है। सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि उस दिन इसी सदन में माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त के एक अल्पसूचित प्रश्न पर जो कि मंडी शुल्क सम्बन्धी अध्यादेश से सम्बन्धित था, पर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि बहुत शीघ्र ही मंडी शुल्क के सम्बन्ध में, बिक्री कर के सम्बन्ध में हम सरकार की नीति को यहां आकर के घोषित करेंगे इससे कोई बात स्पष्ट नहीं हुई। क्या वह बिक्री कर समाप्त करना चाहते हैं? क्या मंडी शुल्क अध्यादेश को वापस लेना चाहते हैं? यह कोई बात स्पष्ट न होने के कारण आज प्रदेश के अन्दर अनेक प्रकार की भ्रान्तियां हैं। इस मन्त्रिमंडल के माननीय कुछ सदस्य, दीदी यहां पर बैठी हुई हैं, यह व्यापारियों को लेकर आज सरकार से कुछ समझौता करना चाहते हैं। मेरी यह निजी जानकारी है कि कल वित्त मंत्री महोदय ने व्यापारियों को इस प्रकार का आश्वासन दिया है कि बिक्रीकर और मंडी शुल्क अध्यादेश वापस हो रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट के अन्दर इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है कि वित्त मन्त्री और समाज कल्याण मन्त्री के बीच में और व्यापारियों के बीच में कुछ समझौता हुआ है। माननीय मन्त्री ने सरकार की नीति को...

(व्यवधान)

*हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। सूचित करना चाहती हूं सदन को कि यह ठीक है कि वित्त मन्त्री जी ने व्यापारियों की बात सुनी थी लेकिन किसी प्रकार का कोई आश्वासन उनको नहीं दिया गया था। मैं मौजूद थी, स्वयं उपस्थित थी जो भी माननीय वित्त मन्त्री नीति निर्धारित करेंगे, वे आपके सम्मुख उसकी घोषणा करेंगे। आप थोड़ा धैर्य रखें।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, सारे व्यापारियों की हड़ताल से प्रदेश की स्थिति विचित्र हो गयी है। मंडियों की हालत इतनी खराब हो गयी है कि व्यापारी जो अपना माल बेचने के लिये लाता है, आज उसकी खरीदारी नहीं हो रही है, त्राहि-त्राहि मची हुई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि व्यापारियों की मांगों पर विचार करेंगे। यह प्रदेश का ऐसा मामला है कि आप इस पर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में नजूल की हजारों हेक्टेयर जमीन है, जिस पर अवैध रूप से बड़े लोगों ने, सत्तापक्ष के लोगों ने कब्जा कर रखा है।

श्री अध्यक्ष--

यह कब्जा अभी किया है एक हफ्ते के अन्दर या पहले से चला आ रहा है?

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, अभी लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गयी है, उससे यह प्रकाश में आया है। इससे निर्बल वर्ग के लोगों को जमीन दी जा सकती है, जिस पर सरकार के बड़े-बड़े लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मेरा निवेदन है कि सरकार के पास कोई लेख-जोखा नहीं है और न हिसाब-किताब है कि किस-किस का कितनी-कितनी जमीन पर कब्जा है? वर्ष 1970 में नवीनीकरण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रोक दिया गया था। उसके बावजूद भी इलाहाबाद में एक बहुत ही प्रभावशाली आदमी के लिये अवैध रूप से उसके नाम पर, सिविल लाइन्स एरिया में, नवीनीकरण कर दिया। इस तरह की जमीन आगरा, बनारस, गोरखपुर, बरेली, लखनऊ सब जगह पर है। सब पर अवैध कब्जे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मथुरा को क्यों छोड़ दिया आपने ?

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मथुरा में भी है, पूरे प्रदेश में है। यह जमीन अगर निकलवा दी जाय तो सरकार की जो मन्शा है हरिजनों को बसाने की, उनको बसाया जा सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आज चर्चा करा दी जाय।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, एक सूचना आपको नियम 56 के अन्तर्गत मैंने दी है यह मेरे रामपुर शहर के गंगापुर नामी बस्ती के सम्बन्ध में पिछले चार सालों से वहां के 10 हजार गरीब लोगों की बस्ती उजाड़ने का जिक्र करता आ रहा हूं और चीख-पुकार करता रहा हूं, लेकिन सरकार ने इस ओर अब तक कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया। मैं मान्यवर, उसके बारे में यह बताते हुए कि तकरीबन ढाई सौ साल पहले जब कोठी खासबाग और रामपुर का किला नहीं बना था, उस वक्त रियासत के नवाब के पास एक छोटा सा घर था और उस घर से कुछ दूरी पर एक जमीन पर कुछ हरिजनों, जनजाति व पिछड़ी जाति के लोगों

(इस समय 2 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

को बसा दिया था, यह जमीनें इन लोगों को करीब ढाई सौ साल पहले दे दी गयी थी कि वह इस पर अपने मकानात बनायें और इन जमीनों से खेती से अपनी रोजी-रोटी हासिल करें। इन लोगों के पास एक बीघे से लेकर आधे बीघे तक जमीनें हैं, जिसके यह मालिक थे

(शोर)

उक्त वक्त यह जमीन शहर से दूर थी और वहां पर कोई खासबाग या कोठी नहीं बनी थी लेकिन अब धीरे-धीरे शहर बढ़ रहा है और कोठियों की उसी हिसाब से आवश्यकता भी बढ़ रही है और शहर को खूबसूरत बनाने की एक मुहिम भी चल रही है, जबकि दूसरी तरफ यह सरकार यह कह रही रही है कि हम गरीबों को मुस्तकिल संरक्षण दे रहे हैं और उनके पूरे हमदर्द हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं

(व्यवधान)

मान्यवर, कभी-कभी अपने ही माननीय सदस्यों से शिकवा होता है।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

कहां आप उधर फंस गये, इधर आ जाइये।

श्री अधिष्ठाता--

लीजिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको दावत दे रहे हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

तो मान्यवर यह तकरीबन 10 हजार लोग हैं और इनके पास तकरीबन आधे से एक बीघे तक ही जमीन है जो शहर के बाहर है, लेकिन मान्यवर, अब यह सही है कि शहर में कोठियां बनती हैं।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, यह श्याम लाल बाजपेयी जी ऐसी-ऐसी हरकतें माननीय बल्देव सिंह आर्य जी के साथ कर रहे हैं, जो देखने के काबिल हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बचें। उनसे बचे रहिए।

श्री मुहम्मद आजम खां--

तो मान्यवर, यह 10 हजार लोग, जिनके पास आधे से एक बीघे तक जमीनें अपनी रोजी-रोटी हासिल करने और रहने-सहने के लिए थीं, लेकिन अब आवास विकास उस पर अपनी कालोनी बनाना चाहता है, इसलिए उसने इन लोगों को यह नोटिसेज दिये कि आप इस जमीन के चूंकि मालिक नहीं हैं, इसलिए 1·27 रु0 फी गज की कीमत लेकर इन जमीनों को छोड़ दें, जब कि वहीं पर अन्य लोग तीन सौ और चार-चार सौ रु0 फी गज के हिसाब से अपनी जमीनें बेंच रहे हैं, इसलिए मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता कि आप महज शहर को हसीन बनाने के लिए और बड़ी-बड़ी कोठियां बनवाने के लिए इन गरीबों की जमीनें जबरन छीन रहे हैं जिसका किसी को हक नहीं होना चाहिए। 1·27 रु0 फी गज के हिसाब से छीन रहे हैं तो कभी आपने यह भी सोचा है कि यह 10 हजार गरीब लोग कहां जायेंगे और कहां पर अपनी रोटी कमायेंगे, इसलिए

(इस समय 2 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं तो यह कहता हूं कि इन 10 हजार लोगों को अपनी जमीन से बेदखल करके आप क्या इनको डकैती करने की या चोरी करने की सलाह देंगे, मैं यह भी जानता हूं कि ऐसी सलाह आप उनको कभी नहीं देंगे।

मैं यह भी मानकर चलता हूं कि इनसे शहर की खूबसूरती खराब हो रही है, शहर का हुस्न खत्म हो रहा है। रामपुर जैसे छोटे से शहर में 7 पिक्चर हाल हैं जिनको इजाजत किस अधिकारी ने दी तो उनसे पिक्चर हाल की खूबसूरती पर धब्बा आ रहा है। मैं यह मान कर चल रहा हूं कि उस शहर की खूबसूरती पर गंगापुर की वजह से धब्बा आ रहा है और यह बस्ती मखमल के शहर पर टाट का पैबन्द लगती है। लेकिन जरा यह भी सोचें कि इन 10 हजार लोगों को अपनी जिन्दगी गुजारने के लिये, रोटी कमाने के लिये कौन सा जरिया होगा? जब इन 10 हजार लोगों ने अपनी मांग को लेकर सरकार से कहा कि हम जमीन नहीं छोड़ेंगे तो वहां के लोगों की पिटाई की गयी, 200 औरतों को पकड़ लिया गया, जेल भेजा गया, जमानत हुई, अभी तक मुकदमें चल रहे हैं। तीन दिन पहले वहां पी0 ए0 सी0 और सी0 आर0 पी0 पहुंच गयी है। वहां के लोगों को ताकत के बल पर, डंडे के बल पर पुलिस के जरिये परेशान करके यदि आप शहर की खूबसूरती के लिये उस बस्ती को उजाड़ना चाहते हैं तो कम से कम उन गरीबों को उनकी उस जमीन का मुआविजा उस दर पर जो कि इस समय वहां पर है 250 रु0 या 300 रु0 के हिसाब से वहां के काश्तकारों को दें। यह जमीन उनकी है और आप उनसे इसको छीन रहे हैं इसलिये उसकी सही-सही बदल होनी चाहिये अगर इन लोगों का निकाला जाना जरूरी ही है तो आप गंगापुर के लोगों को शहर के बाहर कहीं इसी तरह की जमीन दे दें और उनको रहने के लिये जगह मुहैय्या करा दें और साथ ही यह भी आश्वासन दें कि यदि शहर बढ़ते-बढ़ते फिर उनकी जमीन तक पहुंच जायेगा तो भी फिर उनको यह जमीन छोड़नी नहीं पड़ेगी। यह 10 हजार लोग जो बेदखल नहीं होंगे।

मान्यवर, मैं नियम 56 के अन्तर्गत इस मसले को उठाकर इस पर चर्चा की मांग करता हूं और चाहता हूं कि सरकार से फौरी तौर पर आप इस पर वक्तव्य दिला दें ताकि हम उन 10 हजार लोगों को बता सकें कि सरकार उनके बारे में कुछ करने के लिये सोच रही है।

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, काफी अरसे पहले आपको याद होगा कि इस शहर में एक काण्ड हुआ था, यह काण्ड नीलम काण्ड के नाम से हुआ था। मान्यवर, नीलम काण्ड हुआ, एक कर्मचारी की पुत्री की इज्जत के साथ चलने वाले तमाम कर्मचारियों को आज दण्डित किया जा रहा है और नीलम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं हुआ। एक ओर सदन के सामने मंत्रीगण एक तरह का जवाब देते रहे और अधिकारी लोग दूसरी तरफ दूसरी तरह की कार्यवाही करते रहे। मान्यवर, 6 सितम्बर को यह मसला यहां उठा था तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उनके मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है और उस सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का नतीजा यह निकला कि आज 8 कर्मचारियों को सेवा से मुक्त कर दिया गया, कई कर्मचारियों के मामले अभी अनिर्णीत पड़े हुए हैं। 28 फरवरी, 1983 को इस सम्बन्ध में कर्मचारियों ने आमरण अनशन किया था। इससे भी ज्यादा गम्भीरता की बात माननीय मुख्य मंत्री ने इसी सदन के सामने कही थी कि उन कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों के खिलाफ सी0 आई0 डी0 की तथा मैजिस्ट्रेट की जांच चल रही है, उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आयी है, इसलिये उनके निलम्बन वापस करने की कार्यवाही सम्भव नहीं है। निलम्बन वापस करने की बात तो अब दूर हो गयी बल्कि अब तो उनको सेवा से मुक्त किया जा रहा है, साजिशपूर्ण ढंग से उन्हें सेवामुक्त किया जा रहा है लेकिन इससे कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष व्याप्त है।

एक तरफ उनको सेवा से मुक्त किया जा रहा है और कल माननीय मित्रसेन यादव के प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि अभी मजिस्ट्रीयल जांच पूरी नहीं हुई है। अगर पूरी नहीं हुई है तो उनको सेवा से मुक्त क्यों किया जा रहा है। जब जांच पूरी हो जाती है तो विभागीय कार्यवाही की जाती है लेकिन वहां पर पहले ही सेवा से मुक्त किया जा रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर जो कुछ घटित हुआ उसके पीछे सेक्रेटरी कमल पान्डेय का हाथ है, लेकिन वह आज भी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जहां इन कर्मचारियों की जिन्दगी और मौत का सवाल है, उनको दरदर भटकने के लिये मजबूर कर रहे हैं जो कुछ कार्यवाही की जा रही है वह कमरे में बैठ कर गढ़ी गयी है, इसको आप देखें। ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस सबूत से अगर किसी कर्मचारी को सेवा से मुक्त किया जाता है तो निश्चित रूप से सचिवालय के कर्मचारियों में असंतोष पैदा होगा। इन कर्मचारियों के असन्तोष को देखते हुए राज्यपाल आर्डिनेन्स करते चले जा रहे हैं। सिर्फ इसलिये कि सचिवालय के कर्मचारी अपने भाइयों की हमदर्दी में अपनी जबान न खोल सकें। सचिवालय पूरे प्रदेश का हृदय स्थल है और हृदय स्थल पर इस तरह की चोट की जा रही है तो क्या हालत होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर चर्चा करा दें।

श्री मसरूर जाफरी--

जो प्रश्न उठाया है, वह पिछले सत्र में भी उठा था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मैं आप को अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

*श्री मसरूर जाफरी--

मेरी व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ है । गृह सचिव घटना के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं और केवल कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है ।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष, मैं दो बातों के बारे में कहना चाहता हूं, जैसा कि आपने आदेश दिया है । एक तो माननीय आजम खां ने कुछ हरिजनों की जमीन के बारे में कहा है कि उनको हटाया जा रहा है । मान्यवर, इसकी पूरी जानकारी नहीं है । जानकारी करा कर किसी स्थान पर उनको बसाया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनको असुविधा न हो । जो वर्मा जी ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है, इसके पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है और प्रश्न में उत्तर दिया जा चुका है और कहा गया है कि कार्यवाही की जायेगी उन्होंने कहा कि निलम्बन समाप्त किया जायेगा यह कहीं पर नहीं कहा गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैंने निलम्बन की बात नहीं कही है ।

श्री अम्मार रिजवी--

जो भी उचित कार्यवाही होगी वह की जायेगी । जिन लोगों ने जवाब दे दिये हैं, जिन्हें चार्जशीटेड किया गया था उनके ऊपर जो भी उचित कार्यवाही थी वह की गई । इसमें किसी तरह से बदले की भावना के साथ काम नहीं किया गया है अगर वर्मा जी किसी जगह पर समझते हैं और कोई व्यक्तिगत मामला जिसको वह जानते हों तो बता दें, उसको देख लिया जायेगा । यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है जो कुछ कार्यवाही हो सकती है वह जांच पूरी होने के बाद की जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने अभी जवाब दिया मैं उस चीज को स्पष्ट करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप व्यवस्था के नियम को देखें । आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह सब कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, 3 बजने वाले हैं, कब तक यह चलेगा ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

श्रीमन्, तीन-तीन और चार-चार सदस्य एक साथ खड़े हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह आप मुझसे न कहें, इनको समझाइये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

यह एक व्यवस्था का प्रश्न है ..

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट [× ×]--यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । माननीय वर्मा जी, आप बैठें। कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

सुनने से पहले आपने कैसे समझ लिया कि वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

आप इस तरह से आक्षेप नहीं करेंगे !

श्री राम आसरे वर्मा--

आक्षेप नहीं कर रहा हूं । आपका निर्णय शिरोधार्य है ।

श्री अध्यक्ष--

(संसदीय कार्य मंत्री से) आप उनको चाय पर बुलायें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

आप सुन तो लें ।

[× × ×]

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो कर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा । मैंने आपको कहा है कि वे आपको बा-इज्जत अपने कमरे पर चाय पर बुलायेंगे । तब भी यदि आपकी समस्या हल नहीं होती है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न न लें । व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम आसरे वर्मा, आप बैठें । आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठें । मैंने आपसे कहा कि संसदीय कार्य मंत्री आपको बुलायेंगे और उसके बाद आपकी समस्या हल नहीं होती है तो मैं आपको और उनको, दोनों को बुलाऊंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह दो साल से इस सदन को गुमराह करते आये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप विशेषाधिकार का सवाल कीजिए ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, क्या यह सब लिखा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

कुछ नहीं लिखा जा रहा है ।

श्री गौरी शंकर भैया--

मान्यवर, आपने मेरा नाम लिया था ?

(श्री राम आसरे वर्मा के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें । मैंने श्री गौरी शंकर भैया को बुलाया है ।

*श्री गौरी शंकर भैया--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नियम 56 के अन्तर्गत एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन ने फैसला किया है कि आज तक जितने भी पूर्व माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने मान्यताओं की शर्त को पूरा नहीं किया है, उनको समाप्त कर दिया जायेगा। मैं इसी तरह का एक उदाहरण बस्ती जनपद के 120 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को मान्यताओं को समाप्त किये जाने के बारे में देना चाहता हूं। मान्यवर, वहां पर इन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 1 लाख 50 हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। आज उनके सामने यह सवाल पैदा हो गया है कि वे किस स्कूल में जायें, कहां दाखिला करायें, उनका भविष्य क्या होगा? दूसरी तरफ जो अध्यापक उन विद्यालयों में कार्यरत थे उनके सामने रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है। जो टेम्परेरी स्कूल हैं यहां गेट पर उनके अध्यापक हफ्तों से हड़ताल कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। स्कूल की शर्तें पूरी नहीं हुई, स्कूल नहीं बनाये गये, इसमें उनका क्या दोष है। वे इसीलिये अनशन कर रहे हैं कि उनका कोई फाल्ट नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि यह शासन की नीति के खिलाफ है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक बिन्दु और भी है, जिसे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

इस तरह से तमाम स्कूल प्रदेश में चल रहे हैं और उनको मान्यता की शर्तों के पूरी करने के संदर्भ में शासन ने नीति अपनाई है वह भेदभावपूर्ण है। जो मैनेजमेंट का आदमी इनके इंस्पेक्टर को घूस देते हैं, चाहे कहीं स्कूल न चल रहे हों उनको मान्यता दे दी जाती है और जो सारी शर्तें पूरी कर चुके हैं और स्थायी मान्यता चाहते हैं उनको मान्यता नहीं दी जाती है। औरों को दी जाती है आप इजाजत देंगे तो मैं ऐसे पचासों स्कूलों के नाम बता सकता हूं जहां पर फर्जी स्कूल चल रहे हैं, केवल कागज पर चल रहे हैं और इन्सपेक्टर लिख कर दे देते हैं तो उनको मान्यता दे दी जाती है। कुछ स्कूल 1964 के हैं कुछ पूर्व माध्यमिक स्कूल सन् 1948 से चल रहे हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था तब से चल रहे हैं जिनकी सारी शर्तें पुरी हो गयी हैं लेकिन उनको मान्यता नहीं दी जाती है। जनता शासन के दौरान और उससे पहले भी एक क्रम बना दिया गया था जो इन शर्तों को पूरा करेंगे उनको मान्यता देने का काम शासन करेगा। लेकिन बस परम्परा को तोड़ दिया गया है और जो फर्जी स्कूल हैं जिनको इनके लोग ले आते हैं उनको मान्यता मिल जाती है तो कांग्रेसी लोगों की पौबारा हो रही है जिनको उन्होंने कह दिया मान्यता दे दी जाती है। एक नहीं ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जो 1964 से 1965 से या 1977 से अस्थायी मान्यता प्राप्त कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनको अनुदान की सूची में नहीं लिया गया है। इस तरह से दो बिन्दुओं पर मैंने ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि बस्ती में आज 1 लाख 50 हजार विद्यार्थी सड़क पर जा रहे हैं इसी तरह से दूसरी जगहों पर इलाहाबाद बनारस आदि में भी हैं जहां पर इनकी नीति के कारण विद्यार्थी सड़कों पर जाने वाले हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि शासन का इस पर वक्तव्य दिलवा दें ताकि छात्रों और मास्टरों की स्थिति में गिरावट न होने पाये।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, विधान सभा गेट पर एक महीने से आई0 टी0 आई0 से निकले बेरोजगार नव युवक अनशन पर बैठे हैं उन्होंने नोटिस दिया है कि 13 तारीख तक उनकी मांग न मानी गयी तो वे क्रमिक अनशन पर बैठेंगे जो बीत गया है अब वे दो तारीख के आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनकी स्थिति चिन्ताजनक है। भारत सरकार ने एक आदेश किया है 23 मार्च, 1983 को जो सभी राज्य सरकारों को गया है कि जहां-जहां उनके प्रतिष्ठान हैं उनमें 50 प्रतिशत इन टेक्नीशियन्स को रखा जाय। लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई

प्रतिष्ठान नहीं है जिसने उनको रखा है, सारे प्रतिष्ठानों ने लिख दिया है कि 'नो वेकेन्सी'। तो इन लोगों की उम्र 28 साल से ऊपर हो गयी है 30, 32 वर्ष हो गयी है इसलिए उनकी सरकारी नौकरी में आप नहीं लेंगे। इन नौजवानों ने पहले जिलाधिकारियों के समक्ष अनशन किया और अब विधान सभा गेट पर अनशन कर रहे हैं। इस प्रकार 28 हजार युवकों का जीवन अधर में लटका हुआ है। हजारों की संख्या में इस प्रकार के युवक हर साल निकल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर वक्तव्य दें और विधान सभा की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय।

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय गौरी शंकर भैय्या ने बस्ती के विद्यालयों के बारे में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। आप स्वयं जानते हैं कि रिकगनिशन के लिए एक अलग से कमेटी बनी है जिसमें सरकारी अधिकारियों के अलावा पब्लिक के लोग ज्यादा हैं। जो विद्यालय उन्होंने बताये कि 120 विद्यालय ऐसे हैं उनके बारे में जांच करा लूंगा अगर कहीं पर कोई ज्यादती हुई है और शर्तें पूरी करते हैं और उनको मान्यता नहीं मिली है तो उसको दिखवा लूंगा।

जो माननीय नन्द किशोर सिंह जी ने बात आई0 टी0 आई0 के छात्रों के बारे में कहीं तो उनकी डिमांड के ऊपर सहानुभूतपूर्वक सरकार विचार कर रही है और जो मानने योग्य हैं उनको अवश्य माना जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट के खड़े होने पर) आप बैठें।

नियम 56 के अन्तर्गत आयी सूचनाओं पर मैंने माननीय सदस्यों को सुना। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना की जहां तक सम्बन्ध है मैं जांच के लिए शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसमें जांच की जाय।

श्री सरदार सिंह, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री राम आसरे वर्मा, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री गौरी शंकर भैय्या और श्री कुवेर भंडारी की सूचनाओं पर भी जांच की जाये और खासतौर से सभी मामलों पर जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाय। नियम 56 में मैं किसी को स्वीकार नहीं करता।

कार्य-स्थगन की सूचनाओं के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्देशों का मंत्रियों द्वारा पालन न किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

(व्यवधान)

(आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिये श्री माता प्रसाद पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि नियम 56 में सूचनाओं पर आप शासन का ध्यान आकृष्ट करते और निर्देश देते हैं और कहते हैं कि तुरन्त कार्यवाही करें लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार शासन न तो माननीय सदस्यों को ही और न आपको ही उसकी सूचना देता है। इसलिये आपके निर्देशों को यह इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। आपने अनेक निर्णय और निर्देश दिये हैं लेकिन आज तक आपके दिये हुये निर्देश के अनुसार कितने माननीय सदस्यों के पास जो कार्यवाही किया उसकी लिखित या मौखिक सूचना दिया है, मैं तो कहता हूं कि कोई सूचना नहीं दिया है। इसलिये इस पर आप व्यवस्था दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, व्यवस्था देने से पहले मैं बहुत नम्रता से कहना चाहूंगा कि आपने एक दिन आदेश दिया कि अग्निहोत्री जी मेरे कक्ष में आकर बात करलें लेकिन मैंने उनका उस दिन इतजार किया और वह नहीं आये । दूसरे दिन फिर 9.45 तक इंतजार करता रहा लेकिन नहीं आये तो उसी दिन मैंने उनको पत्र लिखा और उसकी प्रति आपको भेजी है । यह चाहते हैं कि जितनी बातें यहां होती हैं और आश्वासन होते हैं, उसी दिन तुरन्त सम्बन्धित विभाग को उसी दिन यहां से लिख दिया जाता है और उसकी सूचना आपको भेज दी जाती है । मैं चाहूंगा कि जिनकी प्रतिलिपि आपके यहां हैं उनको मंगाकर माननीय सदस्य को दिखा दें ।

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में जो सूचनायें प्राप्त होती हैं उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि इस प्रदेश की जनता ने इस प्रदेश के नवजवानों ने जो अपेक्षायें, आकांक्षायें इस सरकार के आने वाले बजट में रखीं थीं उनको वित्त मंत्री ने

(इस समय 3 बजे अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पुनः पीठासीन हुये।) निराशा में बदल दिया। विगत तीन वर्षों से निरन्तर घाटे का बजट पेश हुआ और इस बार भी बजट आया तो उसमें भी 2 अरब 72 करोड़ 52 लाख रुपये का घाटा दिखाया गया । मान्यवर, कोई अच्छी सरकार अपने राजस्व प्राप्तियों से अच्छा काम करती है लेकिन यह घाटे का बजट बार-बार पेश करना अच्छी बात का द्योतक नहीं है । जो घाटा बजट में दिखाया गया है उसकी पूर्ति में नहीं बताया गया कि किस मद से पूरा किया जायेगा ।

मान्यवर, इन्होंने लोक लेखा निधि से 2 अरब 13 करोड़ 40 लाख रुपये लेकर अपने घाटे को पूरा करने की बात किया है । मैं नहीं समझता कि लोक लेखानिधि का धन सरकार का निजी धन नहीं होता है वह तो जनता की कमाई, थाती होती है और केवल उसे इन्हें खर्च करने का अधिकार मिलता है लेकिन जो यह रुपया लोक लेखानिधि से लिया गया है उसका प्राविधान नहीं किया गया कि आने वाले दिनों में उसको कहां से वापस करेंगे । इसका परिणाम है कि प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश का कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है । दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें जो राजस्व व्यय है इस बजट में पिछले वर्ष से बढ़ा है लेकिन वह किन मद में बढ़ा है वह मैं बताना चाहता हूं कि उसमें अधिकांश हिस्सा इनके कर्मचारियों के वेतन और भत्ते एवं आवास निर्माण में खर्च हुआ है । इसमें जो आयोजनागत व्यय है, मंत्री जी ने दिखाया है, इसमें यह कम है और आयोजनेतर व्यय ज्यादा है। कोई अच्छा बजट वह होता है, जिसमें आयोजनागत मदों में धनराशि ज्यादा मात्रा में दी जाए। जब धन ज्यादा मात्रा में नहीं दिया जाएगा तो बहुत सी योजनायें अधूरी पड़ी रह जाएंगी और बर्बाद हो जायेंगी । इसका परिणाम यह होता है कि जब योजना तैयार होती है और समय से धन नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो उसकी कास्ट बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप संसाधनों की अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है । चाहे उसके लिए ऋण लिया जाए, चाहे कर लगाया जाए। उत्तर प्रदेश में एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† दिनांक 6 मार्च, 1984 की कार्यवाही से।

सरयू परियोजना हमारे क्षेत्र से होकर गुजरती है, उसके बारे में मैंने जानना चाहा था कि कितने की योजना है, तो मालूम हुआ कि 3 अरब 98 रुपये की वह योजना है। किन्तु उस पर अभी तक केवल 66 करोड़ रुपया आबंटित किया गया है। इतना ही नहीं यह जो इतना 66 करोड़ रुपया दिया गया है, उसमें से कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है न नहर खोदने का कोई काम हुआ है न पानी बांधने का कोई काम हुआ है। केवल इंजीनियर्स और अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन और आवास पर सारा पैसा खर्च हो गया है।

मान्यवर, इस समय हमारे यहां चकबन्दी भी चल रही है, पर उसको देखते हुए सरयू परियोजना के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इतना भी अब तक नहीं किया है कि किस-किस गांव से उनकी नहर जा रही है, जिससे वह उनको सूचित करके उस गांव की सामूहिक जमीन छुड़वा सकें। तो इनका आयोजनागत व्यय का जो कम खर्च रहा, उसका परिणाम यह है कि हमारी योजनाएं सब खटाई में पड़ी हुई हैं। हमारे ऊर्जा मंत्री ने बड़ी होशियारी से आंकड़े दिखा दिए हैं और कह दिया कि विद्युत् का उत्पादन बढ़ गया। इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 79-80 में जो अधिष्ठापित क्षमता थी वह 3254 मेगावाट थी और उसमें से विद्युत् उत्पादन हुआ 10124 मिलियन यूनिट्स, और 1982-83 में अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर हो गई 3770 मेगावाट से अब बिजली का उत्पादन बढ़कर 12584 यूनिट हो गया। तो इसमें आप यह कह कर जनता को कैसे धोखा दे सकते हैं कि विद्युत् उत्पादन बढ़ा है, जबकि वास्तविकता यह है कि जब आपकी अधिष्ठापित क्षमता बढ़ी है तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा, इसमें कोई नई या विशेष बात नहीं है। इसके सम्बन्ध में भी मैं आपको आंकड़े बता दूं कि पुरानी अधिष्ठापित क्षमता पर 30.11 मिलियन यूनिट बजली पैदा हुई और इनके टाइम पर 30.4 कुछ पैदा हुई, तो फिर यह फर्क तो बहुत मामूली है। किसी भी साधारण आदमी को जो बहुत ज्यादा जानकार नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं रखता है, उसको जानकारी लेने के लिए यह धोखा किया गया है और उसके लिए काफी है। उसको इन्होंने मिलियन यूनिट में दिखाया है, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि इतनी बिजली बढ़ गयी है। यह इनकी अपनी कारगुजारी नहीं है, जो उसकी अधिष्ठापित क्षमता बढ़ी है, उसके कारण यह उत्पादन बढ़ा है। तो मंत्री जी ने इसमें हर तरह से धोखा देने और सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है। यह सरकार जो नकारा है, संकल्पहीन और नपुसंक हो चुकी है, उसको अच्छा बताने का इनके माध्यम से प्रयास किया गया है।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान बेरोजगारी की समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं। उसके बारे में मंत्री जी ने बताया है कि 86 हजार शिक्षित नौजवान बेरोजगारों को स्वतः रोजगार योजना के अन्दर 25 हजार रुपया बैंकों से ऋण दिलवाकर रोजगार प्रदान किया जाएगा। हमारे हाथ में कुछ आंकड़े हैं, जो केवल हरिजन विभाग के हैं, जिसमें हरिजनों के बारे में दिया गया है कि पूरे प्रदेश में हमारे कुल हरिजनों की संख्या जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उनकी कुल संख्या 9 लाख 80 हजार हैं और पूरे एक वित्तीय वर्ष में 49 हजार लोगों को काम दिलाने की बात कही गई है और यदि उसमें यह 36 हजार भी मिला लिए जो अगले वित्तीय वर्ष के हैं, जिनके माध्यम से उनको काम मिलेगा उस हिसाब से आपको 26 वर्ष लग जायेंगे, उनकी बेरोजगारी मिटाने में।

मान्यवर, लघु सीमान्त और सीमान्त कृषकों के लिए बजट में 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें एक ब्लाक को 5 लाख रुपये के कृषि पैकेट बांटे जायेंगे। इन कृषकों की संख्या को देखते हुए मेरा निवेदन है कि इस रकम को और बढ़ाया जाये, यह बहुत कम

है। उत्तर प्रदेश में गांवों में 48·94 तथा शहरों में 34·00 परसेंट लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। इन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए जो धन का प्राविधान आपने इस बजट में किया है वह बहुत कम है। आई० आर० डी० पी० की आपकी जो योजना है, उसमें आप कितने लोगों को रोजगार दे पायेंगे ?

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी का 22 परसेंट हरिजन हैं और 0·02 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं। यह आर्थिक और समाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इनको आर्थिक सुविधायें देकर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहिए। अधिकतम सुविधा मिलनी चाहिए परन्तु इनके अलावा 26 परसेंट लोग ऐसे बच जाते हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। उनको ऊपर उठाने की क्या योजना आपके पास है ? आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत आप हरिजनों को 4 प्रतिशत ब्याज पर रुपया देते हैं तथा 1/2 छूट देते हैं जो और लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनके लिये आप क्या कर रहे हैं उनको भी यह सुविधा मिलनी चाहिये। हमारी सरकार ने एक अन्त्योदय योजना चलायी थी ऐसे लोगों के लिए, आप ने उसे बन्द कर दिया। बैंकों से कर्ज लेने की जो आपने योजना बनायी है उसमें छूट देर से मिलती है जिससे ब्याज अधिक पड़ जाने के कारण जो लाभ उनको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण और आपकी गलत योजनाओं के कारण जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, वे गरीबी के रेखा से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आज प्रदेश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हरिजनों से भी ज्यादा गरीब हैं। ये लोग गांवों में झोपड़ियों में रहते हैं और आपने इनके लिए कोई योजना नहीं बनायी है। इन लोगों के लिए भी आप 4 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने की व्यवस्था कीजिये।

मान्यवर, पिछले 10 वर्ष के आंकड़े से यह पता चलता है कि केवल 4 प्रतिशत ऐसे हरिजन हैं जिनको आपने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। इस रफ्तार से आप यदि चले तो इन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में इतना समय लग जायेगा कि तब तक न माननीय वित्त मंत्री जी रह पायेंगे और न ही हम लोग ही रह जायेंगे।

मान्यवर, पिछले बजट में ग्रामीण किसानों के लिए, दैवी आपदा के कारण सहायता देने के लिए 2 करोड़ रुपयों की व्यस्था की गई थी, मगर इस वर्ष के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने उसे गायब कर दिया है। किसानों की तरफ ऐसा लगता है कि उनका ध्यान ही नहीं गया। वह व्यवस्था क्यों खत्म कर दी गई ? इस मद में जो लेखा शीर्षक 350 है, उसमें उसके आगे जीरो लिखा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि यह बजट किसान विरोधी बजट है। सरकार को किसानों के हित की बिल्कुल चिन्ता नहीं है।

एक बात मान्यवर, और कहना चाहता हूं। बड़े-बड़े उद्योगों से या बड़ी-बड़ी योजनाओं से किसान का भला होने वाला नहीं है। जो बड़ी-बड़ी योजनायें आपकी सिंचाई की हैं उससे भी सिंचन क्षमता बढ़ी नहीं है। एक हेक्टेयर सिंचाई के लिए 7,800 रुपये की आपकी परियोजना है। यदि इसको आप छोटी परियोजना में परिणत कर दें तो इसी से 7 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, मैं अभी समाप्त करता हूं मान्यवर, शासन का यह कहना है कि वह बड़ा सजग है कानून और व्यवस्था को ठीक करने के संबंध में। मान्यवर, मैंने एक प्रश्न इसी सदन में किया था जिसका जवाब मुझे मिला था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे बस्ती जिले के पुलिस कप्तान ने

सारे गुंडों को पाल रखा है। मैंने वहां के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ चार्ज लगाये थे। मैं नहीं समझ पाया हूं कि यह दीक्षित डी0 जी0 हैं या पंडित श्रीपति मिश्र हैं। मैंने मिश्रा जी को उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दिया था, मिश्रा जी ने डी0 आई0 जी0 को जांच अधिकारी नियुक्त किया जांच करने का। जब मेरा बयान अखबार में आया कि थाने नीलाम होते हैं तो वह फौरन बस्ती गये। वहां पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इसकी जांच हो रही है या नहीं तो उन्होंने कहा कि जांच नहीं हो रही है। तो इस प्रदेश में मुख्य मंत्री का आदेश चलता है या दीक्षित डी0 जी0 का आदेश चलता है यह जानकारी होनी चाहिए। मेरे जिले में पिछले 5 महीनों में 47 डकैतियां पड़ी जिनमें से 24 में गिरफ्तारी हुयी और 23 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे भी अधिक डकैतियां पड़ीं यदि यह आरोप सही साबित न हों तो मैं असेंबली से इस्तीफा देने को तैयार हूं इस राज्य में चोरी को चोरी नहीं माना जाता है। बस्ती जिले में पिछले 5 महीनों में 489 चोरियां हुयीं जिसमें 367 में फाइनल रिपोर्ट लगायी गई और 89 में चार्जशीट लगायी गई और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, 21 राहजनी हुई जिसमें से 9 में चार्जशीट लगायी गई और बाकी में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। 30 हत्यायें हुयीं जिनमें से 7 फाइनल रिपोर्ट लगायी गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में, इस नपुंसक सरकार और संकल्पहीन सरकार दिशा विहीन सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि इस बजट को वापस लें और गरीबों के हित के लिए रोजगार परक योजना बनाकर नया बजट प्रस्तुत करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

सामान्य बजट पर जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं उनको अब समय नहीं दिया जायेगा।

*श्री शिव नारायण सिंह नेगी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं इस बजट को ताईद करता हूं। मैं ऐसा सोचता हूं कि आजादी के बाद दिन प्रति दिन हम विकास की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर विकास की किरणें पहुंच रही हैं। यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें रोजगार की गारंटी, विधवाओं की पेंशन और हरिजनों के उत्थान के बारे में कदम उठाये गये हैं। आई0 आर0 डी0 तथा अन्य स्कीमों में इनके विकास करने की बात है। इसके अलावा मान्यवर, आज जो हम विकास की किरणों को तेजी से देख नहीं पा रहे हैं उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि आज यह देखा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों तथा आम जनता में अनुशासनहीनता है। इसी के कारण जैसी आशा और जैसी उम्मीद हम करते थे कि आजादी के बाद यह देश आगे बढ़ेगा उतना आगे नहीं बढ़ा। इसी अनुशासनहीनता के कारण विकास के कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। शासन से मेरा आग्रह है कि सरकार इस दिशा में कदम उठाये और अनुशासन-हीनता पर अंकुश लगाये।

मैं और अधिक न कहकर अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी 19 फरवरी को हमारे वहां रामनगर में ओलावृष्टि हुई। सात गांवों में जहां पर हरिजन बाहुल्य हैं उन गांवों में ओला गिरा जिससे उनकी फसलें बरबाद हो चुकी हैं। उनके सामने खाने के लिए और चारे के लिए समस्या है। इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे यहां बाढ़ से उत्पादन योग्य भूमि जो है उसका कटाव हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय और बाढ़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जाय। भूमि संरक्षण विभाग की ओर से जो काम किया जाता है वह संतोषजनक नहीं है। तो इस ओर ध्यान दिया जाय। जैसा मैंने पहले कहा कि अनुशासनहीनता के कारण, रख-रखाव का काम ठीक से नहीं किया जाता है जिसके कारण विकास की गति धीमी होती है। आपके माध्यम से मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि नैनीताल जिले के भावरी क्षेत्र में सिचाई के लिए जो गूलें बनायी गयीं थीं काफी दिनों से उनकी सफाई नहीं हुयी है जिससे खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जब विभाग वालों से कहा जाता है तो वह कहते हैं कि गूलें साफ करने के लिये कोई ग्रांट नहीं मिली है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं। एक बात और यह कहना चाहता हूं कि हल्द्वानी के क्षेत्र में जमरानी बांध का निर्माण हुआ है। इस पर 7 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। वहां पर बहुत आबादी बढ़ी है जिसके कारण पानी की कमी सिंचाई के लिये हो गयी है। गोला नदी के पानी का इस्तेमाल ज्यादा होने के कारण सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भावरी क्षेत्र में खासकर जहां पर ट्यूबेल नहीं बन सकते हैं, जहां तक गोला नदी के पानी का सवाल है, तो वहां पानी की व्यवस्था की जाय नहीं तो गांव वीरान हो जायेंगे इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि आई० आर० डी० स्कीम में और दूसरी स्कीम में पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम पैसा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से जानकारी करना चाहता हूं कि नैनीताल जिला में 5 करोड़ रुपया आई० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत जो ऋण वितरण किया जाना था तो उसमें 1 करोड़ सहकारिता विभाग की ओर से दिया गया है और बाकी दूसरे बैंकों पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ बड़ौदा से दिया गया है तो जो पैसा दिया गया है वह बहुत कम है इसमें और पैसा दिया जाना चाहिये। एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं कि नैनीताल शहर में जो नैनी तालाब है उसका जो जल है वह दूषित होता जा रहा है क्योंकि गन्दी नालियां उसमें डाली जा रही हैं। उसकी सफाई करने और उसको आकर्षित बनाने के लिये बजट में प्राविधान किया जाय जिससे टूरिस्ट लोग आकर्षित हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और अनुगृहीत हूं। मान्यवर, सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि माननीय वित्त मन्त्री जी आज सदन में मौजूद हैं और हमारी बात वह सुन सकेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट की केवल एक विशेषता मुझे मालूम पड़ती है और वह यह है कि आज तक, इस कांग्रेस की सरकार के पास, प्रारम्भ से अब तक जबसे यह सरकार आयी है, तब से लेकर, कोई भी कांग्रेसी चमचा ऐसा नहीं मिला जो बजट बनाकर विधान सभा में पेश कर सकता। यह नौसिखिये, बुधमु हैं बच्चे जो हैं जो सामने आकर बेंचों पर बैठ गये हैं उनमें क्षमता नहीं है

कि एक बार भी प्रदेश का बजट रख सकें। इसलिये इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और देश के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री हमारे नेता चौधरी चरण सिंह के शिष्य, उनकी छाया में विकसित, पल्लवित और पोषित एक नेता श्री ब्रह्मदत्त को यह सौभाग्य दियागयाहै कि यह बजट को पेश करें। यही इस बजट की मात्र एक विशेषता की बात है।

(3 बजकर 20 मिनट पर)

पर दुर्भाग्य की बात इसमें यह है कि यहां से वहां तक जाने में जो मंजिल इनको पार करनी पड़ी है उस मंजिल को तय करते हुए जितना मानसिक व वैचारिक परिवर्तन आया है उसकी विकृति इस बजट में भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि घाटे की सरकार और घाटे का बजट। आज तक जितने भी बजट रखे गये उसमें घाटे की अर्थ व्यवस्था न होती या इस तरह की राहत मिलती, प्रदेश की जनता सोचती कि हमको कुछ मिल रहा है।

मान्यवर, 1980-81 में जो बजट रखा गया वह 17.99 करोड़ घाटे का था 1981-82 में 97.46 करोड़ घाटे का था, 1982-83 में जो बजट रखा गया वह 128.97 करोड़ के घाटे का था। जो 1983-84 में रखा गया वह 119.29 करोड़ घाते का था और अब 1984-85 में जो बजट रखा है 59.32 करोड़ घाटे का है इसमें जो जानकारी की गई है वह यह है कि इन्होंने जो बजट रखा है इसमें जो सबसे बड़ी बात कही गई है वही सबसे बड़ी झूठ बात है वह यह है कि मूल घाटा 272.72 करोड़ का है, इसमें इन्होंने लोक लेखा को जो संचित जमा रांशि है उसकी रकम 213.40 करोड़ को मूल घाटे से घटा दिया है। तो जो लोक लेखा समिति का धन था उसका घाटे में समावेश कर लिया गया है। यह सरासर जालसाजी है मैं चाहता हूं कि इस जालसाजी को दूर किया जाय। मान्यवर, मैं दो बात घाटे के बजट के बारे में कहना चाहता हूं दुनिया के किसी अर्थशास्त्री ने कभी यह सलाह नहीं किया कि घाटे का बजट अच्छा होता है। मान्यवर, जब बजट रखा जाता है तो उस बजट के अन्दर यह प्राविधान होना चाहिये कि प्रदेश के अन्दर या देश के अन्दर जो पूंजीवाद बढ़ रहा है उसको नियमित कैसे किया जाए। विश्व के सभी देश केवल साम्यवादी देशों को छोड़कर बाकी देशों के बजट में ही यह प्राविधान होता है कि एक वर्ग की बढ़ती आय को रोका जाय इसको नियमित करने का तरीका केवल यह है कि जिस वर्ग की आय बढ़ रही है उस पर कर-भार डाल कर कर की धनराशि से सामान्य जनता के विकास की योजनायें तैयार की जाय। यह वित्त मन्त्री की, सरकार की, बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि वह टैक्स लगावें जिसका पूरा का पूरा भार पूंजी-पति पर पड़ता हो और जो आमदनी बढ़ रही है उसे रोका जा सके।

मान्यवर, जो बजट रखा जाता है उसमें आमदनी को रोकने और सामान्य जनता को राहत देने का कोई भी प्रयास नहीं रहा। मान्यवर, एक बात और है कि घाटे को नियमित करने के लिए यह हमेशा एक ही घिसीपिटी बात कहते रहे हैं कि खर्च में कमी करेंगे, राजस्व बढ़ावेंगे आदि-आदि। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्व व्यय विगत तीन वर्षों में एक लाख 891 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.950 करोड़ हो गया है। अर्थात् 60 फीसदी की वृद्धि कर दी गई है। प्रशासनिक व्यय में 20 प्रतिशत वृद्धि कर दी गयी है तो एक तरफ तो कहते हैं हम नियमित करेंगे दूसरी ओर यह व्यय रोज बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात मान्यवर, इन्होंने यह कही है कि बजट में जो घाटा है, उसकी पूर्ति की व्यवस्था सरकारी संसाधनों में खर्चे की कटौती करके राजस्व व्यय की कटौती करके और भू-राजस्व की वसूली करके उससे पूरा किया जायगा। किन्तु आप देखें कि यह

जो बातें कही गयी हैं वह अपने आप में कितनी सारहीन और तथ्यहीन हैं कि राजस्व व्यय पर इन्होंने कटौती की बात कही है, किन्तु राजस्व व्यय विगत तीन वर्षों में 1851 करोड़ से बढ़कर 2950 करोड़ हो गया है तथा उसमें 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और प्रशासनिक व्यय पर चालू वर्ष के व्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कहां यह इन व्यय की कटौती की बात कहते हैं और कहां वह अपने आप में ऊपर से बढ़ता चला जा रहा है भू-राजस्व की वसूली के संबंध में भी यही बात है। भू-राजस्व की 35 करोड़ की वसूली पर इन्होंने 27 करोड़ रुपये खर्च किया है। मान्यवर, अच्छा यह होता कि इसमें कुल मिला करके 8 करोड़ रुपये का इनका अर्जन हुआ है, यदि यह इसको किसानों की स्वेच्छा पर छोड़ देते तो 8 करोड़ रुपया स्वतः जमा हो जाता और बाकी को किसानों पर ही माफ कर दिया जाता, कम से कम किसान जनता लाभान्वित होती, पर ऐसा नहीं कर सकते। यही स्थिति करदाताओं पर बकाया कर की वसूली के सम्बन्ध में है। इन्होंने बताया कि प्रदेश के करदाताओं पर कुल 395 करोड़ रुपया बकाया है, जिसमें 225 करोड़ रु0 केवल बिक्री कर का है।

मान्यवर, यह दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार इस प्रदेश के किसानों को ही हर प्रकार से दबाना चाहती है। पिछले बजट में इन्होंने वादा किया था कि हम बजट में कोई नया कर नहीं लगायेंगे, किन्तु विगत वर्ष उन्होंने कुल 85 करोड़ रु0 नये करों के रूप में जनता से वसूल किया है और वह पूरा पैसा केवल किसान जनता से वसूल किया गया है, जिसके आंकड़े यह हैं कि 35 करोड़ रु0 विद्युत् कर की वृद्धि के रूप में वसूल किया गया। 30 करोड़ रु0 बसों का किराया बढ़ा कर वसूल किया गया। 10 करोड़ रु0 सवा तीन एकड़ की जोत पर जनता पार्टी ने और लोक दल की सरकार ने जो टैक्स माफ कर दिया था, उसकी वसूली करके वसूल किया और 10 करोड़ रु0 भू-राजस्व की वृद्धि से वसूल किया। इस प्रकार यह सम्पूर्ण कर भार किसान जनता पर ही डालना चाहते हैं और पूंजीपति पर कर लगाने की इनकी न तो नीति है और न नीयत है और दूसरी तरफ यह स्थिति भी है कि पैसा वसूल भी किसान से ही किया जाता है, उन्हीं पर सख्ती बरती जाती है और कर न देने पर उन्हें ही दंडित किया जाता है। श्रीमन्, बकाया कर राशि को देखने से ही यह बात साफ हो जायगी, इस प्रदेश में बिक्री कर का 225 करोड़ रु0, सिंचाई का 63 करोड़ रु0, भू-राजस्व पर 40 करोड़ रु0 और आबकारी का 21 करोड़ रुपया और बिजली का 19 करोड़ रु0 बकाया है। इसमें बिक्री कर का 250 करोड़ रु0, आबकारी का 21 करोड़ रुपया, यह कुल पूंजीपतियों पर बकाया है और किसान पर केवल 149 करोड़ रुपया बकाया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो ईमानदारी से कर अदा कर सकता है, कर लगाया उसी पर जाता है।

मान्यवर, एक तरफ घाटे का बजट है उस घाटे की पूर्ति का कोई प्राविधान इनके पास नहीं है और दूसरी ओर निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है और रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है। 1955 में जो रुपया 100 पैसे के बराबर था, वह 1960 में केवल 79 पैसे रह गया, सन् 1965 में 58 पैसे का रह गया, 1970 में 43 पैसे का रह गया, 1980 में 21 पैसे का रह गया और 1982 में 16 पैसे का रह गया। अब वह रु0 केवल 13 पैसे के बराबर है। यदि इस स्थिति को देखा जाय तो 59.3 करोड़ रु0 का जो घाटा दिखाया है, उसमें एक रु0 की कीमत केवल 13 पैसे मान लीजिये, तो यह बजट करीब 87 प्रतिशत और बढ़ जायगा और इस स्थिति में बजट का घाटा कहां पहुंच जायगा? इस स्थिति पर यह सोचने

के लिये तैयार नहीं हैं। इन्होंने इस पुरे बजट से अपनी कुल तीन उपलब्धियां दिखाई हैं, वह यह है कि 3502 गांवों का नया विद्युतीकरण किया जायगा, जिला योजनाओं पर 7 प्रतिशत की वृद्धि की जायगी और छोटे किसानों को अनुदान के रूप में 42 करोड़ रुपया दिया जायगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार अब जाने वाली है, आगे यह विधान सभा के दरवाजे तक भी न आ पायेंगे, इसलिये अच्छा होता कि ये बजट में ऐसा प्राविधान करते कि विगत 3-4 वर्षों में इनसे भूले-भटके में जनहित का कोई एकाध काम हो गया है, उसे स्थायी बनाया जा सके।

ग्रामीण अभियन्त्रण योजना और सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा प्रदेश में जो सड़कें बनायी गई हैं, ये कम से कम उनको ही पक्का कर देते, तो एक उपलब्धि होती, जिसकी उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। इसका परिणाम यह होगा कि आप भी दो-तीन सालों में सड़कों पर जो मिट्टी डाली गयी है, वह वर्षा और आंधी में बह जायगी और उन पर जो पैसा लगा है, वह बेकार चला जायगा। वह जिला योजना पर जो 7 प्रतिशत की वृद्धि की है, उसे बढ़ा कर इन सड़कों को कोलतार लेपन तक पहुचाने की व्यवस्था कर दीजिए।

साथ ही में एक बात अपने जिले की और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सामुदायिक विकास नलकूप योजना के अन्तर्गत 180 नलकूप लगाने के लिए विगत वर्ष में तय हुआ था, इनको 50 प्रतिशत धन डी0 आर0 डी0 ए0 से मिलना था और 50 प्रतिशत पैसा आगरा मंडल विकास निगम से मिलना था। डी0 आर0 डी0 ए0 से मिलने वाला पैसा स्वीकृत हो गया है और आवंटित कर दिया गया है, परन्तु आगरा मण्डल विकास निगम ने अपना कोटे का पैसा अभी तक नहीं दिया है, फलतः आगरा में एक भी नलकूप नहीं बन सका है। मेरे विकास क्षेत्र अकोला के अन्तर्गत भी 10 नलकूप लगाये जाने थे, किन्तु उनका पैसा अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। इसलिये ट्यूबवेल नहीं बन सके हैं। वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम अब नया बजट आने से पहले इन नलकूपों को पूरा करा दिया जाय। मंत्री जी बजट को रिवाइज करके पेश करें ताकि जनता का कल्याण हो सके।

(श्री बिहारी लाल द्वारा आपस में बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता--

श्री बिहारी लाल जी आपकी आवाज यहां तक आ रही है। धीरे-धीरे बात करना चाहिए।

*श्री दामोदर शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह बजट 84-85 का जो वित्त मंत्री जी ने रखा है, प्रगतिशील बजट है और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह किसान विरोधी है। यह किसान की बहबूदी के लिये नहीं है। ऐसा लगता है कि किसानों की बहबूदी उन्हीं से जुड़ी है मुझसे नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1980 से आज तक 84-85 का जो बजट वह कम घाटे का है मुकाबले में 77-78 के। उस समय 2 सौ करोड़ का घाटा था जब जनता पार्टी की सरकार थी। आज केवल 59 करोड़ का घाटा बजट में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू का स्वप्न था कि पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये हम जो पंचवर्षीय योजनायें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बना रहे हैं और उनको क्रियान्वित करने के लिये जो पैसा निकाल रहे हैं, चाहे बड़े बन्धे या पुल की योजना हो या भारी औद्योगिक कल-कारखाने लगाने की योजना हो। स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू कहते थे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा इस देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। विकास सम्भव नहीं है। आज चाहे औद्योगिक उत्पादन हो, चाहे अनाज का उत्पादन हो, दलहन, तिलहन का उत्पादन हो बढ़ा है घटा नहीं, चाहे चीनी का उत्पादन हो बढ़ा है घटा नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा-गांधी का 20 सूत्रीय कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत जिले की विकेन्द्रीयकरण की योजना बनाई गई। जिसके माध्यम से गांवों में सम्पर्क मार्ग बन रहे हैं और सड़कों से उनको जोड़ा जा रहा है, जो सड़कें बन रही हैं जिला योजना के तहत जो पैसा ब्लाक को दिया जाता है उसमें 7 प्रतिशत की वृद्ध की गयी है जो बहुत कम है। अगर उस पैसे को और बढ़ाया जाय तो मेरा निश्चित मत है कि गांव शहरों की सड़कों से जुड़ जायेंगे, इससे किसानों को जो परेशानी है उसका सही साधन एग्रोकल्चर प्रोडक्ट बाजार में आना शुरू हो जायेगा। अगर थोड़ा पैसा इसमें बढ़ा दिया जाय तो किसानों के लिये बड़ा उपयोगी होगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों के आवास के लिये जितनी तेजी से इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत काम हो रहा है, दुकानें और मकान बनाकर दिये गये हैं, विरोध पक्ष वाले कहते हैं कि यह हरिजनों के लिये घड़ियाली आंसू है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो शताब्दी से दबी हुई कौमें थीं उनको 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उठाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी प्रतिज्ञा है कि हम इस कार्य को करेंगे।

मैं अपने क्षेत्र की तरफ माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारे यहां मेरठ एक तहसील है जो बहुत बड़ी तहसील है। मेरा मान्यवर, आप के माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि उस तहसील में 4 विधान सभा के क्षेत्र हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र खरखौन्दा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे खरखौदा क्षेत्र को तहसील बनाया जाय और जैसे 5 नयी तहसीलें खोली गयी हैं और उनको पैसा दिया गया है, उसी तरह इसको मेरठ जिले की तहसील घोषित किया जाय और पैसा दिया जाय। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक चीनी मिल है जो सहकारी क्षेत्र में है, उसका नवीनीकरण अभी किया गया है। उसमें सरकार ने 10 करोड़ रुपया दिया है। काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा है कि वह चले और वह मिल चल भी गयी। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि जो ये सिक मिलें हैं उनके आधुनिकीकरण के लिये वित्त मंत्री जी और अधिक पैसा रखते तो शायद उन मिलों के आधुनिकीकरण से प्रदेश के किसानों की तरक्की होती, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में जो किसान हैं, मान्यवर उनकी मुख्य फसल गन्ना है और गन्ने का जितनी तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उसमें और अधिक पैसा रखा जाय तो उन सिक मिल्स का आधुनिकीकरण किया जा सकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खरखौंदा में दो न्याय पंचायतों के बारे में मैंने राजस्व मंत्री जी को लिखा था। ये दो न्याय पंचायतें गाजियाबाद में लगा दी गयी हैं। मैंने राजस्व मंत्री जी को कई बार पत्र लिखा कि इन दो न्याय पंचायतों को गाजियाबाद से निकाल कर मेरठ जिले में कर दिया जाय। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि जो राजस्व वसूली में अव्यवस्था हो रही है, पहले ये तहसील हापुड़ में थी, अब गाजियाबाद में चली गयी हैं तो या तो खरखौन्दा

का तहसील बनाया जाय और जो गाँव जिला गाजियाबाद में लगा दिये गये हैं उन दो न्याय पंचायतों को मेरठ जिले में कर दिया जाय। इस पर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं प्राथमिक शिक्षा की हमारे प्रदेश में जो प्रणाली है और उसकी व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद् करती है। क्षेत्र में जाता हूं तो दुख की बात है कि कहीं स्कूलों में छत नहीं है। छत है तो अध्यापक नहीं है। तो मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो प्राइमरी स्कूल हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद को दिये गये हैं, उनका मैं घोर विरोध करता हूं। अगर जिला परिषद में रहता तो कुछ महसूस होता कि शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं। आज प्राइमरी स्कूलों की हालत, भवनों की हालत यह है कि वे टूटे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में यह व्यवस्था रखी जाती है कि कोई भवन टूटा हुआ है, उसके लिये पैसे की व्यवस्था की जाती है विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इन टूटे हुए स्कूलों के लिए अधिक पैसा दिया जाय जिससे वे भवन मरम्मत किये जा सकें और उनको बनाने के बाद यह व्यवस्था की जाय कि जहां शिक्षक नहीं हैं स्कूलों में, अध्यापकों की शीघ्र व्यवस्था के लिये बन भेजा जाय। मेरठ में हर स्कूल में अध्यापक पहुंचे। बजट को प्रभावशाली प्रगतिशील इसलिये कहता हूं क्योंकि गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश सरकार ने, जबसे सरकार बनी है पूरी पश्चिमी क्षेत्र में 21·50 रुपये और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20·50 रुपये रखा है। जब कि जनता पार्टी के शासन में यह मूल्य 3 रुपये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 6 रुपये पूर्वी उत्तर प्रदेश में था। दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि सन् 1977 से 80 तक किसान बड़ा दुखी रहा कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा जाता था, दाम कम थे, बोरी का दाम होता था। अतः कोल्ड स्टोरेज में आलू तक नहीं रखा गया वह आलू बोरे से बाहर आ गया तथा सारे का सारा सड़ गया। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जो इस सरकार की अगुवाई कर रहे हैं, उन्हें मैं बधाई देता हूं। आज इस प्रदेश का किसान अपने को बहुत खुश महसूस करता है। जबसे इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, चाहे आलू के दाम हों, चाहे गन्ना के दाम हों और चाहे गेहूं के दाम हों सभी के दाम बढ़े हैं। यह कहना कि यह बजट किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है, बिल्कुल निराधार है और गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री मोहन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि बहुत कम समय होने के बावजूद भी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह बजट इस सरकार की बौद्धिक दिवालियेपन का एक जीता-जागता दस्तावेज है। इस बजट में न तो इस प्रदेश के विकास के लिए कोई संकल्पशील भावना है और न ही इस प्रदेश की आर्थिक बढ़त ही इसमें नजर आती है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं अपने बजट भाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि इस प्रदेश की वार्षिक योजनाओं को अभी तक केन्द्र सरकार ने अन्तिम रूप से अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है। इसलिए इसका वित्तीय प्राविधान 1,390 करोड़ रुपये का अन्तिम रूप से प्रदेश सरकार ने अपने यहां मान लिया है। इसलिए हम अनन्तिम रूप से इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि प्रदेश का घाटा 59 करोड़ रुपये ही रहेगा या इससे ज्यादा हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेगा। इसके बारे में अभी कोई निश्चितता नहीं है।

हमारी जानकारी के अनुसार केन्द्रीय योजना आयोग ने हमारे प्रदेश का जो मूल्यांकन किया है, उसने हमको इस देश के 22 सूबे हैं, उनमें 16वें नम्बर पर रखा है। उपलब्धियों का जहां तक प्रश्न है, उस हिसाब से हम श्रेणी 'डी' में आ गये हैं। जिस 20 सूत्रीय कार्यक्रम का यहां पर ये लोग रट लगाते हैं कि यह हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, देश की प्रगति का कार्यक्रम है, जब उसके मूल्यांकन का प्रश्न आता है, प्रधानमंत्री की विशेष दिलचस्पी का प्रान्त है, उनके युवराज की अपनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रूपी राज्य का जब मूल्यांकन होता है तो योजना आयोग, इसकी उपलब्धियों को 16वें नम्बर रखता है। आज यही वजह है कि योजना आयोग ने हमारे राज्य की योजनाओं को अन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की है। सारे राज्यों की अन्तिम रूप से सूची प्रकाशित हो गई है। आज जो राज्य कैटेगरी 'डी' में रखे गये हैं वे हैं मणिपुर, मेघालय, जम्मू-काश्मीर और उत्तर प्रदेश। आज यह कितनी विडम्बना की बात है कि हमारे प्रदेश को उक्त कैटेगरी 'डी' वाले राज्यों के साथ लाया जा रहा है यह इस सरकार की उपलब्धि है। गत वर्ष भी यही स्थिति थी। हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़े जोर के साथ कह दिया था, योजना विभाग उस समय श्री नारायण दत्त जी के पास केन्द्र में था और यहां पर श्री ब्रह्मदत्त जी के पास था, दोनों के मधुर सम्बन्ध थे, इसलिए इस प्रदेश की योजनायें चल रही थीं। इन्होंने स्वयं इस बात को इस सदन के अन्दर स्वीकार किया है।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, माननीय श्री मोहन सिंह जी के भी तो मधुर सम्बन्ध हैं माननीय श्री तिवारी जी से।

श्री अधिष्ठाता—

मधुर सम्बन्धों का जिक्र करना कोई बुरी बात नहीं है।

श्री मोहन सिंह—

लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज यह विभाग ऐसे मंत्री को दे दिया गया है, जिससे अगर पूछा जाय कि योजना की परिभाषा क्या होती है, इसे वह नहीं बता पायेंगे, उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है। जहां तक भूमि वितरण का प्रश्न है, जहां तक पेयजल की योजनाओं का सम्बन्ध है, जहां तक बंधुआ मजदूरों का सम्बन्ध है और उनके पुनर्वासन का सम्बन्ध है और जहां तक इस प्रदेश के अन्दर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का सम्बन्ध है, इन सभी के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश पिछड़ गया है। इसलिए हमारी योजनाएं अन्तिम रूप से वहां से नहीं मिली। मान्यवर, इस तरह से हमारी तरक्की में एक और बाधा इस बार पैदा हो गई है। दूसरी बात संसाधन जुटाने की दिशा में, हमारे वित्त मंत्री जी की, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की कोई लम्बान की दृष्टि नहीं है। कर उगाही के बारे में कल विशेष रूप से माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने यहां चर्चा की थी। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि कर उगाही के सम्बन्ध में इस सदन से बाहर इस सरकार के मंत्री लोग अलग-अलग बयान देते हैं। आबकारी मंत्री की हैसियत से माननीय विद्या भूषण जी ने कहा कि आबकारी की दरें यहां अधिक होने के कारण आबकारी कर की चोरी होती है, इसलिए आबकारी कर की दरों को हम कम करने जा रहे हैं। लेकिन, मान्यवर इस सदन के अन्दर न तो उसकी बाबत कोई प्रस्ताव ही आया, न ही उस पर कोई चर्चा आयी और न ही उस पर

आपने कुछ कहा। बिक्री कर के बारे में हमारे प्रदेश की दरें बहुत सारे मामलों में दूसरे राज्यों से अधिक हैं, जिससे बिक्री कर की चोरी भी होती है, उसका नुकसान होता है, सवा दो सौ करोड़ की बिक्री कर की बकाया की वसूली आप नहीं कर सकते। आबकारी कर के भी सम्बन्ध में 80 करोड़ के करीब या इसके आस-पास आबकारी कर का बकाया है, आप उसको वसूली भी नहीं कर सकते हैं और एक हजार करोड़ के बारे में या इसके लगभग के बारे में, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इस प्रदेश में विभिन्न वर्षों के बकाया है, उस बकाये की राशि की वसूली करके हम अपनी कमी को दूर करेंगे योजनाओं की।

मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इसमें से अधिकांश ऐसी मदें हैं, जो किसी भी हालत में आप वसूल नहीं कर सकते। मसलन अकेले 38 लाख रुपया इस उत्तर प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, मंत्रियों और इस प्रदेश के पत्रकारों पर घरों के किरायों के रूप में बकाया है और अकेले 80 हजार रुपया इस उत्तर प्रदेश को एक नेता और जो केन्द्र के मंत्रिमंडल में सदस्या हैं, उनके मकान के भाड़े के रूप में बकाया है और यही नहीं एक-एक अखबार की एजेन्सियों पर 50-50 हजार रुपये से अधिक का बकाया है। आप किसी भी हालत में इन बकायों की वसूली नहीं कर सकते। उसकी तफसील में मैं नहीं जानना चाहता हूं। एक बात मैं कहना चाहता हूं आबकारी की बाबत फर्जी अपनी हैसियतनामा दिखला कर लोग ठेका ले लिए हैं और अब उसके बारे में आपके पास रपट आ रही है कि यह किसी भी हालत में वसूल नहीं कर सकते।

मान्यवर, इस प्रदेश के बड़े राज नेता और सत्ताधारी दल के कुछ विधायक लोग उद्योग लगाने के नाम पर लाखों रुपया लिए और उद्योग स्थापित नहीं कर सके। जब उसकी बाबत उनके पास रिकवरी जाती है, तो वह इस तरह के आवेदन लेकर आते हैं कि उनके पास कोई अतिरिक्त आय के स्रोत नहीं हैं, हम उद्योग नहीं लगा पाये हैं, इस रिकवरी को छोड़ दिया जाय और इसकी माफी की जाय। इस तरह से आप एक विशेष परिस्थिति में बंध गये हैं। करों के नवीनीकरण के ऊपर पिछले तीन वर्षों से माननीय वित्त मंत्री जी अपने भाषण में कहते आ रहे हैं, लेकिन इसकी रूपरेखा क्या है, क्या रूपरेखा रखी है न ही अभी तक उसके बारे में कोई सूचना है और न ही केन्द्र सरकार के साथ मुस्तैदी के साथ हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विषय में बातचीत की है। सारे हिन्दुस्तान के सारे राज्यों में, इस से बाहर, इस प्रदेश और केन्द्र के मंत्रिमंडलों के अतिरिक्त, इनकी पार्टी के महामंत्रियों के बयानात पढ़ने में आये कि हमारी पार्टी ने फैसला किया कि विभिन्न राज्यों में बिक्री कर की जो दरें हैं, वह समान की जायेंगी, इसके बारे में फैसला हो गया है। लेकिन, आज तक कोई निर्णय न होने की वजह से हमारे प्रदेश के सारे संसाधन धीरे-धीरे नष्ट होते चले जा रहे हैं। उसके बारे में कोई दृष्टि नहीं है। मान्यवर, अकेले एक गन्ना उद्योग को ही ठीक कर दिया जाय तो हमारे प्रदेश की वार्षिक आय में यह एक सौ करोड़ रुपये की वार्षिक वृद्धि कर सकते हैं। यह कहते हुए संकोच नहीं है कि अकेले गन्ना विकास विभाग में आपने इस वर्ष 40 करोड़ रुपये का कर्जा और 26 करोड़ रुपया सहायता में दिया।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष के मुकाबले के गन्ने पैदावार की एरिया में 10 फीसदी की वृद्धि हुई, लेकिन उत्पादन में चीनी के, कई हजार टन की कमी हो गयी। 1981-82 में इस प्रदेश के अन्दर चीनी की उपज 20.80 लाख टन हुई थी, जो घटकर, जबकि आपकी 5 नयी मिलें काम करने लगीं, कई चीनी मिलों का अभिनवीकरण हो गया, उनमें तमाम नये संयत्र, लग गये 20.77 लाख टन हो गयी।

इसके बारे में आपको सोचना चाहिये। अपने प्रदेश के अकेले गन्ना विकास विभाग और चीनी मिलों यानी इस उद्योग पर नये सिरे से विचार कर प्रबन्धकीय व्यवस्था को ठीक कर दिया जाय तो वार्षिक आमदनी, जैसा उन्होंने बताया है कि 600 करोड़ है, वह 100 करोड़ तक और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अफसोस की बात है कि उस तरफ कोई दृष्टि इस प्रदेश सरकार की नहीं है।

हिन्दुस्तान भर में पिछले वर्ष जो 37 लाख टन गेहूं का अधिक उत्पादन हुआ, उत्तर प्रदेश ने अकेले 25 लाख का इजाफा किया, लेकिन खरीद कम हो गयी। इसका नतीजा यह है कि जो सूचना अंकित है वह अन्य राज्यों के मुकाबले में बढ़ती चली जा रही है, वितरण प्रणाली ठीक नहीं हुई। केन्द्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विपरीत 8 लाख क्वि0 कम गेहूं आप खरीद सके। बावजूद इसके आप इस बात के लिये पीठ ठोकते हैं कि 25 लाख टन गेहूं उत्तर प्रदेश में अकेले अधिक पैदा हुआ। अफसोस की बात यह है कि इस प्रदेश की आर्थिक तरक्की में योगदान देने वाला सबसे बड़ा वर्ग है—कृषक वर्ग, उसकी माली हालत को आप ठीक नहीं कर पाये। कल वर्मा जी ने कहा था कि यदि प्रदेश की जनता की कर देने की हैसियत बढ़ जाय तो आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। आज से डेढ़ साल पहले जब गन्ने का सीजन खत्म हुआ उसका 7 करोड़ रुपया बाकी है और जो चालू सीजन है, इसका 80 लाख रुपया गन्ने के काश्तकारों का उत्तर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों पर बाकी है। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि यह निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं। पूरे प्रदेश में 7 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं बाकी 80 चीनी मिलें किसी न किसी रूप में सरकार के अधीन चलने वाली मिलें हैं। चाहे वे रिजोवरशिप में हों या किसी और रूप में। यह आर्थिक तरक्की में बाधा पैदा हो रही है?

दूसरी बाधा है प्रशासकीय व्यय। मुख्य मंत्री और तमाम मंत्री घोषित कर देते हैं कि आयोजनागत मदों में कमी करके, प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता करके हम अपने संसाधनों में वृद्धि करेंगे लेकिन इस सदन में पिछले 3 वर्षों में चाहे जितने भी भाषण किये गये हों, एक भी कमी करने का काम नहीं किया गया। 1,150 करोड़ रुपये कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और वेतन के ऊपर खर्च कर देते हैं। यदि विदेशी सहायता और विदेशी कर्ज तथा वित्तीय संसाधनों—अल्प बचत आदि द्वारा पैसा जमा करना बन्द कर दिया जाय तो हम अपने संसाधनों से राज्य कर्मचारियों का वेतन देने की भी स्थिति में नहीं हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब कभी भी इस प्रदेश के विभाजन की मांग की गयी, यह कहा गया कि बड़ा प्रदेश होने के नाते प्रशासकीय व्यय सबसे कम है। एक खूबी थी, उसको भी आपने मिट्टी में मिला दिया। आपके वित्त मंत्री बनने और 1980 में सरकार में पदारूढ़ होने पर प्रदेश का प्रशासकीय व्यय 13 प्रतिशत था लेकिन 4 वर्ष में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज हमारा प्रशासकीय व्यय बढ़कर 18 प्रतिशत के आस-पास हो गया है। इसलिये यह सरकार हमारे प्रदेश के संसाधनों को तबाह और बरबाद कर रही है। जितने निगम हैं, अधिकांश घाटे में हैं। इनकी हैसियत को ठीक करने के लिये प्रदेश के संसाधनों से पैसा देते हैं इस उम्मीद में कि उनसे सूद भी वसूलेंगे और मूलधन भी लेंगे।

मूलधन वापस करने की क्या बात है, आज तक हर साल उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना पैसा विद्युत् परिषद् को दिया है, उसमें से 100 करोड़ रु0 और इसके ब्याज को सरकार को मजबूर होकर माफ करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश

सरकार कहती है कि हम पैसा केन्द्र से मांगेंगे और केन्द्र कहता कि अब जो कर्जा विश्व बैंक से लेते आए हैं, वह नहीं लेंगे इसकी घोषणा 14 तारीख को केन्द्र के मंत्रियों ने कर दी कि अब हम विश्व बैंक से कर्जा नहीं लेंगे बल्कि उसका जो पुराना कर्जा है, उसकी अदायगी मय सूद के साथ इसी अप्रैल से शुरू होगी, तो जब तक यह कर्जा खुद अदा नहीं हो जाता है तक तक वह स्वयं कोई कर्जा अब देने वाला नहीं है, यह हमारी शंका है। केवल एक योजना सिंचाई सम्बन्धी विश्व बैंक से तय हुयी थी, उसमें उसने पैसा देने को कहा था और विश्व बैंक से पैसा इसलिए यह लेते हैं कि वह सबसे कम ब्याज की दर से कर्जा देता है और एक दूसरी योजना के बारे में कि फर्टीलाइजर को लगाने में हमें लाइसेंस मिल गया इसकी बहुत चर्चा हुई, लेकिन इस सरकार की निष्क्रियता के कारण इसमें भी इनको सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। एक रसायनिक कारखाना लगाने की बात आयी क्योंकि वहां पर किसी वी0 आई0 पी0 को चुनाव लड़ता है। जब इसके लिए विश्व बैंक कर्जा देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो अब हम सुन रहे हैं कि गुल्फ कंट्रीज, अरब देशों से कर्जा लिया जा रहा है, लगभग साढ़े तीन करोड़ का और जब यह पैसा आ जायगा तो जगदीशपुर में यह कारखाना लगेगा। लेकिन इसका कोई खाका या समय निश्चित नहीं हुआ है इसलिए ऐसा लगता है कि यह 7वीं या 8वीं पंचवर्षीय योजना में लग सकेगा।

इसलिए मैं तो कहता हूं कि इस प्रदेश की सरकार के पास उद्योगीकरण, इस प्रदेश की कृषि और इस प्रदेश की अन्य क्षेत्र में तरक्की के लिए कोई आर्थिक दृष्टिकोण और संसाधन जुटाने की कोई स्पष्ट रूपरेखा न होने से हमारे प्रदेश का जो बजट है वह आगे आने वाले दिनों में निरंतर घाटे में ही जायेगा। साथ ही अफसोस के साथ यह भी कहना पड़ता है कि दुनिया की और सरकारें अमेरिका से और जापान से कर्जा ले रही हैं, लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार इटली जैसे जो आर्थिक दृष्टि से स्वयं कमजोर है, उससे कर्ज लेती है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि हर साल 30 फीसदी के हिसाब से उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। सिर्फ पश्चिम जर्मनी को छोड़कर कोई भी देश आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं है। यह तो वैसी ही बात हुई जैसे अपने प्रदेश में कोई रोटी खाकर टुकड़ा फेंक दे, जिस पर दो भिखमंगे जुट गये और आपस में उसे हासिल करने के लिए लड़ने लगे, यही बात हमारी प्रदेश की सरकार पर लागू होती है, यह हर जगह भीख मांगने के लिए तैयार है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मोहन सिंह जी आपका समय हो गया। अपनी बात को समाप्त करें।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि यह बजट आर्थिक स्थिति अवरोध पैदा करने वाला बजट है, इसलिए मैं इसकी निन्दा करता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, इस सामान्य बजट पर होने वाली चर्चा पर जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, चाहे उसकी तारीफ की हो या आलोचनाएं या सुझाव दिये हों, मैं उन सबके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है जिसके बजट को बनाने और उस पर नियंत्रण रखने, जो कठिनाई होती है फिर भी पिछले तीन वर्षों में यही प्रयास किया गया है कि हम अपने वित्तीय अनुशासन को कायम रखें और वित्तीय संसाधनों के अनुसार जो पंचवर्षीय योजना का आकार हमारा निश्चित हुआ है, उनमें हम जो उपलब्धि हासिल करें वह लक्ष्य के अनुसार हो।

मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जितना हम चाहते थे या जितनी हमारी आवश्यकतायें थीं उतने हम संसाधन जुटाने में बड़ी कठिनाई अनुभव करते हैं। परन्तु मुझे यह कहने में गर्व होता है कि पिछले तीन वर्षों में तथा वर्तमान चालू वर्ष में बजट में बजट का जो प्राविधान किया गया था उससे कहीं भी एक पैसा कम खर्च नहीं किया गया है। तीन साल के दौरान में 1979-80 को बेस मानते हुए 1983 में 3 फीसदी के हिसाब से वृद्धि हुई है, उद्योग में 9 फीसदी वृद्धि हुई है और दूसरे क्षेत्रों में 6, 7 फी सदी वृद्धि हुई है इस तरह से लगभग 19 फीसदी हमारी वृद्धि हुई है। यह प्रतिशत देश के सारे प्रदेशों में 5 प्रतिशत रहा है। हमारा शुरू से प्रयास रहा है कि हमारे प्रदेश का विकास हो और देश के अन्य प्रदेशों के औसत से सदैव यह आगे रहे तभी हम अपने पिछड़ेपन को दूर कर सकेंगे।

यदि हम योजनाओं में खर्च करने के लिये घाटे का सहारा ले सकते हैं, यह आम तौर पर माननीय सदस्यों को बड़ा भ्रम है परन्तु मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह प्रदेश उन अन्य प्रदेशों में से है, जिसने अपने बजट में पूरे वित्तीय नियंत्रण का पालन किया है और कहीं से या रिजर्व बैंक से कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया है। पिछली बार केन्द्र के वित्त मंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा है। दिल्ली में जब मैं प्रधान मंत्री और केन्द्र के वित्त मंत्री जी से मिला तो हमने उनसे कहा कि हम उन प्रदेशों में से हैं जो कि अपने वित्तीय नियन्त्रण पर अंकुश रखते हैं और वित्तीय नियन्त्रण का पालन करते हैं इसलिए हमारा ध्यान रखा जाना चाहिये। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जो कि वित्तीय नियन्त्रण का पालन नहीं करते हैं और न अपने संसाधन को पूरा करते हैं। हमारी बातों पर केन्द्रीय वित्त मंत्री ने ध्यान दिया है और उन्होंने हमसे कहा है कि हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने जो कहा है वह अंग्रेजी में है, उसे मैं पहले पढ़ देता हूं, बाद में उसकी हिन्दी कर दूंगा कि :—

"फार दोज स्टेट्स हू हैव मैनेज्ड देयर फाइनेन्सेज वेल, आई एम वर्किंग आउट ए सुटेबिल स्कीम टू प्रोवाइड सम एडीशनल असिस्टेन्स टू देम इन 1984-85। दिस इज ओनली जस्ट एण्ड एप्रोप्रिएट।"

"उन प्रदेशों के लिए जिन्होंने अपने वित्तीय प्रबन्धों को ठीक से निभाया है, मैं एक स्कीम बना रहा हूं ताकि उनको अतिरिक्त सहायता मिल सके और 1984-85 में इसका उपयोग हो सके।"

1600 करोड़ की योजना जो कि अगले वर्ष के लिए चाहते हैं, वह हमको पूरी मिलेगी। मैं खासतौर से मोहन सिंह जी से कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा 13 करोड़ का प्राविजन किया है प्रथम अनुपूरक अनुदान और द्वितीय अनुपूरक अनुदान में तो इसे हम कर रहे हैं और कल यह हो जायेगा और पूरा हमको मिल जायेगा।

मैंने बजट की प्रक्रिया में काफी सुधार लाने की कोशिश की है। राष्ट्रीय बचत योजना में इस प्रदेश ने सबसे अच्छी बचत की है। पिछले 1982-83 में हमारा जो लक्ष्य था राष्ट्रीय बचत योजना में वह 143 करोड़ का था लेकिन हमारे प्रदेश ने 209 करोड़ रु० इसमें जमा किये और प्रदेश को इससे अतिरिक्त संसाधन मिले। इस वर्ष का लक्ष्य 162 करोड़ का है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इससे कहीं अधिक हमको मिल जायेगा और हम बहुत कुछ कर पायेंगे।

हमको दूसरे जो संसाधन मिलते हैं वह कृषि उत्पादन से मिलते हैं। अभी माननीय सदस्य दामोदर शर्मा जी कह रहे थे आलू के रख-रखाव के बारे में, तो यह जरूर है कि किसानों का उत्पादन भी बढ़ा है और उसके लिए यह जरूरी है कि उनको उचित मूल्य भी मिले। यह दोनों बातें कही हैं, एक तो उचित मूल्य दिया है और उसका

उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। जैसा अभी मोहन सिंह जी कह रहे थे, गन्ने के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 1977-78 में पूरे गन्ने का उत्पादन हुआ था, यह रिकार्ड उत्पादन था, वह 680 लाख टन का था। दूसरी बात उसकी कम कीमत मिली है, साढ़े बारह और साढ़े तेरह रुपये नियत किया गया था उसका मूल्य 1978-79 में 578 लाख टन रह गया, 1979-80 में 471 लाख टन रह गया। वर्ष 1977-78 और 1978-79 में इसका उत्पादन घटा है। जब हमारी सरकार बनी तो यह बढ़कर 576 लाख टन हो गया। वर्ष 1981-82 में 716·70 लाख टन हो गया और वर्ष 1982-83 में 791·60 लाख टन हो गया है। गन्ने का जो देय मूल्य है,····

श्री राम स्वरूप वर्मा--

प्रति हेक्टेयर भी बता दें।

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं प्रति हेक्टेयर भी बताये दे रहा हूं। 1977-78 में 49·34 टन प्रति हेक्टेयर उपज थी और 1978-79 में घट कर 39·40 टन प्रति हेक्टेयर रह गई और वर्ष 1979-80 में यह 38·20 रह गई।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वर्मा जी आप भी वित्त मंत्री रहे हैं, अगर आपको कोई बात पूछनी है तो सहयोग के लिए यह आवश्यक है कि आप खड़े होकर पूछ लें। बठ-बैठे नहीं कहना चाहिये। नियमानुसार पूछ लें।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

आप क्या मुझे आज्ञा दे रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता--

भाषण के दौरान नहीं, उस के बाद मेरी अनुमति से पूछ लें।

श्री ब्रह्मदत्त--

गन्ने की उपज वर्ष 1980-81 में 47·85 टन प्रति हेक्टेयर और 1982-83 में 45·70 टन और 1983-84 में 47 टन प्रति हेक्टेयर है। कुल गन्ना मूल्य देय भुगतान पिछले वर्ष 1982-83 में 430·39 करोड़ रुपये था और 1983-84 में यह 187·78 करोड़ रुपया रह गया है। मान्यवर, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि आलू के बारे में भी व्यवस्था की गई है और जो हमारे पास संसाधन हैं उनके द्वारा संसा कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्रबन्ध किया जायेगा और इस वर्ष में उम्मीद करता हूं कि गन्ने के मूल्य मई तक पूरे अदा कर दिए जायेंगे। मान्यवर, जब-जब कोशिश की जाती है कि संसाधन बढ़ाये जायें तो लगभग हर वर्ग से इसका विरोध आता है। इस समय विकास के लिए आवश्यक है कि संसाधन को बढ़ाया जाये। हमें यह देखना है कि उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से हो, हमारी सरकार ने ऐसा वातावरण पैदा किया है, केन्द्र सरकार की मदद से किया है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। जो पिछड़े जिले हैं वहां पर बैकवर्ड सेन्ट्रल सब्सीडी लागू की गई है जिससे वहां पर उद्योग लग सकें। मैं बताना चाहता हूं कि 4 बड़े फर्टीलाइजर के कारखानों को लायसेंस मिला है। अभी मैं मोहन सिंह जी को सुन रहा था, जगदीशपुर और बरेली में दो कारखानों का इन्तजाम कर दिया गया है और दो कारखाने निजी क्षेत्र में लगाये जायेंगे।

मैं आपको बतना चाहता हूं कि कोई भी लाइसेंस रद्द नहीं होने पायेगा। इसके साथ ही सारे प्रदेश का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो और चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो। चाहे गोंडा का इलेक्ट्रानिक का कारखाना हो, चाहे जगदीशपुर हो और चाहे आपके पूर्वांचल के क्षेत्र में वाराणसी का डीजल लोकोमोटिव हो।

इस प्रदेश में हम अपनी विद्युत् व्यवस्था कर रहे हैं। जहां मिर्जापुर में थर्मल पावर हाउस की योजनायें बना रहे हैं, पहाड़ों में जल विद्युत् योजनाओं के क्रियान्वयन की चेष्टा कर रहे हैं ताकि उनसे हमें सस्ती दर पर बिजली मिले और पर्यावरण को दूषित न करने वाली योजनायें चालू की जायें। मान्यवर, मैं केवल मुख्य बातें ही निवेदन करना चाहूंगा। आप लोगों ने कहा कि हमने करों का अभिनवीकरण नहीं किया। जो हमारा मुख्य कर है वह बिक्री कर है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं और फिर कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा विवाद का विषय बन चुका है और कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा भी मुझे करनी है। बिक्री कर के बारे में हमारी कोशिश है कि उसमें समानता लाई जायें। इसके बारे में हमने केन्द्रीय सरकार से भी कहा कि इस पर विचार करें....

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है। वित्त मंत्री जी बजट भाषण की बात कर रहे हैं या किसी एक विभाग के बजट पर बोल रहे हैं? जो आम चर्चा हुई है उसका जवाब वित्त मंत्री जी को देना चाहिए। उनका जवाब देने के बजाय मंत्री जी नये प्रश्न उठा रहे हैं। इसका मतलब यह होगा कि इन नये प्रश्नों पर बोलने का हमें फिर से मौका मिलना चाहिए कि हम उस पर बहस करें।

श्री अधिष्ठाता--

यह सामान्य चर्चा हुई है। उसी का वे जवाब दे रहे हैं। जब ग्रांट-वाइज बहस होगी तब उस पर अलग से चर्चा होगी। यह तो सामान्य बजट के बारे में कह रहे हैं कि बजट का कैसा रुख है किस तरह से यह बना है। जैसा माननीय मोहन सिंह जी ने बजट की उपलब्धियों के बारे में कहा था उसी तरह से उस पर सामान्य चर्चा में बोल रहे हैं। इसलिए वित्त मंत्री जी जो भाषण दे रहे हैं, वह सही है।

श्री ब्रह्मदत्त--

श्रीमन्, माननीय सदस्य को यह आभास नहीं है कि बजट में सामान्य चर्चा क्या होती है और अनुदानों पर क्या चर्चा होती है। मान्यवर, मैं बिक्री कर के बारे में कह रहा था। हमने केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श किया था। इसके बारे में एक कमेटी गठित की गई और यह तय किया गया कि पांच वस्तुओं—सीमेंट, वनस्पति, दवाओं, कागज आदि पर एडीशनल ड्यूटी लगाई जाये। इन पर बहुत पहले भी लगाया गया था। हमने यह देखा कि पहले जो लगाया गया था उसके अन्तर्गत जो पैसा स्थानांतरित हुआ था वह कम हुआ था। फिर भी केन्द्रीय सरकार से हमने बात की और उसने यह सहमति दी कि हम तैयार हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि दूसरे प्रदेशों में जैसे तमिलनाडु में, आंध्र में, वेस्ट बंगाल में, वहां की जो सरकारें हैं, उन्होंने इसको मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस बात पर विचार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर इन पांच वस्तुओं पर एडीशनल ड्यूटी लगाई जायेगा तो उस पर हमारी सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी और न ऐतराज होगा। इसमें एक रूपता होनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में 3 बैठकें केन्द्रीय सरकार के साथ हमने की हैं। उसका अभी नतीजा नहीं निकला है लेकिन हमें उम्मीद है कि किसी ठोस निर्णय पर पहुंच जायेंगे और ऐसे कदम उठाये जायेंगे कि छोटे करदाताओं को रियायत दे सकें। 50 हजार से एक लाख तक का जो स्वविवेक का मामला था, उसे समाप्त कर दिया गया।

नोटिस देने की बात कही गई। वह एक लम्बी बात है। दो अध्यादेश जारी किये गए। एक अध्यादेश बिक्रीकर

के बारे में था। दो लाख 26 हजार व्यापारियों में से 12 हजार के ऊपर ही यह अधिभार है। यह अधिभार 10 प्रदेशों में है। मान्यवर, कर्नाटक, जहां जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने भी इस अधिभार को लगाया है और हमारी दर से ज्यादा लगाया है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि यहां पर जब हम इस अधिभार को लगाते हैं तो यहां की जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। इस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश का विकास समझती है। इसके बारे में हमने व्यापारियों से बात की, हमें माननीय सहयोगी विधायकों से बात करने का मौका मिला और इसके बारे में हमने निर्णय किया है।

श्री मोहन सिंह—

यह तो राजीव गांधी का निर्देश है।

श्री ब्रह्मदत्त—

राजीव गांधी हमारे नेता हैं, उनके निर्देश मिले हैं....

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

राजीव गांधी नहीं, राहुल गांधी के भी निर्देश मिले हैं।

श्री ब्रह्मदत्त—

जब माननीय मुख्तार अनीस साहब रोज मेरे घर में आकर सलामी दे सकते हैं तो मैं राहुल गांधी से भी बात कर सकता हूं। राहुल गांधी के बौद्धिक स्तर और इनके बौद्धिक स्तर पर ज्यादा अन्तर नहीं है। बिक्री कर के सम्बन्ध में भी जो विधेयक है उसमें संशोधन किया जाएगा जो 5 सौ रुपए की जमानत 10 लाख से 20 लाख की बिक्री के लिए लिया जाता था उसे नहीं लिया जाएगा और 20 लाख से ऊपर की बिक्री पर जो जमानत लेंगे वह एन0 एस0 सी0 के रूप में ली जाएगी। अधिभार के बारे में जो 5 और 7 प्रतिशत का था उसमें अब एक ही दर 5 प्रतिशत की होगी। हमने व्यापारियों के प्रतिनिधियों से बात की है हम एक समिति बनायेंगे जिसमें दो व्यापारी प्रतिनिधि होंगे, दो सरकारी प्रतिनिधि होंगे और एक अर्थ विशेषज्ञ उसमें होगा जो हमें सुझाव देगा जिसके सुझावों को हम समाविष्ट करने का प्रयास करेंगे।

मंडी समिति वाले अध्यादेश के बारे में विवाद हुआ। मंडी स्थलों तक सड़कों के लिए शुल्क लगाया था जिसका अभिप्राय था किसान मंडी तक अपना सामान आसानी से ला सके। यह कर पहले किसान और व्यापारी दोनों पर लगाया गया था लेकिन बाद में व्यापारियों पर ही लगा और इस पर वे कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल गांवों के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने बड़े किसानों पर जो अतिरिक्त उत्पादन करते हैं उन पर एक टैक्स लगाया। लेकिन फिर जब हमने अपने सहयोगी विधायकों से और साथियों से राय ली तो निर्णय किया कि उसे संशोधित रूप में लायेंगे और किसानों पर बिना अतिरिक्त भार लगाए ही किसानों के हित में कार्य करेंगे कोई टैक्स नहीं लगायेंगे यह घोषणा मैं करना चाहता हूं।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने और माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि मैंने घाटे को छिपाने की कोशिश की है। मैंने छिपाने की कोशिश नहीं की। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने मेरे बजट साहित्य को देखने की कोशिश नहीं की अगर उन्होंने कोशिश की होती तो सारा विवरण उन्हें मिल जाता।

श्री हुकुम सिंह—

मंडी शुल्क तो समाप्त कर दिया जाएगा।

श्री ब्रह्मदत्त--

उस पर आपको चर्चा करने का मौका मिलेगा ।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने घाटा देखा लेकिन जब लोक लेखा का समायोजन किया जाता है उसके बाद घाटा देखा जाता है तो वही हमने किया है । मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि जो घाटा रहा है उसको पूरा करने का प्रयास यहां किया है ।

एक आपत्ति उठाई गई कि प्रशासनिक व्यय बढ़ गया है । बड़े आश्चर्य की बात है कि जो ज्यादा भत्ता मांगते हैं उसको हमने दिया है, हमने वेतन आयोग बैठाया उसके बाद करीब डेढ़ सौ करोड़ का भार आया उसके बाद भी जो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आते हैं उसको हम सुनते हैं और जो आज यह कह रहे हैं वही हम पर दबाव डालते हैं कि इनकी मांगे जायज हैं इनकी बात मानी जानी चाहिए । हमारा 13% प्रशासनिक व्यय था लेकिन वह जो हमारे 4 साल में विशाल कार्यक्रम शुरू हुए हैं उसमें वह और बढ़ा है जिसके लिए हमें आदमियों की जरूरत पड़ती है तो उससे प्रशासनिक व्यय भी बढ़ेगा । विशेष तौर से हमारे नये कार्यक्रम चल रहे हैं जो इस साल और अगले साल शुरू होंगे जिसमें ग्रामीण बेरोजगार गारन्टी योजना है उसमें हमें एक सौ करोड़ रुपया खर्च करने को मिलेगा जिससे हम गांवों में संपर्क मार्गों का निर्माण करेंगे, पानी की निकासी के लिए नालियां बना सकेंगे । जिसमें हम आधा भाग मजदूरी का नकद रूप में देंगे और आधा सामान के रूप में देंगे जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा ।

इसी प्रकार एकीकृत ग्राम्य विकास की बात है जिसमें हमारे संसाधन के मुताबिक जो राष्ट्रीय लक्ष्य है उसमें 6 सौ आदमियों को प्रति ब्लाक में सहायता मिलेगी उसको पूरा करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं । हमारा यह भी प्रयास है कि हम अतिरिक्त संसाधन जुटायें । यहां पर बात आई कि इटली से ऋण ले रहे हैं । इटली से ही नहीं हम वेस्ट जरमनी से भी ले रहे हैं लेकिन

(4 बजकर 25 मिनट पर)

जो लोग हमें ठीक शर्तों पर पैसा दे सकते हैं और जिसकी ठीक अदायगी कर सकते हैं, उत्पादन में लगा सकते हैं उसको हम लेते हैं । मैं मिसाल देना चाहता हूं कि हरिद्वार में चिल्ला योजना 140 करोड़ रुपए से लगी और अब उसमें 20 करोड़ रुपये का हमको रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है । इससे 7-8 सालों में हम उस ऋण की अदायगी कर सकते हैं । इसलिए इस तरह का ऋण और सहायता यदि हमको मिलेगी तो हम जरूर लेंगे और इसमें कोई वित्तीय अनियमितता भी नहीं है बल्कि इससे प्रदेश का हित है ।

मान्यवर, हमारी चाहे रोजगार योजना हो, चाहे एकीकृत विकास योजना हो, चाहे स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हो, चाहे हमारी जनजाति की योजना हो और चाहे विशाल औद्योगीकरण की योजना हो हमने सुविधाएं दिया है । प्रदेश के जिलों में पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके केन्द्रीय सबसिडी दिलाई है और एक अच्छा वातावरण बनाया है । मान्यवर, इस प्रदेश के लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़े और किसानों को बोनस दें, तो उत्पादन बढ़ता गया है । इसके साथ ही प्रदेश में उद्योगों का योगदान ज्यादा हो और इसके लिए आवश्यक है कि उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम और बड़े उद्योग यहां बढ़ें तो इसके लिए हमने कोशिश की है । मान्यवर, मैं इस बात से सहमत हूं कि निगमों में ज्यादा कुशलता आनी चाहिए लेकिन एक निवेदन है कि निगम दो प्रकार के काम के लिए होते हैं । केवल व्यावसायिक काम के लिए नहीं होते हैं । एक बात कही जाती है कि निगमों में घाटा होता

हैं तो वह अकुशलता के कारण होता है जिसको हम दूर करेंगे लेकिन हर निगम के कुछ सामाजिक लक्ष्य रखे गए हैं जिनकी कीमत अदा करनी होगी और उसके लिए हम तैयार हैं और उन निगमों की हम सहायता करेंगे ।

श्री मुख्तार अनीस--

पूंजीपतियों की फैक्टरियों को आप ले लेते हैं और फिर घाटे पर उनको चलाते हैं, तो आप यह क्या कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इनके कहने पर कई फैक्टरियां लेना पड़ा है और फिर वापस करना पड़ता है तो इसमें क्या दिक्कत है आपको ।

मान्यवर, जैसे चीनी निगम है, तो नई मिलें बन रही हैं और 12 चीनी मिलें हमने लिया है जिनका अभिनवीकरण हम करेंगे । तो यह सब इसलिए कर रहे हैं कि प्रदेश में उद्योग बढ़ें ।

मान्यवर, श्री राम स्वरूप वर्मा ने कहा था कि करों की वसूली होनी चाहिए, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 400 करोड़ रुपये की बकाया है जो वसूल करना है, प्रयास हम करेंगे कि इस वर्ष 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपये वसूल कर सकें और उसको हम प्रदेश के विकास में लगा सकें । मान्यवर, इस समय केवल इतना कहना उचित समझता हूं कि इस प्रदेश में संसाधनों की कमी के बावजूद प्रदेश के योजनागत व्यय को कम नहीं होने दिया और न वित्तीय अनुशासनहीनता एवं अनियमितता होने दिया । मान्यवर, उत्पादन जो 1980 में घटकर निम्न स्तर पर पहुंच गया था । उसको हमने आगे बढ़ा दिया है जिसका विवरण बजट में दिया गया है । मान्यवर, सीमेन्ट का उत्पादन बढ़ा है और नये उद्योग लगे हैं और ग्रामीण उद्योग से लेकर बड़ी-बड़ी फैक्टरियां लगीं जिनसे लोगों को रोजगार मिले । मान्यवर, प्रदेश के संसाधन बढ़ें जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं ।

मान्यवर, बाकी जो विभागवार बातें आई हैं उनका विभाग के बजट पर चर्चा के समय हमारे सहयोगी मंत्री उत्तर देंगे । पुनः मैं जिन्होंने आलोचना की या इसमें सुझाव दिए उनको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन बातों का ध्यान वित्तीय प्रबंध में पूरा रखा जायेगा ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने संसद में स्वीकार किया है कि देश की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है तो प्रदेश की इसमें क्या स्थिति है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और 1979-80 की सांख्यकीय डायरी में उसको देख लें लेकिन आय बढ़ी है और प्रति व्यक्ति बढ़ी किन्तु उतनी प्रगति नहीं हो सकी जितनी कि वांछनीय है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस सरकार का स्वरूप बन गया है पूंजीवादी सरकारों का हालांकि यह अपने को गांधीवादी और समाजवादी कहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आपस में बात न करें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं यह जानना चाहता हूं कितना रुपया लगाया, यह हर बार बजट में आता है, क्या बजट प्रणाली बदलकर

अब यह सरकार दावा करेगी कि इतना पिछली बार उत्पादन हुआ और अब इतना बढ़ा दिया है ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय रामस्वरूप जी कोई बात, ऐसे तथ्य या नुक्ते या बिन्दु पर आप कोई बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन आप वक्तव्य तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके भाषण के बाद से अब चर्चा समाप्त हो गई है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

वित्त मंत्री जी आगे भी उत्पादन वृद्धि के बारे में कहेंगे--कोई संस्था धन भ्रष्टाचार में खा जाए, तो रुपया तो खर्च हो गया, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा । तो वह बजट का उत्पादन परक बनावें, वह उत्पादन के आंकड़ें दें कि हमने यह-यह किया है और इससे इस तरह उत्पादन बढ़ा है । केवल खर्च को वह न गिनाएं, क्योंकि खर्च तो यह बर्बादी में करते हैं । 30 करोड़ इनका जल गया है, यह भी उसमें खर्च दिखा दिया गया ।

श्री ब्रह्मदत्त--

आप मेरे बजट भाषण का पृष्ठ 3 व 4 पढ़ें, उसमें यह दिया है और आज भी मैंने दिया है कि किस तरह हमारी वार्षिक बढ़ोत्तरी देश से ज्यादा रही है । विभागों के विवरण में ज्यादा न जाकर मैंने सही-सही इस तथ्य को बताया है डिटेल में ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज 8 सूचनाएं माननीय सदस्यों द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त हुई हैं । माननीय केदार नाथ सिंह की सूचना कानपुर महानगर कांग्रेस (ज) के अध्यक्ष तथा बोर्ड अध्यक्ष पर प्राण-घातक हमला के बारे में है । दूसरा माननीय मोहन सिंह द्वारा दिया गया है देवरिया जिले के मलवनी थानान्तर्गत सोनारी गांव के पास असामाजिक तत्वों द्वारा दो युवकों तथा एक एडवोकेट की हत्या के सम्बन्ध में । तीसरा है नन्दकिशोर सिंह व रामस्वरूप निम जी का उन्नाव में शिक्षा नीति में परिवर्तन की मांग पर महिला छात्रों की पुलिस द्वारा पिटाई पर । चौथा है श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री रियाज अहमद, श्री कुंवर सिंह नेगी व श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी का बेरोजगार अप्रेन्टिस आई0 टी0 आई0 द्वारा आमरण अनशन पर । पांचवी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का शुगर मिल हरदोई के श्रमिकों को वेतन, बोनस, ओवरटाइम, ग्रेच्युटी आदि का 80 लाख रुपया भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में । छठी श्री जटाशंकर सिंह का कमाण्ड एरिया, पोल्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन, गोपालखेड़ा, लखनऊ के 24 हरिजन एवं भूमिहीन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने के सम्बन्ध में । सातवीं श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन व रामगोविन्द जी की हाजी बबलू पुत्र श्री शब्बीर हसन, जनपद मुरादाबाद की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में और आखिर में आठवीं है श्री शंकर सिंह जी का जालौन जनपद के रेहुर थानान्तर्गत आउट पोस्ट नदी गांव पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर की हत्या के सम्बन्ध में । माननीय अध्यक्ष जी ने केवल श्री केदार नाथ सिंह की जो नियम 51 की सूचना है, उसको वक्तव्य के लिए मंजूर कर लिया है, बाकी सभी अस्वीकार हैं । वक्तव्य के लिए समय निर्धारित कर दिया जाएगा और उसकी सूचना दे दी जाएगी ।

प्रदेश शासन द्वारा संचालित निगमों में घाटे के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

[प्रदेश के 57 सरकारी निगमों/उद्यमों में इस समय लगभग 3,500 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजित है । यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश के सारे निगम घाटे पर चल रहे हैं । गत तीन वर्षों के मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि 22 निगमों ने निरन्तर लाभ अर्जित किये हैं तथा 16 निगमों में कभी हानि कभी लाभ हुआ । गत तीन वर्ष की अवधि में 17 निगमों में ही निरन्तर क्षति हुई है । इससे स्पष्ट है कि यह कहना उचित नहीं है कि सभी सार्वजनिक उद्यम घाटे पर चल रहे हैं । कुछ ऐसे भी निगम हैं जो आशातीत लाभ अर्जित कर रहे हैं । एकाध निगम जैसे राज्य चीनी निगम घाटे पर इस कारण भी चल रहे हैं कि सरकार ने जनहित में बीमार इकाइयों का अधिग्रहण कर लिया है । स्वाभाविक ही है कि इस प्रकार अधिगृहीत इकाइयां प्रारम्भ में घाटा ही देंगी । राज्य विद्युत परिषद् जैसे जन उपयोगी निगमों में घाटा कुछ अंश तक जनहित में अपनाई गई सार्वजनिक नीति का परिणाम है । निगमों की उपादेयता को उत्तरोत्तर बढ़ाने की ओर शासन सतत रूप से प्रयत्नशील है । वर्ष 1981–82 की अपेक्षा 1982–83 में, घाटे में कमी, शासन के इस दिशा में सचेष्ट रहने का ही परिणाम है ।

2—यह कहना सही नहीं है कि सार्वजनिक उद्यमों की समीक्षा नहीं की जाती है । उद्यमों की समीक्षा के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा विशेषज्ञ अनुश्रवण का कार्य बराबर किया जाता है । इसके अतिरिक्त ब्यूरो द्वारा उद्यमों के प्रशासनिक विभागों के सचिव तथा मंत्रीगण के स्तर पर भी अनुश्रवण की बैठकें आयोजित की जाती हैं । वर्ष 1983–84 में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 38 निगमों तथा अन्य मंत्रीगणों द्वारा अपने अधीन निगमों का अनुश्रवण कार्य किया गया है । गत एक वर्ष की अवधि में मुख्य सचिव तीन बार निगमों की समीक्षा कर चुके हैं । इतना ही नहीं मुख्य सचिव द्वारा स्वयं अधिकांश उद्यमों की समीक्षा की गई है तथा सुधार के लिए प्रभावी निर्णय लिये गये हैं । इस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों की विभिन्न स्तरों पर निरन्तर समीक्षा की जाती रही है तथा उत्तरोत्तर सुधार लाने का प्रयास किया गया है । जहां तक निगमों की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने का प्रश्न है, सम्बन्धित उद्यमों के प्रशासनिक विभागों द्वारा उनकी वार्षिक रिपोर्ट समय-समय पर बराबर सदन में प्रस्तुत की जाती है । इसी सत्र में उद्योग मंत्री जी ने, दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लि0 की 57 वीं वार्षिक रिपोर्ट 1980–81 को कम्पनीज ऐक्ट 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन की मेज पर रख दी है । कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लि0 की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1980–81 को कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन की मेज पर रख दी है । अतः यह कहना भी सही नहीं है कि निगमों की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत नहीं की जाती है ।

3—स्थगन प्रस्ताव तथ्यों पर आधारित नहीं है । शासन निगमों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये अनुश्रवण तथा समीक्षा के कार्यों को विशेष महत्व देता आ रहा है । वर्ष 1982–83 में घाटे में कमी होना शासन के प्रयासों का प्रतीक है । स्थगन प्रस्ताव किसी असाधारण स्थिति की सूचना नहीं देता है । अतः इसे स्वीकार किये जाने का औचित्य नहीं समझा गया । प्रदेश के अधिकांश निगम जैसे

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निर्बल वर्ग विकास निगम, अनुसूचित जाति तथा जनजाति निगम, मंडलीय विकास निगम आदि की स्थापना जन आकांक्षाओं के अनुरूप की गई है न कि लाभ अर्जित करने के लिए। इनका उद्देश्य विभागीय व्यवस्था के अतिरिक्त कारपोरेट सेक्टर के माध्यम से विकास की गति को तीव्र करना है। लाभ-हानि की समीक्षा वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में करने पर स्पष्ट है कि जन उपादेयता के उद्यम होने के कारण वर्षवार अर्जित हानि में राज्य विद्युत् परिषद् तथा राज्य परिवहन निगम का प्रमुख भाग रहा जैसा कि निम्नलिखित तालिका से प्रकट होता है। इनका मूल्यांकन प्रदेश के उद्योग-धन्धों को ऊर्जा की उपलब्धता तथा जनसुविधाओं के दृष्टिकोण से करना चाहिए। उक्त दो उद्यमों का उद्देश्य प्रदेश के सुदूर अंचलों तक बिजली पहुंचाने एवं अनार्थिक मार्गों पर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

	1982-83	1981-82	1980-81
सभी उद्यमों की सम्मिलित रूप से क्षति	(--) 64.33	(--) 53.67	(--) 59.76
विद्युत् परिषद् की क्षति	(--) 50.55	41.60	49.41
	13.78	12.07	10.35
राज्य परिवहन निगम की क्षति	(--) 11.61	2.68	9.65
शेष निगमों की क्षति	2.17	9.39	0.70
	20 निगम	23 निगम	23 निगम

राज्य विद्युत परिषद् तथा राज्य परिवहन निगम की क्षति क्रमशः 50.55 तथा 11.61 करोड़ घटाने के बाद रु0 2.17 करोड़ की क्षति राज्य के अन्य क्षति अर्जित करने वाले सभी निगमों की रही है। इसी प्रकार 1981-82 में सम्मिलित रूप से उद्यमों में क्षति 33.67 करोड़ रुपये रही, जिसमें से 41.60 करोड़ रुपये केवल विद्युत परिषद् का था। 2.68 करोड़ रुपये परिवहन निगम की क्षति घटाने से अन्य क्षति देने वाले सभी निगमों में 9.39 करोड़ की क्षति रही। 1980-81 में उद्यमों में सम्मिलित रूप से 59.76 करोड़ रुपये की क्षति हुई जिसमें से 49.41 करोड़ रुपये अकेले विद्युत् परिषद् में क्षति हुई। परिवहन निगम में 9.65 करोड़ की क्षति को निकाल देने के बाद शेष 70 लाख रुपये की क्षति में अन्य क्षति वाले अन्य 23 निगम सम्मिलित हैं।

वर्ष 1982-83 में कुल हुई क्षति में विद्युत् परिषद् का भाग 78.6 प्रतिशत रहा है। परिवहन निगम का भाग 18 प्रतिशत रहा है। वर्ष 1981-82 में कुल क्षति में विद्युत् परिषद् का भाग 77 प्रतिशत रहा है। वर्ष 1980-81 में विद्युत् परिषद् का भाग 81 प्रतिशत

तथा राज्य परिवहन निगम का भाग 16 प्रतिशत रहा ।]

श्री मुख्तार अनीस—

जो 57 सरकारी निगम हैं, उनके अन्दर सरकार का लोन का जो कुल रुपया है वह 82-83 में 3,479 करोड़ रुपया लगा है । उसके साथ-साथ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग का 314 करोड़ रुपया लगा है । इस तरह से सरकार का इन पर 4,890 करोड़ रुपया लगा हुआ है । इनमें जो घाटा है वह 596 करोड़ तक पहुंच चुका है ।

श्री अधिष्ठाता--

क्या यह एक साल का है या कुल अब तक का है ?

श्री मुख्तार अनीस--

यह विभिन्न सालों का है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह इतने बड़े पैमाने पर घाटा हो रहा है उसके लिए इन निगमों की जांच करने के लिए शासन क्या अपने स्तर पर कोई जांच कमेटी बनायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, इन निगमों की समीक्षा बराबर मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर होती रहती है । घाटे के लिए जैसा कि मैंने अपने भाषण में अभी कहा था, कुछ सामाजिक कारण भी इससे जुड़े हुये हैं । यह बात अवश्य मैं स्वीकार करता हूं कि उनमें कुशलता लाने की आवश्यकता है और उसके लिए हम निरन्तर प्रयास कर रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विद्युत् परिषद् का कितना रुपया उद्योगपतियों पर ऐसा है जो आप वसूल नहीं कर पा रहे हैं ? हमारा निश्चित आरोप यह है कि आपके बड़े-बड़े अधिकारियों के उनसे मिले रहने के कारण वह वसूल नहीं हो पा रहा है, उसमें बड़ा भारी घोटाला है ।

श्री ब्रह्मदत्त--

जहां तक मेरी जानकारी है पुराना बकाया 125 करोड़ है । उसमें कुछ निगमों के ऊपर है, कुछ किसानों के ऊपर और कुछ माध्यम उद्योगपतियों के ऊपर भी है । कुछ रकम ऐसी भी है जो विवाद-ग्रस्त है । विद्युत् परिषद् में घाटे का मुख्य कारण यह है कि जो उत्पादन होना चाहिये वह नहीं हो रहा है और उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं । कहीं रखरखाव ठीक नहीं है, कभी कोयले के न मिलने के कारण भी उत्पादन पर असर पड़ता है, ग्रामीण विद्युतीकरण के भी हमारे कार्यक्रम हैं और उसमें घाटा होता है । मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसमें कुशलता लाने की जरूरत है और उसके लिये हम प्रयत्नशील हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह बताया है कि 22 निगमों ने निरन्तर लाभ अर्जित किया, 16 में कभी हानि और कभी लाभ हुआ तथा 17 में निरन्तर हानि हुई, कुल मिला कर 55 हुये, जब कि 57 निगम हैं, दो के बारे में कुछ नहीं कहा...

श्री ब्रह्मदत्त--

दो छूट गये होंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि 7वें वित्त आयोग ने इसमें होने वाले लाभांश की दर 5 प्रतिशत निर्धारित की है और इस हिसाब से 5 प्रतिशत की दर से यह रकम करीब 175 करोड़ बैठती है । इसी को ध्यान में रखकर आप को केन्द्र से पैसा मिलता है । इधर आपको घाटा

होता है, उधर आपको सहायता कम मिलती है क्योंकि वे अपने हिसाब से लाभांश में उतनी रकम दिखाते हैं।

दूसरी बात यह कि मैंने पहले भी यहां महालेखाकार के एक पत्र की चर्चा की थी और यह बताया था कि आपके यहां कई ऐसे निगम हैं जिनका आडिट कई-कई वर्षों से नहीं हुआ है। वे लगातार 3-3 साल से घाटे पर चले जा रहे हैं। या लगातार 3 साल से जिनके लाभ का प्रतिशत कम होता चला जा रहा है, क्या उनका गहन अध्ययन कराने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, करूंगा और कर भी रहा हूं।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, आपने अपनी बात को बहुत खूबसूरती से मोड़ दिया। आप जांच करते हैं और जो घाटे की रिपोर्ट है, वह भी 53 विभागों की यहां पर प्रस्तुत होती है। लेकिन आपने जो सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो का कार्यालय खोल रखा है, जिसका आप गहन अध्ययन करते हैं, उसकी रिपोर्ट आपने सदन के अन्दर क्यों नहीं प्रस्तुत किया है। मान्यवर, जिसमें कोई अफसर तक नहीं है, वह सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो है। उसकी भी रिपोर्ट हर वर्ष प्रस्तुत होती है। मान्यवर, मैंने यहां पर उसकी रिपोर्ट को मंगवाया है। मान्यवर, यहां पर सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होती है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो अनुसरण होता है, जो जांच होती है, जिसकी आपने कमेटी बना रखी है, उसकी रिपोर्ट को आप सदन में प्रति वर्ष क्यों नहीं पेश करते हैं ? किस कारण से आप प्रत्येक वर्ष उसकी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत नहीं करते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त--

श्रीमन्, जवाब भी यही समझें और सवाल भी यही समझें। उसकी रिपोर्ट मान्यवर, जिसको नहीं मिली है, उसको उपलब्ध करा दिया जायगा। मान्यवर, हर वर्ष हम लोग उसको देखते हैं। विभिन्न विभागों की रिपोर्टों को भी मान्यवर, हम लोग देखते हैं।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य के पास निजी तौर पर कोई रिपोर्ट आ जाय, वह तो दूसरी बात है। लेकिन मान्यवर, एक निगम जो 1977 से चल रहा हो, उसकी रिपोर्ट सदन में न आना बहुत बड़ी बात है।

श्री अधिष्ठाता--

अगर वह रिपोर्ट संदर्भित कर दी जाय, तब तो सदन में आयेगी।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, निगम की नियमावली में यह लिखा हुआ है कि प्रति वर्ष निगम की रिपोर्ट जैसे ही वर्ष समाप्त होगा, 6 महीने के भीतर वर्ष रिपोर्ट तैयार हो जायगी और विधान सभा के प्रथम सत्र में वह सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायगी। हमारी सूचना यह है कि 10 वर्ष, 5 वर्ष, जिस निगम को चलते हो गया, विधान सभा की जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम की समिति बनी हुई है, उसकी भी यह रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, क्योंकि यह सार्वजनिक उपक्रम अपनी वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो को देते ही नहीं हैं और न ही ब्यूरो उसको ले ही पाता है। मान्यवर, मुख्य प्रश्न माननीय मुख्तार अनीस जी का यह है कि सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो जिस उद्देश्य से स्थापित है, क्या उस पर इसका अंकुश होगा कि अपनी वार्षिक रिपोर्ट सदन के सामने रखा करेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

शीघ्रातिशीघ्र सदन में रखेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, कोई आपत्ति नहीं है। हम कह देंगे कि वह अपनी रिपोर्ट रखा करेंगे।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, प्रथम कंडिका में यह लिखा हुआ है कि निगमों की उपादेयता को उत्तरोत्तर बढ़ाने की ओर शासन सतत रूप से प्रयत्नशील है। वर्ष 1981–82 की अपेक्षा 1982–83 में घाटे में कमी, शासन के इस दिशा म सचेष्ट रहने का ही परिणाम है। तो क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जो घाटा कम दिखलाया गया है, वह निगम की कार्य कुशलता के कारण है अथवा उस वस्तु की मूल्य वृद्धि करने के कारण, यह बात स्पष्ट कर दें, जैसे बिजली के मूल्य में वृद्धि दो बार हुई किन्तु बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा। अधिष्ठापित क्षमता से उत्पादन में वृद्धि हुई। क्षमता के अनुसार उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। तो इस पर सरकार अपना स्पष्टीकरण दे।

श्री ब्रह्मदत्त—

एक मिसाल देना चाहता हूं। सीमेंट निगम की रिपोर्ट पढ़ लें।

श्री अधिष्ठाता—

सवाल का जवाब आ गया।

श्री मोहन सिंह—

सीमेंट का दाम 120 प्रतिशत बढ़ा है। गत वर्ष मैंने निगम के बारे में चर्चा की मांग की थी। वह चर्चा हुई 2 वर्ष हो गये वित्त मन्त्री जी नियोजन मंत्री भी हैं वह सदन को आश्वासन देते हैं कि चर्चा होगी लेकिन हमको केवल स्पष्टीकरण का अवसर मिलता है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें कि हम लोगों को निगमों की कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करने का अवसर मिल सके। प्रदेश की योजनाओं के बारे में कई बार मैंने चर्चा के लिये लिख कर दिया लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। निगमों के बारे में और प्रदेश की योजनाओं के बारे में कोई तिथि नियत करें ताकि सदन में चर्चा कर सकें।

श्री ब्रह्मदत्त—

आप जो आदेश करेंगे वैसा किया जायेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। निगमों के कार्यकलापों के बारे में चर्चा करा ली जाय।

श्री अधिष्ठाता—

कार्यमंत्रणा समिति में समय निर्धारित हो जाय। इस विषय पर सवाल समाप्त हुआ।

बस्ती जनपद में वकीलों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में होने वाले वक्तव्य के स्थगन की सूचना

श्री अधिष्ठाता—

बस्ती जनपद में पुलिस द्वारा अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र उपाध्याय को मारपीट कर बन्द करने के कारण बस्ती के वकीलों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पान्डेय तथा श्री किरन पाल सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री का वक्तव्य होना था उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय के पास एक पत्र आया है कि सम्पूर्ण जानकारी हासिल की जा रही है।

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

यहां पर हड़ताल चल रही है।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी बात सही है आपका अधिकार है। लेकिन माननीय अध्यक्ष ने इसको आज के लिये स्थगित कर दिया है और अगले हफ्ते के बाद लगा है ताकि सम्पूर्ण जानकारी हो सके। अध्यक्ष महोदय ने इसे मंजूर किया है और यह उनका अधिकार है।

श्री परमात्मा प्रसाद सिंह--

वहां पर वकीलों की हड़ताल चल रही है सारा काम ठप्प है। जल्दी बयान करा दें।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

किसी की जमानत नहीं हो रही है। सारा काम 18 तारीख से बन्द है। मुख्य मंत्री जी स्वयं एक वकील हैं इनको स्वतः हस्तक्षेप करना चाहिये। नहीं तो इनकी भी पिटाई हो जायेगी जब मुख्य मंत्री नहीं रहेंगे।

प्रदेश के शिक्षकों द्वारा हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन का बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यहां कोई शिक्षा मंत्री नहीं है। यह अफसोस की बात है।

श्री ब्रह्मदत्त--

बाद में हो जायेगा।

श्री मोहन सिंह--

बाद में कैसे हो जायेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय ने 45 मिनट की चर्चा आज के लिये स्वीकृत की थी। यहां शिक्षा विभाग का कोई मंत्री नहीं है यह आपके आदेशों की स्पष्ट अवमानना है। एजेन्डे में विषय आ गया पूरे सदन के सामने माननीय अध्यक्ष ने इसको स्वीकार किया और शिक्षा विभाग से सम्बन्धित कोई मंत्री सदन में उपलब्ध नहीं है। यह निन्दा की बात है, मैं आपके माध्यम से प्रताड़ना करवाना चाहता हूं और आप इनको लताड़िये, माननीय शिक्षा मंत्री अध्यापकों को सरकार के खिलाफ आन्दोलन के लिये उकसा रहे हैं, सदन में उपलब्ध नहीं हैं।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त--)

हर मंत्री हर विभाग के लिये उत्तरदायी है, लेकिन हमें खेद है हमारे माननीय सदस्य मोहन सिंह बहुत विद्वान हैं लेकिन वह ऐसा बरताव करते हैं जैसे कक्षा 4 का विद्यार्थी करता है, उठाइये, कान पकड़िये, रोज कहते हैं। इससे प्रश्न हल होने वाला नहीं है। चर्चा करायें जो प्रश्न होगा उत्तर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मोहन सिंह ने जो आपत्ति उठायी मैं नियमों के अधीन आपत्ति करते हुए

श्री अधिष्ठाता--

शिक्षा मंत्री जी आ गये हैं मेरे ख्याल में अब आपत्ति की आवश्यकता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष ने एक निर्णय दे दिया वैसे यह आवश्यक है कि इस बीच कोई मंत्री मौजूद रहे और वह आ भी गये हैं तो मैं समझता हूं कि मोहन सिंह जी अपनी बात कहें।

श्री मोहन सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, 20 मार्च से इस प्रदेश की इन्टरमीडिएट हाई स्कूल की परीक्षायें संभावित हैं उनकी तिथि भी निर्धारित हैं माध्यमिक शिक्षकों के आन्दोलन करते हुए वह परीक्षायें हो जाएंगी इसका सुनिश्चय स्वतः हो गया है। मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने जो जिलों को निर्देश भेजे हुए हैं उसमें कह दिया है कि जो परीक्षा में निरीक्षण का काम है वह पुलिस के लोग होमगार्ड के लोग और लेखपाल तथा पटवारी आदि लोग हैं उनको सौंपा गया है जिनको हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट शिक्षा का ज्ञान नहीं है वह मान्यवर, निरीक्षण करेंगे परीक्षा की कापियों का निरीक्षण कौन करेगे इसका निर्देश अभी नहीं दिया है। मान्यवर, हाई स्कूल तक विज्ञान की पढ़ाई को उत्तर प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए हाई स्कूल की सारे प्रदेश में विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षायें होनी थीं। 20 मार्च से पूर्व वह प्रयोगात्मक परीक्षायें हो जानी चाहिए थीं वह प्रयोगात्मक परीक्षायें नहीं हो रही हैं लेखपाल और पटवारी से निरीक्षण क

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम करवा लेंगे लेकिन प्रयोगात्मक परीक्षा का काम कैसे करवायेंगे यह बात बता दीजिए। एक रास्ता था कि उनसे बातचीत करके आन्दोलन समाप्त करके एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाता कि परीक्षायें सही ढंग से आयोजित हो जातीं। लेकिन जब से शिक्षा में, अम्मार साहब हमारे मित्र भी हैं आए हैं इनकी रुचि इसमें नहीं रह गयी है पहले जब मंत्रि परिषद् में जब इन्हें दूसरा विभाग मिला हुआ था तो यह सारा कार्य स्वयं देखते थे अब मंत्रि परिषद् से उनकी रुचि समाप्त हो गई है जब से उनको शिक्षा विभाग मिल गया है अब सब उनके मंत्री आह्लादित हैं कि सारा काम हमको दे दिया।

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जो माननीय मोहन सिंह जी ने रिमार्क दिए हैं वह ध्यान देने के काबिल हैं लेकिन मैंने उस वक्त आधे से ज्यादा कार्य दे दिया था यह सत्य पर आधारित नहीं है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, तब तो आधा दिया था अब शत प्रतिशत हो गया। अब जो अराजकता हो गई है उसको हल करना नहीं है 'येन-केन प्रकारेण' हो गया है। एक गुप्त साजिश के ढंग से जो उनके साथ सुनियोजित योजना है वह चाहे डिग्री कालेज के प्राध्यापक हों, चाहे हाई स्कूल के अध्यापक हों चाहे इन्टरमीडिएट के अध्यापक हों सभी आन्दोलन पर हैं। इनका आन्दोलन समाप्त हो इसके लिए जरूरी है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाए। मान्यवर, परीक्षायें संचालित होने में 10-12 दिन बाकी रह गये हैं इनविजिलेशन का काम अभ्यास पुस्तिकाओं की जांच का काम किससे करवायेंगे कैसे करवायेंगे। माननीय मंत्री जी तो एक अपील करते हैं कि शिक्षक आ जाएं योगदान के लिए, लेकिन जो शर्तें उनकी हैं उनके समाधान के बारे में किसी ठोस नीति की बात कही है इसलिए मैं इस पर यहीं तक चर्चा करता हूं बाकी चर्चा बाद में की जाएगी।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने जो इसकी व्यवस्था के बारे में कहा, मैं इसका टोटल जवाब बाद में दूंगा। इस वक्त केवल जो मोहन सिंह जी ने कहा, उसके बारे में कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार परीक्षाएं कराने के लिए सारी व्यवस्था और सारा इन्तजाम कर रही है। जो 16 लाख छात्र हैं, उनका भविष्य अंधकार में नहीं खोने दिया जायगा और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बाकी बातें मैं बाद में बता दूंगा।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैंने अपना भाषण संक्षेप में इसीलिए किया था ताकि शासन की ओर से क्या कार्यवाही हो रही है, यह बता सकेंगे माननीय मंत्री जी और उस पर हम लोग सलाह दे सकेंगे और क्या व्यवस्था यह बताने में हमें आसानी होगी।

श्री अधिष्ठाता--

मोहन सिंह जी जितना संक्षेप में आपने कहा था, उससे भी ज्यादा संक्षेप में इन्होंने कह दिया।

श्री पंचानन राय--

माननीय अधिष्ठाता जी, 20 मार्च, से परीक्षायें होनी हैं और कुछ बुद्धिमान लोग हैं इस प्रदेश में, उनके लिए कुछ तैयारी की आवश्यकता नहीं है। पढ़े-लिखे लोगों की परीक्षा में आवश्यकता नहीं है। वह किसी भी तरह से परीक्षायें हों, इसकी सलाह देते हैं। आज सबसे प्रमुख समस्या जो लड़कियों की है, वह उनके परीक्षा केन्द्रों को लेकर है। इससे पहले छात्राओं के अपने परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा केन्द्र होते थे तथा परीक्षा की सुविधायें उपलब्ध होती थीं। अन्यथा उनके पड़ोस में जो विद्यालय हुआ करते थे, उन पर परीक्षा देने के लिए भेजा जाता था। इस वर्ष जो परीक्षा केन्द्र निर्धारित

किये गये, उनमें पहले छात्रों के साथ छात्राओं को भेजा गया, लेकिन जब यह कार्यान्वित हुआ, तो उस क्षेत्र में जो जन भावनायें उभरीं, उनको ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने दोबारा निश्चय किया कि छात्राओं को पूर्व की भांति ही सुविधा उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। अभी 20 मार्च से परीक्षा शुरू होने वाली हैं। पहले कैलाश नाथ सिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने सदन में यह घोषणा की थी, उस समय परीक्षा में केवल दो दिन शेष थे और इसी शिक्षा विभाग ने व्यवस्था कर दी कि छात्राओं को उन्हीं के परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा की सुविधा उपलब्ध करा दी जायगी। परीक्षा 20 मार्च, से हो, उससे पहले ही या बाद में, मेरा सुझाव है कि कम से कम और छात्राओं के हित की बड़ी चिन्ता है, तो उसे छात्राओं को यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। वैसे नीति बनाने का काम जिसका है, उसने नीति बना दी है कि छात्राओं को उन्हीं परीक्षा केन्द्रों पर सुविधा दी जाय।

दूसरी बात मान्यवर, जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, सरकार के सरकारी आंकड़ों से भले ही पर्याप्त हो गयी हों, लेकिन आज की तारीख तक इस प्रदेश में 2 फीसदी विद्यालयों में भी परीक्षाएं (प्रयोगात्मक) नहीं हुई हैं और सरकार इस बात को स्वीकार करेगी कि प्रयोगात्मक परीक्षा होने के बाद कम से कम एक सप्ताह का समय विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए चाहिए। आज सात तारीख है, 16 के बाद होली है, तब पढ़ाई का वातावरण नहीं रहेगा और 20 मार्च से परीक्षाएं हैं। दो फीसदी प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं हुई हैं। सरकार ने छात्रों के लिए इसकी अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। ये उन्हीं अध्यापकों से कराना चाहते हैं जो हड़ताल पर हैं। यदि आप छात्रों का हित चाहते हैं तो अध्यापकों के हित को छोड़ दीजिए, तब भी आपको उनकी प्रयोगात्मक परीक्षाओं की समुचित व्यवस्था करनी होगी, इसके बाद ही आप छात्रों की लिखित परीक्षा लें।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा यह सुझाव है कि इन दोनों बातों पर सरकार को अपना सुनिश्चित दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए।

श्री राम गोविन्द--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छी बात तो यह होती कि जिन अध्यापकों ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया है और जिसका आन्दोलन इस प्रदेश में काफी लम्बे अरसे से चल रहा है तथा काफी प्रभावी ढंग से चल रहा है, परन्तु यह सरकार अभी तक उसकी मांगों को पूरा न करने के लिए

(इस समय 4 बजकर 56 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अड़ी हुई है, उनकी मांगें पूरी कर दी जाती तो समस्या हल हो जाती। परन्तु यह सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जिसका नतीजा यह है कि जेल भरो आन्दोलन के बाद शिक्षकों ने अपनी हड़ताल वापस तो ले ली है किन्तु परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है। मान्यवर, एक बार 1964-65 में ऐसा ही हुआ था कि इस प्रदेश में अध्यापकों ने परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया था। उस समय लेखपाल, चपरासी और होमगार्ड्स, जो भी मिला, उसे पकड़ लिया गया था और उनसे परीक्षा लेने का कार्य करवाया गया था। जो विद्यार्थी 10-10 और 12-12 साल से फेल हो रहे थे, वे पोथी-किताब लेकर नकल किये और पास हो गये। तभी से मान्यवर, यह नकल करने की परम्परा चल गयी है। उस समय से ही इतने अधिक संख्या में लड़के पास हो जा रहे हैं कि ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को सरकार के पास कोई रोजगार देने का साधन ही नहीं है। जिसके कारण आज इस

प्रदेश में अराजकता फैल गयी है। आज जो इस प्रकार का वातावरण फैल गया है वह सिर्फ आपकी हठधर्मिता के कारण। आप लोग कहते हैं कि हम जनतांत्रिक हैं और सभी तरह से हमारा शासन ठीक ढंग से चल रहा है और जो वायदे हमने किये थे, उन्हें हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश का जो बुद्धिजीवी वर्ग अध्यापक था, वह अपने मांगों के लिए आपके सामने अनुनय-विनय कर रहा है, लेकिन आप उनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं।

माननीय मंत्री जो स्वयं एक अध्यापक रहे हैं, शिक्षकों के प्रति स्वयं हमदर्दी होनी चाहिए। माननीय श्री पंचानन राय जी जो कुछ कह रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था, मान्यवर, हमारे यहां देहात में एक बाजा होता है "दुरका", जो दोनों तरफ से बजता है तथा आवाज एक सी ही होती है आज इनकी हालत भी ऐसी ही है। आन्दोलन भी करवाते हैं और सरकार का साथ भी देते हैं। जनता पार्टी में इन्होंने आन्दोलन करवाया। जनता पार्टी ने हर तरीके से अध्यापकों से समझौता करने का प्रयास किया, किन्तु इन कांग्रेसी लोगों ने उसे होने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप श्री पंचानन राय जी को सेंसर कर रहे हैं ?

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वह बलिया जनपद का शब्द है, जिसका अर्थ मैं नहीं जानता हूं। मैं चाहूंगा कि वह इस शब्द को एक्सप्लेन कर दें ताकि मैं भी उसका मतलब समझ सकूं।

श्री मोहन सिंह--

उस शब्द का मतलब है, दोनों तरफ से बजने वाला।

श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, ये परीक्षाओं की व्यवस्था तो तय कर लेंगे लेकिन परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था का क्या होगा ? परीक्षा पुस्तिकाओं को जांचने की व्यवस्था ये कैसे करेंगे ? जैसा कि अभी माननीय श्री पंचानन राय छात्राओं के परीक्षा केन्द्रों के विषय में कह रहे थे। मेरे जनपद बलिया जिले में लड़कियों के एक स्कूल का परीक्षा केन्द्र 25-30 किलोमीटर दूर कर दिया गया है, इस व्यवस्था को यह कैसे ठीक करेंगे ? माध्यमिक परिषद् परीक्षा संचालन समिति की जो परीक्षा संस्तुतियां थीं, उसे ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यदि इस प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी रही तो एक जन आन्दोलन खड़ा हो जायेगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा कायम करा देंगे और माध्यमिक वर्ग के अध्यापकों से शांतिपूर्ण वातावरण में बातचीत करके इस आन्दोलन को वापस करवायेंगे और परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करवाने की व्यवस्था करें। जिससे लाखों छात्रों का जीवन जो आज प्रदेश में अंधकारमय परिस्थिति से गुजर रहा है, उससे न गुजरें और परीक्षायें शांतिमय वातावरण में हो सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि परीक्षाओं को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से एवं अध्यापकों से संचालित करवाया जाय।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने नकल की बात बतायी, नकल बहुत तेज होती है। अब तो मान्यवर, नकल विद्यार्थी ही नहीं करते हैं, बल्कि गार्जियन भी नकल कराने में पूरी मदद करते हैं। यह बहुत ही दुख की बात है। मेरा तजुर्बा खुद का है कि गार्जियन फाटक पर खड़े रहते हैं कागज लिए, सिफारिश के लिए और इस तरह से यह दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण व्याप्त है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह—

मंत्रियों के लड़के फेल होने के बावजूद फर्स्ट डिवीजन में उनका रिजल्ट निकल जाता है ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय मोहन सिंह का माइंड बहुत कल्टीवेटेड है और फ्लाइट आफ इमेजिनेशन है । कुछ इसका एडवान्टेज भी है और डिसएडवान्टेज भी है । खैर, मैं उस सिलसिले में नहीं जाना चाहता हूं ।

माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि अराजकता का वातावरण व्याप्त हो गया है स्ट्राइक से और अब यह जो वातावरण पैदा हो गया है उससे । मैं कहना चाहता हूं कि यह अराजकता का वातावरण कोई इस वर्ष से नहीं हुआ है, बल्कि मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही हुआ है, शिक्षा जगत में अराजकता का वातावरण पैदा हो गया है और उसमें किसकी जिम्मेदारी कितनी है ? यह हम सब जानते हैं । लेकिन आप बतायें कि क्या हर मांग, जो उचित है या अनुचित, उसमें घुटने टेक दिए जायं ? जो अराजक तत्व हैं, उनके सामने घुटने टेक दें ? दोनों पक्षों को इसमें देखना चाहिये । लेकिन एक समय ऐसा आ जायेगा, मैं एक किताब पढ़ रहा था "जार्ज आरवेल" उससे यह प्रतीत हो रहा था कि वातावरण अराजकता का रखा, तो कोई किसी की नहीं सुनेगा कोई समझौता ही नहीं करेगा, कोई किसी की बात ही नहीं मानेगा । एक ब्रिटिश पेपर ने एक बात कही थी उससे दुख होता है । उसमें था कि "इंडियन डेमोक्रेसी इज मार्किंग डाइम" यानी भारतीय लोकतंत्र मर रहा है या मर चुका है । मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन उसके कहने का कुछ तो कारण है ही । और वह कारण यह है कि शिक्षक लोग जो यह कर रहे हैं ।

माध्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे इनके एक सम्मेलन में जाने का मौका मिला, जो पान्डेय गुट से सम्बन्धित था । मेरे एक अध्यापक मित्र थे, उनके बार-बार आग्रह पर मैं गया । तो जो मैंने वहां देखा, वह यह है कि वह बातें इतनी तेज रफ्तार से करते हैं, इतनी राजनीति की बातें करते हैं, तो मैंने उस दिन सोचा और मैं उसे सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जो टीचर आन्दोलन में शामिल हो गये, जो जेल भरो आन्दोलन चलाकर हड़ताल करेंगे, धरना देंगे या भूख हड़ताल करेंगे क्या वह अध्यापन का कार्य भी कर सकते हैं ? यह एक सवाल उपस्थित हो जाता है । तो शायद वह नहीं कर सकते हैं । ऐसे टीचर सेवा में रहने के योग्य नहीं हैं । जो इतनी बात, इतनी राजनीति की बात करते हैं, वह कैसे अध्यापन कार्य कर सकते हैं ? एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापक अध्यापन, पठन-पाठन कार्य और राजनीति यह दोनों कैसे कम्बाइंड हो सकती हैं, दोनों कैसे सम्मिलित हो सकती हैं । ला और राजनीति तो कंबाइंड हो सकती हैं, वहां तो कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन यह काम कैसे चल सकता है । यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । इसके अलावा यह भी जानना चाहता हूं कि इस मामले में विरोधी पक्ष का क्या स्टैन्ट है ? उनके लिए तो यह है कि कुछ होता रहे, कुछ चलता रहे कुछ अराजकता का वातावरण जिससे उन्हें कहने-सुनने का वातावरण मिले । आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका स्टैन्ड इस मामले में क्या है ?

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

हमारा तो वही स्टैन्ड है जो माननीय अम्मार साहब का है ।

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह--

यह कह कर आपने अपनी अभिन्न मित्रता का परिचय दिया है ।

अन्तिम बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण उचित है या अनुचित है। कोई भी समस्या हो, समाधान उसका होगा । इतिहास में भी कोई ऐसी समस्या नहीं रही जिसका समाधान न हुआ हो । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कड़ा रुख अपनाये और कैसी भी अराजकता हो उसको पनपने नहीं देना चाहिये । अन्त में आपके माध्यम से अपने सम्मानित अध्यापकों से हृदय से यह अपील करता हूं कि अपनी ड्यूटी रिज्यूम करें और अपना कर्त्तव्य पालन करें और बातचीत भी चलती रहे । अगर ये ऐसा नहीं करते तो उनका कार्य 'एन्टी नेशनल' है और मैं इसे राजद्रोह की संज्ञा देता हूं और जो लोग उनके साथ उनके इस कार्य में संलग्न हैं, उनको भी यही संज्ञा देता हूं ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा पांच अन्य निकायों में सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं । गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य पांच निकायों के निर्वाचन के संबंध में अब तक की कार्यवाही निरस्त करके उक्त निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 13 मार्च, 1984 किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचेतक कांग्रेस दल (आई०) तथा मुख्य सचेतक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के अनुरोध पर उक्त निर्वाचन हेतु पूर्व घोषित कार्यक्रम एवं अब तक कृत कार्यवाही को निरस्त किया जाता है तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने हेतु 13 मार्च, 1984 को अपराह्न 4 बजे तक का समय नियत किया जाता है । शेष कार्यक्रम की सूचना बाद में दी जायेगी ।

प्रदेश में शिक्षकों द्वारा हाई स्कूल तथा इंटर मीडिएट की परीक्षाओं के संचालन का बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (क्रमागत)

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

यह सही है कि प्रदेश में हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर हमारे विद्यालयों के अध्यापकों ने हड़ताल की और आन्दोलन चलाया । यह सही है कि समाज में अध्यापकों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है । मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि समाज में जो उनका वाजिब स्थान है, उसमें कोई कमी आये और न सरकार से इस प्रकार की अपेक्षा की थी और न करता हूं कि उनकी सुख-सुविधा और साधनों में किसी प्रकार की कटौती करे । प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि यह जो हजारों लाखों की संख्या में गरीब घरों से निकल कर बच्चे जाते हैं । मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी मांओं ने अपने जेवर बेचे हैं, गाय और बछड़े भी बिक गए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। वे इस अपेक्षा से जाते हैं कि वहां हम जायेंगे, नया पाठ्यक्रम आयेगा, उसको पढ़ेंगे । लेकिन हड़ताल के चलते वांछित कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है । बीच में कोई वैकल्पिक व्यवस्था शासन के स्तर पर नहीं हुई । जब नहीं हुई, तो यह पर्चे जो बने होंगे, पूरे कोर्स के आधार पर बने होंगे । यहां पर दो बिन्दु हैं । पहला तो यह कि यदि निश्चित से परीक्षा नहीं हुई तो हमारे समय लड़के जब दूसरी यूनिवर्सिटियों में प्रदेश से बाहर जाते हैं, तो निश्चित समय पर उनका परीक्षाफल नहीं निकलेगा, जिसके कारण इंजीनियरिंग कालेज इत्यादि में उनका प्रवेश नहीं हो पायेगा । दूसरी बात, क्या वह छात्र जिसने पूरा कोर्स अपना नहीं पढ़ा है, तो 20 मार्च, को आने वाली परीक्षा में जो परीक्षा प्रश्न-पत्र आवेंगे वह तो पूरे कोर्स से आवेंगे

तो क्या ऐसी स्थिति में वह विद्यार्थी उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यह दो बिन्दु हैं हमारे, इन दोनों बिन्दुओं पर सोच समझकर निर्णय होना चाहिये और यह जो परीक्षा केन्द्र विद्यार्थियों के निर्धारित होते हैं, इससे बच्चों को बड़ी परेशानी हो जाती है, इसके लिए मैं अपने जिले में रोते-रोते थक गया लेकिन कोई कदम आज भी नहीं उठाया जा सका। हमारे जिले में एक फर्जी स्कूल खुला आदर्श जनता माध्यमिक विद्यालय के नाम से संकटा चिटाही में, वहां के जो प्रिंसिपल हैं, वह बहुत ही होशियार हैं, दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वयं कभी ऐसे समय पर आकर देख लीजिए कि जहां पर कालिवन कालेज व अन्य कालेजेज के बच्चे खुले मैदान में जाकर लिखते हैं और मान्यवर, उस प्रिंसिपल की होशियारी का एक उदाहरण यह हमारे पास है कि बाहर से जो परीक्षा लेने इंस्ट्रक्टर्स आए, उन सबको वह नेपाल ले गये और वहां जाकर उनको सामान कुछ खरीदवाए और बाहर कस्टम पर आकर उनको पकड़वा भी दिए। तो जब वह सारे लोग परेशान हुये तो किसी ने प्रिंसिपल साहब से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि जब तक वह अच्छा रिजल्ट हमारा घोषित नहीं करेंगे, तब तक हम उनके सामान छुड़वायेंगे नहीं। जब उन लोगों ने उनका बेहतरीन रिजल्ट घोषित कर दिया तो उन्होंने उसको छुड़वा दिया। यह स्थिति है मान्यवर।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हम लोग शिक्षकों का हमेशा सम्मान करते आए हैं और आज भी करते हैं, प्राइमरी पाठशाला से लेकर हर श्रेणी के अध्यापक को हम सम्मान देते हैं, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में दुर्भाग्य से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि ..

श्री मोहन सिंह--

शिक्षक रूप में कुछ भक्षक आ गये हैं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

हां मान्यवर, हर शिक्षक के लिए तो यह नहीं कहा जा सकता है लेकिन कुछ परसेन्टेज आज जरूर शिक्षक के रूप में भक्षक आ गये हैं। उसमें चाहे इस तरफ के बठने वाले कुछ लोग हों या उस तरफ के। लेकिन मैं इन शिक्षकजन का सम्मान करता हूं, साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि पालिटिक्स में आ कर इन अध्यापकगण ने पूरे प्रदेश की शांति को भंग कर दिया है और पूरे शिक्षा जगत में एक दयनीय स्थिति को पैदा कर दिया है।

श्री पंचानन राय--

तो क्या शिक्षकगण को राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, जब इनकी वजह से यह स्थिति (हंसकर)।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मैं कुछ इस सम्बन्ध में कहना नहीं चाह रहा था कि शिक्षा जगत में जो आज दोहरी नीति अपनायी जा रही है कि कुछ लोग विधान सभा में बैठकर विधान सभा की तनख्वाह भी ले रहे हैं और स्कूलों से भी हासिल कर रहे हैं।

श्री पंचानन राय--

तो माननीय मिश्र जी इस नीति को खत्म करवा दें कि कोई भी अध्यापक विधायक नहीं बन सकता है, इसको असंवैधानिक घोषित करवा दें।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, जहां तक संविधान और कानून का सवाल है, शासनादेश 16 के तहत मास्टरों को सारे कार्य करने चाहिए, उसी के तहत बच्चों को पढ़ायें और उसी के तहत परीक्षाएं बच्चों को दिलवाएं। यदि आप लोग शासनादेश 16 के अन्तर्गत गवर्न हों और 9 और 4 से भी गवर्न हों तो इस प्रकार की परिस्थितियां सामने न आवें, लेकिन

आज आपके लिए कोई कानून नहीं रह गया है और मान्यवर, जहां तक नकल का सवाल है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय 4 प्रतिशत सिर्फ नकल के केसेज प्राप्त होते थे ।

श्री पंचानन राय—

माननीय सदस्य शासनादेश 4 और 9 क्या है, इसको कृपया बता दें ताकि हम लोग जान जायें ?

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

लेकिन मान्यवर, जब से उनका संगठन हुआ है तब से मान्यवर, जैसे सम्पूर्ण अधिकार उनका हो गया है इन्टरमीडिएट बोर्ड पर । और यह जिस लड़के को चाहे, वह पास होता है, जिस लड़के को ये फेल कराना चाहते हैं, वह फेल होता है । जिस अधिकारी को चाहते हैं, वह अधिकारी रहता है, जिस कर्मचारी को चाहते हैं वह कर्मचारी रहता है । मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि परीक्षा अपने निश्चित समय पर होनी चाहिये और सरकार को कड़ाई से इनके आन्दोलन का दमन करना चाहिये ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर पिछले तीन महीनों से शिक्षा का वातावरण बहुत ही अस्त-व्यस्त हो गया है । जहां तक अध्यापकों के बारे में इस सदन के अन्दर विचार व्यक्त किये जा रहे हैं, लेकिन यह सदन के अन्दर ही नहीं बल्कि तमाम समाज के अन्दर शिक्षकों की छवि धूमिल हो रही है, यह सब लोग जानते हैं । पिछले दिनों शिक्षकों की हड़ताल किसी खास मुद्दे को लेकर हुई पर जब हाई कोर्ट में बात गयी और हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ तो उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली । तो मैं कहता हूं कि यदि उन अध्यापकों की मांग जायज होती तो चाहे हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेन्ट होता परन्तु वे अपनी मांग पर अडिग रहते परन्तु ऐसा नहीं हुआ । इसके माने हैं कि उनकी मांगों में कोई दम नहीं था । 20 हजार छात्रों के हित को न देखते हुए इन्होंने जो ओछा हथकण्डा अपनाया है, यह बहुत गलत कदम इन लोगों के द्वारा उठाया गया है । इसलिये मैं इस की घोर निन्दा करता हूं ।

यह सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है यह चाहे कांग्रेस (आई0) की सरकार हो . . .

श्री अध्यक्ष—

क्या मोहन सिंह जी आपको सिखा रहे हैं ?

श्री किरन पाल सिंह—

मैं सभी की सीख मान लेता हूं । तो मैं कह रहा था कि जितनी भी कांग्रेस (आई0) की सरकार चल रही है, वह आने वाले चुनाव को सामने रख कर कार्य कर रही है । जनता के हित में जो कदम उठाये जाने चाहियें जनता के हित में जो कार्य होने चाहिये, वह कार्य यह नहीं कर रही है । यदि चुनाव की बात न होती तो जो हम चाहते, यह सरकार वही करती और वैसा ही कदम उठाती । अब क्योंकि कोर्स पूरा नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल परीक्षायें भी अभी तक नहीं हुई हैं, परीक्षा की व्यवस्था जो आप तय कर देंगे उससे उचित रूप से परीक्षा की व्यवस्था हो नहीं पायेगी । सिर्फ वाह-वाही लूटने के लिये आप यह घोषणा न करें कि हम 20 तारीख से परीक्षायें शुरू करा देंगे । आप अध्यापकों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझिये, परीक्षा चाहे 20 तारीख के बजाय 30 तारीख से शुरू हो, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है लेकिन शिक्षकों की समस्या का समाधान करने के बाद ही आप परीक्षायें लें क्योंकि अभिभावक और शिक्षक दोनों ही तनाव पूर्ण स्थिति में जी रहे हैं ।

डा0 बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इन्होंने अभी कहा कि प्रैक्टिकल परीक्षायें नहीं हो रही हैं तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं प्रैक्टिकल परीक्षायें हो रही हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

कहीं प्रैक्टिकल परीक्षायें नहीं हो रही हैं, आप झूठ कहते हैं ।

*श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, मैं अनुगृहीत हूं कि आपने कम समय के होते हुए भी मुझे बोलने का मौका दिया है । मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का दुर्भाग्य है कि उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिये आन्दोलन करना पड़ा, जिससे अभिभावकों और विद्यार्थियों का काफी नुकसान हुआ है । लेकिन मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब प्रदेश की सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से राष्ट्रीयकरण करने की बात को स्वीकार कर लिया और तय कर दिया, इसका एनाउन्समेन्ट कर दिया तो जैसा भी राष्ट्रीयकरण यह करना चाहते हैं, उसे करें । शिक्षकों की भावना में दुर्भावना फैलती है और इससे समस्या टलती नहीं है और हल नहीं होती है । मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं, वह एक शिक्षक हैं और हम सभी लोग उनका आदर करते हैं, वह शिक्षकों के प्रतिनिधियों को बैठा कर कोई ऐसा समाधान निकाले जिससे परीक्षा समय से हो सके । 5–10 दिन परीक्षा टाल दें तो अच्छा होगा, अगर नहीं टालेंगे तो जो दूसरी परीक्षायें जैसे इन्जीनियरिंग आदि की हैं, उन में छात्र सम्मिलित नहीं हो सकेंगे । अध्यापक अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से यह काम हो सकता है । जो बोर्ड का प्रस्ताव आया है कि परीक्षायें स्थगित कर दी जायें अगर परीक्षाय स्थगित कर दी जाती हैं तो उनका उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा ।

*श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मैं एक बात कहना चाहता हूं "जाके पैर न फटी बेवाई वह क्या जाने पीर पराई" मान्यवर, 34 दिन भी पढ़ाई नहीं हुई है । कोर्स पूरा नहीं हुआ है और यह सरकार परीक्षा समय से कराने पर तुली हुई है । मान्यवर, जो आउट आफ कोर्स क्वेश्चन्स आवेंगे, जो पढ़ाये नहीं गये हैं, उस ओर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा । हर आदमी राष्ट्रीयकरण की बात करता है और कहता है कि समय से परीक्षायें हों । हमारा दूसरा प्वाइन्ट यह है कि जो बालिकाओं के केन्द्र हैं उनका क्या होगा, पहले उनका केन्द्र उसी विद्यालय में रहता था जहां पर वह पढ़ती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है । तो मान्यवर, हमारे दो बिन्दु हैं जिन पर माननीय मंत्री जी विचार कर लें । आज शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात की जाती है, शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जनता के बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है और समय से परीक्षायें कराने जा रहे हैं । अगर परीक्षायें 10–15 दिन टाल दें तो उनको कोर्स रिवाइज करने का मौका मिल जायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि 2–3 प्रतिशत से अधिक प्रैक्टिकल परीक्षायें नहीं हुई हैं । डा0 बृज किशोर मिश्र कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षायें हो रही हैं, यह भ्रामक है । मैं चाहूंगा कि आप संरक्षण दें । आप इनको निर्देशित करें और परीक्षायें 10–15 दिन के लिए टाल दें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए जो समय निर्धारित है वह 45 मिनट का है और वह साढ़े पांच बजे के करीब हो गया है ।

श्री मोहन सिंह—

15 मिनट का समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री सच्चिदानन्द—

माननीय अध्यक्ष जी, आज एक ऐसे प्रश्न पर यह सदन चर्चा कर रहा है जिसका सम्बन्ध हमारी शिक्षा संस्थाओं से है, मुझे प्रसन्नता है कि दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि समय से परीक्षायें होनी चाहिए, अगर परीक्षायें समय से नहीं होती हैं तो यह उचित नहीं है । केवल एक निवेदन करना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से और अपने माननीय मित्रों से कि छात्रों के भविष्य के साथ हम सब मिल कर खिलवाड़ न करें इसको राजनीति का प्रश्न न बनायें । मुझे मालूम है एक सदस्य की हैसियत से और एक गार्जियन की हैसियत से, मेरी बच्ची पूछती है, अखबारों को जब पढ़ती है कि क्या फिर परीक्षायें बढ़ जायेंगी । तो मान्यवर, किस तरह का वातावरण बन गया है, छात्रों के मन और मस्तिष्क में इसकी कल्पना हम सबको है ।

राजनीति के वशीभूत होकर, राजनीति की बात करें, यह उचित नहीं है । अध्यापक साथियों से मेरा निवेदन है कि वे छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखें । उनकी आपस की जो भी मांगें हैं, मेरे विचार से उनका बैठकर हल निकाला जाय लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे भी अध्यापकों की समस्याओं के सम्बन्ध में मिलकर, बैठकर विचार-विमर्श कर लें और एक अच्छा सा हल निकाल लें और हर दशा में परीक्षाओं को समय पर करवाने का प्रयास करें ।

मान्यवर, उस पक्ष से एक प्रश्न यह उठाया गया कि अभी प्रयोगात्मक परीक्षायें नहीं हुई हैं । मैं मान लेता हूं कि कहीं परीक्षायें हो रही हैं, कहीं हो गई हैं और कहीं नहीं भी हुई हैं। जहां नहीं हो सकी हैं उन परीक्षाओं को बाद में लिया जा सकता है लेकिन जो लिखित परीक्षायें हैं वे समय पर हों । यह इस प्रदेश में पिछले तीन-चार वर्षों से परम्परा रही है और उसका लाभ भी यहां के विद्यार्थियों को मिला है । मैं अपेक्षा करता हूं अपने विधायक मित्रों से कि वे निश्चित रूप से समाज की इस मांग को स्वीकार करेंगे और समय से परीक्षा होने में हमारे विधायक साथी, अध्यापक साथी सहयोग करेंगे । इसके अतिरिक्त माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे अध्यापक मित्रों की जो समस्यायें हैं, उनको वे बैठकर उनका समाधान करने, उसे पूरा करने की चेष्टा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

यह जो सदन में प्रस्ताव आया है कि 15 मिनट का समय इस काम के लिए और बढ़ा दिया जाय, क्या आप लोग इससे सहमत हैं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है । यहां पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और हम सब इस आदरणीय सदन के सदस्य माननीय शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या फैसला किया है पहले आप माननीय शिक्षा मंत्री जी से बुलवा दें ताकि यदि कोई बिन्दु रह जाएगा तो हम उस पर उनसे स्पष्टीकरण पूछ सकें । आम तौर पर इस विषय पर केवल भाषण कर देने से कोई समस्या का

समाधान नहीं होगा । इस लिए क्या प्रक्रिया होगी, इसे आप बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

वह नियम 56 की सूचना के विषय पर चर्चा हो रही है । अन्त में मोहन सिंह जी बोलेंगे और फिर मंत्री जी बोलेंगे । मोहन सिंह जी को कोई आपत्ति नहीं है ?

श्री मोहन सिंह--

उनको कहना चाहिए, बहस शुरू होती है तो प्रस्ताव देने वाले के बाद मंत्री जी बोलते हैं ।.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अन्तिम उत्तर मंत्री जी का होगा ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी जानते हैं कि चर्चा प्रारम्भ करते हैं वे सदस्य जिन्होंने उस विषय को दिया है । उससे बाद मंत्री जी का संक्षेप में जवाब आता है । तब चर्चा होती है और चर्चा की समाप्ति पर अंतिम जवाब मंत्री जी का होता है । अन्तिम जवाब मंत्री देते हैं ।

श्री अध्यक्ष --

ठीक है ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, ये शांति, अहिंसा,
सदाचार के नारे ।
हीरा-मोती-पन्ने पर लिखकर
मत दिखला रे ॥
हम पेट की पीड़ा के,
हैं मारे ।
और हृदय में जलते रहते हैं
शत शत अंगारे ॥

श्री अध्यक्ष --

आगरे का पानी आपको लग गया है क्या ?

श्री विजय सिंह राना--

श्रीमन् बुलन्दशहर की खाई का है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज शिक्षकों की नैतिकता के बारे में बड़ी-बड़ी बात कही जा रही है । इस तरह के प्रश्न यहां पर रोज उठाये जाते हैं । आज नैतिकता समाज के किसी भी वर्ग में नहीं रही तो शिक्षक में नैतिकता कहां से आये । माननीय बाजपेयी जी का लड़का और माननीय पी0 के0 शर्मा जी का लड़का सिफारिश से पास हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएगा तब नैतिकता को आंच नहीं आएगी पर जब हमारा लड़का पास होगा तो कहा जायेगा कि शिक्षकों ने नकल करवाई है यह कौन सी बात आप कह रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह अधः पतन नहीं हुआ है । शिक्षा में ही नहीं, शिक्षकों में ही नहीं बल्कि हर वर्ग में यही स्थिति है । इसलिए अपने को छोड़कर शेष सबके लिए नैतिकता की बात आज सभी कहते हैं वही आप कहते हैं ।

मान्यवर, मैं दो बिन्दु उठाना चाहता हूं । एक बात तो यह है कि परीक्षा आप किसी से करा लें, पटवारी से करा लें, चपरासी से करा लें, चौकीदार से करा लें, बीमा कर्मचारियों से करा लें, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा ?

श्री अध्यक्ष --

विधायकों की ड्यूटी लगाये ?

श्री विजय सिंह राना--

मैं यह कहना चाहता हूं कि सवाल इसका नहीं है कि परीक्षायें होंगी या नहीं होंगी । सवाल इस बात का है कि यदि परिक्षाएं हो तो सही ढंग से हो उनकी व्यवस्था और देख रेख ठीक

हो । मुझे शंका है कि जो छात्र परीक्षा देने जायेंगे उनकी परीक्षा ठीक ढंग से हो पाएगी या नहीं । क्योंकि जैसे भी हो अध्यापक ही ठीक ढंग से परीक्षा ले सकता है दूसरा नहीं । तो जब परीक्षार्थी परीक्षा के लिए जायेंगे तो उनकी परीक्षा पटवारी लेंगे, लेखपाल लेंगे, चौकीदार लेंगे तो उसका स्तर क्या रहेगा । जो लड़का कभी जिंदगी में पास नहीं हुआ है वह पास हो जायेगा और जो फर्स्ट डिविजन में पास होता था वह थर्ड डिविजन में पास होगा और थर्ड डिविजन वाला फर्स्ट डिविजन में पास होगा । तो जब इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और सर्विस में सेलेक्सन की बात आयेगी तो उसमें परसेन्टेज के हिसाब से लिया जाएगा और जो इस प्रकार से फर्स्ट डिविजन में पास हो गया है उसका सेलेक्सन हो जाएगा । जो थ्रू-आऊट फर्स्ट डिविजन रहा है वह लेखपाल, चौकीदार और पटवारी द्वारा परीक्षा लेने पर थर्ड डिविजन में पास होगा इसलिए वह रह जाएगा तो उनका भविष्य क्या होगा और जो थर्ड पास होने वाला फर्स्ट पास होगा तो उससे देश और प्रदेश का भविष्य क्या होगा । आपका सोचने का तरीका केवल यह है कि परीक्षायें हो जायं ।

हमारे शिक्षा मंत्री जी केवल आश्वासन मंत्री हैं जब तक आप रहेंगे यही होगा । उनका आश्वासन डेढ़ दिन भी नहीं चलता है । कल परसों उन्होंने हाऊस में आश्वासन दिया था तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में तो कहा कि हम स्थायी करने जा रहे हैं । लेकिन कहते हैं कि कमीशन इंडिपेन्डेंट बाडी है वह हमारी बात नहीं मानती है तो फिर आपके आश्वासन का क्या होगा । इसलिए शिक्षा मंत्री जी जो आश्वासन देंगे वह डेढ़ दिन भी नहीं चलेगा । आज जो उद्देश्य है वह आपको मालूम है इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षकों के साथ बैठकर बात कर लें और जिन बातों को आप करना चाहते हैं, जिन पर आप सहमत हैं उनको दृढ़ता से पूरा कर । परीक्षायें निश्चित समय में हो लेकिन शिक्षकों के संचालन में हो लेखपाल, पटवारी और चौकीदारों के माध्यम से परीक्षायें लेने से छात्रों का जीवन अंधकार में चला जायेगा । इस विषय को गंभीरता से सोचिए जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं । दूसरी जो बातें हैं उन समस्याओं का निराकरण आसानी से हो सकता है आप और शिक्षक बैठकर तय कर लें और उनको अडिग होकर लागू करें ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इस चर्चा में इस पक्ष और उस पक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया मैं उन सब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं । इस चर्चा को उठाने का उद्देश्य केवल इतना था कि हमारे प्रदेश में जो संभावित परीक्षायें हैं वे समय से होंगी या नहीं होंगी । इसके बारे में सरकार स्पष्ट नीति अभी तक घोषित नहीं कर सकी है । दिक्कत यह है कि यह हमारा उद्देश्य जानना चाहते हैं कि इनका मकसद इस आंदोलन में क्या है । किसी विरोधी दल का मकसद क्या होता है इसके बारे में इनकी प्रधान मंत्री ने नारायणपुर कांड के समय कहा था कि ऐसे मौके पर विरोधी पार्टी को इसका लाभ लेना चाहिए । तो हम भी अपने कर्तव्य में शामिल होते हैं तो उसमें इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए । यह समस्या गंभीर रूप लेगी । लेकिन उसके साथ-साथ हमारा यह भी उद्देश्य है कि इस प्रदेश के जो 16.17 लाख विद्यार्थी अपने जीवन को संवारने के लिए परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उसके संचालन के लिए शासन क्या कदम उठा रहा है । माननीय मंत्री जी केवल यह कहते हैं कि समय से परीक्षा होंगी लेकिन कैसे होंगी इसकी किसकी जिम्मेदारी है । जैसा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

माननीय मिश्रा जी ने अभी कहा कि वो वेतन लेते हैं, यह ठीक है वह लेते हैं लेकिन इसमें किसकी जिम्मेदारी है, अधिनियम किसने बनाया है, कानून बना हुआ है कि जिन दिनों यहां सदन चलेगा वहां से वेतन नहीं लेंगे लेकिन फिर भी लेते हैं तो इसके पालन कराने की किसकी जिम्मेदारी है। यह माननीय मंत्री जी की ढिलाई है किसने इनको रोका है। कानून बनाने का अधिकार आपको मिला है। किस चीज का अध्यापक वेतन लेते हैं पढ़ाने का, परीक्षाओं के संचालन का। आप नियम बनायेंगे नहीं दूसरे से कहेंगे कि आपका क्या मकसद है, अपना स्टेंड बताइये ?

मैं यह जानता हूं कि सरकार में ऐसे लोग मंत्री बनाए गए हैं जो राष्ट्रीयकरण के सवाल पर अध्यापक आंदोलन में 2-2 बार जेल गये हैं। तो आप इस तरह की विचारधारा रखने वालों को मंत्री बनायें और कहें कि राष्ट्रीयकरण न करने का इरादा है। इसलिए सरकार अपनी शिक्षा के बारे में नीति स्पष्ट बताये। मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल में विज्ञान की परीक्षा अनिवार्य हो गई है। सभी विज्ञान के अध्यापक प्रयोगी परीक्षाओं के लिए व्यस्त हैं और सभी के कार्यक्रम 20 मार्च तक बन गए हैं लेकिन मैं नहीं कह सकता कि वह कितने प्रतिशत तक प्रयोगी परीक्षायें हो पायेंगी। लेकिन सरकार कहती है कि कुछ ऐसी प्रयोगी परीक्षायें आवश्यक हैं जो नहीं आयोजित हो पाई हैं, इसलिए इनकी सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। किसी होमगार्ड के सिपाही से इंविजीलेशन का काम तो ले लेंगे लेकिन विज्ञान की प्रयोगी परीक्षायें कैसे लेंगे। इसलिए इस पर साफ बतायें। चूंकि विज्ञान के इंजीनियरिंग और प्रि-मेडिकल टेस्ट की परीक्षायें मई और जून में होती हैं, सारे प्रदेशों में जहां विद्यार्थी जाते हैं, उनके वहां विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए प्रयोगी परीक्षायें मई और जून में होती हैं, इसलिए इसमें क्या व्यवस्था किया है, इसको बतायें। इस चर्चा को शुरू करने का मेरा यही उद्देश्य था।

मान्यवर, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हमारे अध्यापकों से विनती हो, संघर्ष हो, वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसकी निन्दा करें लेकिन यह सही है कि उनका इंवाल्वमेन्ट किए बिना ठीक से परीक्षायें संयोजित नहीं कर पायेंगे। यह वास्तविकता है और इसको समझते हुए कि उनका दमन करके उनको लाठी से पीट कर, असामाजिक तत्व घोषित कर, गुंडों से पिटवाकर और जिसकी वह एफ० आई० आर० भी न लिखवा सकें, ऐसी स्थिति पैदा करके यह समझते हैं कि सही ढंग से परीक्षायें हो जायेंगी तो इतने विद्वान शिक्षा मंत्री के रहते हुए, जिनकी सिफारिस डिग्री नहीं है, मैं समझता हूं कि इनकी यह विचारधारा हो गई है तो विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं होगा।

इसलिये अपील से तत्काल आंदोलन समाप्त नहीं होगा, इसलिये उनकी समस्याओं के समाधान के लिये सरकार क्या कर रही है, यह बतायें और बातचीत कर इस पर कुछ रास्ता बनायें तो मैं समझता हूं कि वह सही चीज होगी। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा में शामिल होने वाले मा० सदस्यों को बधाई देता हूं।

*शिक्षा मंत्री (श्री अम्बार रिजवी)--

अध्यक्ष महोदय, मोहन सिंह जी ने तथा श्री भोला लाल जी ने इस चर्चा को शुरू करवाने में मदद दिया और इन्हीं के वजह से यह चर्चा हुई जिसके लिये मैं उनका आभारी हूं और मैं उनका भी आभारी हूं जिन माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया । मान्यवर, यह प्रश्न जो परीक्षाओं का है, मोहन सिंह जी ने एक बात कही जिसमें पहली बात कही कि हर एक चीज का पोलिटिकल एडवान्टेज उठाना उनका कर्तव्य है । तो मान्यवर, उनका दिल और उनकी आत्मा संतुष्ट इस बात पर नहीं होगी कि इन अध्यापकों के भविष्य से फायदा उठायें । इस बात से वह खुश नहीं थे इसलिये यह बात कही । लेकिन मैं चाहता हूं कि 16 लाख विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रहे । मान्यवर, अध्यापक क्या हैं । अध्यापक अध्यापन से हैं, किसी को पढ़ाने के लिये हैं, स्टूडेन्ट का यदि यह रिश्ता टूट जाय तो अध्यापक अध्यापक नहीं रह जाता है । इस समय जो स्थिति है 16 लाख विद्यार्थी, बच्चे और बच्चियां जिनका भविष्य बनना है और इंजीनियरिंग तथा पी0 एम0 टी0 में एडमीशन होना है एवं दूसरे कम्पीटीशंस की बुनियाद यहीं से शुरू होती है । वह मान्यवर, सब इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं । मैंने पूरी सहानुभूति के साथ जो हमारे अध्यापक हैं, उनकी बातों को सुना है । बात की और बातें अब भी कर रहा हूं, वार्ता बराबर जारी है । उनसे हर मौके पर बात हो रही है, 12 बजे रात्रि को भी बात करने को तैयार हों तो हम उसके लिए भी तैयार हैं । किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए, जो हमारी वित्तीय सीमाओं के अन्दर और हमारी कठिनाइयों को देखते हुए हों, हम तैयार हैं ।

इसके साथ-साथ हम इस पर समझौता करने को तैयार नहीं हैं कि प्रदेश के 16 लाख बच्चों के भविष्य को हम अन्धकार में डाल दें । हम समय पर परीक्षाएं करायेंगे । उसमें हम यह अपेक्षा करते हैं माननीय सदस्यों से भी जो उधर बैठे हैं, उनके भी बच्चे हैं और मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसका कोई न कोई लड़का, लड़की या निकट सम्बन्धी इस परीक्षा में न बैठ रहा हो । यह विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा है । हम इसमें अध्यापकों से यह उम्मीद करते थे जो उनकी मांगें अपनी जगह पर ठीक हैं, कितना पब्लिक कोआपरेशन मिलता यदि वह यह कहते कि जहां तक परीक्षाएं हैं, समय पर कराकर अपना आन्दोलन जारी रखेंगे । उस चीज से यह इसे जो जोड़ते तो बहुत अच्छा होता । यहां तो पाउन्ड एंड फ्लेश की बात है, जब इम्तहान करीब आ गया तो कहा गया कि हम उसमें हिस्सा न लेंगे । हम उनसे फिर अपील करेंगे, यद्यपि मोहन सिंह जी अपील से सन्तुष्ट नहीं होते हैं, कि इस वक्त जो 16 लाख वार्ड्स हैं, जिनके सम्बन्धी एक करोड़ के करीब होंगे, वह इससे प्रभावित होंगे, इसलिए उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे अध्यापकगण, हमारे कुलीग्स को वापस आना चाहिए और उनको इस परीक्षा में पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए । लेकिन यदि दुर्भाग्य से वह किसी प्रकार का सहयोग नहीं देते हैं, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी हमने की है और वह इस तरह की है कि जैसा अभी हमारे एक साथी राना जी ने कहा कि चपरासियों से परीक्षा करवायेंगे, लेकिन कापी जंचवाने का काम कैसे होगा ।

चौधरी जी ने नकल की बात कही, क्योंकि वह नकल के विशेषज्ञ हैं और उनको तरह-तरह के इस तरह के तरीके मालूम हैं । लेकिन जो परीक्षाएं हैं और कापी जंचवाने का काम है यह उन्हीं अध्यापकों से कराया जाएगा, जिनका यह काम है । हमारे साथ हमारे रिटायर्ड टीचर्स हैं और न जाने कितने आर्गनाईजेसंस हैं, जिन्होंने वालन्ट्री अपने को आफर किया है कि हम एक्जामिनेशन और इन्विजलेशन के काम में पूरा सहयोग करेंगे । हमारे कितने ही बुद्धिजीवी हैं, एडवोकेट्स हैं, सबने कहा है कि हम इसमें आपके साथ सहयोग देना चाहते हैं । आपने दोनों पक्षों की भावनाओं को देखा, यहां पर कोई पार्टी की सीमा नहीं है । यह प्रश्न ऐसा है, सब लोग चाहे इस पक्ष के हों या उस

पक्ष के हों, इस बात से सहमत हैं कि परीक्षाएं समय पर होनी चाहिए और परीक्षायें सुचारु रूप से होनी चाहिए और इस बात से भी सहमत हैं कि उनके भविष्य का ख्याल किया जाना चाहिए ।

मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति या मोहन सिंह जी इससे अपनी सहमति नहीं प्रकट करेंगे । इसके हल के लिए इस समय जितने हमारे डिवीजनल कमिश्नर हैं, उनको बुलाया है, शिक्षा विभाग के सारे अधिकारियों को यहां लखनऊ में बुलाया है और अन्य आर्गनाइजेसंस के हेड्प्रेसीडेन्ट्स और सेक्रेटरी को भी उसमें बुलाया है । उनसे बात करके एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, जिसके अन्दर हम परीक्षाएं सही समय पर, सही तरीके से करा सकें । जहां पर 2 हजार के करीब शिक्षक हैं, वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था करके उसका ब्लू-प्रिन्ट तैयार करा लिया है कि कौन इन्विजिलेटर होगा, इस सबका इन्तजाम कर लिया गया है । ला एन्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिये भी लोगों की जरूरत होगी, उसका भी इन्तजाम कर लिया है । इनका सारा ब्लूप्रिन्ट तैयार है । सारी कापियां वगैरह डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के यहां पहुंच चुकी हैं । सारी सुरक्षा व्यवस्था भी कर ली गयी है । कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका इन्तजाम न किया गया हो । इन सब बातों के बावजूद हमारा पूरा विश्वास है कि जब इन 16 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का ख्याल हमारे अध्यापकों के सामने आयेगा वे हमारा सहयोग देंगे क्योंकि अध्यापकों की सबसे बड़ी पूंजी छात्र होते हैं और उनके हितों का सवाल जब उनके सामने आता है तो वे अपने हितों को भूल जाते हैं । मुझे पूरा भरोसा है और यकीन है जिस वक्त वे छात्रों की भलाई का प्रश्न अपने सामने रखेंगे, और इस बात पर विचार करेंगे कि उनके कोआपरेट न करने से कितना लास छात्रों का होगा, कितना लास प्रदेश और देश का होगा, वे इम्तिहानों से हमारा साथ देंगे । राष्ट्रीयकरण आदि की जो बातें हैं उनको हम तय कर सकते हैं, पर इस समय मुख्य प्रश्न छात्रों के इम्तिहान का है ।

जहां तक अध्यापकों के शोषण का प्रश्न है, उनकी उचित मांगों का जहां तक प्रश्न है, जितना हम कर सकते हैं किया है और करेंगे, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है । सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हमने उनको रखा, उनको वेतन आदि दिये जाने की जिम्मेदारी सरकार ने ली, शिक्षा परिषद् और एग्जामिनेशन कमेटी में उनको रखा, उनको पूरा-पूरा भागीदार बनाया । आज अध्यापकों के वेतन पर ही इस सरकार का 510 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, यह सब इसीलिये है कि हमारे बच्चों की ठीक से पढ़ाई हो सके, समय से उनके इम्तिहान हो सकें । उनकी तालीम इस तरह से हो कि उनका विकास हो सके । अगर हमारा यह मकसद पूरा नहीं होता तो यह जो 510 करोड़ रुपया हम शिक्षकों के वेतन पर खर्च कर रहे हैं वह सब बरबाद चला जायेगा । 965 करोड़ रुपये में से हम 510 करोड़ रुपया केवल अध्यापकों के वेतन पर, खर्च कर रहे हैं । हम स्टेट इम्पलाइज पर खर्च कर रहे हैं उनके वेतन पर । हमारा यह गरीब राज्य है, क्या हम अध्यापकों से यह अपेक्षा नहीं करते कि इतना खर्च करने के बाद वे ऐसे मौके पर हमारा साथ दें, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें । बच्चों के इम्तिहान समय से होने दें । आखिर इन मासूम बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा है ? उनके साथ वे अपनी तमाम चीजों को क्यों जोड़ रहे हैं । मान्यवर, इस वक्त सवाल न कांग्रेस पार्टी का है और न अन्य किसी राजनैतिक दल का है, इस वक्त सवाल केवल बच्चों के भविष्य का है ।

मान्यवर, जब विश्व युद्ध छिड़ा था उस समय सारा बजट कट कर दिया गया था, जिन लोगों को एक डबल रोटी मिलती थी उसको आधा कर दिया गया था, लेकिन उस अवसर पर भी शिक्षा के बजट में कोई कटौती नहीं

की गयी थी, उसे पूरा महत्व दिया गया था। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अध्यापकों के साथ आज छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, इस प्रदेश की 1/6 आबादी का भविष्य जुड़ा हुआ है। उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को क्या संज्ञा दी जाय, यह तो सम्मानित सदन के लोग और सारे लोग वह फैसला करेंगे। आज पब्लिक ओपीनियन क्या है, आज अखबार वाले जो पत्रकार लोग हैं वह क्या कहते हैं, आज जिनके लड़कों का इम्तहान है उनको क्या फीलिंग है वह किसी से छिपा नहीं है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको पोलिटिकलाइज करने की कोशिश करें। अगर कोई हमारी गलती है तो हम मानने के लिए तैयार हैं लेकिन इसके साथ ही साथ में कहना चाहता हूं कि यह इक्जामिनेशन का सवाल है, छात्रों का सवाल है उसके ऊपर किसी से समझौता नहीं कर सकते चाहे इसमें नुकसान पोलिटिकल हो, राजनीतिक हो या किसी तरह का हो या किसी तरह की कोई चीज हो। मान्यवर, इलेक्शन हारा जा सकता है लेकिन 16 लाख बच्चों के भविष्य को कैसे अंधकार में कर दें। मैं समझता हूं कि इससे आगे आने वाली नस्लें कभी हमें माफ नहीं करेंगी। इन शब्दों के साथ....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अभी एक चीज रह गई। लड़कियों के सेंटर्स के बारे में कहना है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, लड़कियों के सेंटर्स की जो बात कही गई है तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि जो परीक्षा कमेटी, इक्जामिनेशन कमेटी है उसने सेंटर्स बदले और उसके बाद आप लोगों ने कहा। तो हम पूरी तरह से सहमत हैं, जहां-जहां सेंटर्स बदलने की आवश्यकता है वहां लड़कियों के सेंटर्स बदल देंगे। लेकिन कोई ऐसा अवरोध जो इम्तहान में हो या जिसको हम प्रशासनिक तरीके से दूर कर सकते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं है। चाहे माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त हों या माननीय खान गुफरान जाहिदी हों, वह सब बराबर हैं, सब गार्जियन हैं, सब छात्र हैं। इन शब्दों के साथ मान्यवर, जो इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं जो सारे उत्तर प्रदेश की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता है और जो हमारे कुलीग हैं, अध्यापक हैं उनसे मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इस मौके पर वह अपने इग्जामिनेशन को बाईकाट करने का जो फैसला है उस पर फिर से फैसला करें और लड़कों के इम्तहान में सहयोग दें। इम्तहान खत्म होने के बाद कुछ भी वह करें। हम पहले सुनने के लिए तैयार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे लेकिन यह तो मान्यवर ऐसे ही है कि किसी गरीब के लड़के को कोई बंद करे और फिर 5 हजार रुपये मांगे कि दो तब छोड़ेंगे। तो यह इसी तरह की बात है। तो इस तरह से बच्चों के भविष्य के दरवाजों को न बंद किया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस बहुत नम्र निवेदन को हमारे अध्यापक स्वीकार करेंगे।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, 12 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 53 मिनट पर सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 1984, के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :
7 मार्च, 1984।

विधान सभा सचिवालय पटना

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

पर्वतीय विकास विभाग

माह अक्तूबर, 1983 तक जारी की गई वित्तीय स्वीकृतियों की स्थिति :

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर का नाम	वित्तीय स्वीकृति
1	2	3
		रु0
1	चिकित्सा	359·52
2	खेलकूद	24·13
3	सहकारिता	96·07
4	भूमिहीन मजदूरों के लिए आवासीय भूमि—	
	(1) राजस्व विभाग	1·50
	(2) ग्राम्य विकास विभाग	40·00
5	नगर विकास	12·64
6	शिक्षा	1,110·93
7	पुष्टाहार (शिक्षा)	5·00
8	वानिकी	556·21
9	भूमि संरक्षण (वन)	769·85
10	जल प्रबन्ध योजना	494·93
11	राज्य मुख्यालय	1·04
12	पर्यटन	167·77
13	राज्य कर्मचारियों को आवास हेतु ऋण	10·00
14	[illegible]र्म एवं संस्कृति	7·63
15	रेलवे लाइन	25·00
16	पर्वतीय प्रभाग	8·47
17	लघु सिंचाई	191·53

1	2	3
		रु0
18	सड़क/पुल	2,327·28
19	सिंचाई	970·00
20	विद्युत्	668·60
21	आयोजनेतर भवन—	
	(1) न्याय विभाग	10·81
	(2) राजस्व विभाग	20·06
	(3) राज्य सम्पत्ति	15·00
	(4) पुलिस	18·05
	(5) कारागार	4·50
	(6) खाद्य विभाग	1·80
	(7) सार्वजनिक निर्माण विभाग	43·00
22	उद्योग निदेशालय	179·16
23	हथकरघा	34·44
24	भूतत्व एवं खनिकर्म	51·28
25	बन्धुवा मजदूर	6·72
26	सांस्कृतिक कार्य	5·41
27	समाज कल्याण	20·34
28	हरिजन कल्याण	102·62
29	आई0 टी0 डी0 पी0 (एकीकृत जन–जाति विकास प्रायोजना)	1·40
30	बाल विकास	97·51
31	सूचना/प्रसार	0·82
32	सैनिक कल्याण	5·00
33	कृषि उत्पादन	66·48
34	कृषि शोध	1·00
35	गन्ना विकास	5·00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
		रु0
36	कृषि भूमि संरक्षण	193·00
37	प्रादेशिक विकास दल	1·00
38	क्षेत्रीय विकास	422·00
39	पंचायती राज	2·52
40	प्राविधिक शिक्षा	82·89
41	सेवायोजन	0·33
42	श्रम कल्याण	1·75
43	शिल्पकार प्रशिक्षण	72·99
44	सामुदायिक विकास	26·15
45	जिला परिषदों को अनुदान	25·93
46	उद्यान विभाग	251·76
47	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	36·00
48	विकास खंडों को अनुदान	49·00
49	कृषि कर्मशालाओं का स्थापना	3·30
50	जल निगम	2,025·00
51	हरिजन पेयजल	12·00
52	व्यवहारिक पुष्टाहार	12·00
53	विशेष पुष्टाहार	12·00
54	पशुपालन	151·40
55	मत्स्य विकास	3·30
56	दुग्ध विकास	4·08
57	नैनीताल ग्रामीण बैंक	3·75
	योग	11,930·55

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

मोहर

सदस्य, विधान सभा

उत्तर प्रदेश

गौरी देवी विधायक,

टाउन हाल, गोरखपुर ।

माननीय मुख्य मंत्री,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

महोदय,

सिंचाई विभाग में अनेक महत्वपूर्ण पदोन्नतियों के अभाव में रिक्त हैं । आठ अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर अधीक्षण अभियन्ता कार्यरत हैं । एक वर्ष बीत गये परन्तु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर स्थायी चयन नहीं किया गया ।

अभी 28 जून, 1983 को 29 अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति कर दी गयी । इस पदोन्नति में विगत वर्षों की पदोन्नतियों के अनुसार पदोन्नति की नियमावली नहीं बनायी गयी । बल्कि इस बार पहले जिन्हें पदोन्नति देना था उनके नाम निश्चित कर लिये गये और ऐसी नियमावली बनायी गयी जिसमें वे नाम अवश्य आ जाये । कुछ ऐसे अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता बना दिया गया जिन पर भ्रष्टाचार और अनियमितता की गम्भीर जांच आज भी चल रही है । इन अधीक्षण अभियन्ताओं का पद स्थापना और पदोन्नति की सूचना बन्द लिफाफे में इन निर्देश के साथ भेजा गया था कि वे अपना पद भार तुरन्त ग्रहण कर लेवें ।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची प्रकाशित हुयी । और दिसम्बर, 1982 में 34 सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति करने का निर्णय लिया गया । परन्तु उनकी अब भी पद स्थापना अधिशासी अभियन्ता के पद पर नहीं की गयी । इनके पीछे सिंचाई विभाग में चल रहे भारी षड़यंत्र आर्थिक राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने की नीति शामिल है ।

सिंचाई विभाग में 104 सहायक अभियन्ता (प्रभारी) कार्यरत हैं । जो अधिशासी अभियन्ता का पद भार ग्रहण किये हुये हैं । इन्हें 100 रु0 प्रति माह अतिरिक्त वेतन और अधिशासी अभियन्ताओं के सभी सुविधायें प्राप्त हैं । इन 104 सहायक अभियन्ताओं में अधिकांश ऐसे हैं जो पदोन्नतियों के नियमों के अनुसार अधिशासी अभियन्ता नहीं बन पायेंगे । उपरोक्त 34 पदोन्नतियों में मात्र 11 सहायक अभियन्ता (प्रभारी) ही अधिशासी अभियन्ता पद पर पदोन्नति हो सके हैं । इसलिये 104 सहायक अभियन्ता (प्रभारी) जो अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं वे ही 34 पदोन्नति प्राप्त अधिशासी अभियन्ताओं को पद स्थापना नहीं होने दे रहे हैं । ये सहायक प्रभारी अभियन्ता एक समिति का गठन किये हैं । जिसमें तीन सहायक अभियन्ता (प्रभारी) श्री आर0 पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता (प्रभारी), ड्रेनेज खंड, बस्ती, श्री नरसिंह, सहायक अभियन्ता (प्रभारी), मुसा खाड़, वाराणसी और

केदार नाथ सिंह, सहायक अभियन्ता (प्रभारी), ड्रेनेज खंड, आजमगढ़ जो सिंचाई मंत्री के घनिष्टतम सहयोगी हैं इस समिति के सदस्य हैं। ऐसी आम चर्चा है कि य सहायक अभियन्ता 34 लाख रुपया एकत्रित करके उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को धन देकर मंत्री परिषद् से ऐसा निर्णय करा लेंगे, जिससे सहायक अभियन्त (प्रभारी) अधिशासी अभियन्ता बन जायेंगे। इसके पीछे अपने स्वार्थ के साथ-साथ पूरी सरकार को बदनाम करने का षड़यंत्र है। इसी कारण 34 सहायक अभियन्ता जो अधिशासी अभियन्ता पद पर पदोन्नति पा चुके हैं उस पद पर स्थापित नहीं किये जा रहे हैं और जिन सहायक अभियन्ता (प्रभारी) अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति, अब तक प्रकाशित सूची में पदोन्नति नहीं प्राप्त कर सके हैं उन्हें भी सहायक अभियन्ता के पद पर वापस नहीं किया गया है।

सिंचाई विभाग में एक और महत्वपूर्ण मामला यह है कि वर्ष सन् 1970 के आदेश के अनुसार सहायक अभियन्ताओं को 10 वर्ष की कार्य अवधि पूरी हो जाने पर दक्षता रोक पार करने के लिये रिक्वेंटेड प्लेस पर जाना आवश्यक है। परन्तु लगभग 240 सहायक अभियन्ता 10 वर्ष की अवधि पूरी कर लिये हैं। परन्तु वे रिक्वेंटेड प्लेस पर अभी तक विभागीय अनियमितता के कारण नहीं भेजे गये।

अतएव आपसे उपरोक्त तथ्यों की जांच के साथ सहायक अभियन्ता (प्रभारी(, का पद समाप्त करने, पदोन्नति व्यक्तियों की पद स्थापना तुरन्त करने एवं विभाग में हो रहे अनियमितता और भ्रष्टाचार को रोकन का आग्रह करती हूं और दोषी यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की अपेक्षा रखती हूं।

भवदीया

लिपि—1—प्रधान मंत्री, भारत सरकार। (ह0) गौरी देवी, 4-10-83,

2—सिंचाई मंत्री, उत्तर प्रदेश। विधायक।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 57 पर)

देवरिया जनपद की उन सभी संस्थाओं की सूची जिन्हें फर्नीचर आदि के लिये 45,000 रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी है :--

1--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, भरौली बाजार, देवरिया।

2--हरिजन प्राइमरी पाठशाला, पकड़ी बाजू, पो० भाटपार रानी, देवरिया।

3--सुभाष प्राइमरी पाठशाला, मड़ैया हरदी, पो० लार रोड, देवरिया।

4--राजेन्द्र प्राइमरी पाठशाला, छतिवायन, पो० बैकुन्ठपुर, देवरिया।

5--प्राइमरी पाठशाला फिडोरितिया, पो० बर्दगुनियां, देवरिया।

6--बापू प्राइमरी पाठशाला जटवलिया, देवरिया।

7--राजकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला, मठिया आलम, पो० बिरइछा देवरिया।

8--राजकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला, मलहनी, देवरिया।

9--राजमणि सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला, इन्दरवा छावनी, पो० अहिरौली, देवरिया।

10--राजकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला, अहिरौली, कुटवा (बहिरभरी), देवरिया।

11--नवाबदल प्राइमरी पाठशाला, चरवनी, पो० तमकुही, देवरिया।

12--जगजीवन राम प्राइमरी पाठशाला, कोटपुर पिपरा, बरहज, देवरिया।

13--राजकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला, बेरिया, पो० सुकरौली, देवरिया।

14--राजकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला, खपरा महतो, देवरिया।

15--अम्बेदकर हरिजन प्राइमरी पाठशाला, रुद्रपुर, देवरिया।

16--राजकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला, मवाना नगर निइचला, पो० छपरा, देवरिया।

17--राजकीय हरिजन प्राइमरी पाठशाला, सोहनाग, देवरिया।

18--राजकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला, पुरुषोत्तमपुर, पो० रामपुर कारखाना, देवरिया।

19--प्राइमरी पाठशाला, सटगांव, पो० विजय काफ, देवरिया।

21—प्राइमरी पाठशाला, दमुसा, पो0 चन्दी, देवरिया ।

22—प्राइमरी पाठशाला, राजापुर खास, पो0 बेनिया बाजार, देवरिया ।

2 —प्राइमरी पाठशाला, चकदेइया, पो0 हेतिमपुर, देवरिया ।

24—श्री गांधी स्मारक प्राइमरी पाठशाला, चौखिया पटखौली, लाता का टोला, देवरिया ।

—प्राइमरी पाठशाला, रामपुर श्रीपाल, पो0 हेतिमपुर, देवरिया ।

25—प्राइमरी कन्या पाठशाला, इसुरी बाजार, पो0 अहिरौली बाजार, देवरिया।

26—प्राइमरी कन्या पाठशाला, हरीरामपुर, देवरिया ।

27—राजकीय सहायता प्राप्त कन्या प्राइमरी पाठशाला, मलहनी, देवरिया ।

28—आजाद छात्रावास चन्द्रलोक, देवरिया ।

29—हरिजन छात्रावास, बरहज बाजार, देवरिया।

30—हरिजन छात्रावास, लार रोड, देवरिया :

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 119 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 7

प्रश्न	उत्तर
7--क्या नगर विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों में बसे सभी गांवों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	जी हां ।
क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार 1972 की सर्वे के अनुसार घोषित अभावग्रस्त गांवों की ही पेयजल योजना बना रही है और	जी हां ।
वर्तमान समय में वास्तविक रूप से घोर अभावग्रस्त गांवों की पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में उदासीनता प्रकट कर प्रधान मंत्री के नए बीस सूत्रीय कार्यक्रम के आठवें सूत्र की उपेक्षा कर रही है ?	जी नहीं ।

बल्देव सिंह आर्य,

मंत्री,

पर्वतीय विकास विभाग ।

पी0 एस0 यू0 पी0--6 वि0 सभा--14-6-84--813--(पी0 डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा